खण्ड-404, अंक-6
मंगलवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1914
(24 मार्च, 1992 ई0)

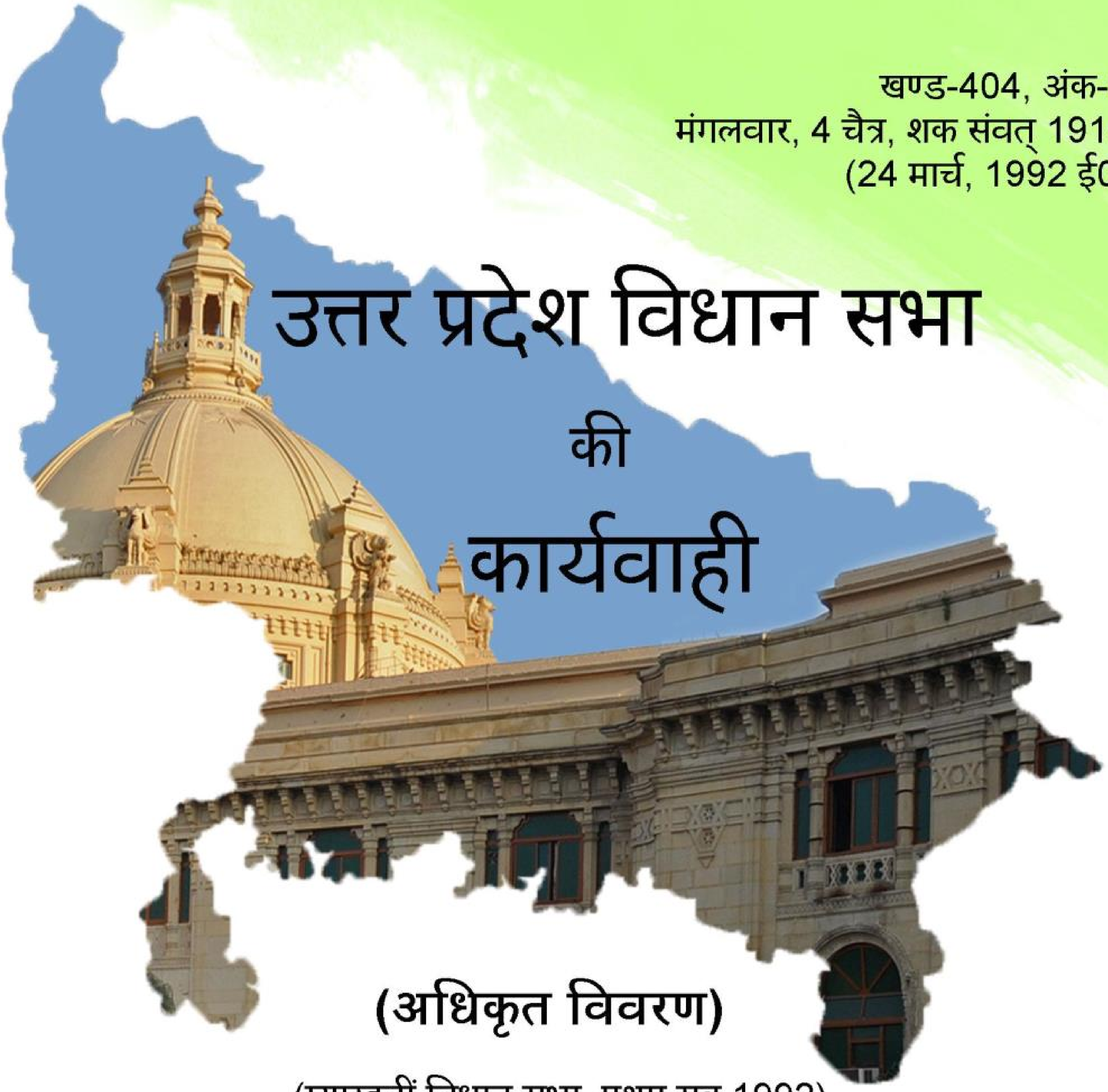

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
अयोध्या में मंदिरों को तोड़े जाने के आरोप विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1--94
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	95--96
जनपद बांदा के कतिपय ब्लाकों के अन्तर्गत स्थित गांवों में ट्यूबवेल लगवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा के कतिपय गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद गढ़वाल में नगरपालिका दुगड्डा के कर्मचारियों को कई माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
कानपुर स्थित यू०एच०एम० चिकित्सालय के जनरल स्टोर के भूतपूर्व स्टोर कीपर द्वारा किये गये घोटाले की जांच कर दण्डित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद देहरादून के ग्रामीण अंचलों में भूकम्प राहत कार्यों के लिये उत्तरकाशी, टिहरी व चमोली से अलग स्केल लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97--98
विभिन्न धर्मावलम्बियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद इलाहाबाद के कृषकों को छूट पर दी जाने वाली चारा मशीन के क्रय में अधिकारियों द्वारा कथित रूप से धांधली करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	99
नियम 311, 56 व 300 में दी गयी सूचनाओं को एक में मिलाकर लिए जाने का सुझाव	99--100
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 के शाब्दिक संशोधन का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	100

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	100
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1992 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना) ..	101
जनपद आगरा में टर्मिनल रजबाहा नहर की दायीं पटरी को चौड़ा करके कोलतार लेपन स्तर तक 29 कि०मी० लम्बाई में पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन सिंह आदि की याचिका (प्रस्तुत की गयी)	101
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 (पुरःस्थापित किया गया)	101
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	102
औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	102
अयोध्या, जनपद फैजाबाद में पर्यटन के विकास के नाम पर अधिग्रहीत भूमि को एक धर्म विशेष को निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने तथा कतिपय मन्दिरों को क्षति पहुंचाये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) ..	103--141
अयोध्या स्थित विवादित स्थल के बारे में हिस्ट्री प्रस्तुत करने से न्यायालय की अवमानना होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	142--144
श्री मोहम्मद रिजवानुल हक का सदन से निलम्बन	144--147
श्री मोहम्मद रिजवानुल हक का सदन से निलम्बन सम्बन्धी निर्देश की वापसी ..	147--148
राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री द्वारा अलग-अलग बयान दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	148--152
श्री अध्यक्ष द्वारा इंगित कतिपय सदस्यों का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	152--155
सदस्यों के निलम्बन की कार्यवाही अवैधानिक होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	155--157
अयोध्या, जनपद फैजाबाद में पर्यटन के विकास के नाम पर अधिग्रहीत भूमि को एक धर्म विशेष को निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने तथा कतिपय मन्दिरों को क्षति पहुंचाये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..... (ज़ारी)	157--163
सदन की सेवा से श्री राम औतार शाक्य के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	163--164

विषय	पृष्ठ-संख्या
अयोध्या, जनपद फैजाबाद में पर्यटन के विकास के नाम पर अधिग्रहीत भूमि को एक धर्म विशेष को निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने तथा कतिपय मन्दिरों को क्षति पहुंचाये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	164--174
जनपद मऊ के हरिजन विद्यालयों के अध्यापकों का कई माह से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	175
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	175--176
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	176
नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा जानकारी	177
1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	177--180
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	180
जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गतिरोध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य सूचना देने वाले माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त	180
टिहरी बांध परियोजना, टिहरी गढ़वाल का निर्माण कार्य धरने के कारण रुकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	180--181
अजुध्या डिस्टलरी बिलारी, जनपद-मुरादाबाद में [illegible] से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निर्धारित वक्तव्य की सूचना देने वाले माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त	181
गाजियाबाद स्थित करनाल फार्मेसी में निर्मित कर्पूरासव के सेवन विषयक दिनांक 21 फरवरी, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत सूचना देने वाले माननीय सदस्य के सदन से निलम्बित होने के कारण निरस्त	181
नत्थियां	182--192

उत्तर प्रदेश संसदीय संग्रहालय

बिहार पंचायत सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :---

अजय प्रताप सिंह उर्फ		नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अब्दुल ए० सलाम, श्री	आजमगढ़	बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
अरविन्द कुमार, डॉ०	ललितपुर	मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	मदन भैया, श्री	मेरठ
अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर	महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
अवध पाल सिंह, श्री	एटा	योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	रमेश बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
केशव सिंह, श्री	जालौन	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
गामाराम शास्त्री, श्री	गाजीपुर	राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
जगदीश मुनि आचार्य, श्री	हरिद्वार	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
तेजपाल, श्री	हरिद्वार	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
दौलत राम, श्री	सीतापुर	सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया	सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	सुधीर कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
नवाब सिंह, श्री	मथुरा	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिधान सभा मदुरै

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1992

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे उपाध्यक्ष श्री राम आसरे वर्मा के सभापतित्व में आरम्भ हुआ ।

आयोध्या में मन्दिरों को तोड़े जाने के आरोप विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर तुड़वा रही है जिससे भय और आतंक व्याप्त है ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

दीक्षित जी उपस्थित हैं ।

(विरोध पक्ष के अनेक मा० सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे [xxx] जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

माननीय सदस्य अपने स्थान पर जायं, सदन की कार्यवाही नियमों के मुताबिक चलेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दें ।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रश्न का लिखित उत्तर पढ़ा गया)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अयोध्या विवाद कथित नरसंहार की जांच हेतु नये आयोग के गठन की जानकारी और संदर्भित जांच बिन्दुओं का विवरण

**1–श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर व नवम्बर, 90 के अयोध्या विवाद कथित नर संहार की जांच के लिये सरकार ने किसी आयोग का गठन हाल में किया है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकरण पर गठित पूर्व सरकार के आयोग को भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो नये आयोग को कौन-कौन से जांच बिन्दु संदर्भित हैं ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जी हां ।

जी हां ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(1) अयोध्या, जनपद फैजाबाद में 1 सितम्बर, 1990 से 30 अक्टूबर, 1990 के मध्य प्रशासन एवं पुलिस द्वारा परम्परागत धार्मिक उत्सवों और आयोजनों पर रोक लगाने की वैधता एवं औचित्य तथा उसके लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण,

(2) अयोध्या, जनपद फैजाबाद में माह सितम्बर और अक्टूबर, 1990 में राम मंदिर जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के संदर्भ में जारी किये गये सरकारी आदेश विशेष रूप से "शिलान्यास स्थल" पर छतरी काटने तथा प्रस्तावित राम मंदिर के प्रतिमान (माडल) को हटा कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण,

(3) अयोध्या, जनपद फैजाबाद में दिनांक 30-10-90 तथा 2-11-90 को कार सेवकों पर बल प्रयोग एवं गोली कांड का औचित्य,

(4) अयोध्या, जनपद फैजाबाद में दिनांक 30-10-90 तथा 2-11-90 को कारसेवकों पर हुए बल प्रयोग तथा गोली कांड के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों और अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर जाय, मा० हृदय नारायण दीक्षित जी अपना प्रश्न करें।

(व्यवधान)

आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा माननीय नेता, विरोधी दल का नाम पुकारा गया)

(विरोध पक्ष के सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यों द्वारा "पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" तथा "लाठी गोली की यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" नारे लगाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

मैंने माननीय नेता, विरोधी दल को बुलाया है, आप लोग बैठें। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

आप लोग बैठें।

(विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के "वेल" पर बैठ जाने से घोर व्यवधान)

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

मैंने माननीय नेता, विरोधी दल का नाम लिया था लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं कि अपनी बात आप रखें।

(विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

मैं सदन को एक घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित कर दी। 12 बजकर 10 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन साढ़े बारह बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

केन्द्र की भांति प्रदेश में विभिन्न जनपदों की योजनाओं में धन के आवंटन में जनसंख्या व क्षेत्रफल का आधार माने जाने की मांग

**2–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार ने केन्द्रीय राजस्व के बंटवारे के लिये सुझाये गये फार्मूले के अनुरूप ही राज्य के विभिन्न जनपदों की योजनाओं में धन का आवंटन जनपदों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, अन्य स्थानीय विकास समस्याओं तथा पिछड़ेपन को आधार मानकर अंतर्विनियोजन की कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

राज्य सरकार द्वारा जिला योजनाओं हेतु आरक्षित परिव्यय, विभिन्न जिलों के मध्य ''जनसंख्या तथा कतिपय विकास संकेतकों में पिछड़ेपन'' के संलग्न फार्मूले के आधार पर आवंटित किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 182-183 पर)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद गोण्डा एवं देवरिया में विचारधारा के आधार पर लोकतांत्रिक ढंग से घेराव एवं प्रदर्शन कर रहे लोगों की कथित पुलिस फायरिंग से मौत एवं सरकार की एतद्विषयक नीति

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित एवं श्री बलराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विचारधारा के आधार पर लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन/घेराव कर रहे कितने लोगों की मौतें पुलिस फायरिंग/लाठीचार्ज में जनवरी, 92 में गोण्डा जिले में हुई हैं ? कितने लोग इसके पूर्व प्रदर्शन के दौरान देवरिया में मारे गये हैं ? सरकार की अहिंसक घरना/प्रदर्शन/आन्दोलनों के सम्बन्ध में क्या नीति है ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

विचारधारा के आधार पर लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन/घेराव कर रहे किसी भी व्यक्ति की मौत गोंडा व देवरिया में जनवरी 1992 में या इसके पूर्व, वर्तमान सरकार के पदारूढ़ होने के पश्चात् नहीं हुई है।

नियमानुसार अहिंसक धरना/प्रदर्शन/आन्दोलन आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रदेश में आरक्षण विरोधी आन्दोलन एवं साम्प्रदायिक दंगों में मृतकों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति की जानकारी

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में विभिन्न जिलों में वर्ष 90 में आरक्षण विरोधी आन्दोलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा सितम्बर, 90 से जनवरी, 91 तक साम्प्रदायिक दंगे में कितने नागरिकों तथा पुलिसजनों की मृत्यु हुई और कितने की सम्पत्ति नष्ट हुई ? क्या सरकार ने जानमाल के नुकसान की क्षतिपूर्ति की है ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1990 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के दौरान 39 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । सितम्बर, 90 से जनवरी, 91 तक प्रदेश में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 435 नागरिकों तथा 1 पुलिस कान्सटेबिल की मृत्यु हुई और लगभग 3 करोड़ अट्ठावन लाख रु० मूल्य की सम्पत्ति की क्षति हुई ।

साम्प्रदायिक दंगा पीड़ितों को शासनादेश दिनांक 22-6-84 में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्धारित मानकों को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करते हुए निम्नलिखित मानकों के अनुसार राहत की राशि वितरित की गयी :—

(1) दंगे में प्रत्येक मृतक के परिवार को	एक लाख रु०
(2) दंगे में गम्भीर रूप से घायल को अधिकतम	4,000 रु०
(3) दंगे में साधारण रूप से घायल को अधिकतम	1,000 रु०
(4) सम्पत्ति की क्षति	शासनादेश दि० 22-6-84 में निर्धारित राहत के मानकों के अनुसार ।

आन्दोलनात्मक गतिविधियों में मरने वालों को राहत देने की शासन की नीति नहीं है ।

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

[मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में आतंकवाद से निपटने के लिए शासन की कार्ययोजना

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 अक्टूबर, 91 को रुद्रपुर, नैनीताल में उग्रवादियों के बम विस्फोट में हजारों लोगों के मारे जाने के कारण पूरे प्रदेश में अब भी दहशत है ? आतंक की ऐसी ही कार्यवाहियों से निपटने के लिए क्या वर्तमान शासन के पास कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु व संकल्प क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, अपितु दिनांक 16-10-91 को रुद्रपुर, जनपद नैनीताल में हुये बम विस्फोट की घटना में हजारों लोगों की नहीं वरना 45 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इस बम विस्फोट के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में वर्तमान समय में कोई दहशत नहीं है।

जी हां। आतंकवादी गतिविधियों के उन्मूलन के लिये शासन द्वारा बनायी गयी विस्तृत योजना के अन्तर्गत संवेदनशील थानों का सुदृढ़ीकरण, विशेष टास्क फोर्स का गठन, नवीन पुलिस चौकियों और बैरियरों की स्थापना, विभिन्न अतिरिक्त पदों का सृजन तथा अभिसूचना विभाग के अन्तर्गत विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना आदि सम्मिलित हैं। शासन प्रदेश से आतंकवादियों के उन्मूलन हेतु कृत संकल्प है।

जनपद गाजीपुर में आठवीं योजनान्तर्गत सार्वजनिक, संयुक्त अथवा निजी क्षेत्र में इस्पात का कारखाना लगाये जाने की मांग

*2–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं योजना में वर्तमान समय में जनपद गाजीपुर में सार्वजनिक, संयुक्त संघ अथवा निजी क्षेत्र में कोई इस्पात का भारी कारखाना लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा इस कारखाने को कब तक चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आठवीं योजना में वर्तमान समय में, जनपद गाजीपुर में सार्वजनिक, संयुक्त क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में इस्पात का कोई कारखाना लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद जालौन के थाना सिरसा कलार की पुलिस चौकी न्यामतपुर के ग्राम पाल में कथित डकैती की घटना का पुलिस द्वारा संक्षिप्तीकरण किये जाने की शिकायत के विरुद्ध कार्यवाही

*4–श्री श्रीराम–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के थाना सिरसा कलार की पुलिस चौकी न्यामतपुर के ग्राम पाल में दिनांक 14-9-91/15-9-91 की रात्रि में ग्राम के सात परिवारों पर डकैतों द्वारा फायरिंग करते हुए भीषण डकैती डाली गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुलिस ने अपराध का संक्षिप्तीकरण करके तथा डकैतों की संख्या 2 प्रदर्शित करके मुकदमा 458 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दर्ज किया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उक्त डकैती में डकैतों द्वारा पीड़ित परिवारों के सदस्यों की तथा महिलाओं की मारपीट की गयी थी ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने प्राथमिकी में मारपीट दर्ज करके घायलों का डाक्टरी परीक्षण कराया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त घटना की निष्पक्ष जांच किसी गोपनीय पुलिस विभाग की एजेन्सी से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या घटना के पुलिस द्वारा संक्षिप्तीकरण किये जाने के बाबत थानाध्यक्ष सिरसा कलार व पुलिस चौकी

न्यामतपुर के इंचार्ज के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि लूट की घटना पायी गयी है ।

वादी श्री बाबूराम पुत्र श्री बिहारी ने दि० 15-9-91 को चौकी न्यामतपुर, थाना सिरसा कलार, जनपद जालौन पर इस घटना की लिखित सूचना दी थी जिसमें अभियुक्तों की संख्या 2 नाम पता अज्ञात बताये थे । वादी की तहरीर सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 122/91 धारा 450 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई । तदोपरान्त इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, कालपी द्वारा की गयी । विवेचना के दौरान धारा 394 भा०दं०वि० का अभियोग होना पाया गया अतः धारा 458 भा०दं०वि० से धारा 394 भा०दं०वि० में तरमीम होकर विवेचना की जा रही है ।

जी नहीं, घटना में किसी व्यक्ति के कोई चोट न आने के कारण डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया गया ।

इस घटना की जांच क्षेत्राधिकारी, कालपी द्वारा की जा चुकी है, इसलिए इसकी पुनः जांच किसी पुलिस विभाग की गोपनीय एजेन्सी से कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

घटना का अल्पीकरण एवं विवेचना में लापरवाही बरतने के कारण विवेचक श्री राम शंकर को पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 470-ए के अन्तर्गत दुष्चरित्र लेख प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में आरक्षित रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*5–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवर वर्ग सहायक के वर्षो से रिक्त चले आ रहे पदों को भरने के लिये शासन की नीति के अनुसार विशेष अभियान के अन्तर्गत प्रवर वर्ग सहायक के 89 पदों को पिछले वर्ष मई, 1990 में लोक सेवाआयोग द्वारा विज्ञापित किया गया था और उसकी परीक्षा अक्टूबर, 1990 में होनी थी ? यदि हां, तो किन कारणों से अब तक प्रवर वर्ग सहायकों की उक्त प्रतियोगात्मक परीक्षा नहीं हो पाई ? क्या मुख्य मंत्री जी अनुसूचित जाति/जनजाति के उक्त रिक्त पदों को तत्काल भरने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) जी हां ।

(ख) जी हां । किन्तु यह प्रस्तावित तिथि थी, अन्तिम नहीं थी । परीक्षा दिसम्बर, 1991 में सम्पन्न हुई, क्योंकि इसके पूर्व अन्य परीक्षायें आयोजित की गयी थीं ।

(ग) आयोग अपनी परीक्षायें सम्पादित कराने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित करते हुए परीक्षायें आयोजित कराते हैं । आयोग के उक्त कार्यक्रम के आधार पर ही उक्त परीक्षा दिसम्बर, 1991 में आयोजित की गयी ।

(घ) जी हां । आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर पदों को भरने की कार्यवाही तत्काल की जायेगी ।

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा अमर शहीद नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महान स्वतंत्रता सेनानी तथा अमर शहीद नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी, को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

केन्द्र सरकार की अवकाश सूची में नहीं है । शासन की नीति है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के विद्यमान ढांचे में यथासम्भव परिवर्तन न किया जाय तथा वर्ष में दी जाने वाली छुट्टियों की संख्या सीमित रखी जाय । अतः छुट्टियों की संख्या में वृद्धि किये जाने का औचित्य नहीं है ।

*7–श्री हरिशंकर तिवारी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बुन्देलखण्ड के जनपद हमीरपुर में औद्योगिक इकाई स्थापित करने की मांग

*8–श्री शिव चरण प्रजापति–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के जनपद हमीरपुर में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस तरह की इकाई का और वह कब तक स्थापित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

बुन्देलखण्ड के जनपद हमीरपुर में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में चार बृहत एवं मध्यम उद्योग पहले से ही स्थापित हैं ।

उ० प्र० लघु सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की जानकारी

9–श्री भारत सिंह रावत–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि लघु सिंचाई विभाग में वर्ष 1990 में अधिशासी अभियन्ता के पद पर ऐसे अवर अभियन्ता अभ्यर्थियों को विनियमित कर दिया गया है, जिन्हें वर्ष 1989 में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विनियमितीकरण समिति ने सहायक अभियन्ता के पद पर विनियमित किये जाने के योग्य नहीं समझा था ? यदि हां, तो वे कौन से कारण थे कि सहायक अभियन्ता के पद पर विनियमितीकरण हेतु योग्य न रहने वाले अवर अभियन्ताओं को एक वर्ष बाद ही अधिशासी अभियन्ता के पद पर विनियमित कर दिया गया ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी तथा अनियमित रूप से की गयी नियुक्तियों/पदोन्नतियों को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में विनियमितीकरण समिति गठित नहीं हुई । गठित समिति ने श्री दीक्षित को उपयुक्त पाया था । कृषि उत्पादन आयुक्त ने श्री एस० पी० दीक्षित के विषय में केवल पृच्छा की थी ।

श्री एस० पी० दीक्षित को न्यायालय के आदेशों के अधीन प्रोन्नति प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*10. श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मैनपुरी को उद्योग शून्य जिला घोषित करने का प्रस्ताव

*11. श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योगहीन एवं पिछड़े होने के कारण मैनपुरी जनपद को उद्योग शून्य घोषित किये जाने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उद्योग शून्य जनपद की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है । प्रदेश सरकार से प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 15-11-90 को भेजा जा चुका है ।

जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाषाण विभाग के अन्तर्गत पत्थर से सम्बन्धित उद्योगों को भारी उद्योग की श्रेणी में रखे जाने का औचित्य

*12–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाषाण विभाग के अन्तर्गत पत्थर की गिट्टी बोल्डर एवं पटिया बनाने के उद्योग को भारी उद्योग की श्रेणी में रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या यह सत्य है कि उद्योग में लगे खदान पट्टाधारी व्यक्तियों तथा ठेकेदारों से अलग-अलग प्रक्रम पर बिक्री-कर लिया जाता है ? यदि हां, तो एक ही पदार्थ के लिये दो बार बिक्रीकर लिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त दोनों विसंगतियों को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, केवल एक बार कर आरोपित किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबन्धित मेसर्स अंसल्स द्वारा ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में प्राथमिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का अनुबन्ध

*13 श्री सुरेन्द्र नाथ--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि निजी क्षेत्र की आवासीय भवन निर्माता "अंसल्स" ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से अपनी आवासीय परियोजना "अर्शियाना" हेतु भूमि प्राप्त करने के पूर्व यह अनुबन्ध किया था कि उक्त आवंटित भू-क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में नागरिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं पेय जल, सुलभ शौचालय, मार्ग एवं जल निकास आदि की व्यवस्था "अंसल्स" द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो चार वर्ष से अधिक से चल रही इस परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रों में उक्त अनुबन्ध के अनुरूप प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना में आवासीय कालोनी विकसित किये जाने हेतु मेसर्स अंसल्स हाउसिंग से किये गये अनुबन्ध के अनुसार सबंधित बिल्डर को आवंटित भूमि की परिधि में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक नागरिक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी ।

मेसर्स अंसल्स को आवंटित क्षेत्र की परिधि में पड़ने वाले ग्राम किला मोहम्मदी में मेसर्स अंसल्स द्वारा मुख्य मार्गों पर खड़ंजा बिछाने का कार्य, नालियों का निर्माण किया जा चुका है, हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं एवं पुराने हैण्ड पम्पों की मरम्मत करवायी गयी है । सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य योजना की समाप्ति की निर्धारित तिथि अर्थात 25-8-92 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*14-श्री नरेश अग्रवाल--

[दिनांक 13-2-92 को तारा० प्र० सं० 20 द्वारा उत्तरित]

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत पी० पी० एम० सेल में गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजित करने के लिये अन्य कर्मचारियों की छटनी किये जाने का औचित्य

*15-श्री राम ललित चौधरी--

क्या पंचायती राज एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत पी० पी० एम० सेल में गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के छटनीशुदा कर्मचारियों को समायोजित करने हेतु सेल में कई वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की छटनी की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो छटनीशुदा कर्मचारियों को समयोजित करने के लिये अन्य कर्मचारियों की छटनी किये जाने का क्या आधार तथा औचित्य है ? क्या मंत्री जी कई वर्षों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को सेल में ही नियुक्त किये जाने के आदेश देंगे तथा अव्यवहारिक एवं अनौचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)-

जी नहीं । गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना को समाप्त किये जाने के कारण गण्डक के कर्मचारियों/अधिकारियों को कार्मिक-2 के शासनादेश संख्या-3/4/90-(1)/कार्मिक-2, दिनांक 26-4-91 के

द्वारा सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान की गयी है । सरकारी सेवा हेतु गण्डक के केवल वे ही कर्मचारी पात्र हैं जो 1-10-86 या उसके पूर्व से परियोजना प्राधिकारी की सेवा में नियुक्त हुए हों तथा समादेश के समापन की तिथि तक निरन्तर कार्यरत हों । दैनिक वेतन पर कर्मी केवल कार्य की मात्रा को देखते हुए आवश्यकतानुसार लगाये अथवा हटाये जाते हैं ।

सेल के स्थापना सम्बन्धी शासनादेश संख्या-59जी/38-2-76, दिनांक मार्च 12, 1976 के प्राविधानानुसार इन पदों पर नियुक्ति, सम्बन्धित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर किये जाने का प्राविधान है । सभी पद पूर्णरूपेण अस्थाई हैं तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने तक चलते रहेंगे ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद कानपुर देहात के थाना राजपुर अन्तर्गत ग्राम बदनपुर टांडा में कोमल सिंह के यहां पड़ी डकैती के जुर्म को कम करके लिखने के कारण सी० ओ० राजपुर के खिलाफ कार्यवाही की मांग

*16-श्री राम स्वरूप वर्मा-

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित तारां० प्रश्न सं० 14 के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न के उत्तर में वर्णित थानाध्यक्ष के खिलाफ ऐसे मामलों में निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में अब कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

तत्कालीन थानाध्यक्ष, राजपुर के विरुद्ध उ० प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा रही है, जो नियमानुसार है ।

जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी थाना के ग्राम हरियाना में अम्बेदकर प्रतिमा उखाड़े जाने के सम्बन्ध में विधिक परीक्षण

*17-श्री अकबर-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञान है कि ग्राम हरियाना, थाना कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में थाना कुन्दरकी की पुलिस द्वारा अम्बेदकर पार्क से दिनांक 15-8-91 को अम्बेदकर प्रतिमा उखाड़ी गयी एवं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया था जिसके विरोध में ग्रामवासियों एवं अम्बेदकर संघ ने एस० डी० एम०, बिलारी के कार्यालय पर दिनांक 26-8-91 को प्रदर्शन किया तथा दिनांक 16-9-91 को अखिल भारतीय अम्बेदकर संघ ने शहर में विशाल जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया ? क्या जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने न्यायिक जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जांचोपरान्त किस अधिकारी को दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम हरियाना, थाना कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में राकेश कुमार जैन एवं भारत सिंह के बीच विवादित भूमि न्यायालय परगनाधिकारी बिलारी के आदेशानुसार दिनांक 14-8-91 को धारा 146(1) द० प्र० सं० के अन्तर्गत कुर्क कर ली गयी थी । दिनांक 15-8-91 को इसी विवादित भूमि पर अम्बेदकर की मूर्ति स्थापित कर कब्जा करने का प्रयास करने की सूचना मिलने पर थाना कुन्दरकी पुलिस ने मौके पर जाकर विवादित भूमि पर उक्त प्रयास को विफल कर दिया । जांच से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान [illegible] के आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

दिनांक 26-8-91 को अखिल भारतीय अम्बेदकर युवक संघ ने एस० डी० एम०, बिलारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा दिनांक 16-9-91 को नगर मुरादाबाद में जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना व प्रदर्शन किया गया था एवं एक ज्ञापन जिलाधिकारी, मुरादाबाद को दिया गया था। जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को उक्त प्रकरण में जांच के आदेश दिये थे।

जांच रिपोर्ट में किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष कुन्दरकी द्वारा ग्राम–हरियाना जाकर विवादित स्थल पर मूर्ति को स्थापित न होने देने एवं उसे अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में विधिक परीक्षण कराया जा रहा है।

जनपद आगरा में पर्यटन विकास हेतु आगरा पर्यटन विकास प्राधिकरण जैसी अन्य संस्था की स्थापना के प्रारूप की जानकारी

*18–श्री विजय सिंह राणा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में पर्यटन के कार्य के स्वतंत्र संचालन और आवश्यक विकास की दृष्टि से आगरा पर्यटन विकास प्राधिकरण जैसी किसी संस्था की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो इस संस्था का प्रारूप क्या है ? कब से यह कार्य प्रारम्भ करेगी ?

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद में औद्योगिक विकास हेतु नये उद्योग की स्थापना की मांग

*19–श्री विश्वनाथ–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में औद्योगिक विकास हेतु किसी नये उद्योग की स्थापना करने की कोई योजना है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

सामान्यतः उद्यमियों द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित किये जाते हैं। शासन की ओर से उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाता है।

जनपद मथुरा के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की गद्दी एवं श्री गौड़ धाम ट्रस्ट के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

*20–श्री कमल नयन वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मथुरा अन्तर्गत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की गद्दी व श्री गौड़धाम ट्रस्ट, मथुरा के विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु पूर्व गृह मंत्री द्वारा दिनांक 6-5-1989 या उसके आस पास पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज आगरा को अविलम्ब जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो शिकायती पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा क्या उसकी जांच की गयी ? उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त के सम्बन्ध में जांचोपरान्त आरोप

निराधार पाये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार गलत आरोप लगाने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त श्री गुरुशरण लाल श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के शिकायती-पत्र दिनांक 5-5-89 में मुख्यतः राधाकुण्ड स्थित गौरधाम ट्रस्ट (मथुरा) में अराजक तत्वों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की शिकायत की गयी थी इस सम्बन्ध में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी छाता द्वारा जांच की गयी थी ।

जांच से पाया गया कि गौरधाम ट्रस्ट के महन्त के शिष्य निभाईचरण दास एवं इनके विपक्षी कृष्णचन्द्र गौड़ के मध्य फौजदारी का मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है । इसी रंजिशवश श्री गौड़ द्वारा आश्रम को बदनाम करने हेतु अराजक तत्वों के संरक्षण के आरोप लगाये गये थे । इस सम्बन्ध में आश्रम के महन्त की शिकायत पर उक्त शिकायती-पत्र दिया गया था । श्री कृष्ण चन्द्र गौड़, एडवोकेट को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है एवं स्थानीय पुलिस को भविष्य में आश्रम की शान्ति व्यवस्था एवं पूर्ण सहयोग हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के मोहल्ला बरौलिया के खसरा नम्बर 254 पर अनधिकृत कब्जे को हटाये जाने की कार्यवाही की जानकारी

1–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि मोहल्ला बरौलिया, जनपद लखनऊ के खसरा नम्बर 254 का पार्ट "ए" 21 फिट 3 इंच एवं 27 फिट लम्बा कुल 486 वर्ग फिट है ? यदि हां, तो मौके पर वास्तविक लम्बाई एवं चौड़ाई क्या है ? कितनी नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करके शासकीय सम्पत्ति को हड़प लिया गया है ? इस जमीन का पट्टा किसके नाम किया गया और भवन कब बन कर तैयार हुआ और उसकी लागत क्या है ? क्या भवन का नक्शा विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा पास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जमीन/भवन के पश्चिम में 12 फिट का रास्ता पट्टा में दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या रास्ते पर बने अवैध चबूतरे को हटा कर जनता के लिये रास्ता दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, मौके पर लम्बाई व चौड़ाई वही है जो प्रश्न में अंकित है ।

नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नहीं है ।

प्रश्नगत खसरा नम्बर–254 पार्ट "ए" का पट्टा श्री माता प्रसाद को दिनांक 1-12-1942 से दिया गया । उक्त भूमि पर निर्मित भवन का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व का है । प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में पूरे भवन का भूतल एवं प्रथम तल पर आच्छादित क्षेत्रफल लगभग 2800 वर्गफीट है, जिसकी लागत लगभग रुपये 150 प्रति वर्गफिट की दर से रुपये 4,20,000 है, किन्तु भवन अत्यधिक पुराना होने के कारण इस भवन की लागत लगभग रुपये 2,10,000 आंकी गयी है ।

प्रश्नगत भवन का निर्माण प्राधिकरण के गठन से पूर्व का है । इसलिये प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

गलियों के रखरखाव का कार्य नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा देखा जाता है । प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त भवन के स्वामी ने रास्ते पर अवैध चबूतरे का निर्माण करा लिया है । इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिये नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा तिथि 25-2-92 निर्धारित की गयी थी, लेकिन पुलिस बल प्राप्त न होने के कारण हटाना सम्भव न हो सका । इसे हटाने के लिये अगली तिथि 30-3-92 निश्चित की गयी है ।

श्री राम आसरे, उप निरीक्षक तथा का० मुहर्रिर श्री प्रेम नारायण दुबे की थाना खण्डासा (अमानीगंज), फैजाबाद की तैनात अवधि में हुई वारदातों का विवरण

2–श्री विश्वनाथ–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम आसरे, उप निरीक्षक तथा का० मोहर्रिर, श्री प्रेम नारायण दुबे, थाना खण्डासा (अमानीगंज), जनपद फैजाबाद में कब से तैनात हैं । इनके कार्यकाल में अब तक हत्या, डकैती, चोरी, लूट एवं मार पीट आदि की कितनी-कितनी घटनायें हुई हैं ? उक्त बढ़ते हुए अपराध के लिये जिम्मेदार उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार श्री राम आसरे प्रसाद, उप निरीक्षक, थाना खण्डासा (अमानीगंज), जनपद फैजाबाद पर दिनांक 5-6-90 से नियुक्त हैं । कान्स० मोहर्रिर प्रेम नाथ दुबे, थाना खण्डासा, फैजाबाद में दिनांक 20-7-89 से 10-6-91 तक नियुक्त रहे ।

एस० आई० श्री राम आसरे प्रसाद पहले थाना खण्डासा के हल्का नं०–3 में नियुक्त थे और अब हल्का नं०–4 में नियुक्त हैं । इनके हल्कों में इनके कार्यकाल में अब तक हत्या की घटना कोई नहीं घटित हुई है । डकैती–1, चोरी–9, लूट–1, मारपीट–10 एवं मारपीट (एन० सी० आर०) की अब तक कुल 24 घटनायें हुई हैं ।

एस० आई० श्री राम आसरे प्रसाद वर्ष 1991 के माह मार्च, अप्रैल व मई में निलम्बित होकर पुलिस लाइन फैजाबाद में थे । दिनांक 7-5-91 को पुनः नियुक्त (बहाल) किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के उप पुलिस अधीक्षक, कर्वी द्वारा अपराधियों से मिलकर राजनैतिक हत्याओं की साजिश कराने के आरोप की जांच

3-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत कार्यरत उप पुलिस अधीक्षक, कर्वी द्वारा अपराधियों से मिलकर राजनीतिक हत्याओं की साजिश करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 28-1-91, जो कि तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने गृह सचिव को सम्बन्धित मामले की जांच कराकर अपेक्षित कार्यवाही करने का आदेश किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का उक्त शिकायती पत्र दिनांक 28-1-91 सी० आई० डी० को इस प्रकरण के सम्बन्ध में उनके द्वारा पूर्व से की जा रही जांच के संदर्भ में उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों को सम्मिलित करने हेतु भेज दिया गया है ।

जनपद बांदा के कर्वी/मऊ तहसीलों में कार्यरत क्षेत्राधिकारी पुलिस के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र पर की गयी जांच की रिपोर्ट

4-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत कर्वी/मऊ तहसीलों में कार्यरत क्षेत्राधिकारी पुलिस के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 23-1-91 को तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र, [illegible] को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने गृह सचिव को मामले की जांच लखनऊ के उप महानिरीक्षक पुलिस से कराने एवं रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इंगित प्रभावित व्यक्तियों से पूछताछ की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

शिकायतों की जांच पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन के माध्यम से करायी गयी । जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के क्षेत्राधिकारी कर्वी के विरुद्ध सी० आई० डी० जांच हेतु दिये गये प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

5–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी के विरुद्ध, प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 6-2-91 सी० आई० डी० जांच हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने गृह सचिव को आवश्यक जांच कराकर वांछित कार्यवाही करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 6-2-91 के स्थान पर दिनांक 7-2-91 के कई पत्र शासन को प्रश्नगत विषय के संदर्भ में प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में सी० आई० डी० को जांच सौंप दी गयी है।

जनपद बांदा के क्षेत्राधिकारी कर्वी के विरुद्ध महानिरीक्षक (पुलिस) इलाहाबाद जोन द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट

6–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी कर्वी द्वारा विद्वेषपूर्ण राजनैतिक हत्याओं का षड्यंत्र, असुरक्षा, तनावपूर्ण वातावरण बनाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 5-2-91 तत्कालीन मुख्य मंत्री शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इस मामले की जांच लखनऊ से किसी अधिकारी को भेजकर कराने का आदेश गृह सचिव को किया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी हां।

यह जांच महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन द्वारा की गई। जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

7–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

उन्नाव जनपद के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री विनय वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा किया जाना

8–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री विनय वर्मा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर गृह सचिव ने माह जुलाई, 91 में भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो जांच किसने की ? प्रथम दृष्टया क्या आरोप बने हैं ? क्या सरकार जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषी के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही करवायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र जुलाई, 91 में शासन को प्राप्त हुआ था जिसे जांच हेतु भ्रष्टाचार निवारण संगठन को भेजा गया था । प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन में प्रचलित है।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि०द्वारा कानपुर स्थित भगवान दास घाट, जाजमऊ घाट तथा रानीघाट में बालू खनन हेतु स्वीकृत पट्टा एवं निगम द्वारा डेड रेण्ट तथा रायल्टी का भुगतान

9–श्री माधव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रा० खनिज विकास नि० लि०, लखनऊ के पक्ष में कानपुर के भगवानदास घाट, जाजमऊ घाट तथा रानी घाट में बालू खनन हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त निगम द्वारा शासन को डेड रेन्ट तथा रायल्टी का भुगतान समयानुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो बकाया वसूली हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निगम से ब्याज सहित बकाया वसूली का निर्देश शासन स्तर से कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० के पक्ष में कानपुर नगर के भगवानदास घाट तथा जाजमऊ घाट में वर्ष 1987 से 10 वर्ष की अवधि के लिये बालू खनन हेतु पट्टा स्वीकृत है । रानीघाट में भी निगम के पक्ष में वर्ष 1987 में खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था, परन्तु निगम द्वारा पट्टा विलेख का निष्पादन नहीं कराया गया । अतएव आदेश वर्ष 1988 में निरस्त कर दिया गया ।

जी हां । निगम द्वारा डेड रेन्ट तथा रायल्टी का भुगतान कर दिया गया है । अतिरिक्त ब्याज की मांग किये जाने के विरुद्ध निगम द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को पुनर्विचार किये जाने हेतु प्रत्यावेदन दिया है जिसके विचाराधीन रहने तक जिलाधिकारी द्वारा ब्याज की धनराशि स्थगित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के अन्तर्गत इन्दिरानगर कालोनी के कतिपय भवनों के आवंटन का विवरण

10–श्री बच्चा पाठक–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर 8 में 31-10-91 तक मध्यम आय वर्ग के सेमी फिनिस्ड भवन संख्या 8/103, 8/104, 8/105, 8/110, 8/122, 8/23 तथा 8/203 का कब्जा न लेने निर्धारित समय पर किश्तों का भुगतान न करने एवं आवंटन निरस्त कर दिये जाने के कारण अथवा आवंटन से छूट जाने के कारण उक्त भवन खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और प्रत्येक का अलग-अलग मूल्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर योजना के सेक्टर-8 में मध्यम आय वर्ग भवन सं०–8/103, 8/105, 8/110, 8/122, 8/123 तथा 8/203 खाली नहीं है । भवन

सं०–8/103, 8/105, 8/110, 8/122, 8/123 का पूर्ण भुगतान एवं औपचारिकतायें पूर्ण करके आवंटियों द्वारा अनुबन्ध निष्पादित करा लिया गया है ।

भवन सं०–8/203 मा० विधायक श्री अकबाल हुसैन के पक्ष में आवंटित है जिसका क्षेत्रफल घट जाने के कारण उनके पक्ष में संशोधित प्रदेशन पत्र जारी किया गया है ।

भवन सं०–8/104 पिछड़ी जाति कोटे में निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त है । जनवरी, 1992 तक इस भवन का मूल्य रु० 1,78,795.00 है ।

11–12–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाये गये]

जनपद बांदा के शिवरामपुर स्थित चित्रकूट स्टान मिल में चोरी की रिपोर्ट न लिखे जाने की शिकायत पर कार्यवाही

13 श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील के अन्तर्गत शिवरामपुर स्थित चित्रकूट स्टान मिल में दिनांक 22-8-90 की रात्रि में 10 बजे उसके चौकीदार को बांधकर डालने एवं मशीन के सामान आठ व्यक्तियों द्वारा उठाकर ले जाने की घटना की प्रथम सूचना उसके मालिक चन्द्र मोहन गुप्ता ने चौकी शिवरामपुर में की थी परन्तु रिपोर्ट न लिखे जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक, बांदा को 23-8-90 को दी है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार श्री चन्द्र मोहन गुप्ता द्वारा चौकी शिवरामपुर में प्रश्नगत घटना की प्रथम सूचना दिया जाना नहीं पाया गया और न चौकी शिवरामपुर पर रिपोर्ट न लिखे जाने सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र ही प्राप्त हुआ है ।

प्रदेश में प्रथम बार हुए अदालत सरपंच के चुनाव की एवं फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर की तारा खुर्द अदालत पंचायत के अदालत सरपंच के नाम की जानकारी

14–श्री रामेश्वर नाथ चौबे–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालत सरपंचों का चुनाव प्रदेश में प्रथम बार कब हुआ था तथा अदालत सरपंच पद पर चुनाव लड़ने की नियमानुसार आयु क्या थी ? प्रथम अदालत पंचायत चुनाव में विकास खण्ड अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की तारा अदालत पंचायत से कौन अदालत सरपंच निर्वाचित हुआ था ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

अदालत सरपंचों का चुनाव प्रथम बार 1949 के सितम्बर माह में हुआ था । तत्समय अदालत सरपंच पद पर चुनाव लड़ने की नियमानुसार न्यूनतम आयु 30 वर्ष थी ।

विकास खण्ड अकबरपुर की तारा खुर्द न्याय पंचायत से प्रथम बार अदालत सरपंच श्री अकबर हुसैन बावर, पुत्र करामत हुसैन, ग्राम हरखपुर कोड़ाहा निर्वाचित हुए थे ।

जनपद आजमगढ़ के थाना पवई के ग्राम खण्डौरा में कथित हत्या की जांच विषयक कार्यवाही

15–श्री रमा कान्त यादव तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के थाना क्षेत्र पवई के ग्राम सभा खन्डौरा में दिनांक 15-6-91 को श्री रामचैन यादव नामक युवक की हत्या जनार्दन सिंह एवं उसके साथियों ने कर दी जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना पवई में दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त निर्मम हत्या में शामिल हत्यारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा मामला किस स्तर पर विचाराधीन है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में नामजद 7 अभियुक्तों में से राघवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया । शेष 6 अभियुक्तों द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया है । सम्प्रति मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा चेक-अप प्रचलित है ।

16–श्री विश्वनाथ–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी के नाम ग्राम रघुवरनगर, तहसील निघासन के कतिपय हरिजनों द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

17–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1082/91 ग्राम रघुवर नगर, परगना निघासन, जनपद खीरी के हरिजनों के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 9-9-91 को पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि उक्त पत्र दिनांक 1-8-91 को प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र में ग्राम के सिराजुद्दीन, तोमर, कमाल तथा द्वितीय पक्ष के पुनई अयोध्या, मथुरा रमेशुर आदि के बीच एक दूसरे के घरों में ढेले फेंकने तथा मारपीट के सम्बन्ध में आरोप थे । इस सम्बन्ध में पहले एन० सी० आ० नं०–183/91 धारा 323/504 भा० दं० वि० कायम किया गया । डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार मु० अ० सं० 105/91 धारा 323/324/504 भा० दं० वि० में परिवर्तित कर विवेचनोपरान्त प्रथम पक्ष के तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

श्री फूल चन्द्र, ग्राम छेदिया, परगना निघासन, जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच

18–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1086/91 फूलचन्द ग्राम छेदिया, परगना निघासन, जनपद लखीमपुर के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 9-9-91 को पुलिस अधीक्षक,

लखीमपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी पलिया द्वारा करायी गयी । जांच से ज्ञात हुआ कि वादी ने एकीकृत अनुसूचित जनजाति परियोजना के अन्तर्गत 10 हार्स पावर का इंजन ऋण लेकर क्रय किया था जिसे गांव के निवासी थाबे साहिसा को 8000 रु० में बेच दिया परन्तु दोनों के बीच क्रय-विक्रय सम्बन्धी लिखा पढ़ी नहीं हुई । दोनों पक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय के माध्यम से निस्तारित कराये । जांच से मामले में पुलिस हस्तक्षेप योग्य कोई प्रकरण नहीं बनता ।

जनपद उन्नाव के चन्द्रशेखर आजाद आवास विकास कालोनी में लगे घटिया सामग्री के आरोप की जांच की मांग

19–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की "चन्द्रशेखर आजाद आवास विकास कालोनी" सहित उ० प्र० आवास विकास परिषद् द्वारा उन्नाव, रायबरेली, कानपुर आदि शहरों में बनाये गये आवासों के निर्माण में मानक से कम सीमेन्ट, मौरंग, मसाला और लोहा का इस्तेमाल हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार चन्द्रशेखर आजाद कालोनी आवास विकास परिषद् द्वारा उन्नाव में निर्मित सी० ब्लाक एम० आई० जी० भवनों की टी० ए० सी० (प्राविधिक जांच शाखा) द्वारा जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 189 द्वारा उत्तरित]

बांदा जिले में पुलिस की साजिश से राजनैतिक व्यक्तियों की हत्या के आरोप की जांच

21–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में पुलिस द्वारा अपराधिक गिरोहों से सांठगांठ करके राजनैतिक व्यक्तियों की हत्याओं की षडयंत्र की, सी० आई० डी० से जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 4-2-91 तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री ने, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को भेज कर जांच कराये जाने एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिनांक 5-2-91 को किया है ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दिनांक 4-2-91 के शिकायती पत्र की जांच अपर पुलिस अधीक्षक से करायी गयी । जांच से शिकायती पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं हुए, अतः अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

बांदा जनपद के थाना रैपुरा पुलिस पर तफ्तीश बदलने के आरोप की जांच

22–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत थाना रैपुरा में मु० अ० सं० 168/91 धारा 307 ता० हि० दिनांक 21-10-91 के नामजद अभियुक्तों का चालान अदालत किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसका ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस घटना में पुलिस रैपुरा के अपराधियों से मिले होने की आशंका व्यक्त करते हुए तफ्तीश बदलने के सम्बन्ध में चोटहिल हरीशंकर ने पुलिस अधीक्षक, बांदा, डी० आई० जी, झांसी, डी० जी०, लखनऊ, गृह सचिव, लखनऊ को दिनांक 2-11-91. 7-11-91 एवं 11-11-91 को शिकायत की है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि चोटहिल के भाई रुद्र प्रसाद मिश्र एडवोकेट प्रश्नकर्ता द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 23-10-91. 26-10-91 एवं 29-10-91 को शिकायत उप पुलिस अधीक्षक, मऊ, पुलिस अधीक्षक, बांदा, डी० आई० जी०, झांसी, डी० जी० लखनऊ एवं मुख्य मंत्री को दी है ? यदि हां, तो क्या तथ्यों की छानबीन की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस शिकायत में रैपुरा पुलिस दोषी पाई गई है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

थाना रैपुरा में मु० अ० सं० 168/91 के बजाय मु० अ० सं० 169/91 धारा 307 आई० पी० सी० दिनांक 21-10-91 को नामजद अभियुक्त पप्पू व अरुण कुमार के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचनोपरान्त दिनांक 25-10-91 को नामजद अभियुक्त पप्पू को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा अभियुक्त अरुण कुमार की नामजदगी गलत पायी गयी ।

अन्य शिकायती प्रार्थना-पत्रों पर जांच कराई गई जांच से प्रार्थना-पत्रों में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई एवं रैपुरा पुलिस दोषी नहीं पायी गयी ।

थाना कटघर, जिला मुरादाबाद के अपहृत श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह की हत्या के आरोप की जांच

23–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुकदमा अपराध संख्या 769 सन् 1990 धारा 364 आई पी० सी० थाना कटघर, जिला मुरादाबाद में अपहृत राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह की हत्या कर दी गयी है ? तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा बार-बार जांच बदलने के बाद हत्या का रहस्य नहीं खोला जा सका है ? क्या वादी बार-बार जांच अधिकारियों पर लिखित में यह आरोप लगाते रहें हैं कि जांच अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों को थाने पर लाकर छोड़ा जाता रहा है ? यदि हां, तो इस मुकदमे को क्रक वर्क आउट करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 30-7-90 को श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर भा० द० वि० की धारा 364 के अन्तर्गत थाना कटघर, जिला मुरादाबाद पर अभियोग अपराध संख्या–769/90 पंजीकृत किया गया ।

अभी तक श्री राजेन्द्र सिंह के अपहरण का पता नहीं लग सका । परन्तु विवेचना से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अपहृत राजेन्द्र सिंह की हत्या कर दी गयी है ।

उक्त अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक श्री ओंकार नाथ शुक्ला एवं उनके उपरान्त उपनिरीक्षक जे०डी० आर्य द्वारा की गयी तथा तत्पश्चात् स्वयं थानाध्यक्ष मूढ़ा पाण्डे श्री हरदेव सिंह को सौंप दी गयी । उनके थाना मूढ़ा पान्डे से स्थानान्तरण के फलस्वरूप विवेचना नये प्रभारी द्वारा स्वयं की गयी तथा अपहृत राजेन्द्र सिंह का पता लगाने का भरसक प्रयास किया गया, किन्तु अपहृत का पता नहीं लग सका । साक्ष्य के अभाव में विवेचना में अन्तिम रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित किया गया परन्तु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अन्तिम रिपोर्ट रोक कर पुनः विवेचना प्रभारी निरीक्षक कटघर श्री जय पाल सिंह से कराये जाने के निर्देश दिये । परिणाम प्रतीक्षित है ।

अभिलेखों से वादी द्वारा कोई लिखित प्रार्थना-पत्र दिये जाने की पुष्टि नहीं होती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र सीयर को लघु उद्योग के लिये आवंटित धनराशि की जानकारी

24–श्री उमाकान्त यादव–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि विभाग द्वारा लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के लिये बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र सीयर में कितनी योजनायें स्वीकृत हैं ? उन योजनाओं पर कितना-कितना धन विभाग की संस्तुति पर दिया गया है तथा उसकी वसूली के लिए कितनी आर० सी० तहसील को भेजी गयी है ? उक्त क्षेत्र में किस प्रकार के ऋणों के भुगतान के कितने प्रकरण लम्बित हैं ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

कुटीर उद्योगों के लिए 46 इकाईयों को धन स्वीकृत है ।

विभाग द्वारा योजनाओं हेतु दिये गये धन का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं०	नाम उद्योग	इकाई	ऋण	अनुदान
1	चर्म कला	9	23,000.00	2,000.00
2	ग्रामीण तेल	2	58,600.00	—
3	कुम्हारी	8	28,855.00	8,855.00
4	माचिस	1	5839.00	—
5	गुड़ खाण्डसारी	5	1,00,670.00	270.00
6	काष्ठ/लौह	9	1,32,400.00	2,000.00
7	अनाज दाल प्रशोधन	9	34,000.00	2,000.00

8	बांस बेत	1	3,375.00	1,125.00
9	रेशा	1	3,600.00	600.00
10	धोबी	1	4,400.00	—
	योग =	46	2,94,739.00	16,850.00

रु० 6,535.50 की आर० सी० रसड़ा तहसील को भेजी गयी ।

रु० 25,000 कार्यशील पूंजी ऋण पावर तेलघानी उद्योग के लिये लम्बित था जिसका भुगतान भेज दिया गया है ।

श्री अब्दुल जलील खां, सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध साक्ष्य हेतु ग्राम प्रधान ग्राम सभा सकरी कासमपुर, ब्लाक कादर चौक, जनपद बदायूं को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बुलाये जाने की जानकारी

25–श्री बनवारी सिंह–

क्या पंचायत राज मंत्री को ज्ञात है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, बदायूं द्वारा श्री कोमिलराम, प्रधान ग्राम सभा-सकरी कासमपुर, विकास खण्ड कादर चौक, जनपद बदायूं को श्री अब्दुल जलील खां, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध साक्ष्य हेतु पत्रांक 1363/7/पं/व० लि०/स्था०-ग्राम प्रधान दिनांक 3-8-91 द्वारा बुलाया गया था ? यदि हां, तो क्या वे उक्त दिनांक को साक्ष्य के लिये गये ? यदि नहीं, तो साक्ष्य किस तिथि को लिये गये ? उक्त साक्ष्यों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त प्रकरण ए० डी० ओ० (पंचायत) को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण [illegible] वैश्य–

जी हां ।

जी नहीं । वह दिनांक 9-10-91 को साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए थे ।

मामले में जिला उद्यान अधिकारी, बदायूं द्वारा की गयी जांच में श्री अब्दुल जलील खां निर्दोष पाये गये । अतः उनको निलम्बित किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

26–श्री बनवारी सिंह–

क्या पंचायत राज मंत्री को ज्ञात है कि श्री कोमिलराम, प्रधान, ग्राम सभा-सकरी कासमपुर, विकास खण्ड कादर, चौक, जनपद बदायूं द्वारा श्री अब्दुल जलील खां, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने गबन करने तथा जान से मारने के प्रयास संबंधी दिनांक 16-8-91 तथा 21-8-91 के रजिस्टर्ड पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त के सम्बन्ध में पंचायत निदेशक, उ० प्र० लखनऊ को भी दिनांक 26-8-91 का रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ए० डी० ओ० को निलम्बित कर उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

27–श्री बनवारी सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री धर्मेन्द्र देव, जिलाधिकारी, बदायूं तथा जिला पंचायत अधिकारी, बदायूं को श्री अब्दुल जलील खां, ए० डी० ओ० (पंचायत) द्वारा श्री कोमिलराम, ग्राम प्रधान–ग्राम सभा सकरी कासमपुर, ब्लाक कादर चौक, जनपद बदायूं का रुपये 4500 का गबन करने, प्रधानों के साथ अभद्रता करने एवं उनसे मारपीट करने विषयक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 9-8-91 को रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं जनपद के कतिपय विकास खण्डों में कार्यरत ए० डी० ओ० पंचायत अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु निर्देश

28–श्री बनवारी सिंह–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० खण्ड कादर चौक तथा विकास खण्ड उझानी, जनपद बदायूं में कितने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ऐसे हैं, जो उसी विकास खण्ड तथा जनपद के मूल निवासी होते हुए वहां पर नियम विरुद्ध कार्यरत हैं ? क्या इन ए० डी० ओ० पंचायत का स्थानान्तरण जनपद से बाहर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद बदायूं के विकास खण्ड कादर चौक तथा विकास खण्ड उझानी में एक-एक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ऐसे हैं जो उसी जनपद के मूल निवासी हैं किन्तु उसी विकास खण्ड के स्थायी निवासी नहीं हैं ।

उक्त सहायक विकास अधिकारियों के जनपद से बाहर स्थानान्तरण पर आगामी सत्र में सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विचार करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है ।

29–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 187 द्वारा उत्तरित]

लघु सिंचाई विभाग, बांदा में कर्मचारियों के रिक्त पदों की जानकारी एवं अनियमित नियुक्ति

30–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग, बांदा में कुल कितने कर्मचारियों की जगहें रिक्त हैं और 1987 से अब तक किस नियम के तहत जनपद से बाहर के लोगों

को नियुक्ति पत्र देकर कार्य भार दिया गया है ? क्या उनके नाम पते सहित सूची उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में लघु सीमान्त कृषकों की लघु सिंचाई विभाग द्वारा फ्री बोरिंग एवं कतिपय नालों चैक डैमों के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी

31–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में सीमान्त कृषकों के अलावा भी फ्री बोरिंग लघु सिंचाई विभाग द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो उनके नाम पते उपलब्ध करायेंगे एवं चैक डैमों के निर्माण के लिये नया प्रस्ताव क्या है ? क्या बहुन्डरी से सिकहुला मार्ग पर कोयलार नाले पर एवं झांझरी पुरवा से जसपुरा मार्ग पर तुर्रा नाले पर एवं रामपुर से तनगामऊ मार्ग पर चकरा नाले पर चैक डैम बनवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, लघु कृषकों की ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी० पी० ए० पी० योजना की वर्ष 1992-93 में 7 चैकडैम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ।

बहुन्डरी से सिकहुला मार्ग पर कोयलार नाले पर वर्ष 1992-93 में चैक डैम बनाये जाने की योजना जिला स्तर पर प्रस्तावित की गयी है । उक्त चैकडैम का निर्माण योजना स्वीकृत हो जाने के पश्चात् किया जायेगा । झंझरी पुरवा से जसपुरा मार्ग पर तुर्रा नाले एवं रामपुर से तनगामऊ मार्ग पर चकरा नाले पर साइट अनुपयुक्त पाये जाने के कारण चैकडैम का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है ।

ग्राम चरिया, थाना बरगदवा, जनपद महराजगंज के निवासी श्री अमर पाण्डेय की दिनांक 21-7-90 को हुई हत्या की जांच हेतु सी० आई० डी० को निर्देशित किया जाना

32–श्री शिवेन्द्र सिंह–

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–8 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामलों से सम्बन्धित सी० आई० डी० जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो कब तक पूरी हो जायेगी ? क्या विलम्ब के लिये कोई दोषी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

सम्प्रति जांच प्रचलित है जिसे शीघ्र पूर्ण करने हेतु सी० आई० डी० को निर्देशित कर दिया गया है ।

जांच में अनावश्यक विलम्ब होना नहीं प्रतीत होता है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

33– श्री सत्य देव पचौरी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

34–श्री राम प्रसाद सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बांदा जनपद की पुरानी बाजार कर्वी निवासी स्थानीय साप्ताहिक बुन्देलखण्ड गूंज के सम्पादक की कर्वी पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

35–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत तहसील कर्वी के पुरानी बाजार कर्वी निवासी स्थानीय साप्ताहिक बुन्देलखण्ड गूंज, के सम्पादक श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे ने दि० 10-9-91 की सायं 6 बजे पुलिस अधीक्षक, बांदा को स्थानीय कर्वी पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री पाण्डे के विरुद्ध 10-9-91 को ही कोतवाली कर्वी में मुकदमा दर्ज किया गया है ? क्या इसमें स्थानीय पुलिस की पेशबन्दी है ? क्या इसकी जांच की जायेगी ? क्या सम्पादक बुन्देलखण्ड गूंज में 22-10-91 को मुख्य मंत्री को शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-9-91 में अंकित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, कर्वी द्वारा कराये जाने पर आरोप सही नहीं पाये गये । अतः उस पर किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जांच से पाया गया कि थाना कर्वी पर शिकायतकर्ता श्री पाण्डे आदि दो अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 10-9-91 को मु० अ० सं०–455/91 धारा 504, 506 भा० दं० वि० का मुकदमा पंजीकृत किया गया था । उक्त मुकदमें में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संख्या 174 दिनांक 19-11-91 को न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है । उक्त श्री पाण्डे के विरुद्ध पूर्व से 8 मुकदमें पंजीकृत बताये गये हैं । यह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है । इसकी अपराधियों से सांठ-गांठ भी होना पाया गया । अतः इसमें स्थानीय पुलिस की पेशबन्दी होने का प्रश्न नहीं उठता । शिकायतकर्ता के दिनांक 22-10-91 के शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच प्रचलित है । वर्तमान में सी० आई० डी० से जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री रमेश चन्द्र गुप्ता का कथित पुलिस दुर्व्यहार के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती पत्र पर एन्टी करप्शन विभाग द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

36–श्री बनवारी सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, जनप्रिय शाकाहार जी० पी० ओ० के सामने विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा पुलिस के दुर्व्यहार के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1989 को दिया था ? क्या यह सही है कि श्री राजेन्द्र सिंह तत्कालीन नेता विरोधी दल ने दिनांक 7-10-1990 को तत्कालीन राज्य गृह मंत्री द्वारा एन्टी करप्शन विभाग से उक्त मामले की जांच के आदेश कराये थे ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गई ।

जांच से दोषी पाये गये पुलिस कर्मी को दुष्चरित्र लेख प्रदान किया गया है । जी नहीं । जांच से निलम्बित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम, कानपुर के अन्तर्गत कताई मिलों तथा निगम के हेड आफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जालसाजी के विरुद्ध कथित शिकायतों की जांच

37–श्री राम लखन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-12-1990 ई० को श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र पर जो राज्य कताई मिल, अकबरपुर, उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम, कानपुर के अन्तर्गत कताई मिलों तथा निगम के हेड आफिस में उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचारों व जालसाजी के सम्बन्ध में विजिलेन्स से जांच कराने हेतु दिये गये आरोप पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री जेतली के पत्र दिनांक 3-12-1990 में उल्लिखित आरोपों की जांच पूर्व में ही की जा चुकी थी और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आये, उसको देखते हुए मामले में सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

38–श्री राम लखन –

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम अफजलपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध अनियमितता किये जाने का आरोप एवं उसकी जांच की मांग

39–श्री भगवती सिंह विशारद–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले सोमवार को निर्धारित अता० प्र० संख्या 78 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अफजलपुर के प्रधान के विरुद्ध जांच के आधार पर क्या थाना कोतवाली में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो कब एवं किस दफा में ? उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

दिनांक 10-9-89 में थाना कोतवाली, अकबरपुर में श्री बलाउ वर्मा, प्रधान, ग्राम सभा अफजलपुर द्वारा भूतपूर्व प्रधान श्री अली कौशर पुत्र सफदर हुसैन के विरुद्ध एफ० आई० आर० वाद संख्या–467/90 के अन्तर्गत धारा 409 आई० पी० सी० दर्ज करायी गयी ।

विवेचना के पश्चात् दिनांक 21-3-1990 को पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । कोतवाली अकबरपुर के पत्र दि० 2-6-90 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 184 पर)

श्री नान्हू निवासी ग्राम हरखपुर कोड़हा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के विरुद्ध सहायक विकास अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट लगाने की सी० आई० डी० द्वारा जांच

40–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मालीपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के निवासी श्री नान्हू, धर्म-मुसलमान द्वारा हरिजन (चमार) जाति के आधार पर ट्राईसम योजना के अन्तर्गत कर्ज व अनुदान प्राप्त करने व ग्रामीण बैंक जाफरगंज के चमार जाति के आधार पर नलकूप लगाने के लिये कर्ज लेने की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच में अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री नान्हू, निवासी ग्राम हरखपुर कोड़हा, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा मुस्लिम होते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को अनुमन्य योजनाओं का लाभ उठाये जाने सम्बन्धी आरोपों की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई गई ।

जांच में पाया गया कि नान्हू की जाति चमार (हरिजन) ही है, उसने केवल मुसलमान लड़की से विवाह किया था नान्हू की उसके पट्टीदार से वैमनस्यता चल रही है । राजनैतिक प्रभाव में आकर श्री शिवलाल पाठक तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी ने गलत रिपोर्ट जांचोपरान्त देकर नान्हू की जाति हरिजन के स्थान पर मुसलमान अंकित करवा दी । श्री पाठक सेवा निवृत्त हो चुके हैं । जांच पत्रावली गायब करने/ चार्ज में न देने के सम्बन्ध में श्री पाठक के विरुद्ध अपराध संख्या 407/89 धारा 409 भा० दं० वि० थाना अकबरपुर पर पंजीकृत कर विवेचना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी कतिपय वर्गों में रिक्त भवनों की संख्या एवं कीमत की जानकारी

41–श्री बच्चा पाठक–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर 1, 2, 3, व 4में दि० 31-10-91 तक मध्यम आय वर्ग तथा मिनी मध्यम आय वर्ग के आवंटित भवनों का कब्जा न लेने, निर्धारित समय पर किश्तों का भुगतान न करने से आवंटन निरस्त कर दिये जाने अथवा आवंटन से छूट जाने के कारण कुल कितने भवन खाली पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो खाली भवनों के नम्बर क्या हैं तथा प्रत्येक का अलग-अलग मूल्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह –

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर योजना के सेक्टर–1, 2, 3, व 4में मध्यम आय वर्ग तथा मिनी मध्यम आय वर्ग के कुल पांच भवन रिक्त हैं।

उक्त खाली भवनों की संख्या व उनके 1-1-92 तक का मूल्य निम्नांकित है :––

भवन संख्या	मूल्य
डी-11383/6	रु० 1,50,136.00
डी-1385/7	रु० 1,50,136.00
डी–1387/6	रु० 1,50,136.00
डी–1395/8	रु० 1,50,136.00
डी–1395/4	रु० 2,13,714.00

42–श्री बच्चा पाठक–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर 1, 2, 3, 4 व 22 में दि० 31-10-91 तक अल्प आय वर्ग के आवंटित भवनों का कब्जा न लेने, निर्धारित समय पर किश्तों का भुगतान न करने से आवंटन निरस्त कर दिये जाने अथवा आवंटन से छूट जाने के कारण क्या कुछ भवन खाली पड़े हुए हैं ? खाली भवनों का नम्बर क्या हैं तथा प्रत्येक भवन का मूल्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर योजना के सेक्टर–1, 2, 3, 4 में कोई अल्प आय वर्ग का भवन रिक्त नहीं है। सेक्टर–22 में एक मिनी अल्प आय वर्ग भवन संख्या–22/286 रिक्त है। जनवरी, 1992 तक उक्त भवन का मूल्य रु० 62,600.00 है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील कोटद्वार में स्थित कण्वाश्रम तथा सिद्धबली मन्दिर का प्रबन्ध सरकार द्वारा किये जाने की मांग

43–श्री [illegible] चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील कोटद्वार में कण्वाश्रम तथा सिद्धबली मन्दिर नाम के पर्यटक स्थल हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कण्वाश्रम में वित्तीय वर्ष

1991-92 ई० में पानी की झील बनाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में श्री जगमोहन भारद्वाज के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल दि० 5-7-91 को पर्यटन मंत्री से राज्य अतिथि गृह, लखनऊ में मिला था ? यदि हां, तो क्या सिद्धबली मन्दिर की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु एक पुलिस चौकी एवं एक सरकारी जलपान गृह भी पर्यटन विभाग की ओर से स्थापित किया जायेगा ? क्या यह भी बतायेंगे पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण श्री सिद्धबली मन्दिर का प्रबन्ध अपने हाथ में लेगी ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

वर्तमान में इस प्रकार का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बांदा जनपद के थाना पैलानी के ग्राम साड़ी के कतिपय व्यक्तियों को साहसिक कार्य हेतु पुरस्कृत किया जाना एवं लाइसेन्स दिया जाना

44–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में थाना पैलानी के अन्तर्गत ग्राम साड़ी के साहसी ग्रामीणों द्वारा दि० 24-7-91 को रामकरन गैंग नं० 78 के इनामी डकैत ददू सिंह शमशेर को हलाल कर चार डकैतों को मय शस्त्र के गिरफ्तार कराने पर ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु पन्द्रह लाइसेन्स जारी कराने एवं साहसी कार्य पर ग्रामीणों को पुरस्कृत कराने एवं सुरक्षा हेतु गांव में पुलिस चौकी खुलवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र सं० ख 586511 दि० 28-7-91 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम साड़ी के निवासी सात व्यक्तियों–श्री लाली प्रसाद भूतपूर्व सैनिक पुत्र श्याम लाल, श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री रघुवीर, श्री शिवकरन पुत्र श्री चुन्नू सिंह, राम कुमार उर्फ कल्लू पुत्र सिद्धू केवट, श्री राम खेलावन पाल पुत्र श्री चुनकाई पाल, श्री किशोरी लाल गुप्ता पुत्र श्री मन्नी लाल एवं हन्नू उर्फ मुल्लू को शस्त्र लाइसेन्स देने हेतु जिलाधिकारी को पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति की गयी है ।

उपरोक्त में श्री लाली प्रसाद उर्फ ललित प्रसाद पुत्र श्याम लाल, श्री राम कुमार उर्फ कल्लू पुत्र सिद्धू एवं श्री शिव करन पुत्र चुन्नू सिंह, निवासी साड़ी को शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये जा चुके हैं । शेष पर जिलाधिकारी, बांदा द्वारा जांच प्रचलित है ।

दिनांक 26-1-92 को गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर पुलिस लाइन बांदा में आयोजित समारोह में श्री छोटेलाल पुत्र श्री सिद्धवा उर्फ सिद्धू केवट व श्री ललित प्रसाद उर्फ लाली पुत्र श्री श्याम लाल निवासी ग्राम साड़ी थाना पैलानी को प्रशस्ति पत्र व 100-100 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है ।

ग्राम साड़ी में परीक्षणोपरान्त चौकी स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

झांसी जनपद के थाना सकरार की पुलिस द्वारा मकरिया बांध के निर्माण हेतु राहत कार्य के 105 बोरा गेहूं की बरामदगी कृत अन्य कार्यवाही का विवरण

45–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद झांसी में थाना सकरार की पुलिस ने अगस्त, 1987 में ग्राम निनौरा के मकरिया तालाब के बांध निर्माण हेतु राहत कार्य के 105 बोरा गेहूं सहित इंजीनियर एच० एन० माथुर को रंगे हाथों पकड़ कर जेल भेजा था ? यदि हां, तो उसका मु० अ० संख्या क्या है व किस धारा के अन्तर्गत उन्हें जेल भेजा गया था एवं कुल कितने मुल्जिम थे ? क्या सहगूराम आर्य, सहायक अभियन्ता, जो इस समय जनपद बांदा में लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता हैं, मुल्जिम थे ? यदि हां, तो मुकदमें में दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही होगी, तो कब तक ? क्या क्षतिपूर्ति की मुल्जिमों से वसूली की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि वसूली होगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार कुल 105 बोरों में से 79 बोरों की बरामदगी में करीब 65–70 कुन्तल गेहूं अभियुक्तगण अलादीन, अकबर अली, शेफ खां व मंगल दास के कब्जे में अभियुक्त अलादीन के मकान से बरामद किया गया । विवेचना के दौरान प्रकाश में आये जूनियर इंजीनियर एच० एन० माथुर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

उक्त मामले में मु० अ० सं० 43/87 धारा 407/420/468/471/414/411 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । मामले में कुल 10 अभियुक्त थे ।

जी हां ।

सहगू राम आर्य व अन्य 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । 3 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया एक अन्य अभियुक्त छेदी लाल मेट की गिरफ्तारी नहीं हो सकी क्योंकि वह अपना किराये का मकान बदल कर अन्यत्र कहीं चला गया । गिरफ्तारी का प्रयास जारी है । इन 9 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मामला न्यायालय के विचाराधीन है । अतएव न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

विधवा श्रीमती चन्द्रकली, निवासी ग्राम डिघवट, थाना चिल्ला, जनपद बांदा को पति के हत्या के उपरान्त जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की मांग

46–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के थाना चिल्ला, ग्राम डिघवट की चन्द्र कली चमार (अनुसूचित जाति) की पुत्री के साथ बलात्कार के मुकदमें में राजी न होने पर, उसके पति की हत्या जुलाई, 91 में होने से उसकी सुरक्षा एवं असहाय महिला को आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को पत्रांक ख-586509 दिनांक 28-7-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत मामले में प्रश्नकर्ता का दि० 28-7-91 के बजाय दि० 1-8-91 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ।

इस सम्बन्ध में जांच से पाया गया कि श्रीमती चन्द्रकली, विधवा स्व० श्री बल्देव चमार, नि० ग्राम–डिघवट, थाना चिल्ला, जनपद बांदा को उसके पति की हत्या के उपरान्त उसके जीविकोपार्जन हेतु रु० 10,000 (रुपये दस हजार) तथा उसकी पुत्री के साथ बलात्कार के मामले में रु० 5,000 (रुपये पांच हजार) की आर्थिक सहायता जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांदा द्वारा प्रदान की गयी है।

पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा श्रीमती चन्द्रकली को अपने स्तर से यथेष्ठ सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उक्त प्रकरण में थाना चिल्ला में सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध भा० दं० वि० की संगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

प्रदेश में उप चुनावों के दौरान उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश की वैधानिकता एवं औचित्य की जानकारी

47–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपचुनावों के दौरान पुलिस को, उसकी इच्छा के अनुसार उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उसकी वैधानिकता क्या है ? यदि नहीं, तो सरकार अवगत है कि इटावा जिला प्रशासन द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से देखते ही गोली मार देने सहित अनेक बिन्दुओं पर एक पर्चा भी जनता में बांटा गया था ? यदि हां, तो बिना अपराध किये देखते ही गोली मार देने के आदेशों का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

जी हां। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाताओं के नाम एक अपील प्रसारित की गयी थी। इस अपील में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया था कि समस्त पुलिस बल को चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिये गये हैं।

देखते ही गोली मारने का आशय अकारण गोली चलाना न होकर जानमाल की रक्षा एवं आत्मरक्षा हेतु भारतीय दण्ड विधान की धारा 96 से 106 तक प्रदत्त शक्तियों का आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करने से है।

देवरिया जनपद में कत्ल किये गये और बम आदि से मारे गये व्यक्तियों का विवरण और चोरी व डकैतियों की संख्या एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी

48–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में 1 जुलाई, 1991 से 20 नवम्बर, 1991 तक कुल कितने व्यक्तियों का कत्ल, बम या कट्टा से मार कर किया गया, उसका नाम और पता क्या है ? इस बीच जिले में कुल कितनी डकैतियां तथा चोरियां हुई हैं ? इसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद देवरिया में 1 जुलाई, 1991 से 20 नवम्बर, 1991 तक कुल 13 व्यक्तियों की हत्या बम तथा कट्टा मारकर हुई । इनके नाम पता निम्नवत् हैं :––

1–श्री राम औतार, सा० बढ़या बुजुर्ग, थाना कोतवाली ।

2–श्री राजाराम पुत्र श्री बब्बन, नि० सा० बढ़या, थाना कोतवाली ।

3–श्री राम सिंगार गिरी पुत्र श्री मुन्नी गिरी, सा० भगड़ाटोला, थाना रामपुर कारखाना ।

4–श्री रवीन्द्र यादव पुत्र श्री हीरा यादव, सा० भलुआ, थाना–खुखुन्दू ।

5–श्री डोमई कुशवाहा, सा० कुसुम्हा टोला, बड़वलिया, थाना रामकोला ।

6–श्री उमेश पुत्र रामसिंह, सा० गोनाह सूरतपुर, थाना रुद्रपुर ।

7–श्री लल्लन यादव पुत्र श्री भीमवली, सा० सहियागढ़, थाना लार ।

8–श्री मैनेजर यादव पुत्र श्री दूधनाथ यादव, सा० मिश्रौली, थाना बनकटा ।

9–श्री हनीफ खां, सा० फरछपरा, थाना नेबुआ नौरंगिया ।

10–श्री खदूरू, सा० गुलरिया टोला, नरखोचवा, थाना नेबुआ नौरंगिया ।

11–श्री नथुनी पुत्र श्री किशोर, ग्राम बोधीछपरा, थाना खड्डा ।

12–श्री धनंजय सिंह पुत्र रघुराज सिंह, थाना भाटपार रानी ।

13–श्री मुन्नर यादव पुत्र श्री जीता यादव, सा० बिरवा, थाना गौरी बाजार ।

प्रश्नगत अवधि में जनपद में कुल 374 चोरियां एवं 25 डकैतियां हुई हैं ।

अपराधों की रोकथाम के लिये गस्त एवं निरोधात्मक कार्यवाही को सर्वोच्च वरीयता दी जा रही है । क्षेत्र के उप निरीक्षकों, बीट आरक्षियों, साथ ही थानाध्यक्षों को विशेष सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद देवरिया के कतिपय थानों में कथित धाराओं के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या एवं विस्तारण

49–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में सलेमपुर, लार, भाटपाररानी, भटनी, खुखुन्दू और भलुअनी में 1 जुलाई, 1991 से 20 नवम्बर, 10991 तक प्रत्येक थाने में कितने 302, 307, 308, 379, 394, 395, 396 तथा 397 धारा अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किये गये ? इसमें से कितने पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 1-7-1991 से 20-11-1991 तक की अवधि में जनपद देवरिया के निम्नलिखित थानों पर निम्न प्रकार धाराओं में मुकदमें दर्ज किये गये हैं :––

	थाना					
धारा	सलेमपुर	लार	भाटपाररानी	भटनी	खुखुन्दु	भलुअनी
302	4	3	3	1	2	1
307	3	2	2	1	1	3
308	–	6	1	–	–	1
379	7	5	3	–	9	6
394	3	2	–	1	1	–
395	–	–	1	1	–	–
396	–	–	–	–	–	–
397	–	–	–	–	–	–
योग =	17	18	10	4	13	11

उपरोक्त मामलों में से 38 में आरोप पत्र, 13 विवेचनाधीन, 21 में अन्तिम रिपोर्ट, लगायी गयी है तथा एक मुकदमा खारिज हुआ ।

झांसी के भू० पू० विधायक एवं वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री लखपत राम शर्मा द्वारा सरकार बनाम पी० सी० बब्बर राजीव बब्बर के विरुद्ध दर्ज एफ० आई० आर० की जानकारी एवं एस० आई० नवाबाद, झांसी के विरुद्ध आरोपों के जांच की कार्यवाही

50–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी के भू० पू० विधायक एवं वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री लखपत राम शर्मा द्वारा दिनांक 12 मार्च, सन्, 1991 को थाना नवाबाद, झांसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट "सरकार बनाम पी० सी० बब्बर राजीव बब्बर, अन्तर्गत धारा 447 जा० फ० क्राइम नं० 133 सन् 1991 का मुकदमा लिखित रिपोर्ट दिनांक 5-3-91पर रजि० हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त मुकदमें में 27 मार्च, सन् 1991 को श्री रामसकल तिवारी, एस० आई० द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है ? यदि हां, तो दिनांक 5 मार्च, सन् 1991 की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 5 मार्च, सन् 1991 की प्रतिवेदन पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी, संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 185–186 पर)

51–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री लखपत राम शर्मा द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी को दिनांक 8-8-91 को एक आरोप पत्र मय शपथ पत्र श्री राम

सकल तिवारी एस० आई० के विरुद्ध गम्भीर आरोपों सहित फाइनल रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त दिनांक 8-8-91 का आरोप पत्र क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वर्णित आरोप पत्र में श्री राम सकल तिवारी, उप निरीक्षक, थाना–नवाबाद, झांसी के विरुद्ध यह आरोप अंकित था कि उन्होंने फर्जी बयान अंकित करके मनगढ़न्त साजिश के आधार पर अभियुक्तों से सांठ-गांठ की एवं सरकारी कागजातों में फर्जी कार्यवाही दर्शाकर अभियुक्तों के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दी ।

इस सम्बन्ध में थाना–नवाबाद, जनपद झांसी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–133/91 धारा–447 भा० दं० वि० की विवेचना एस० आई० एस० द्वारा कराये जाने के आदेश दिये गये हैं । इस प्रसंग में श्री तिवारी द्वारा गलत बयान अंकित करने के आरोप के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध एक और मुकदमा अपराध संख्या–781/91 धारा–218 भा० दं० वि० पंजीकृत करा दिया गया है तथा विवेचना प्रचलित है ।

52–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

राज्य कताई मिल मरैला, अकबरपुर, फैजाबाद के श्रमिकों द्वारा प्रशासन के उच्चाधिकारियों के समक्ष मिल के सक्षम अधिकारी को मांग पत्र प्रस्तुत किये जाने की जानकारी

53–श्री राम लखन –

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 मई, 1990 ई० को राज्य कताई मिल अकबरपुर, जिला फैजाबाद में ए० एस० पी० के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे ? कताई मिल से वापसी के बाद कोतवाली अकबरपुर की जी० डी० में क्या यह लिखा है कि कताई मिल में श्रमिकों व प्रबन्धकों के बीच जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के समक्ष शान्तिपूर्ण समझौता हो गया है ? यदि नहीं, तो वापसी पर जी० डी० में कोतवाल ने क्या लिखा है ? गलत सूचना दर्ज करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 19-5-90 को राज्य कताई मिल, मरैला, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, अकबरपुर, परगनाधिकारी, अकबरपुर तथा प्रभारी निरीक्षक, अकबरपुर एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे ।

जी नहीं ।

वापसी पर जी०डी० में यह अंकित किया गया था कि कर्मचारीगण मरैला मिल के अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे । मिल के एम० डी० तथा श्रीमान् ए०डी०एम० अतिरिक्त, एस० पी०, सी० ओ० एवं एस०डी०एम० महोदय भी मौके पर आये थे । यूनियन के नेताओं ने अपनी मांग एम०डी० को प्रस्तुत किया जिस पर मिल के अधिकारी आपस में विचार विमर्श कर रहे है । कोई अप्रिय घटना

नहीं हुई । ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो फिर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है ।

वापसी में कोई गलत सूचना जी०डी० में दर्ज नहीं की गई है । अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुरू प्रसाद, क्वाटर नं०-1, कालिका लाइन, दारूलशफा, लखनऊ का श्रीमती शीला एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की मांग

54–श्री दल सिंगार–

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि 7 सितम्बर, 1990 को गुरू प्रसाद, क्वार्टर नं०-1, कालिका लाइन, दारूलशफा, लखनऊ द्वारा कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में श्रीमती शीला एवं अन्य के विरुद्ध धारा 323/452/504/506 तथा 3(1) अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत रिपोर्ट, दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस स्तर से करायी गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ? यदि नहीं , तो क्या इस मामले की जांच पुलिस महीनरीक्षक (विशेष जांच), जवाहर भवन, लखनऊ से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच स्थानीय पुलिस के उप निरीक्षक से कराई गयी । विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद खलील पुत्र श्री गफ्फूर, निवासी मार्टिन पुरुवा, थाना हजरतगंज, लखनऊ का कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्राण घातक हमले के विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट की विवेचना

55–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मोहम्मद खलील पुत्र श्री गफ्फूर निवासी मार्टिन पुरवा, थाना हजरतगंज, जनपद-लखनऊ ने दिनांक 24-9-1991 को राम दुलारे पुत्र श्री स्व० बृज भूषण यादव, राम गुलाम पुत्र श्री राम दुलारे यादव तथा बृज मोहन पुत्र श्री श्रीकिशन के विरुद्ध थाना हजरतगंज, लखनऊ में लाठियों से मारे जाने की एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी ? क्या यह सही है कि मोहम्मद खलील को इस प्राण घातक हमले से बाएं हाथ की हड्डी टूट गई जिसकी डाक्टरी सिविल अस्पताल, लखनऊ से कराई और डाक्टरी परीक्षण में हड्डी टूटी पायी गयी ? यदि हां, तो अभियुक्तों के खिलाफ 325 का मुकदमा कायम न करके, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने तथा उनको गिरफ्तार करके अभी तक जेल न भेजने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

वादी के डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर मु० अ० सं० 1006/91 धारा 325/323/504 भा० दं० वि० में परिवर्तित कर विवेचना की गयी । दो अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया तथा दो

अभियुक्तगण गिरफ्तार कर जेल भेजे गये । विवेचनोपरान्त आरोप- पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

थाना रोहनियां, वाराणसी की पुलिस द्वारा श्री गंगा व श्री लल्लू के कथित इन्काउन्टर किये जाने की जांच की मांग

56–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रोहनियां, जिला वाराणसी के एस० ओ० तथ एस० आई० एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने दिन के साढ़े दस बजे श्री गंगा व श्री लल्लू का इन्काउन्टर, टोडरपुर स्कूल के पास पब्लिक के सामने डकैती की योजना बनाने का केस बनाते हुए कर दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने उक्त मामले में सी० आई० डी० (अपराध अनुसंधान शाखा, उत्तर प्रदेश) से जांच कराने का आदेश दिया था और प्रश्नकर्ता को मुख्य मंत्री ने आदेश सम्बन्धी पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सी० आई० डी० की जांच को वापस कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री ने भी सी० आई ० डी० से जांच कराने का आदेश दिया था, जो कि सचिव, गृह विभाग में लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सरकार करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, डकैती की योजना का केस बनाते हुए इन्काउन्टर नहीं किया गया अपितु अपराध की योजना बनाते हुए अपराधी पुलिस की चुनौती पर हुई मुठभेड़ में मारे गये ।

जी हां, पूर्व में सी० आई० डी० जांच के आदेश दिये गये थे किन्तु बाद में इसकी आवश्यकता नहीं पायी गयी और पुलिस उप महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में जांच करायी जा रही है ।

मामला लम्बित नहीं, अपितु जांच प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

57–श्री कासिम हसन–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला पंचायत राज अधिकारी, फैजाबाद (श्री अमरनाथ गौड़) की विभाग की सेवा में नियुक्ति एवं सेवा का विवरण

58–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत राज अधिकारी, फैजाबाद की सेवा में कब, किस पद पर और किस जनपद में रखे गये ? क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारी पंचायत अधिकारी के पद से जिला पंचायत अधिकारी के पद तक प्रोन्नति पाकर जिला–फैजाबाद में ही गत बीस वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जिला पंचायत राज अधिकारी, फैजाबाद (श्री अमर नाथ गौड़) विभाग की सेवा में पंचायत मंत्री के पद पर दिनांक 4-8-1960 को जनपद फैजाबाद में नैनात किये गये थे ।

जी हां ।

दिनांक 4-8-1960 से दिनांक 4-2-1988 तक पंचायत मंत्री एवं अन्य पदों पर जनपद में ही कार्यरत रहे और अन्ततः स्थानीय व्यवस्था में जिलाधिकारी, फैजाबाद के आदेश द्वारा स्थानापन्न रुप से जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर कार्यरत है। श्री गौड़ दिनांक 31-7-1992 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

हरिद्वार में मंसा देवी मन्दिर में नवम्बर, 1991 में हुई भगदड़ में लापरवाही बरतने वाले पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही

59–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिद्वार में मंसादेवी मंन्दिर में माह नवम्बर,1991 में हुई भगदड़ में तमाम लोग मारे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण पौराणिक, धार्मिक तीर्थ स्थल पर भी दुर्व्यवस्था के लिये कौन-कौन पुलिस के लोग दोषी पाये गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

उक्त भगदड़ में एक पुरुष, एक महिला तथा दो बच्चों की मृत्यु हो गयी व 35 यात्री घायल हो गये।

उक्त काण्ड के लिये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री राज किशोर सिंह, हेड कान्स० नं०–33 जगदीश सिंह, कान्स० नं०–294. रतन चन्द्र, कान्स० नं०–382 श्रीपाल तथा कान्स० नं०–185 राजपाल सिंह दोषी पाये गये। इन दोषी कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर परिनिन्दा लेख प्रदान किये गये।

60–श्री राधे श्याम वर्मा तथा श्री छोटे लाल यादव–

[दिनांक 20-2-92 को अता० प्र० सं० 189 द्वारा उत्तरित]

61–62–श्री राम औतार शाक्य–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

63–श्री हरिशंकर तिवारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के थाना जसपुरा में कानून व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग

64–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा, थाना जसपुरा में किन-किन व्यक्तियों के शस्त्र के लाइसेन्स जिले के बाहर से बनें हैं ? क्या क्षेत्र में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु वहां अतिरिक्त पुलिस बल सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला मजिस्ट्रेट, बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार संलग्न सूची में अंकित 22 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेन्स जिले से बाहर के बने हैं।

थाना जसपुरा क्षेत्रान्तर्गत अपराध स्थिति नियंत्रण में है, अतः अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 187 पर)

प्रदेश में धार्मिक स्थल के विकास की योजना

65–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० में कितने ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके विकास की योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या कोई बौद्ध तीर्थ स्थल भी इस योजना में शामिल है ? शासन ने इस हेतु कितना धन एलाट किया है और अब तक इसमें कितना धन खर्च हो चुका है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों में 25 धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की योजना शासन के विचाराधीन है ।

जी नहीं, परन्तु बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास जापानी सहायता से बौद्ध परिपथ की एक अन्य परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

शासन द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास हेतु अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । यद्यपि जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि रु० 48.32 लाख है तथा धार्मिक स्थलों की पर्यटन विकास की विशेष योजना हेतु रु० 15.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान विचारार्थ है जिसके अन्तर्गत बद्रीनाथ-केदारनाथ, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, फैजाबाद, वाराणसी में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिये गये हैं ।

बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा, फर्रुखाबाद में पर्यटकों के ठहरने और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

66–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संकिसा (फर्रुखाबाद) में बौद्धों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर प्रति वर्ष कार्तिकी पूर्णिमा के दिन मेला लगता है और देश एवं विदेश के तीर्थ यात्री वहां पर आते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके ठहरने एवं पानी आदि पीने तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां ।

संकिसा में पर्यटकों एवं यात्रियों के ठहरने के लिये 50 शैय्या का पर्यटक आवास गृह निर्माणाधीन है । पेयजल व्यवस्था हेतु जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क–II के दो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं और पानी की टंकी का निर्माण भी कराया जा रहा है ।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य कताई मिल द्वारा तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री बी० के जैन के विरुद्ध योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग

67–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-2-80 को मुख्य प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य कताई मिल, कानपुर ने अपने संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री पी० के० जैन की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु कोई आदेश किया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य बस्त्र निगम द्वारा श्री वी० के० जैन, तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों पर जांच हेतु परवरी, 1988 में आदेश दिये गये थे। यह जांच तत्कालीन प्रबन्धक (प्रशासन) राज्य वस्त्र निगम को सौंपी गयी थी । श्री वी० के० जैन के विरुद्ध यह आरोप था कि उनके द्वारा गवर्नमेंट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्सटीट्यूट, कानुपर (जी० सी० टी० आई०) से डिप्लोमा आदि प्राप्त करने के जो प्रमाण-पत्र सेवा में आने के लिये प्रस्तुत किये गये हैं व फर्जी हैं । इन प्रमाण-पत्रों की सत्यता जांचने के लिये प्रधानाचार्य, जी० सी० टी० आई० से फरवरी, 1988 में सम्पर्क किया गया था । किन्तु पुराने अभिलेख तत्काल उपलब्ध न होने के कारण उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी, जिसके कारण श्री जैन के योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों के विषय में संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । किन्तु प्रधानाचार्य, जी० सी० टी० आई० द्वारा सितम्बर, 1989 में यह सत्यापित किया गया कि श्री वी० के० जैन ने वर्ष 1952 में टेक्सटाइल टेक्नालाजी में डिप्लोमा प्राप्त किया था । इस आधार पर इस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया । चूंकि श्री जैन की अर्हता की जांच जी० सी० टी० आई० के अभिलेखों से की जानी थी तथा प्रधानाचार्य द्वारा अपने स्तर से श्री जैन की अर्हता सत्यापित कर दी गयी अतः जांच रिपोर्ट नहीं बनायी गयी तथा प्रधानाचार्य के पत्र के आधार पर प्रकरण को निक्षेपित कर दिया गया ।

कबीर कताई मिल, मगहर, जिला बस्ती में लगे जनरेटरों की कार्यक्षमता की जानकारी

68–श्री रमाकान्त यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कबीर कताई मिल मगहर, जिला बस्ती में विद्युत बनाने के कुल कितने जनरेटर कितनी-कितनी क्षमता के हैं ? उन जनरेटरों में प्रति घंटा अलग-अलग कितने लीटर डीजल की खपत होती है ? जनरेटरों के लागबुक के अनुसार जब से यह फैक्ट्री लगी है तब से 30-11-91 तक कितने घंटे चलाये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

मगहर मिल में 1,000 के० बी० ए० क्षमता वाला एक "कूमिन्स यू० के०" डी० जी० सेट स्थापित है जिसकी एच० एस० डी० की औसत खपत 220 ग्राम/यूनिट (190 ली० प्रति घंटा) है ।

इस मिल में एक अन्य 750 के० बी० ए० वाला किर्लोस्कर-कुमिन्स डी० जी० सेट भी स्थापित किया जा रहा है । जिसकी एच० एस० डी० की औसत खपत 160 लीटर प्रति घंटा है ।

लागबुक के अनुसार उक्त कार्यरत जनरेटर, स्थापना वर्ष फरवरी, 1983 से जुलाई, 1991 तक कुल 4619.12 घंटे चलाया गया ।

मेसर्स गंगा स्टील एण्ड एलायज लि० इण्डस्ट्रीयल एरिया, अमौसी, लखनऊ द्वारा उत्पादन का विवरण

69–श्री रमाकान्त यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स गंगा स्टील एण्ड एलायज नादरगंज अमौसी, लखनऊ में 30 जून, 1990 से 31 अगस्त, 1991 तक कितने टन की कितनी फर्निश थी ? क्या इस समय में कभी फर्निशें बदली भी गयी ? यदि हां, तो कब ? वर्तमान फर्निश कितने टन क्षमता की है और उत्पादन रजिस्टर के अनुसार उपरोक्त अवधि में प्रतिमाह कितना-कितना हीट निकाला गया तथा प्रति माह कितना-कितना उत्पादन किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

इकाई से प्राप्त सूचना के अनुसार मै० गंगा स्टील एण्ड एलायूज लि० इण्डस्ट्रियल एरिया अमौसी, लखनऊ के पास जून, 90 से अप्रैल, 91 तक 3 मैट्रिक टन क्षमता की एक इण्डक्शन फर्नेश कार्यरत थी। इसके बाद दो इण्डक्शन फर्नेश तीन-तीन मैट्रिक टन क्षमता की चल रही है। वर्तमान में इकाई पर दो आर्क फर्नेश बन्द हैं। माहवार नं० आफ हीट्स तथा उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :–

माह	उत्पादन	नं० आफ हीट्स
जून, 90	144.530 मै० टन	49
जुलाई, 90	156.960 ..	54
अगस्त, 90	56.475 ..	19
सितम्बर, 90	141.700 ..	49
अक्टूबर, 90	143.700 ..	48
नवम्बर, 90	138.000 ..	47
दिसम्बर, 90	134.600 ..	46
जनवरी, 91	165.210 ..	58
फरवरी, 91	96.120 ..	33
मार्च, 91	93.290 ..	32
अप्रैल, 91	166.290 ..	56
मई, 91	295.350 ..	97
जून, 91	227.020 ..	78
जुलाई, 91	288.960 ..	72
अगस्त, 91	270.750 ..	93

बलिया जनपद के थाना उभांव के कतिपय सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा अनियमितता किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

70–श्री उमाकान्त यादव, श्री बलराम यादव तथा श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के थाना उभांव में माह अक्टूबर व नवम्बर, 1991 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जिला पूर्ति कार्यालय के निरीक्षक या अधिकारी द्वारा किन-किन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की अनियमितता के विरुद्ध इ० सी० ऐक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट कब-कब दर्ज करवायी गयी है ? उसमें कितने दुकानदार अभियुक्त पाये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि जिला पूर्ति कार्यालय के छापे में पकड़े गये अनियमित दुकानदारों को गलत साधन द्वारा उभांव थाने से बिना जमानत के छुड़ा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर मुल्जिम छुड़ाने वाले व छोड़ने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, बलिया ने ग्राम गुलौरा, चन्दायलकला व ग्राम चैनपुर गुलौरा के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनियमितता पाये जाने के कारण दिनांक 18-11-91 को थाना उभांव पर मुकदमा अपराध संख्या 315/91एवं 316/91 धारा 3/7 ई० सी० ऐक्ट दो दुकानदारों वीरेन्द्र कुमार व कुबेर के विरुद्ध पंजीकृत कराये ।

जी नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा बार-बार दबिश देने के बाद भी उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी न हो सकी थी और इन दोनों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । कुबेर जेल में है तथा वीरेन्द्र कुमार जमानत पर रिहा हुआ है । अभियोगों की विवेचना प्रचलित है ।

71–श्री बनवारी सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

वाराणसी जनपद में माह नवम्बर, 1991 में हुई हिंसक घटना की न्यायिक जांच

72–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० अनीस, मदनपुरा, शहर वाराणसी की मृत्यु ता० 13-11-91 को पुलिस की मार से, पुलिस कस्टडी में ही हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच सी० बी० आई० से या किसी जज के द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

माह नवम्बर, 1991 में वाराणसी में हुई हिंसात्मक घटनाओं की न्यायिक जांच करायी जा रही है । प्रश्नगत बिन्दु उक्त न्यायिक जांच की परिधि में आता है ।

उ० प्र० सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या

73– श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा उ० प्र० में कितने लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बन्द किया गया है ? क्या मैनपुरी में भी इस कानून में कोई निरुद्ध किया गया ? क्या 32 अथवा 40 अपराधिक मुकदमा कायम होने वाले लोग इस मानक में आते हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 1991 तक 162 व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध किया गया । मैनपुरी में उक्त अवधि में इस कानून में कोई भी निरुद्ध नहीं किया गया । राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करने हेतु मुकदमों का कोई मानक निर्धारित नहीं है । इस कानून में ऐसे लोगों को निरुद्ध किया जाता है जिनसे देश की सुरक्षा व लोक व्यवस्था को खतरा सम्भावित है ।

74–श्री हरेन्द्र सिंह, श्री राम ललित चौधरी व श्री वीरेन्द्र सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

75–श्री रमाकान्त यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का विज्ञापन एजेंसियों से सांठ-गांठ का आरोप

76–श्री रमाकान्त यादव–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 31 जुलाई, 1991 के बाद विज्ञापन दिये जाने के लिये किसी विज्ञापन एजेंसी से सांठ-गांठ करके उसके माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो पूर्व व्यवस्था में क्या दोष थे ? क्या मंत्री जी विज्ञापन एजेंसियों से सांठ-गांठ के घपले की जांच करवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में नयी सरकार के प्रथम पांच माह के शासनकाल के तथा वर्ष 1990-91 के पांच माह के अवधि में हुए विभिन्न अपराधों का तुलनात्मक विवरण

77–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० की राजधानी लखनऊ में नई सरकार के प्रथम 5 माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर 30 तक डकैती, लूट, हत्या, अपहरण आदि के अपराध बेतहाशा बढ़े हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हीं 5 माह की अवधि का वर्ष 90 और 91 का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । मात्र आंशिक वृद्धि हुई है । बल्वा, चोरी, मार्ग दुर्घटना आदि में कमी आयी है तथा भारतीय दण्ड विधान के सम्पूर्ण अपराधों में भी कमी आयी है ।

5 माह की अवधि के तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :—

अपराध	आलोच्य वर्ष	
	1991	1990
डकैती	13	10
लूट	56	49
हत्या	82	75
अपहरण	28	24
चोरी	925	979
मार्ग दुर्घटना	324	339
बल्वा	122	183
अन्य भा० दं० वि० के अपराध	2060	2077

जनपद सोनभद्र में विभिन्न विभागों में आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी

78–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई शासनादेश ऐसा है जिसके तहत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को समस्त विभागाध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों की स्थिति से अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो जनपद सोनभद्र में विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी में दिनांक 26-11-91 तक कितने पद रिक्त पड़े हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के पद हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

20 पद रिक्त हैं जिनमें 2 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं ।

उ० प्र० क्षेत्रीय विकास विभाग डी० पी० ए० पी० सेल में कार्यरत गाड़ियों की संख्या एवं रख-रखाव पर हुए व्यय का ब्यौरा

79–श्री भारत सिंह रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत डी० पी० ए० पी० सेल में कितनी गाड़ियां कार्यरत हैं ? सेल हेतु गाड़ियों की आवश्यकता का क्या औचित्य है तथा गाड़ियां किस-किस अधिकारी से सम्बद्ध हैं ? क्या मंत्री जी सेल से सम्बद्ध गाड़ियों के रख-रखाव (पेट्रोल तथा मरम्मत) पर पिछले तीन वर्ष में हुए व्यय का ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत डी० पी० ए० पी० सेल में एक गाड़ी कार्यरत है ।

इस सेल द्वारा डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत योजनाधीन स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्यों की प्रगति आदि का निरीक्षण किया जाता है । गाड़ी किसी अधिकारी विशेष से सम्बद्ध नहीं है ।

सेल से सम्बद्ध के रख-रखाव पर पिछले 3 वर्षों में (पेट्रोल हेतु रु० 7,572.10 तथा मरम्मत हेतु रु० 10,449.02 पैसे) कुल लगभग रुपया 18,021 व्यय हुआ ।

जनपद हरदोई के थाना टडियावां की पुलिस द्वारा ग्राम गिरधारी पुरवा में हुई मुठभेड़ की जानकारी

80–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के थाना टडियावां की पुलिस दिनांक 21/22-9-91 की रात्रि में थाना बेनीगंज स्थित ग्राम गिरधारी पुरवा को अपराध संख्या 118 धारा 392 के अन्तर्गत नामजद अपराधियों के पकड़ने गयी थी जिस पर उपरोक्त गांव में अपराधियों द्वारा पुलिस दल पर फायरिंग की गयी ? यदि हां, तो इन अपराधियों को पकड़ने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, थाना टडियावां, जनपद हरदोई के मु० अ० सं० 118/91 धारा 392 भा० दं० वि० की विवेचना के सम्बन्ध में दिनांक 22-11-91 को पुलिस ग्राम गिरधारी पुरवा गयी थी । पुलिस दल अभियुक्त राम आसरे के घर पहुंचा तो दरवाजा अन्दर से बन्द था । पुलिस दल अभियुक्त के आग्रह

करने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला और मुल्जिमान मकान की छत से कूद कर भाग गये और शोर करने लगे कि बदमाशों ने उनके घर को घेर लिया है । जिस पर गांव वाले एवं अभियुक्त पुलिस दल पर ईंटा पत्थर फेंकने लगे । मुल्जिमान ने अपनी बन्दुक से फायर भी किये तथा अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये ।

उप निरीक्षक मो० नफीस खां ने थाने पर आकर मु०अ०सं० 225/91 धारा 353/307/336 भा०दं०वि० पंजीकृत कराया । जिसकी जांच प्रचलित है तथा मु०अ०सं० 118/91 थाना टडियावां में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद तहसील कर्वी के क्षेत्राधिकारी पर अपराधिक गिरोहों से सांठ-गांठ करके राजनैतिक व्यक्तियों के हत्या के षड़यन्त्र के आरोप की सी०आई० डी० जांच

81–श्री राम प्रसाद सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी के क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा अपराधिक गिरोहों से सांठ-गांठ करके राजनैतिक व्यक्तियों की हत्या के षड़यन्त्र की सी० आई० डी० से जांच की मांग संबंधी प्रश्नकर्ता की शिकायती पत्र दिनांक 6–2–91 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से किसी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को भेजकर जांच कराने एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश दिया हैं ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6–2–91 के स्थान पर दिनांक 7–2–91 के पत्र प्राप्त हुए जिन्हें जांच हेतु सी० आई० डी० को सौप दिया गया है ।

82–श्री राम प्रसाद सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सोनभद्र के थाना अनपारा की पुलिस द्वारा रेनूसागर निवासी श्री तारकेश्वर ओझा को पीटकर मुकदमा कायम करके चालान करने की शिकायत

83–श्री विजय सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के रेनू सागर निवासी श्री तारकेश्वर ओझा एवं उसके अन्य साथी को दिनांक 20-11-91 की शाम को स्थानीय पुलिस ने पीटकर मुकदमा कायम कर चालान कर दिया ? यदि हां, तो श्री ओझा के ऊपर क्या आरोप थे ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री आई० एन० कपूर, कारखाना प्रबन्धक, रेनूसागर पावर कम्पनी लि० रेनू सागर सौनभद्र की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना–अनपरा, जनपद सोनभद्र में मु० अ० सं० 463/91 धारा 147/341/336/504/506/353/186/188 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया । उक्त अभियोग की विवेचना की गयी । आरोप सिद्ध होने पर श्री तारकेश्वर ओझा व उनके साथियों के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 91 दिनांक 24-12-91 को चालान न्यायालय किया गया है । श्री ओझा के ऊपर उपर्युक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप थे ।

उ० प्र० राज्य सम्पत्ति विभाग में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या एवं आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

84–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में दैनिक वेतन भोगी/नियमित चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनमें से कितने-कितने कर्मचारी पिछड़ी व अनुसूचित जाति के हैं ? क्या आरक्षण के नियमों के अन्तर्गत इनका आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि पूर्ण होगा, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

राज्य सम्पत्ति विभाग में सम्प्रति अशिक्षित दैनिक वेतनभोगी पूर्ण कालिक 311 श्रमिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल 647 कर्मचारी कार्यरत हैं । दैनिक वेतन पर कार्यरत श्रमिकों में 101 पिछड़ी जाति के तथा 86 अनुसूचित जाति के हैं । नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 160 पिछड़ी जाति के तथा 221 अनुसूचित जाति के हैं । आरक्षण नियमों के अन्तर्गत इनका आरक्षण कोटा पूर्ण है ।

प्रदेश में अनुसूचित जातियों के साथ थानों में बदसलूकी किये जाने और उनकी रिपोर्ट न लिखे जाने की शिकायत की जांच

85–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि अनुसूचित जातियो के साथ थानों में बदसलूकी और रिपोर्ट न लिखे जाने की घटनाएं हो रही हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि उन्नाव, रायबरेली जनपदों की माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 1991 के चार माह में अनुसूचित जातियों पर दुर्व्यवहार/पुलिस अत्याचार की कितनी शिकायतें डी० आई० जी०, लखनऊ रेंज व कितनी शिकायतें एस० पी०, रायबरेली व एस० पी०, उन्नाव को मिली हैं ? क्या अनुसूचित जातियों की ऐसी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि मेड़ीलाल कुरील नि० पारा के ऐसी ही प्रकृति के एस० पी०, उन्नाव को माह अक्टूबर, नवम्बर, 91 में प्रेषित व रामकिशोर रावत नि० गौरी के डी० आई० जी०, लखनऊ को माह नवम्बर में प्रेषित शिकायती प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जनपद उन्नाव में माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 1991 के चार माह में पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को 2 तथा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को सीधे 3 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

जनपद रायबरेली में इस प्रकार के कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुए ।

जी नहीं ।

श्री मेड़ी लाल व श्री राम किशोर के प्रार्थना-पत्रों की जांच प्रचलित है । जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कलुआ पुत्र राम सजीवन, निवासी भिण्डौरा, जिला बांदा तथा श्री शिव लखन जोशी, निवासी ग्राम पाटनपुर, जनपद हमीरपुर को पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना

86–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना–गिरवां, ग्राम जखनी,–जनपद बांदा निवासी श्री कल्लू हरख को तथा थाना–विबार, जनपद हमीरपुर, ग्राम पाटनपुर, निवासी श्री शिवलखन जोशी को जनपद हमीरपुर की थाना–कुरारा की पुलिस द्वारा 20 अक्टूबर, 91 को एक मुठभेड़ में मारा जाना प्रचारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री शिवलखन अथवा कल्लू हरख का पूर्व अपराधी इतिहास है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो इस मुठभेड़ का अर्थ क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि श्री कलुआ पुत्र राम सजीवन निवासी भिण्डौरा, थाना तिंदवारी, जनपद बांदा तथा श्री शिवलखन जोशी पुत्र बद्री जोशी ग्राम पाटनपुर, थाना बिबार, जनपद हमीरपुर, थाना कुरारा व थाना कोतवाली, हमीरपुर पुलिस से दिनांक 29/30-10-91 को हुई मुठभेड़ में मारे गये थे ।

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 188 पर)

श्री कल्लू काछी, ग्राम बरौली की जनपद हमीरपुर के थाना चिकासी की पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मृत्यु के सम्बन्ध में सम्बद्ध पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही

87–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 31-10-91 को थाना चिकासी, जनपद–हमीरपुर के ग्राम–बरौली में कुछ पुलिसजनों द्वारा उक्त ग्राम निवासी श्री कल्लू काछी की हत्या कर दी गयी है तथा इस घटना की जानकारी तार द्वारा दिनांक 4-11-91 को मुख्य मंत्री को भी प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या कोई मुकदमा उक्त पुलिसजनों के विरुद्ध कायम किया गया है ? यदि हां, तो दायर की गयी मुकदमें की कार्यवाही क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 31-10-91 को थाना चिकासी के ग्राम बरौली के पास उप निरीक्षक रघुवीर मिश्रा तथा कान्स० गुलाब सिंह व जगदीश प्रसाद जब गश्त कर रहे थे तो बदमाशों से मुठभेड़ हो गयी । जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल तथा दूसरा कुछ दूर भागकर गिर पड़ा और मृत्यु हो गयी । शेष बदमाश भागने में सफल रहे । मृतक का नाम पता कल्लू पुत्र हरदयाल काछी, निवासी ग्राम बरौली, जनपद हमीरपुर ज्ञात हुआ । इस सम्बन्ध में मु० अ० सं० 91, 92/91 धारा 147/148/149/307 भा० दं० वि० 25 आर्म्स ऐक्ट थाना चिकासी पर दिनांक 31-10-91 को पंजीकृत हुआ ।

इसी घटना के सम्बन्ध में रामदास लोधी द्वारा 4-11-91 मा० मुख्य मंत्री जी को तार दिया था, जिसे समुचित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को भेजा गया ।

उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता की लिखित तहरीर पर उपरोक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिनांक 2-11-91 को थाना चिकासी पर मु० अ० सं० 91, 92/91 धारा 304 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया जो दिनांक 3-11-91 को धारा 302 बा० दं० वि० में परिवर्तित हुआ ।

उपरोक्त दोनों मुकदमों की विवेचना प्रचलित है तथा मैजिस्टीरियल जांच भी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लल्लू लोध, निवासी ग्राम–तिवारीखेड़ा, थाना–असोहा, उन्नाव के घर पड़ी कथित डकैती के आरोप की जांच

88–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लल्लू लोध पुत्र स्व० अंगनू, नि० ग्राम–तिवारी खेड़ा, थाना-असोहा, जनपद–उन्नाव के यहां दिनांक 21-4-91 की रात को डकैती की घटना हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना के सम्बन्ध में गृह स्वामी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-4-91 यू० पी० सी० दिनांक 10-5-91 रजिस्टर्ड एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा अग्रसारित पत्र सं० 89 दिनांक 5-7-91 पुलिस अधीक्षक, उन्नाव रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 10-5-91 पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ, पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिनांक 29-7-91 राज्य मंत्री, नगर विकास द्वारा अग्रसारित और दिनांक 30-7-91 का मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त सभी प्रार्थना पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त डकैती में नामित किये गये व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, दिनांक 21/22-4-91 की रात में डकैती की झूठी घटना बनायी गयी थी ।

श्री लल्लू लोध के चार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, तीन प्रार्थना-पत्रों पर जांच हुई और मामले झूठे पाये गये । एक प्रार्थना-पत्र पर मु० अ० सं०–84/91 धारा 395/397 भा० दं० वि० विरुद्ध छेदी, जमुना पुत्रगण रामेश्वर लोध निवासी तिवारी खेड़ा तथा अन्य 10, 12 लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया. विवेचनोपरान्त मुकदमा झूठा पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट संख्या–14/91 दिनांक 18-7-91 को न्यायालय प्रेषित की गयी है ।

चूंकि डकैती की घटना झूठी थी इसलिये नामित किये गये व्यक्तियों की गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं है ।

89–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री लल्लू लोध पुत्र स्व० अंगनू निवासी ग्राम–तिवारी खेड़ा, थाना–असोहा, जनपद–उन्नाव के यहां दिनांक 21/22 अप्रैल, 1991 की रात्रि में डकैती पड़ी थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 22 अप्रैल, 1991 को थाना असोहा, जनपद–उन्नाव में गृह स्वामी दर्ज कराने गया तो वहां उसकी रिपोर्ट दर्ज न की गयी तथा उनको परिवारजनों के साथ थाने में बन्द कर दिया गया और दिनांक 23-4-91 को छोड़ा गया ? क्या उक्त घटना की रिपोर्ट यू० पी० सी० एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्रमशः दिनांक 25-4-91 तथा 10-5-91 पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को गृह स्वामी द्वारा भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी

उक्त रिपोर्ट थाने में दर्ज न करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं,

अपितु दिनांक 21/22-4-91 को डकैती की झूठी व बनावटी घटना बनाई गयी थी । यह सच नहीं है कि गृह स्वामी जब रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया तो रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी और उसे परिवारजनों के साथ थाने मे बन्द कर दिया गया तथा दिनांक 23-4-91 को छोड़ा गया ।

जांच में जो वास्तविकता सामने आयी वह यह है कि श्री लल्लू लोघ एवं श्री रामेश्वर लोघ में कुछ आपसी मनमुटाव था, जिसके कारण दोनों ने 21/22-4-91 की रात्रि को एक दूसरे के खिलाफ बनावटी व झूठी घटना ये बनायी । लल्लू लोघ ने अपने घर डकैती की झूठी घटना बनायी जबकि उसके विरोधी रामेश्वर लोघ ने अपने घर आग लगाने की घटना उसी रात में बनायी और दोनों थाने में रिपोर्ट करने गये तो गांव के कुछ लोग भी उनके साथ गये, उन्होंने स्थिति को समझा और यह महसूस किया कि उसमें दोनों पक्षों को नुकसान होगा । अतः दोनों का राजीनामा कराकर "सुलहनामा" थाने में दे दिया ।

लल्लू लोघ द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्रो की जांच की गयी और मामला झूठा व बनावटी पाये जाने के कारण कार्यवाही समाप्त कर दी गयी । लल्लू लोघ के प्रार्थना पत्र दिनांक 15-7-91 मु०अ०सं० 84/91 धारा 395/397 भा०दं०वि० विरुद्ध छेदी, जमुना पुत्रगण रामेश्वर लोघ, निवासी तिवारी खेड़ा मजरे असावर तथा अन्य लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । जांच में मुकदमा झूठा पाये जाने पर दिनांक 18-7-91 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी ।

चूंकि इस प्रकरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गयी थी इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

90–श्री बाला प्रसाद–

[दिनांक 9-3-92 को अता०प्र०सं० 183 द्वारा उत्तरित]

91–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता के कथित शिकायती पत्र पर कार्यवाही न किये जाने का आरोप

92–श्री तेज भान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित रमाशंकर पुत्र रामसुन्दर व हीरालारा पुत्र बच्चऊ निवासी ग्राम तेजगढ़, थाना मुसाफिरखाना का दिनांक 25-7-91 का प्रार्थना-पत्र, जिसमें स्थानीय पुलिस के कुछ कर्मचारियों की मदद से दीवाल व सरिया गिराकर धान रोप देने व मनमानी रिपोर्ट लिखने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की अब तक कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा माधोपुर, विकास खण्ड गौरीगंज, सुल्तानपुर के उप प्रधान को चार्ज दिये जाने विषयक बी० डी० ओ०, गौरीगंज द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

93–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा माधोपुर, विकास खण्ड गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर के मृत प्रधान के स्थान पर वर्तमान उप प्रधान को चार्ज दिये जाने हेतु बी० डी० ओ०, गौरीगंज ने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गौरीगंज को पत्रांक 580, दिनांक 19-7-91 भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

चूंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था । अतः यह उचित समझा गया कि मामले की जांच कराकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया । इसी बीच दिनांक 1-8-91 को श्री बसन्त लाल ने श्री शिव कुमार को ग्राम सभा गौरीगंज का चार्ज हस्तान्तरित कर दिया । मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश खारिज होने की सूचना मिलने पर विवेचक द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, गौरीगंज को दि० 6-8-1991 को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया । विवाद समाप्त हो जाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ।

94–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाया गया]

श्री राम प्रताप, ग्राम अम्बेडकर नगर, थाना पलिया कला, जनपद लखीमपुर खीरी पर प्राणघातक हमला किये जाने विषयक शिकायती पत्र पर जांच

95–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 879/91 राम प्रताप ग्राम अम्बेडकर नगर, थाना पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ दिनांक 29-9-91 को पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–879/91 राम प्रताप दिनांक 25-12-91 के साथ राम प्रताप पुत्र बल्ली निवासी ग्राम अम्बेडकर नगर, थाना पलिया, खीरी का प्रार्थना पत्र दिनांक 30-7-91 प्राप्त हुआ । उक्त पत्र में आवेदक ने राजू पुत्र नागेश्वर निवासी धरमखोर, पो० बड़ा सबरे जी जनपद देवरिया पर बम से हमला करने, दोबारा प्राणघातक हमला करने व धारा 323 भा० दं० वि० का मुकदमा कायम करने के आरोप लगाये थे ।

उक्त मामले में जांचोपरान्त ज्ञात हुआ कि दिनांक 26-6-91 को राजू पुत्र नागेश्वर निवासी घोला, थाना सम्पूर्णानगर ने थाना पलिया पर सूचना दी कि वह अपने बहनोई मुन्दरिवा से मिलने उसके ग्राम अम्बेडकर नगर जा रहा था कि रास्ते में राम प्रताप (प्रार्थी) व उसके तीन भाई मिले तथा गालियां देने लगे, मना करने पर उसे लाठियों से मारने लगे, शोर मचाने पर गांव के लोगों द्वारा उसे बचाया गया। इस सूचना पर थाना पलिया पर एन० सी० आर० नं० 132/91 धारा 323/504 भा० दं० वि० पंजीकृत कर उभयपक्षों को भविष्य हेतु कड़ी चेतावनी दी गयी तथा वादी को न्यायालय में वाद दायर करने की हिदायत दी गयी। जहां तक प्रार्थी पर राजू द्वारा बम से हमला किये जाने का आरोप है, जांच से पुष्टि नहीं हुई।

प्रार्थी एवं उसके परिवार की पूर्ण सुरक्षा हेतु क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष पलिया को निर्देशित किया जा चुका है।

96–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 184 द्वारा उत्तरित]

गढ़वाल भूकम्प पीड़ितों की सहायता हेतु मुख्य मंत्री सहायता में जमा धनराशि का विवरण

97–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह नवम्बर, 1991 तक गढ़वाल भूकम्प पीड़ितों के लिये मुख्य मंत्री राहत कोष मे कुल कितनी धनराशि जमा हुई है ? उक्त धनराशि किस मद में कब तक व्यय की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 30 नवम्बर, 91 तक भूकम्प पीड़ितों के सहायतार्थ रु० 5,42,74,889.32 की धनराशि मुख्य मंत्री के पीड़ित सहायता कोष में प्राप्त हुई है।

उक्त कोष में प्राप्त धनराशि का व्यय नियमावली में प्राविधानों के अनुरूप यथासमय विशिष्ट राहत कार्यों हेतु किया जायेगा।

उन्नाव जिले के मौरावां निवासी कृष्ण दत्त शुक्ल उर्फ भगोले व कल्लू पाठक के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों का विवरण

98–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के मौरावां थाने के कस्बा मौरावां के निवासी कृष्ण दत्त शुक्ल उर्फ भगोले, कल्लू पाठक आदि पर अद्यतन कितने मुकदमें किन-किन धाराओं के थाना–मौरावां में दर्ज हैं ? क्या सरकार अवगत है कि भाजपा कार्यकर्ता व व्यापारी रामचन्द्र गुप्ता, निवासी मौरावां से उक्त लोगों द्वारा चालीस हजार रुपये मांगने का गम्भीर मामला भी जांच में है ? यदि हां, तो क्या राम विलास लोधी निवासी–केदारखेड़ा, थाना–मौरावां ने अपने शिकायती पत्र दिनांक 5-7-91 द्वारा डी० आई० जी०, लखनऊ/गृह सचिव को व प्रश्नकर्ता की टिप्पणी सहित दिनांक 28-11-91 को गृह सचिव को पत्र दिया था कि भगोले आदि ने उन पर फायरिंग की ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या मुकदमा दर्ज हो चुका है ? यदि हां, तो कौन सा अपराध बना है ?

श्री कल्याण सिंह–

उन्नाव जिले के मौरावां थाने के कस्बा मौरावां के निवासी कृष्ण दत्त शुक्ल उर्फ भगोले महाराज, कल्लू पाठक के विरुद्ध निम्नलिखित मुकदमें पंजीकृत हुए :—

श्री के० डी० शुक्ला उर्फ भगोले महाराज :–

1–मु० अ० सं० 54/67 धारा 323/325 भां० दं० वि०

2–मु० अ० सं० 68/70 धारा 302/307 भा० दं० वि०

3–मु० अ० सं० 262/77 धारा 147/148/149/307 भा० दं० वि०

4–मु० अ० सं० 21/80 धारा 307/302 भा० दं० वि०

5– मु० अ० सं० 269/85 धारा 307 भा० दं० वि०

6–मु० अ० सं० 159/91 धारा 147/427/379 भा० दं० वि०

7–मु० अ० सं० 295/91 धारा 506 भा० दं० वि०

कल्लू पाठक के विरुद्ध पंजीकृत अपराध का विवरण :—

1–मु० अ० सं० 173/91 धारा 396 भा० दं० वि०

2–मु० अ० सं० 28/82 धारा 302 भा० दं० वि०

3–मु० अ० सं० 269 ए/85 धारा 307 भा० दं० वि०

4–मु० अ० सं० 146/89 धारा 394 भा० दं० वि०

5– मु० अ० सं० 36/90 धारा 302 भा० दं० वि०

6–मु० अ० सं० 256/91 धारा 504/506 भा० दं० वि०

7–मु० अ० सं० 39/90 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट

चालीस हजार रुपये मांगने के सम्बन्ध में दिनांक 20-9-91 को थाना मौरावां पर मु० अ० सं० 295/91 धारा 506 भा० दं० वि० विरुद्ध भगोले महराज पंजीकृत किया गया था। अपराध से सम्बन्धित साक्ष्य न पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट संख्या–90 दि० 20-11-91 न्यायालय प्रेषित की गयी।

श्री राम विलास लोध निवासी केदार खेड़ा, थाना मौरावां का दिनांकित 5-7-91 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी पुरवा द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने पर ही तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फैजाबाद के भीटी थानान्तर्गत ग्राम मेढ़वा के श्री रामचन्द्र वर्मा द्वारा मारपीट किये जाने की घटना के संदर्भ में आरोप पत्र दिया जाना

99–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मेढ़वा निवासी श्री रामचनद्र वर्मा पुत्र स्व० होसला प्रसाद वर्मा को कुछ लोगों द्वारा दिनांक 18-4-91 को दिन में ही घर में ले जाकर बुरी तरह मारने और घायल कर देने की घटना के बाद पुलिस नें उपरोक्त घायल

श्री रामचन्द्र वर्मा के पास ही कट्टा की बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया और उसको मारने वालों को संरक्षण दिया ? यदि हां, तो क्या बाद में भी स्थानीय पुलिस घटना के वास्तविक मुल्जिमान को संरक्षण दे रही है ? क्या घटना का उल्लेख करते हुए श्री राजित राम वर्मा, निवासी ग्राम मेढ़वा, थाना भीटी, जनपद फैजाबाद द्वारा प्रेषित कराया गया पंजीकृत शिकायती पत्र दि० 23-9-91 संख्या 930 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र के विवरणानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । वस्तुतः दिनांक 18-4-91 को श्री राम चन्द्र वर्मा 12 बजे दिन में शराब पीकर अवैध देशी कट्टा लेकर गाली देते हुये जान से मारने के लिये श्री हरिभान मौर्य के घर में घुसे । जिस पर श्री हरिभान मौर्य तथा उसके भाई ने मार पीट कर गांव वालों के सामने उसे पकड़ लिया और थाना भीटी पर मय अवैध कट्टा दाखिल किया विवेचना से जुर्म सिद्ध होने पर आरोप पत्र दिनांक 30-4-91 को प्रेषित कर दिया गया ।

जी नहीं ।

जी हां । जांच से प्रार्थना में लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं हुई । अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

क्षेत्राधिकारी, कर्वी, बांदा द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें कायम करने के विरुद्ध श्री राजबहादुर सिंह के शिकायती पत्र पर जांच की मांग

100–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील/थाना कर्वी के श्री राजबहादुर सिंह के शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित दिनांक 3-12-90 व 8-12-90 एवं 7-2-91 को मुख्य मंत्री उ० प्र०, डी० जी० पी०, लखनऊ, आई० जी० इलाहाबाद, डी० आई० जी०, झांसी, जिला अधिकारी, बांदा व पुलिस अधीक्षक, बांदा को अलग-अलग प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन शिकायती पत्रों पर अलग-अलग किसने क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि इन शिकायती पत्रों में सम्बन्धित सी० ओ०, कर्वी द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट में चालान की धमकी का जिक्र था ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित सी० ओ०, कर्वी द्वारा गैंगेस्टर की कार्यवाही श्री सिंह के विरुद्ध की गयी है ? यदि हां, तो कब तथा इसका क्या औचित्य है ? क्या गैंगेस्टर के मुकदमें कायम किये जाने की जांच होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाउन एरिया मीरानपुर कटरा, जनपद शाहजहांपुर की पुलिस व जनता में मारपीट व आवागमन अवरुद्ध किये जाने विषयक पंजीकृत अभियोग की विवेचना

101–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 16 अगस्त, 1991 को टाउन एरिया मीरानपुर कटरा, थाना मीरानपुर, जिला शाहजहांपुर की पुलिस व जनता में भयानक मारपीट हुई जिससे पीड़ित जनता ने

राजमार्ग 24 पर आवागमन बन्द किया और चार घन्टे तक जाम से हजारों वाहन खड़े रहे ? यदि हां, तो इस घटना के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

राजमार्ग 24 पर पीड़ित जनता ने आवागमन बन्द किया और लगभग एक घन्टे तक जाम लगा रहा।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है तथा विवेचना की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के मृतक साधू उर्फ शिवराम से सम्बन्धित मामले में शिथिलता बरतने के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

102–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम व थाना जैतीपुर में दिनांक 7-7-91 को साधू उर्फ शिवराम को गायब कर दिया गया था, जिसकी लाश दिनांक 8-7-91 को जैतीपुर में मिलने की सूचना थाने में दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में नामजद रिपोर्ट न लिखकर आवेदन रिपोर्ट कर्ता से जबरदस्ती अंगूठा सादे कागज पर पुलिस द्वारा लगवा लेने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को दिनांक 12-7-91 को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस के बारे में शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां । इस सम्बन्ध में आवेदक रिपोर्टकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को दिनांक 12-7-91 को प्रार्थना-पत्र दिया गया है । दिनांक 12-7-91 के शिकायती पत्र में सादे कागज पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

कर्तव्य पालन में शिथिलता बरतने के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री इन्द्रमणि गुणवन्त का स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी, विकास खण्ड मसौली के ग्राम सभा बेहटा के ग्राम प्रधान द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

103–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड मसौली के ग्राम बेहटा के ग्राम प्रधान के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मंत्री, पंचायती राज के पत्र संख्या 472/जी/91 दिनांक 29-8-91 द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी को आदेश एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री के पत्र संख्या 1148/जी/91 दिनांक 13-9-91 द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी को आदेश भेजा गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पत्रों के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

मामले की जांच करायी गयी । प्रधान को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण परगनाधिकारी नवाबगंज को संदर्भित कर दिया गया है ।

जिला लखीमपुर खीरी के कतिपय विकास खण्डों में निर्मित सुलभ शौचालयों पर व्यय धनराशि का विवरण

104–श्री बाला प्रसाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड धौरहरा/रमिया बेहड़/ईसा नगर में 1जनवरी, 1990 से अक्टूबर, 91 तक कितने सुलभ शौचालय का निर्माण किस किस ग्राम सभा में किसके देख रेख में कराया गया ? इन तीनों विकास खण्डों में उक्त निर्माण में कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई है ? क्या किसी अधिकारी द्वारा मौके पर कार्य निरीक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्माण कार्य सत्यापित कराकर निरीक्षण न करने हेतु दोषी खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

सुलभ शौचालय का निर्माण पंचायत राज विभाग द्वारा नहीं कराया जाता वरन सुलभ इंटरनेशनल द्वारा कराया जाता है, जो एक गैर सरकारी संस्था है । हां ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड धौरहरा, रमिया बेहड़ तथा ईसानगर में 1 जनवरी, 1990 से अक्टूबर, 91 तक निम्न विवरण के अनुसार शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा कराया गया :—

विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	निर्मित शौचालयों की संख्या
धौरहरा	1–सिसैयाकला	35
	2–गुदरिहा	20
	3–हसनापुर	6
	योग :	61
रमिया बेहड़	1–चन्पुरा	25
	2–मल्ल बेहड़	25
	3–बैरिया	25
	4–अभयपुर	5
	योग :	80
ईसानगर	1–ईसानगर	50
	2–खमरिया पं०	35
	3–हसनपुर कटौली	25
	4–बेहटा	6
	5–मोहम्मदापुर	10
	योग :	126

विकास खण्ड धौरहरा, रमिया बेहड़ तथा ईसानगर में उक्त निर्मित शौचालयों पर क्रमशः रु० 89,670, रु० 1,17,600, तथा रु० 1,85,220 व्यय हुआ है, जिसमें लाभार्थी का अंश रु० 300 प्रति शौचालय की दर से भी सम्मिलित है। उक्त निर्मित शौचालयों का निरीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया गया है।

105–श्री राम लखन तथा श्री भगवती सिंह विशारद–

[अस्पष्टता के आधारपर निरस्त]

जनपद आगरा में लक्ष्मी सहकारी आवास समिति द्वारा विभव नगर के पास सीलिंग की भूमि का अधिग्रहण करने की शिकायत पर कार्यवाही

106–श्री किशन गोपाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा में लक्ष्मी सहकारी आवास समिति ने विभव नगर के पास लगभग 9 करोड़ की लागत की 20 बीघा अर्थात् 47,000 वर्ग मीटर सीलिंग की जगह अपने नाम करा ली है ? क्या समिति ने नगर महापालिका से एन० ओ० सी० भी किसी कारण से ले लिया है ? क्या उक्त नजूल की जमीन की सीलिंग से कोई अनुमति ली गयी है ? क्या उक्त करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन को इस सोसाइटी से मुक्त कराने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के नाम बताने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत भूमि नजूल भूमि नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पाण्डेपुर आवासीय योजना के लिये अध्याप्ति भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश

107–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पाण्डेपुर हाउसिंग स्कीम व सेनेटरी इम्प्रूवमेंट के लिये की गयी गांव पांडेपुर खजुरी, प० शिवपुर, त० व जिला वाराणसी की 31 एकड़ 26 डि० जमीन, जिसको विकास प्राधिकरण ने एक्वीजीशन के बाद बांट दिया है और मुश्किल से 15 एकड़ पर ही कब्जा किया है ? क्या इसकी समीक्षा सन् 83 से लेकर अब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अध्यक्ष ने अब तक इस योजना की समीक्षा किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस योजना का ले आउट बनाया गया है ? क्या यह सत्य है कि न तो सेनेटरी इम्प्रूवमेंट के लिये ही कोई नक्शा बनाया गया है और न सीवर के लिये पाइप लाईन ही बिछायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कमिश्नर, वाराणसी जो कि अध्यक्ष हैं, से इसकी जांच करायेगी ? क्या जांच के वक्त प्रश्नकर्ता को भी सूचित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पाण्डेपुर आवासीय योजना के लिये ग्राम खजुरी व पाण्डेपुर स्थित कुल 36.2125 एकड़ भूमि अध्याप्ति की गयी थी । परन्तु कब्जा मिलने के पूर्व ही कतिपय भू-धारकों ने मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर स्थगनादेश प्राप्त कर लिया जिसके कारण दिनांक 11-11-83 तक केवल 11.9699 एकड़ भूमि पर ही प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त हो पाया । मा० सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकायें दिनांक 24-2-87 को खारिज कर दीं । इस आदेश के विरुद्ध 4 व्यक्तियों द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी जो खारिज कर दी गयी । मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पश्चात् दिसम्बर, 88 में 9.66 एकड़ और भूमि पर प्राधिकरण को कब्जा मिला । इसके अलावा समझौते से 1.333 एकड़ भूमि प्राधिकरण को और प्राप्त हुई, परन्तु सुलहनामें में 2.1817 एकड़ भूमि भू-स्वामियों के पक्ष में मुक्त करनी पड़ी । इस प्रकार कुल 36.2125 एकड़ भूमि में से 22.9632 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त हुआ । शेष 11.0676 एकड़ भूमि पर मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगनादेशों के दौरान भू-स्वामियों द्वारा अपने भूखण्डों पर निर्माण कर लिये जाने के कारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्राधिकरण को कब्जा नहीं दिया गया ।

समीक्षा की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नहीं ।

आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जी हां ।

जी नहीं, दोनों कार्य किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा छपाई एवं स्टेशनरी में घपला किये जाने की शिकायत की जांच की मांग

108–श्री रमाकान्त यादव–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्ष 1989, 1990 एवं 1 जनवरी, 1991 से 31 अगस्त, 1991 तक प्रतिमाह कितने रुपयों की छपाई एवं स्टेशनरी किन-किन प्रेसों एवं फर्मों से किस दर पर करवाई गयी । क्या सरकार इसमें हुए घपलों की जांच करवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्ष 1989, वर्ष 1990 एवं जनवरी, 91 से अगस्त, 91 में क्रमशः रु० 18,44,620.09 पैसे, रु० 16,42,565.40 पैसे रु० 19,19,695.40 पैसे वार्षिक अथवा रु० 1,53,718.90 पैसे, रुपया 1,36,880.00 रु० 2,30,961 प्रतिमाह की औसत छपाई एवं स्टेशनरी

की आपूर्ति निविदा एवं उत्कथनों में प्राप्त सर्व निम्न दरदाता फर्मों से आपूर्ति प्राप्त की गयी है । सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद के अयोध्या स्थित श्री राम जन्म भूमि को डायनामाइट से उड़ाने के कथित आरोप में बन्दी शिव सेना कार्यकर्ता श्री सुरेश चन्द्र बघेल की रिहाई एवं मामले की सी० आई० डी० से जांच विषयक कार्यवाही

109–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर, नवम्बर, 1990 में जनपद फैजाबाद के अयोध्या स्थित श्री राम जन्म भूमि को डायनामाइट से उड़ाने का कथित आरोप लगाकर पूर्व सरकार व अधिकारीगण के षड़यन्त्र से निर्दोष शिवसेना कार्यकर्त्ता श्री सुरेश चन्द्र बघेल को विभिन्न संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया था ? यदि हां तो क्या उक्त कार्यकर्ता अब तक लखनऊ जेल में निरुद्ध है ? यदि हां तों क्या सरकार इस फर्जी मामले की खुफिया जांच नये सिरे से कराने और जेल में निरुद्ध श्री सुरेश चन्द्र बघैल को रिहा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार अयोध्या स्थित विवादास्पद ढांचे को ध्वस्त कर देने के इरादे से दिनांक 8-12-1990 को शाम लगभग 8.30 बजे श्री सुरेश चन्द्र बघेल अपने एक साथी श्री सावन्त के साथ अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोटक डायनामाइट तथा डिटोनेटर लेकर सुमित्रा भवन के पीछे सुरक्षा के घेरे में गये और विवादित स्थल की ओर बढ़ रहे थे कि सी० आर० पी० एफ० के जवानों ने अभियुक्त सुरेश चन्द्र बघेल को पकड़ लिया । पकड़े गये व्यक्ति का दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया । गश्ती पुलिस दल ने पकड़े गये अभियुक्त को गिरफ्तार करके जामा तलाशी ली तो तीन बण्डल विस्फोटक पदार्थ (प्रत्येक बंडल में 7-7 बम बत्तियां) एवं झोले से 4 अदद बत्ती एवं कुछ तार बरामद हुआ । घटना के सम्बन्ध में थाना रामजन्म भूमि पर मुकदमा अपराध संख्या–3/90 धारा–5 विस्फोटक अधिनियम व 153 भारतीय दण्ड विधान के अधीन पंजीकृत किया गया ।

उक्त मामले की एस० आई० एस० द्वारा की गयी विवेचना का चेकअप अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के उपरान्त ही अभियुक्त सुरेश चन्द्र बघेल के विरुद्ध आरोप-पत्र धारा–5 एक्सपलोसिव ऐक्ट /3(3) टीएडीए ऐक्ट के अन्तर्गत दिनांक 2-12-91 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है ।

अभियुक्त सुरेश चन्द्र बघेल को जेल से जमानत पर रिहा किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास के अन्तर्गत दर्ज हत्या के अपराध की सी० आई० डी० द्वारा जांच

110–श्री विजय सिंह राणा तथा श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के थाना क्षेत्र इगलास के अन्तर्गत दर्ज अपराध सं० 241/91 के अन्तर्गत ग्राम अमरपुर थाना में दिनांक 30-31 जुलाई, 91 को हुई बलात्कार की घटना की जांच सी० आई० डी० विभाग को सौंप दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या घटना के

संदर्भ में अभियोग में वांछित कोई अपराधी पकड़ा गया ? यदि हां, तो कब और कौन अपराधी पकड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जो लोग पकड़े नहीं गये हैं, उनके विरुद्ध कुर्की (धारा 82-83) की कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास पर बलात्कार नहीं वरन् हत्या के सम्बन्ध में अभियोग अपराध संख्या–241/91 अन्तर्गत धारा 302/201 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । श्री चोब सिंह, ग्राम अमरपुर थाना जनपद अलीगढ़ द्वारा मामले में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को झूठा नामजद किये जाने के आरोपों की अपराध शाखा से जांच कराने के अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा मामले की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी । इस अभियोग में वांछित तीन अभियुक्तों (विशन, भगवती उर्फ भगवन्त सिंह व राजकुमार) में से अभियुक्त विशन की मृत्यु हो चुकी है । अभियुक्त राजकुमार को पुलिस द्वारा दिनांक 22-8-91 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । अभियोग की विवेचना सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दिये जाने के कारण तीसरे अभियुक्त भगवती की दं० प्र० सं० की धारा–82-83 के अन्तर्गत कुर्की/गिरफ्तारी की कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की जा सकी है ।

उ० प्र० राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिग्रहीत भूमि का ग्रेटर नोएडा को हस्तान्तरण

111–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि का अधिग्रहण जिस निगम एवं संस्था द्वारा किया जाता है क्या उसका पुनः स्थानान्तरण वैधानिक है ? यदि नहीं, तो औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिग्रहीत भूमि का हस्तान्तरण ग्रेटर नोएडा को किस आधार एवं नियम द्वारा किया गया ? क्या यह सही है कि सूरजपुर औद्योगिक विकास निगम ने किया था ? यदि हां, तो क्या ग्रेटर नोएडा इसे अपने नाम से बेचने का प्रयास कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

भूमि का अधिग्रहण केवल राज्य सरकार द्वारा ही किया जा सकता है । किसी निगम या संस्था को भूमि के अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रदर्शनकारियों द्वारा दादरी पुलिस की हिरासत में हुई कथित हत्या की न्यायिक जांच की मांग

112–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-9-91 को दादरी पुलिस की हिरासत में हुई रहीसुद्दीन की हत्या की न्यायिक जांच हेतु दि० 7-10-91 को जिलाधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय पर हुए प्रदर्शन में, प्रदर्शनकारियों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर जिला अधिकारी गाजियाबाद ने न्यायिक जांच

की संस्तुति शासन को की थी ? यदि हां, तो अब तक न्यायिक जांच के शासन द्वारा आदेश न दिये जाने का क्या कारण है ? यदि आदेश शासन ने दे दिया है, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

इस प्रकरण की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा कराए जाने के आदेश दिये गये थे ।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में न्यायिक जांच का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद जिले में पुलिस द्वारा बरामद लावारिश लाशों के विवरण की जानकारी

113–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-7-91 से 30-11-91 तक समस्त गाजियाबाद जनपद में पुलिस द्वारा कितनी लावारिस लाशें बरामद की गयी ? उनके सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 8-7-91 से 30-11-91 तक की अवधि में कुल 54 लावारिस लाशें बरामद की गयी ।

सम्बन्धित थानों में अभियोग पंजीकृत करके लाशों की पहचान कराने की कोशिश की गई तत्पश्चात लाशों के फोटो कराकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराये गये तथा धर्म के अनुसार क्रियाकर्म कराया गया । अज्ञात लाशों के सम्बन्ध में शिनाख्त की कार्यवाही के उपरान्त 11 अज्ञात लाशों की पहचान हो पाई है । सभी अज्ञात लाशों के सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही अमल में लाई गई ।

जिला बुलन्दशहर के थाना नरमैना के ग्राम मवई के दोषी पाये गए श्री कालीचरन पुत्र मंगू सिंह एवं श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री बसन्त सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाना

114–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 121/90 थाना बाबूगढ़ जिला गाजियाबाद में पंजीकृत अपराध की विवेचना के दौरान दिनांक 14-11-90 को केस डायरी में आरोपी कालीचरन पुत्र श्री मंगू सिंह व जगदेव सिंह पुत्र श्री बसन्त सिंह ग्राम मवई थाना नरमैना जि० बुलन्दशहर को निर्दोष पाया गया ? यदि हां, तो फिर इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । अभियुक्त कालीचरन व जगदेव को प्रश्नगत आरोप में अर्न्तग्रस्त पाये जाने पर उनके विरुद्ध न्यायालय को आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जनपद के कतिपय थाना क्षेत्रों में घटित घटनाओं का विवरण एवं रोकथाम

115–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-6-91 से 15-10-91 तक जनपद हरदोई के थाना हरियावां, टड़ियावां, लोनार, पिहानी, बेनीगंज, बघौली तथा कोतवाली देहात में लूट, पाट डकैती व हत्या की कितनी घटनायें हुई और इन्हें रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना	लूट	डकैती	हत्या
हरियावां	–	– –	3
टडियावां	–	–	1
लोनार	2	–	1
पिहानी	–	–	3
बेनीगंज	4	1	7
बघौली	1	–	–
कोतवाली देहात	2	1	2

अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण रखने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दे दिये गये है । क्षेत्र में समुचित गश्त की व्यवस्था की गयी है ।

जनपद पीलीभीत के श्री अग्रेन सिंह सिकसा तैनात सिपाही पुलिस चौकी मझोला, नैनीताल के साथ कथित अभद्रता रेलवे पुलिस द्वारा किये जाने के विरुद्ध जांच की मांग

116–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत के श्री महेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, महानिरीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस उ० प्र० को दिनांक 29 अथवा 30 अगस्त,1991 को अपने भाई अग्रेन सिंह सिकसा जो कि जनपद नैनीताल में मझोला पुलिस चौकी में कार्यरत सिपाही हैं के अवकाश लेकर घर आते वक्त दि० 29-8-91 को रेलवे पुलिस पीलीभीत द्वारा पकड़ना मारपीट करना, लूटपाट और टी० टी० से मिलकर बगैर टिकट चालान कराने के बाबत उनके टेलीग्राम में विस्तृत शिकायत दी है ? यदि हां, तो क्या उसमें प्राथमिक जांच के बाद थाना जी० आर० पी० पीलीभीत में मु० अ० संख्या 85/91 धारा 395/39 ता० हिन्द कायम कर जांच सुनगढ़ी में विवेचना हेतु भेजी गयी है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० सहकारी कताई मिल, फतेहपुर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की मांग

117–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फतेहपुर के उ० प्र० सहकारी कताई मिल में उत्पादन पूर्ण क्षमता से हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मिल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान में मिल वित्तीय व वाणिज्यिक कारणों से बन्द है । उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

118–श्री चन्द्र भान मौर्य–

[दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 191 द्वारा उत्तरित]

जनपद अलीगढ़ में कतिपय स्थानों पर पुलिस चौकियों की स्थापना का प्रस्ताव

119–श्री दलवीर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में थाना गभाना की वीरपुरा, थाना चन्डौस की भोजपुर ताल व थाना जवां की बरौली प्रस्तावित पुलिस चौकियों का भवन निर्माण एवं उनको पूर्ण मान्यता देने की योजना पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद अलीगढ़ में थाना गभाना के अन्तर्गत पुलिस चौकी वीरपुरा अस्थाई रूप से स्थापित है । थाना चन्डौस की भोजपुर ताल, थाना जवां की बरौली व थाना गभाना की वीरपुरा पुलिस चौकियों की स्थापना पर पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है । स्थापना सम्बन्धी औपचारिक स्वीकृति के उपरान्त ही भवन निर्माण की कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा जनवरी, 1991 से जून 91 तक जारी किये गये शस्त्र लाइसेन्सों का श्रेणीवार विवरण

120–श्री खालिद गौरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा पहली जनवरी, 1991 से 30 जून, 1991 तक कुल कितने शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये ? क्या लाइसेंस प्राप्त करने वालों की श्रेणीवार संख्या भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा कुल 77 शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये ।

लाइसेंसियों की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित है :––

श्रेणी	संख्या
(1) मृतक लाइसेन्सियों के उत्तराधिकारी ..	41
(2) लाइसेन्सियों की वृद्धावस्था के कारण स्थानान्तरित	14
(3) जघन्य अपराध पीड़ित परिवारों के आवेदक ..	05
(4) सरकारी अधिकारी ..	17

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के थाना कर्वी में पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

121–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना कर्वी के गांव खरौध के श्री धर्मपाल ने पुलिस अधीक्षक, बांदा को सम्बोधित पत्र दिनांक 4-6-91 एवं डी० आई० जी०, झांसी, आई० जी० पुलिस, इलाहाबाद, डी० जी० पुलिस, लखनऊ, मुख्य मंत्री, उ० प्र०, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं कल्याण विभाग, लखनऊ को है और जिसमें अनुसूचित जाति के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायत की है ? अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में अपराध संख्या 239/91 थाना कर्वी में कायम करने के बाद पुलिस कान्सटेबिलों द्वारा शिकायतकर्ता का उत्पीड़न किया गया ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पूरे प्रकरण की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले में मु० अ० सं० 239/91 धारा 323/504/506 भा० दं० वि० थाना कर्वी में श्री धर्मपाल की सूचना पर दि० 23-5-91 को अभियुक्त ब्रह्म प्रताप आदि दो अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । मामले में विवेचनोपरान्त घटना असत्य पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट संख्या–56, दिनांक 21-7-91 को मय जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

उक्त शिकायती पत्र में अंकित आरोपों की जांच की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

122 –श्री राम प्रसाद सिंह–

[दिनांक 11-3-92 को अता० प्र० सं०–184 द्वारा उत्तरित]

मेसर्स जालान कास्टिंग प्रा० लि०, मोहद्दीपुर, गोरखपुर की स्थापना तथा चालू होने की तिथि, एक्साइज ड्यूटी एवं फर्नेस की क्षमता का विवरण

123–श्री रमाकान्त यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स जालान कास्टिंग प्रा० लि०, मोहद्दीपुर, जिला गोरखपुर में किस सन् एवं किस माह में स्थापित की गयी ? किस माह एवं सन् से यह फैक्ट्री चल रही है ? फैक्ट्री लगाते समय कितने टन फर्नेस की क्षमता थी ? क्या फर्नेस बदलकर दूसरी फर्नेस लगाकर इसकी क्षमता बढ़ाई गयी है ? यदि हां, तो कब ? फैक्ट्री लगने से आज तक उत्पादन रजिस्टर के मुताबिक किस महीने, कितनी हीट निकाली गयी ? किस-किस महीने में कितना-कितना टन उत्पादन पर, कितना एक्साइज ड्यूटी लगायी गयी ? पहले लगी फर्नेस से कितने समय में हीट निकलती थी और बदली गई फर्नेस में कितने समय में हीट निकलती है ?

श्री कल्याण सिंह–

मेसर्स जालान कास्टिंग प्रा० लि० मोहद्दीपुर, जिला गोरखपुर में माह अगस्त, 1987 में स्थापित की गयी।

मेसर्स जालान कासिंटग प्राइवेट लिमिटेड माह नवम्बर, 1987 से चल रही है।

फैक्ट्री लगाते समय फर्नेस की क्षमता 1500 के० जी० प्रति हीट थी।

फर्नेस नहीं बदली गयी है केवल भट्ठी स्टैण्डबाई के रूप में सन् 1989 में लगायी गयी है।

प्रत्येक हीट का अलग-अलग विवरण नहीं रखा जाता है। उत्पादन एवं एक्साइज ड्यूटी का विवरण संलग्न है।

पहले से लेगी फर्नेस की प्रत्येक हीट सामान्यतः दो घण्टे में निकलती है, यदि स्टैण्डबाई भट्ठी को चलाया जाता है, तो सामान्यतः उसकी हीट भी उसी समय में निकलती है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 189-190 पर)

124–श्री उमाकान्त यादव–

[दिनांक 20-2-92 को अता० प्र० सं०–192 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की योजना संख्या एक, बुलन्दशहर में भवनों के निर्माण में निम्न श्रेणी के ईंटों का प्रयोग करने की शिकायत

125–श्री सुल्तान रजा मिर्जा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की योजना संख्या एक बुलन्दशहर में निर्माणाधीन 25 नग एम० आई० जी० भवनों में निम्न श्रेणी की ईटें प्रयोग की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता। कथित निर्माण में प्रयुक्त ईटों का परीक्षण लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला में कराये जाने के पश्चात् उक्त भवनों में प्रयोग किया गया है।

जनपद इलाहाबाद में गत लोक सभा एवं विधान सभा के आम चुनाव में कानून एवं व्यवस्था में सहयोग के लिये लगाये गये प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों को ड्यूटी भत्ता दिये जाने की मांग

126–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में गत लोक सभा एवं विधान सभा के आम चुनाव में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को सहयोग देने हेतु प्रान्तीय रक्षक दल के कितने जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया था ? क्या उन्हें शासन द्वारा निर्धारित वेतन (पारिश्रमिक) दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद इलाहाबाद के गत लोक सभा एवं विधान सभा के आम चुनाव में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को सहयोग देने हेतु प्रान्तीय रक्षक दल के 3,000 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया था। लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव से सम्बन्धित ड्यूटी भत्ते की धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में न होने के कारण अभी तक उपर्युक्त स्वयं सेवकों (जवानों) के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा सका है।

सम्बन्धित धनराशि की व्यवस्था द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से आय-व्ययक में करायी जा रही है। आय-व्ययक में प्राविधान होने के उपरान्त उपर्युक्त स्वयंसेवकों (जवानों) को ड्यूटी भत्ते (पारिश्रमिक) का भुगतान कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा ग्राम संघर्ष समिति द्वारा दिये गये ज्ञापन की जानकारी

127–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा को दिनांक 3-9-91 को ग्रेटर नोएडा ग्राम संघर्ष समिति द्वारा प्रेषित ज्ञापन में कौन-कौन सी मांगें सम्मिलित हैं ? क्या शासन इन मांगों पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ऐसा कोई ज्ञापन अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा ग्राम संघर्ष समिति द्वारा नहीं दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद जनपद में हत्या, डकैती एवं लूट का तुलनात्मक विवरण

128–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-7-91 से 30-11-91 तक गाजियाबाद जनपद में कितनी हत्या, डकैती लूट की घटनायें हुई हैं ? इनकी तुलना में इसी अवधि में पिछले वर्ष कितनी घटनायें हुईं ? क्या यह सही है कि गाजियाबाद जनपद में पिछले वर्ष की तुलना में यह अपराध कहीं अधिक हुए हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 8-7-91 से 30-11-91 तक की अवधि में गाजियाबाद जनपद में हत्या की 140, डकैती की 18 तथा लूट की 175 घटनायें हुई हैं।

पिछले वर्ष इसी अवधि में हत्या की 152, डकैती की 15 व लूट की 114 घटनाएं हुई।

हत्या में कमी आयी है। लूट व डकैती में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है।

इसका मुख्य कारण अपराधों का थानों पर सही पंजीकरण करना है।

प्रदेश में आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया

129–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस नवीनीकरण की क्या प्रक्रिया है ? क्या लाइसेंस धारकों से कोई प्रथक शुल्क लिये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो

जनपद शाहजहांपुर के लाइसेन्स धारकों से नवीनीकरण पर पच्चीस रुपये से लगाकर एक सौ रुपया तक रायफल क्लब के चन्दे के रूप में क्यों वसूले जाते हैं ? इस प्रक्रिया पर शासन कब तक अंकुश लगा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा–15 के अनुसार धारा–13 एवं 14 में नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । तद्नुसार नवीनीकरण के मामलों का निस्तारण किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार रायफल क्लब के चन्दे के रूप में कोई धनराशि जबरन वसूल नहीं की जाती है । जो शस्त्र धारक स्वेच्छा से रायफल क्लब के सदस्य बनना चाहते हैं वे सदस्यता शुल्क जमा करते हैं तथा उनको रायफल् क्लब की वैध रसीद जारी की जाती है ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा बुलन्दशहर नगर की योजनाओं में जलापूर्ति हेतु निर्मित पम्पों के रखरखाव पर व्यय धन की जानकारी

130–श्री सुल्तान रजा मिर्जा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने बुलन्दशहर नगर की योजनाओं में जलापूर्ति हेतु पम्पों पर वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में रख-रखाव (रिपेयरिंग) पर कितनी धनराशि व्यय की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

बुलन्दशहर स्थित परिषद् की दोनों योजनाओं के नलकूपों के रख-रखाव (रिपेयरिंग) हेतु वर्ष 1990-91 में रु० 5254.00 तथा वर्ष 91-92 में दिनांक 28-11-91 तक रुपये 8340.50 व्यय हुये हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में मूल भेद एवं नियुक्ति तथा विनियमितीकरण की जानकारी

131–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में मूल भेद क्या है तथा उपरोक्त सेवाओं में नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी कौन है ? इन कर्मियों की विनियमितीकरण के समय क्या नियम अपनाया जाता है ?

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्कचार्ज और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में मूल भेद यह है कि वर्कचार्ज के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी कार्य विशेष के सम्पादन के प्रयोजनार्थ प्रतिदिन की मजदूरी पर रखा जाता है और इनकी मजदूरी का भुगतान मूल योजना के आर्थिक श्रोतों से किया जाता है । परन्तु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जिसे पद उपलब्ध न होने पर भी कार्य की आवश्यकता को देखते हुए प्रतिदिन की निर्धारित मजदूरी पर किसी अवधि हेतु रखा जाता है ।

वर्कचार्ज तथा दैनिक दर पर व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव/उपाध्यक्ष को है ।

उक्त श्रेणी के कर्मी विनियमितीकरण के नियम से आवृत नहीं हैं ।

हरदोई जनपद के बेनीगंज थानान्तर्गत ग्राम कुइयां एवं डही के मध्य पड़ी डकैती की घटना एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

132–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के थाना बेनीगंज अन्तर्गत ग्राम सभा कुइयां व डही के मध्य दिनांक 1/2-9-91 को रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट/राहजनी की गई जिसकी एफ० आई० आर० दिनांक 2-9-91 को थाना बेनीगंज में उक्त गांव के ग्रामीणों द्वारा दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो ग्रामीणों की जानमाल की सुरक्षा हेतु अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि दिनांक 2-10-91 को वादी देवशरण ग्राम कुइयां थाना बेनीगंज की तहरीर पर दिनांक 1-10-91 को हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट अंकित करायी । जिस पर थाना बेनीगंज द्वारा मु०अ०सं० 189/91 धारा 394 भा०दं०वि० पंजीकृत किया ।

उक्त अभियोग की विवेचना से वांछित अभियुक्तों:–

1–राकेश पुत्र विश्राम

2–राम विलास पुत्र बनारसी

3–सालिकराम पुत्र दिलाराम–को दिनांक 2-10-91 को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया अभियुक्त राजकिशोर निवासी ओमनगर की तत्परता से तलाश जारी है । सुरक्षा की दृष्टि से थाना बेनीगंज द्वारा नियमित रूप से गश्त भेजा जाता है एवं सर्तक दृष्टि भी रखी जा रही है ।

हरदोई जनपद के थाना बेनीगंज के ग्राम बेहिपरा के ग्रामीणों द्वारा पकड़े गये डकैतों के गिरोह को पकड़ने की मांग

133–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि हरदोई के थाना बेनीगंज के अन्तर्गत ग्राम बेहिपरा के ग्रामीणों द्वारा दिनांक 3-10-91 को एक डकैत को पकड़ा गया और थाना बेनीगंज की पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा उक्त डकैत के गिरोह से सम्बन्धित अन्य डकैतों को अब तक गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 3-10-91 को ग्रामीणों द्वारा एक बदमाश को बेहोशी की हालत में पकड़ कर थाना लाया , गया, जिसका मु० अ० सं० 194/91 धारा 393 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया ।

चूंकि अभियुक्त ग्रामीणों द्वारा बहोशी की हालत में थाने पर लाया गया था और उसी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा दिनांक 5-10-91 को उसी हालत में मृत्यु हो जाने के कारण उसका नाम, पता तथा सहयोगियों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं हो सकी ।

हरदोई जनपद के थाना टड़ियावां के ग्राम भौता में पड़ी डकैती की घटना की विवेचना

134–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 20-9-91 की रात्रि में ग्राम भौता, थाना टड़ियावां, जनपद हरदोई में हुई डकैती की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21-9-91 को गृह स्वामी द्वारा लिखायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त घटना से सम्बन्धित अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । बल्कि वादी श्री इन्द्रपाल पुत्र रामस्वरूप सेल्समैन ग्राम भौता, थाना टड़ियावां द्वारा दिनांक 21-1-91 को प्रथम सूचना रिपोर्ट टड़ियावां, जनपद हरदोई पर पंजीकृत कराया ।

विवेचना मे घटना की सत्यता न पाये जाने के कारण किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

135–श्री नेतराम–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में गुण्डा ऐक्ट में निरुद्ध व्यक्तियों की रिहाई की मांग

136–श्री खालिद गौरी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के विभिन्न जनपदों में गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत जेल में बन्द लोगों की रिहाई की जमानतें दाखिल होने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हुई है ? यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं ? यह कब तक रिहा हो जायेंगे तथा इस सदोष परिरोधन के लिये दोषी अधिकारियों को क्या दंड दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

सम्प्रति ऐसा कोई मामला नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के राजापुर थानान्तर्गत ग्राम रगौली में कथित घटना की सी० आई० डी० द्वारा जांच की मांग

137–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम रगौली के श्री धर्मपाल का शिकायती पत्र संलग्न करके प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28-1-91 को तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया था तथा उन्होंने गृह सचिव को मामले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा (सी० आई० डी०) से कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । प्रश्नकर्ता के पत्र दि० 28-1-91 पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सी० आई० डी० से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में विभागीय आख्या चाही थी ।

प्रश्नगत मामले में जिला मजिस्ट्रेट, बांदा से जांच करायी गयी। जांच से पाया गया कि दि० 1-6-91 को थाना राजापुर में साधू आदि के विरुद्ध धारा 147/148/302/149 भा० दं० वि० सं० के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमें में विवेचनोपरान्त धारा 302 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियुक्त बोधन राम के विरुद्ध आरोप- पत्र न्यायालय भेज दिया गया है । चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस लिये उक्त मामले में सी० आई० डी० जांच या अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

138-श्री भगवती सिंह विशारद-

[संदर्भ त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रही कम्पनी नं०-1 तथा मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच

139-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-12-90 को श्री प्रियदर्शी जेतली पूर्व विधायक ने उन्हें कोई शिकायती पत्र तमाम प्रमाणों के साथ दिया है, जोकि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत चलायी जाने वाली कताई मिलें कम्पनी नं० एक तथा मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र पर किससे जांच करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

श्री प्रियदर्शी जेतली का शिकायती पत्र दिनांक 3-12-90 प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच पूर्व में ही करायी जा चुकी थी और आवश्यक कार्यवाही की गयी थी ।

फैजाबाद जनपद के अकबरपुर थाना के कथित अभियोग की सी० आई० डी० द्वारा जांच

140-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या गृह मंत्री मु० अ० संख्या 528/85 यू/एस/120 बी 408/201/218/167 आई० पी० सी० थाना अकबरपुर, जिला फैजाबाद की सम्पूर्ण एफ० आई० आर को सदन के पटल पर रखते हुए बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विवेचना कब समाप्त हुई ? कौन-कौन अपराधी अब तक किस-किस धारा में गिरफ्तार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दिनांक 10-1-89 को समाप्त की गयी । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

अभियुक्त बाबूराम त्रिपाठी को धारा 409/201/120 बी भा० दं० वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । उक्त धाराओं में वांछित दो अभियुक्त अनहर हुसैन व राम जनम श्रीवास्तव ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित शेष अभियुक्त श्री एम० एन० कटियार व एस० के० सिंह के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था । अतः उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 191-192 पर)

श्री मिश्री लाल, ग्राम पतवारा, परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के उत्पीड़न विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

141-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1135/91 श्री मिश्री लाल, ग्राम पतवारा, परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 18-9-91 को जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने सरदार जीत सिंह पुत्र विक्कर सिंह निवासी ग्राम पतवारा पूरब, थाना पलिया, खीरी के विरुद्ध कार्य करने के बदले शेष धन की मांग करने पर मारने पीटने एवं जेल में बन्द करवा देने की धमकी देने, काम बन्द कर देने पर रंजिशन प्रार्थी के छोटे भाई श्री किशन को सब्बल चुराने के आरोप में मारने पीटने तथा दिनांक 30-8-91 को प्रार्थी को घर बुलाकर मारने पीटने एवं रिपोर्ट दर्ज कराने पर कोई कार्यवाही न होने सम्बन्धी आरोप लगाये थे । उक्त के अतिरिक्त दिनांक 31-8-91 को प्रार्थी ने थाना पलिया पर मौखिक सूचना दी कि प्रार्थी मिश्री लाल लगभग 6 साल से विपक्षी जीत सिंह के यहां काम करता था । करीब 4 माह से उसने काम छोड़ दिया है । यह भी सूचना दी कि प्रतिवादी जीत सिंह कल शाम उसके घर पर आये और काम छोड़ने के फलस्वरूप प्रार्थी को डन्डे से मारने व गालियां देने लगे गांव वालों के एकत्र होने पर प्रतिवादी भाग गया । प्रार्थी की इस मौखिक सूचना पर प्रतिवादी जीत सिंह पुत्र विक्कर सिंह निवासी पतवारा पूरब, थाना पलिया, खीरी के विरुद्ध एन० सी० आर० नं० 193/91 धारा 323/504 भा० दं० वि० कायम कर उसी दिनांक को डाक्टरी करायी गयी । मामला अनुसूचित जाति सवर्ण का होने के कारण अपराध में धारा 3(6) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप की वृद्धि की गयी तथा विवेचनोपरान्त न्यायालय में पूरक आरोप पत्र दिनांक 21-1-92 को प्रेषित किया गया ।

जहां तक प्रार्थी के भाई किशन सिंह के सब्बल चुराने का सम्बन्ध है, किशन ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा व जीत सिंह का राजीनामा हो गया है । जांच से सरदार जीत सिंह द्वारा किशन को मारने पीटने की बात असत्य पायी गयी उक्त प्रकरण में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

उन्नाव जनपद की तहसील पुरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की मांग

142-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील पुरवा, जिला उन्नाव पर फायर स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो फायर स्टेशन कब तक स्थापित हो जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था किन्तु विचारोपरान्त प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्रदेश की अन्य भागों की तुलनात्मक

आवश्यकताओं तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से वर्तमान में तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है ।

143–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 192 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु लगाये गये पी० आर० डी० जवानों के पारिश्रमिक के भुगतान में गोलमाल किये जाने के मामले की जांच

144–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये वर्ष 1989 से लगभग 18(8) पी० आर० डी० (प्रान्तीय रक्षक दल) जवानों की सेवायें ली जा रही है ? यदि हां, तो पी० आर० डी० के इन जवानों को देय वेतन को अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आज तक भुगतान क्यों नहीं कराया गया है ? क्या सरकार पी० आर० डी० जवानों को देय वेतन में भारी गोलमाल किये जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी और जांच कार्यवाही में प्रश्नकर्ता को भी आमंत्रित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं ।

जनपद फैजाबाद में [illegible] बनाये रखने हेतु वर्ष 1989 से दिनांक 9-12-91 तक 531 पी० आर० डी० अवैतनिक स्वयं सेवकों (प्रान्तीय रक्षक दल जवानों) से समय-समय पर ड्यूटी ली गयी है एवं जनवरी, 1992 से 46 स्वयं सेवकों से ड्यूटी ली जा रही है ।

स्वयं सेवकों को समय-समय पर पारिश्रमिक भुगतान किया गया है । गोलमाल का प्रश्न ही नहीं उठता । जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग की भांति लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को सुविधा देने की मांग

145–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार समान कार्य के लिये समान वेतन तथा किसी के साथ भेदभाव न होने के सिद्धान्त से सहमत है ? यदि हां, तो क्या लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों की भांति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी वही वेतन/विनियमितीकरण तथा अन्य सुविधा सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लोक निर्माण/सिंचाई विभाग में शासन द्वारा निर्धारित वेतन एवं अन्य सुविधायें दी जाती हैं । लखनऊ विकास प्राधिकरण शासन का एक विभाग न होकर एक स्वायत्तशासी अभिकरण है । इस प्रकार शासकीय विभागों पर लागू आदेश प्राधिकरण पर आवृत्त नहीं है ।

146–श्री कोविद कुमार सिंह, श्री देवेन्द्र पाल सिंह तथा श्री नेतराम–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

147–श्री राम प्रसाद सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बांदा जनपद के कर्वी सम्भाग के कतिपय थाना क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा कारतूसी लाइसेन्स जारी किया जाना

148–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में वर्ष 1990 से वर्ष 1991 तक कर्वी सम्भाग के थाना कर्वी, पहाड़ी, राजापुर, रैपुरा, मऊ एवं मानिकपुर में आग्नेय अस्त्र रायफल, दोनाली कारतूसी एक नली कारतूसी के लाइसेंस कथित संवेदनशीलता के आधार पर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने इनमें कितनों को अनापत्ति शासन से मिली है ? क्या इनमें जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा भी अपने अधिकारों से लाइसेंस जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने एवं किस श्रेणी के ? क्या इन लाइसेंस धारकों के अपराधिक इतिहास की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन लाइसेंसों को देने में अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच होगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला मजिस्ट्रेट, बांदा से प्राप्त सूचनानुसार संवेदनशीलता के आधार पर लाइसेंस दिये जाने का कोई आधार नहीं है अतः इस आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा कोई लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है

प्रश्न नहीं उठता है ।

149–श्री बाला प्रसाद–

[दिनांक 9-3-92 को अना० प्र० सं० 193 द्वारा उत्तरित]

150–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उन्नाव शहर में चन्द्रशेखर आजाद नगर योजनान्तर्गत भवन निर्माण में मानक के अनुसार सामग्री का प्रयोग

151–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित उन्नाव शहर की कालोनी व मकानों में परिषद् के अभियान्ताओं ने निर्माण के समय घटिया ईंटे, मानक से कम सीमेन्ट, मानक से कम नींव भराई की है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवगत है कि एम० आई० जी० मकान आवंटन से पूर्व ही अपने आप क्षतिग्रस्त हो रहे हैं ? क्या ब्लाक–सी० के मकान गिरने की हालत मे पहुंच चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तथ्यों की समयबद्ध जांच टी० ए० सी० से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उन्नाव शहर में संचालित चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना में निर्मित भवनों में मानक के अनुसार ईंटें, सीमेन्ट का प्रयोग किया गया है तथा भवनों की नींव परिकल्पना के अनुसार ही बनायी गयी है ।

रिक्त होने से भवनों में टूट-फूट क्षति होती है, जिसे ठीक कराकर भवनों का आवंटन होने पर, आवंटी को कब्जा दिया जाता है। योजना के ब्लाक "सी" में मकान ठीक दशा में हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

कताई मिल मरैला, अकबरपुर, फैजाबाद की तालाबन्दी समाप्त करने की मांग

152-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कताई मिल मरैला-अकबरपुर, जिला फैजाबाद की तालाबन्दी समाप्त किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 जून, 1991 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इस मामले में प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, कानपुर से आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त आख्या का विवरण क्या है तथा मिल की तालाबन्दी समाप्त कराकर भूखों मर रहे श्रमिक व श्रमिकों के परिवार जन की रोजी रोटी का प्रबन्ध करने के लिये सरकार द्वारा अब तक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

उक्त 28-6-91 का पत्र प्राप्त हुआ है उस पर प्राप्त आख्या में प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी द्वारा सूचित किया गया था कि प्रश्नगत मिल की उपलब्धियां पिछले काफी समय से अच्छी नहीं रही और तालाबन्दी की पृष्ठभूमि अनुशासनहीनता तथा इकाई की कार्य प्रणालियों का खराब हो जाना था। इस इकाई में निर्धारित कार्यभार मानकों एवं वेतन ढांचे के अनुरूप उत्पादन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करने के ध्येय से एक कार्य योजना तैयार की गयी थी, उक्त योजना की प्रतियां मिल के श्रमिक संघों को उपलब्ध करायी गयी थी। श्रमिक संघों से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण तालाबन्दी उठाये जाने के विषय में कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

उ० प्र० राज्य कताई मिल निगम के उच्चाधिकारियों के जालसाजी भ्रष्टाचार के बारे में सांसद श्री राम पियारे सुमन के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

153-श्री भगवती सिंह विशारद-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित ता० प्र० संख्या 8 जो माननीय राम पियारे सुमन, सांसद के दि० 27-7-90 के पत्र के उत्तर से सम्बन्धित है, क्या सरकार सम्बन्धित जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

श्री राम पियारे सुमन, सांसद का दिनांक 27-7-90 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-8 भी माननीय सांसद श्री राम पियारे सुमन के उक्त पत्र से सम्बन्धित नहीं था।

जनपद फैजाबाद के ग्राम उसकापुर के निवासियों के घरों में पड़ी डकैती एवं कत्ल के सम्बन्ध में कार्यवाही

154-श्री भगवती सिंह विशारद-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के आधार पर क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध अनुसंधान की अपराध

संख्या 124/89 की विवेचना अग्रिम कार्यवाही हेतु कब प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? अपराध अनुसंधान की विवेचना क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

मु० अ० सं० 124/89 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को दिनांक 17-10-89 को अभिदिष्ट की गयी थी जिसकी जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक 10-12-91 को प्राप्त हुई ।

अपराध शाखा की जांच से दोषी पाये गये उप निरीक्षक, श्री काशी नाथ सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की जा चुकी है ।

अपराध शाखा की विवेचना में मालीपुर पुलिस कर्मियों का डकैती की घटना में सम्मिलित होना नहीं पाया गया । डकैत, पुलिस की वर्दी में थे, जिनका कोई पता नहीं चल सका ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर के प्रधान द्वारा फर्जी तरीके से हारे हुए पंचों को ग्राम पंचायत की बैठकों में सम्मिलित करने की शिकायत

155–श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री बच्चा पाठक–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जैसवाल द्वारा जिला अधिकारी, फैजाबाद को आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ इस आशय की शिकायत की गयी थी कि विकास खण्ड अकबरपुर के प्रधान द्वारा गत पंचायत चुनाव में जो पंच जीते थे, में से कुछ को छोड़कर कुछ हारे हुए पंचों को फर्जी तरीके से निर्वाचित मानकर अपने ग्राम पंचायत की बैठकों में सम्मिलित कर अब तक सभी प्रस्ताव पारित किये हैं, जो कि अनियमित हैं ? क्या इसकी जांच खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर, परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा वर्ष 1990-91 में की गयी है ? यदि हां, तो मूल शिकायती व संलग्न प्रमाण तथा खण्ड विकास अधिकारी व परगनाधिकारी द्वारा अब तक की गयी जांच रिपोर्ट तथा कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि आरोपों के आधार पर क्या तथ्य पाये गये तथा इस जालसाजी में क्या कोई अधिकारी भी दोषी है ? यदि हां, तो कौन कौन ?

श्री कृष्ण स्वरूप मैथ्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य यार्न कम्पनी लि०, बांदा के श्रमिकों के देय वेतन का भुगतान

156–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य यार्न कम्पनी की बांदा इकाई के श्रमिकों का माह जुलाई, 1990 का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लि०, बांदा के श्रमिकों को देय वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा बांदा जनपद में निर्मित भवनों की संख्या एवं लागत का विवरण

157–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में आवास विकास परिषद् द्वारा किस लागत से कितने मकान बने हुए हैं और इस समय कितने मकान सम्पत्ति अधिकारी, बांदा द्वारा किराये पर उठाये गये हैं ? क्या यह पैसा सरकारी कोष में जमा होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद बांदा में निर्मित भवनों की संख्या एवं लागत निम्नवत् है :–

श्रेणी	संख्या	लागत प्रति भवन
1–मध्यम आय वर्ग	38	रु० 1,22,450/-
2–अल्प आय वर्ग	136	रु० 50,300/-
3–साइट एण्ड सर्विसेज	205	रु० 13,000/-

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, बांदा द्वारा किराये पर भवन नहीं उठाये गये हैं । अतः कोई धनराशि किसी कोष में जमा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गया हरिजन, ग्राम मनपरवा, पो० मोलनापुर, जिला मऊ के कथित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

158–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-8-91, जो कि श्री गया हरिजन, ग्राम मनपरवा, पो० मोलनापुर, जनपद मऊ के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? क्या श्री गया हरिजन के भाई को पुलिस द्वारा तंग किया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि दामोदर सिंह उसकी आबादी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और उसको परेशान करते हैं । साथ ही लूट-पाट, आगजनी व हमला भी कर चुके हैं । गया के पिता शिवदत्त की हत्या दामोदर सिंह द्वारा 30 वर्ष पूर्व की गयी थी और उसने दिनांक 30-8-90 को औरतों के ऊपर प्राणघातक हमला भी किया था । दामोदर सिंह सरकारी एवं गिरोहबन्द व्यक्ति है । दामोदर सिंह अपनी लाइसेन्सी बन्दूक से प्रार्थी व उसके भाई मोती को जान से मारने की धमकी देता है । स्थानीय पुलिस दामोदर सिंह के कहने पर चलती है और पुलिस से मिलकर उसके भाई मोती को डकैती में नामजद कर दिया ।

जी नहीं । श्री गया का भाई मोती एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है । इसकी हिस्ट्रीशीट खुली हुई है । प्रकरण की सी० आई० डी० से जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

159–श्री तेजभान सिंह–

[नियमावली के नियम 28(11) के अन्तर्गत निरस्त]

जनपद बांदा की कर्वी तहसील के श्री रुद्र प्रताप मिश्र के शिकायती पत्र की जांच

160–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी के श्री रुद्र प्रताप मिश्र एडवोकेट ने दिनांक 26-10-91 एवं 29-10-91 को प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्र सहित शिकायती पत्र अपने सगे भाई हरीशंकर को 21-10-91 को गोली मारकर हत्या करने के प्रयास की रिपोर्ट थाना कर्वी में दर्ज कराने एवं मु० अ० सं० 1/68/91 धारा 307 ता० हि० थाना रैपुरा में रैपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्तों से मिलकर उन्हें बचने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बांदा, डी० आई० जी०, झांसी, डी० जी० पी० लखनऊ, मुख्य मंत्री, उ० प्र० को दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में आवेदक व प्रश्नकर्ता के उक्त पत्रों की जांच से यह पाया गया कि दि० 21-10-91 को श्री संतोष कुमार पुत्र श्री कल्लू राम, निवासी वगेरही की सूचना के आधार पर थाना कर्वी में धारा 307 आई० पी० सी० का अभियोग पप्पू पुत्र शारदा एवं अरुण कुमार पुत्र रमा शंकर नि० वगेरही के विरुद्ध पंजीकृत हुआ ।

उक्त अभियोग थाना रैपुरा में अ० सं० 169/91 पर पंजीकृत कराकर विवेचना करायी गयी । विवेचना से विवेचक द्वारा अभियोग में पप्पू पुत्र शारदा को गिरफ्तार करके दिनांक 25-10-91 को जेल भेजा गया । विवेचक द्वारा अभियुक्त अरुण की नामजदगी गलत पायी गयी ।

पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए ।

उक्त मु० अ० सं० 169/91 धारा 307 आई० पी० सी० में विवेचनोपरान्त अभियुक्त पप्पू पुत्र शारदा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है ।

श्री योगेश कुमार पुत्र राम आसरे, ग्राम कलेसर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध दर्ज आरोप की विवेचना

161– श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि योगेश कुमार पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम–कलेसर, थाना–मंगलपुर, जिला कानपुर देहात के खिलाफ उक्त थाना-मंगलपुर में अपराध संख्या 120/91 धारा–395, 397व अपराध संख्या 135/91 धारा–379/411 व अपराध संख्या 182/91 धारा 147/148/149/323/307 व अपराध संख्या 295/91 धारा–379/352/3 हरिजन उत्पीड़न दर्ज हैं ? यदि हां, तो इतने संगीन जुर्मों में वांछित अपराधी के खिलाफ अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

मु० अ० सं० 120/91 धारा 395/397 भा० दं० वि० थाना मंगलपुर में बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था । विवेचना के मध्य अभियुक्त योगेश कुमार का नाम प्रकाश में आया जिसके फरार होने पर उसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गयी । विवेचना जारी है ।

मु० अ० सं० 135/91 धारा 379/411 भा० दं० वि० थाना मंगलपुर में योगेश कुमार व अन्य 5 के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसमें दिनांक 30-12-91 को मफरूरी में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है । योगेश कुमार फरार चल रहा है ।

मु० अ० सं० 182/91 नहीं बल्कि 282/91 धारा 147/148/149/323/307 भा० दं० वि० थाना मंगलपुर पर योगेश कुमार व अन्य 9 के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है ।

मु० अ० सं० 295/91धारा 379/352/3 हरिजन उत्पीड़न के अन्तर्गत नहीं बल्कि धारा 457/380 भा० दं० वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ है, जिसमें विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 16-12-91 को न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

उन्नाव जनपद के मौरावां कस्बे के व्यापारियों का अराजक तत्वों से दहशत के कारण पलायन

162–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद थाना मौरावां, मौरावां कस्बे के कई व्यापारी अराजकतत्वों की दहशत के कारण कस्बा छोड़कर लखनऊ भाग आये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार एक व्यापारी राम चन्द्र गुप्त पुत्र श्री नोखे लाल निवासी मौरावां के शिकायती पत्र जो माह सितम्बर, 91 में गृह सचिव, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्रेषित किया गया है, इस पर हुई कार्यवाही की जानकारी देगी ? क्या सरकार अवगत है कि 16-9-91 को श्री गुप्त को कथित अभियुक्त द्वारा 40 हजार रुपये देने हेतु धमकाया गया था ? यदि हां, तो उक्त अभियुक्त का अपराधिक इतिहास क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

राम चन्द्र गुप्त पुत्र श्री नोखे लाल निवासी मौरावां के शिकायती पत्र जो माह सितम्बर, 91 में गृह सचिव, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्रेषित किये गये, के आधार पर थाना मौरावां, जनपद उन्नाव में भगोले महराज के विरुद्ध मु० अ० सं० 295/91 धारा 506 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान साक्ष्य न पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट संख्या 90 दिनांक 20-11-91 को न्यायालय प्रेषित की गयी ।

जी नहीं ।

के० डी० शुक्ला उर्फ भगोले महराज का अपराधिक इतिहास निम्न है :––

1–मु० अ० सं० 54/67 धारा 323/325 भा० दं० वि० अदम तफतीश

2–मु० अ० सं० 262/70 धारा 302/307 भा० दं० वि० न्यायालय द्वारा बरी

3–मु० अ० सं० 262/77 धारा 147/148/149/307 भा० दं० वि० न्यायालय द्वारा बरी

4–मु० अ० सं० 21/80 धारा 307/302 भा० दं० वि० अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित

5–मु० अ० सं० 269ए /85 धारा 307 भा० दं० वि० न्यायालय विचाराधीन

6–मु० अ० सं० 159/91 धारा 147/427/379 भा० दं० वि० विवेचनाधीन

7–मु० अ० सं० 295/91 धारा 506 भा० दं० वि० अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित ।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय मिलों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा उत्पादन विवरण

163–श्री भागवत पाल तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम० आर० इन्डस्ट्रीज कछवा, डी० आर० रोलिंग मिल्स कछवा एवं ठाकुरजी इंजीनियरिंग लि० कछवा, जनपद मिर्जापुर में अलग–अलग कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उक्त मिलों को कितना कच्चा माल सरकार द्वारा दिया जाता है तथा कितना उत्पादन होता है ? क्या मजदूर व कच्चा माल की आपूर्ति में सामंजस्य है ? क्या यह सत्य तो है कि विगत साल जल निगम का पाइप जो चोरी गया था इसी मिल में पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उद्योग विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की ? क्या विगत महीने एम० आर० इंडस्ट्री कछवा (मिर्जापुर) में हुई दुर्घटना में बुरी तरह घायल कर्मचारी श्री फूल चन्द्र यादव नियमित कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो क्या श्री फूल चन्द्र यादव को अन्य कर्मचारियों के समान निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार वेतन भत्ते आदि दिए जाते हैं ? क्या सरकार उक्त मिलों का भौतिक सत्यापन कमेटी गठित करके करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । दिनांक 14-2-92 को किए गए निरीक्षण के अनुसार मे० एम० आर० इण्डस्ट्रीज एण्ड रोलिंग कछवा, मिर्जापुर में 41 कर्मकार, मे० डी० आर० रोलिंग कछवा, मिर्जापुर में 74 कर्मकार तथा ठाकुरजी इंजीनियरिंग मिल कछावा जनपद मिर्जापुर में 70 कर्मकार कार्यरत पाये गए ।

उक्त मिलों को सरकार द्वारा आवंटित किए जाने वाले कच्चे माल का विवरण निम्न प्रकार है :–

	मे० डी० आर० इण्डस्ट्रीज एण्ड रोलिंग मिल, कछवा	एम० आर० इण्डस्ट्रीज एण्ड रोलिंग मिल, कछवा	मे० ठाकुरजी इण्डस्ट्रीज एण्ड रोलिंग मिल, कछवा	
1–पीग आयरन	271.190	165.185	--	मी० टन
2–हार्ड कोक	50.000	120.000	10.000	,,
3–स्टीम कोल	193.400	–	–	,,
4–लौह इस्पात	445.046	10.151	3.003	,,

उक्त मिलों में होने वाले उत्पादन की मात्र मी० टन में निम्नवत् है :––

1–मे० डी० आर इण्डस्ट्रीज	76.490
2–मे० एम० आर० इण्डस्ट्रीज	11.547
3– मे० ठाकुरजी इन्जी०	20.263

श्रमिकों एवं कच्चा माल में असामंजस्य की स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती है ।

थाना विन्धाचल की रिपोर्ट के अनुसार मे० डी० आर० इण्डस्ट्रीज एण्ड रोलिंग मिल कछवा से 22 अदद जल निगम की छोटी बड़ी पाइप व लोहे के मैटेरियल बरामद की गयी । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

दिनांक 27-9-91 को दुर्घटनाग्रस्त हुए श्री फूल चन्द्र यादव नियमित कर्मचारी हैं । श्री यादव को सेवा शर्तों के अनुसार वेतन-भत्ते आदि दिये जाते हैं ।

मिलों का भौतिक सत्यापन शिकायत प्राप्त होने पर कमेटी गठित करके कराया जाता है ।

164–श्री बलराम यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० क्षेत्रीय विकास विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा अनिश्चितता समाप्त करने की मांग

165–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय विकास विभाग में कार्यरत किसी दैनिक वेतन भोगी टंकक की सेवायें जुलाई/अगस्त, 1991 में समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो वे कौन से कारण थे कि लगभग दो वर्ष से विभाग में कार्यरत कर्मचारी की सेवायें तत्काल समाप्त करनी पड़ी ? क्या क्षेत्रीय विकास विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा की अनिश्चितता समाप्त करने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं ।

दैनिक वेतन पर कर्मियों को कार्य की मात्रा को देखते हुए आवश्यकतानुसार लगाया जाता है । सेल के [illegible] सम्बन्धी शासनादेश संख्या–59जी/38-2-76, दिनांक 12 मार्च, 1976 के प्राविधानानुसार पदों पर नियुक्ति संबंधित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर किये जाने का प्राविधान है ।

उ० प्र० क्षेत्रीय विकास विभाग के डी० पी० ए० पी० एवं पी० पी० एम० सेल के सृजन के उद्देश्य तथा औचित्य का विवरण

166–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत डी० पी० ए० पी० तथा पी० पी० एम० सेल के सृजन का उद्देश्य तथा औचित्य क्या है ? उक्त सेल के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि की व्यवस्था किस मद से की जाती है तथा कितने अधिकारी/कर्मचारी सेल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं ? क्या सेल के पिछले पांच वर्ष के क्रियाकलापों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत दो सेल हैं।

(1) डी० पी० ए० पी० सेल के सृजन का उद्देश्य तथा औचित्य योजनाधीन कार्य योजनायें बनवाना तथा कार्यों का अनुश्रवण करना है।

डी० पी० ए० पी० सेल के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन आदि की व्यवस्था अनुदान संख्या 19 के अधीन "लेखा शीर्षक" "2501– ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम आयोजनागत–02– सूखा प्रणत क्षेत्र विकास कार्यक्रम-800–अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101-सूखा प्रणत क्षेत्र–14 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के मद से की जाती है।

डी० पी० ए० पी० सेल में इस समय 10 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं।

डी० पी० ए० पी० सेल के पिछले 5 वर्षों में सेल द्वारा निम्न कार्यों का समय पर सम्पादन सुनिश्चित किया गया :---

(1) योजना के जनपदों के वार्षिक कार्य योजनाओं का प्रत्येक वर्ष परीक्षण किया गया।

(2) टेक्निकल कमेटी एवं राज्य प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठकों का आयोजन कर अभिकरणों की वार्षिक कार्य योजनाओं का प्रत्येक वर्ष अनुमोदित कराया गया तथा तत्संबंधी समस्त कार्यवाही की गयी।

(1) डी० पी० ए० पी० एवं पी० पी० एम० सेल।

(2) पी० पी० एम० सेल के सृजन समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं से संबंधित योजनायें तैयार करना तथा उनकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण मूल्यांकन कर राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन प्रेषित करना, योजना के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त कराना है।

पी० पी० एम० सेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि की व्यवस्था अनुदान संख्या–19 के अधीन लेखा शीर्षक "2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास, 800-अन्य-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 001 गण्डक, रामगंगा एवं शारदा सहायक के क्षेत्रीय विकास की योजना" के मद से की जाती है।

पी० पी० एम० सेल में एक परियोजना अधिकारी, 2 संख्या सहायक एक वरिष्ठ सहायक क्रमशः कृषि विभाग एवं गण्डक कमाण्ड से सेवा स्थानान्तरण से नियुक्त किये गये हैं।

पी० पी० एम० सेल के पिछले 5 वर्षों में पी० पी० एम० सेल द्वारा निम्न कार्यों का संचालन किया गया :---

(1) समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं का परीक्षण एवं प्रस्तुतिकरण।

(2) समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं द्वारा निष्पादित किये जा रहे मृदा सर्वेक्षण, प्रक्षेत्र विकास कार्य, ओसराबंदी आदि कार्यों की मासिक, त्रैमासिक एवं वित्तीय प्रगति का सरकार के वित्त, नियोजन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, स्पेशल कम्पोनेन्ट के विभाग एवं भारत सरकार को प्रगति प्रेषित की गयी।

(3) भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठकों के लिये आवश्यक टिप्पणियां/प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष तैयार किये गये ।

(4) योजनाधीन वार्षिक कार्य योजनायें तैयार करने में अभिकरणों को आवश्यक सहयोग प्रत्येक वर्ष दिया गया ।

(5) योज़ना के भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति का अनुश्रवण, संकलन, विश्लेषण एवं प्रेषण प्रत्येक वर्ष किया गया।

(6) भारत सरकार/वित्त नियोजन/बीस सूत्रीय/उत्तरांचल विकास विभागों को निर्धारित रूप पत्रों पर मासिक, त्रैमासिक आदि के प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रेषित किये गये ।

(7) कार्यों का यथासम्भव क्षेत्रीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया गया ।

(8) भारत सरकार/अभिकरणों एवं विभिन्न विभागों से योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक पत्राचार किया गया ।

(3) केन्द्रीय सहायता अवमुक्त कराने हेतु समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं की मांग प्राप्त कर संकलित कर भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया ।

(4) समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं की सिंचाई, चकबंदी आदि विभागों से संबंधित समस्याओं का निराकरण कराया गया ।

(5) भारत सरकार एवं शासन स्तर पर समादेश विकास परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठकों का आयोजन एवं अनुपालन सुनिश्चित कराया गया ।

(6) समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित परियोजना एवं सम्बन्धित विभागों एवं भारत सरकार से पत्राचार किया गया ।

रामगंगा कमाण्ड के छटनीशुदा कर्मचारियों का पदवार विवरण

167–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम गंगा कमाण्ड के छटनीशुदा कर्मचारियों की पदवार संख्या क्या है ? इन कर्मचारियों को क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बद्ध विभागों के रिक्त पदों पर समायोजित करने हेतु क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब किस स्तर पर हुआ है तथा कब तक इन कर्मचारियों को समायोजित कर दिया जायेगा ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

रामगंगा कमाण्ड का कोई भी छटनीशुदा कर्मचारी नहीं है । सभी कार्य कर रहे हैं तथा वेतन आदि पा रहे हैं । समायोजित कराये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गुखुरुवापुर, थाना खागा, जनपद फतेहपुर के घर पड़ी डकैती के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

168–श्री पूरन प्रकाश तथा श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक 5-8-91की रात्रि में श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गुखुरुवापुर, थाना खागा, जनपद फतेहपुर के यहां सशस्त्र डकैती पड़ी थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 6-8-91 को थाना खागा में दर्ज करवायी गयी थी, जिसमें डकैतों ने श्री सुरेन्द्र कुमार व अन्य परिवारजनों को गम्भीर रूप से घायल कर बहुमूल्य गहने व नकदी आदि लूट ली थी ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत घटना डकैती की न होकर लूट की थी, जिसके सम्बन्ध में भा० दं० वि० की धारा 394 के अन्तर्गत थाना खागा में अभियोग अपराध संख्या 300/91, 3-4 अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । घटना में श्री सुरेन्द्र कुमार एवं उसके परिवार के लोगों को साधारण चोटें आयीं तथा उनके कथनानुसार लगभग 12,721 रुपये के नकदी एवं गहने आदि लूटे गये ।

विवेचना में प्रकाश में आये चार अभियुक्तों में से जयप्रकाश एवं गोवर्धन को गिरफ्तार किया गया तथा हीरा लोनिया ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया । गवाहों द्वारा शिनाख्त न करने पर इन तीनों अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है । चौथा अभियुक्त रमेश टिर्रा फरार है । उसके विरुद्ध दं० प्र० सं० की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

169–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

जिला खादी ग्रामोद्योग बांदा द्वारा प्रदत्त ऋण एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी

170–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में जिला खादी ग्रामोद्योग, बांदा द्वारा वर्ष 1990-91 में व इस वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को कुटीर उद्योग द्वारा ऋण प्रदान किया गया ? क्या इसका ब्लाक वार चयन किया जाता है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मयंकर सिंह–

वर्ष 1990-91 में 294 लोगों को कुटीर उद्योगों हेतु ऋण प्रदान किया गया तथा वर्ष 1991-92 में माह दिसम्बर, 91 तक 7 लोगों को ऋण प्रदान किया गया है ।

जी नहीं ।

ब्लाकवार चयन/आवंटन नहीं किया जाता है । वरन् प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति पर आई० आर० डी० चयनित लोगों को ऋण प्रदान किया जाता है ।

171–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

भू० पू० सांसद कु० मायावती व हरभजन लाखा को रा० सु० का० में निरुद्ध किये जाने की जानकारी

172–श्री भागवत पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 नवम्बर, 1991 को भू० पू० सांसद कुमारी मायावती को बुलन्दशहर में किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया और 16 नवम्बर, 1991 को कितनी बार गिरफ्तारी की गयी ? अदालत द्वारा रिहा किये जाने के बाद किन आधारों पर उनके ऊपर रा० सु० का० लगाया गया ? पूर्व सांसद हरभजन लाखा एवं उनके अंगरक्षकों पर किसके आदेश से लाठियां चलायी गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 16-11-91 को भू० पू० सांसद कुमारी मायावती को राजकीय इण्टर कालेज बुलन्दशहर परिसर में गिरफ्तार किया गया और दिनांक 16-11-91 को केवल एक बार इन्हें गिरफ्तार किया गया ।

उक्त तिथि को समय 12.45 बजे मतदान संख्या–140 ग्राम अलीपुर गिझौरी में कुमारी मायावती व श्री हरभजन लाखा आये और ड्यूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मी को जान से मार देने की नियत से अपहरण करने का प्रयास किया तथा पीठासीन अधिकारी को धमकाया । इसके आधार पर कुमारी मायावती एवं श्री हरभजन लाखा तथा उनके सुरक्षाकर्मियों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलन्दशहर पर मुक० अप० सं०–404/91 पंजीकृत हुआ । इस अपराध के परिप्रेक्ष्य में उन्हें गिरफ्तार किया गया । उनके इस कृत्य से लोक व्यवस्था प्रभावित हुई जिससे कटुता उत्पन्न हुई । इन परिस्थितियों में कुमारी मायावती व हरभजन लाखा को रा० सु० का० में निरुद्ध किया गया ।

जी नहीं । इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये गये ।

श्री ए० एम० सिद्दीकी, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये आर्थिक अपराध की जांच

173–श्री अनिल कुमार–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 386/141 लखनऊ दिनांक 28-9-91 जो श्री ए० एम० सिद्दीकी, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा की गयी आर्थिक अपराधों की जांच एवं लखनऊ से अन्यत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है, उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 28-9-91 प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु इसी विषय पर अन्य शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर जांच करायी जा रही है ।

हेड कांस्टेबिल थाना धौरहरा, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

174–श्री बाला प्रसाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28-11-91 को श्री भल्लर का शिकायती पत्र हेड कांस्टेबिल थाना–धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के विरुद्ध प्रमुख सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ, आई० जी०, जोन लखनऊ को दिया था ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किससे करायी गयी और दोषी प्रधान लिपिक के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में क्षेत्राधिकारी धौरहरा से जांच करायी गयी । जांच से वादी एवं विपक्षी श्री पाल के बीच चक रोड के सम्बन्ध में मतभेद होना पाया गया । वादी ने स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर हेड कान्सटेबिल के विरुद्ध उक्त शिकायती पत्र दिया । जांच से लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये अतएव हेड कान्स० के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० क्षेत्रीय विकास विभाग के डी० पी० ए० पी० तथा पी० पी० एम० सेल हेतु पूर्व सृजित पदों पर नियुक्ति की मांग

175–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय विकास विभाग डी० पी० ए० पी० तथा पी० पी० एम० सेल हेतु विगत पांच वर्ष पूर्व सृजित पद, आज भी रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अब तक नहीं की गयी है ? उक्त पदों की अवधि क्या प्रत्येक वर्ष वित्त विभाग की सहमति से बढ़ायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही न करने के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए चयन की कार्यवाही शीघ्र करायेंगे ? यदि नहीं, तो उसमें शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

<u>डी० पी० ए० पी०</u>

कुल सृजित 15 पदों के विरुद्ध 6 पद रिक्त हैं । डी० पी० ए० पी० के समस्त पद प्रतिनियुक्ति द्वारा ही भरे जाने का प्राविधान है ।

शासनादेश के अनुसार पदों की निरन्तरता बढ़ाने हेतु प्रशासनिक विभाग स्वयं ही अधिकृत है अन्तिम वार निरन्तरता दिनांक 29 फरवरी, 1992 तक बढ़ायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

<u>पी० पी० एम० सेल</u>

कुल सृजित 10 पदों के विरुद्ध 1 पद रिक्त है जो परियोजना के सरप्लस हो रहे कर्मचारियों से भरा जायेगा । शासनादेश संख्या–13622(1)/54-1-सी० ए० डी० 167/77. दिनांक 7-11-1988 में यह प्राविधान है कि इन पदों पर नई नियुक्तियां नहीं की जायेंगी, अतः नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

शासनादेश के अनुसार पदों की निरन्तरता बढ़ाने हेतु प्रशासनिक विभाग ही अधिकृत है । अन्तिमवार निरन्तरता दिनांक 29 फरवरी, 1992 तक बढ़ायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा

176–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

177–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के कर्वी सम्भाग के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंसों का नवीनीकरण

178–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के सम्भाग कर्वी के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के नवीनीकरण के कितने मामले विचाराधीन हैं ? इनमें कितने मामले एक वर्ष, कितने दो वर्ष और कितने तीन वर्ष की अवधि के हैं ? क्या एक माह से अधिक पुलिस रिपोर्ट प्राप्त शुदा मामले भी लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिये अल्प बचत जमा की पाबंदी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो नवीनीकरण रोकने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला मजिस्ट्रेट, बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार नवीनीकरण के 579 मामले विचाराधीन हैं ।

उक्त मामलों में से 5 मामले एक वर्ष तथा 5 मामले 2 वर्ष की अवधि के हैं । तीन वर्ष की अवधि का कोई मामला नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालय में मामले विचाराधीन होने, नवीनीकरण शुल्क विलम्ब से जमा करने एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से ।

जनपद बांदा के थाना कोतवाली देहात के गांव जारी के चुनकाई कोरी की हत्या एवं मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाना

179–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात के गांव जारी के चनकाई कोरी (अनुसूचित जाति) की हत्या 21 फरवरी, सन् 1988 को सवर्णों द्वारा गोली मार कर, कर दी गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात में मु० अ० सं० 222/77 धारा–302/307 ता० हि० कायम हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृतक की वारिस मां सूरती बेवा सुमेरा को हरिजन उत्पीड़न सहायता धनराशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री चुनकाई (अनुसूचित जाति) की दिनांक 21/22-2-88 की रात्रि हत्या कर दी गयी थी । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु० अ० सं०–222/88 धारा 302/307 भा० दं० वि० अभियुक्त संतोष आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । मामले में विवेचनोपरान्त उक्त अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

उक्त मृतक की विधवा मां श्रीमती सुरती को जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांदा के द्वारा रु० 10,000 की आर्थिक सहायता का भुगतान चेक सं० 011625 दि० 21-11-90 के द्वारा किया जा चुका है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य, विधान सभा को जान से मार देने की धमकी के विरुद्ध जांच के आदेश

180–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता को खत्म कर देने की धमकी देने विषयक माह मई, 91 में प्रश्नकर्ता के अंगरक्षक द्वारा कोतवाली उन्नाव को दी गयी प्रथम सूचना की जांच प्रगति क्या है ? जांच में विलम्ब का दोषी कौन है ? विलम्ब के लिये दोषी पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नकर्ता को खत्म कर देने की धमकी देने विषयक माह मई, 91 में प्रश्नकर्ता के अंगरक्षक द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर जांचोपरान्त थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव में मु० अ० सं० 698/91 धारा 504/506 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दिनांक 8-8-91 को पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना कोतवाली जनपद उन्नाव द्वारा प्रचलित है । विवेचना शीघ्र समाप्त किये जाने हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं । प्रकरण में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी (नगर) को जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर ही तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

जिला रायबरेली के थाना गुरुबख्शगंज की पुलिस पर अनावश्यक उत्पीड़न के आरोप की विवेचनात्मक कार्यवाही

181–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के थाना गुरुबख्शगंज की पुलिस ने दीपावली पर वर्ष 1991 के माह नवम्बर में श्री रूप नारायण मिश्र आदि अनेक लोगों को अनावश्यक उत्पीड़ित किया था ? यदि हां, तो क्या पीड़ितों ने पुलिस के विरुद्ध एक एफ० आई० आर० कोतवाली रायबरेली में दर्ज करवायी थी ? यदि हां, तो मुकदमा किन धाराओं का बना था । क्या इसी प्रकरण में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-11-91 गृह सचिव को मिला है ? यदि हां, तो प्राग्दर्शन में उक्त मुकदमे में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ? विभागीय जांच में तथा मुकदमे में दोषी पाये गये लोगों पर क्या कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद रायबरेली के थाना गुरुबख्शगंज का पुलिस द्वारा वर्ष 1991 के माह नवम्बर में दीपावली के अवसर पर श्री रूप नारायण मिश्र आदि अनेक लोगों को अनावश्यक उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 7-11-91 को थाना कोतवाली रायबरेली में आरक्षी जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय तथा अशोक अवस्थी के विरुद्ध मु० अ० सं० 0/91 धारा 161/341/452/504/506 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

जी हां ।

उक्त पंजीकृत अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष गुरुबख्शगंज द्वारा की जा रही है । विवेचना समाप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

182–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भांति अन्य सदस्यों को गनर एवं शैडो उपलब्ध कराने की मांग

183–श्री बाबू राम यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के कितने माननीय विधायकों को गनर एवं शैडो दोनों प्रदान किये गये हैं ? क्या अन्य दलों के विधायकों को भी गनर एवं शैडो दोनों दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने माननीय सदस्यों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? भारतीय जनता पार्टी के कितने माननीय सदस्यों को जिला स्तर से दो-दो अंग रक्षक दिये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना

184–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भुरही निवासी ग्राम सैठा, थाना गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर ने दिनांक 29-11-91 को थाना गौरीगंज के किन्हीं पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मार पीट करके फर्जी मुकदमा बनाने की रिपोर्ट थाना कोतवाली सदर, सुल्तानपुर में दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो इस मामले की जांच किस अधिकारी ने की तथा क्या दोषी को कोई दण्ड दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

भुरही नहीं बल्कि झुरही, निवासी ग्राम सैठा ने उप निरीक्षक श्री सुखराम जाटव तथा आरक्षी मुन्दर लाल अकेला के विरुद्ध थाना कोतवाली, सुल्तानपुर में मु० अप० सं० 248 बी धारा 342/323 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया था ।

प्रश्नगत मामले की विवेचना एस० आई० एस० द्वारा करायी जा रही है ।

जनपद रायबरेली की तहसील तिलोही के ग्राम सभा लीही के ग्राम प्रधान की फर्जी मुहर बनवाने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की मांग

185–श्री तेज भान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी, तिलोई, रायबरेली को सम्बोधित श्री अख्तर अली, प्रधान, ग्राम सभा लीही, तहसील तिलोही, जिला रायबरेली का दिनांक 1-10-91 का प्रार्थना-पत्र, जिसमें ग्राम प्रधान की फर्जी मोहर लगाकर प्रमाण-पत्र, प्रमाणित करने की शिकायत की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या थानाध्यक्ष, मोहनगंज, जिला रायबरेली के परगनाधिकारी द्वारा उपरोक्त दिनांक

को अग्रसारित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की रिपोर्ट लिखकर कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच आदि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

परगनाधिकारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने का आदेश अंकित करके आवेदन पत्र आवेदक को थानाध्यक्ष, मोहनगंज के पास ले जाने के लिये दस्ती दे दिया था । थाने के अभिलेखों के अनुसार थानाध्यक्ष, मोहनगंज, जिला रायबरेली को पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

जनपद गाजियाबाद में औद्योगिक इकाइयों से चोरी गयी मशीनों की बरामदगी की जानकारी

186–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोयडा, जनपद गाजियाबाद में औद्योगिक इकाइयों से पिछले 5 वर्षों में कितनी मशीनों की चोरी हुई है और कितनी मशीनें बरामद की गयी हैं ? क्या यह सही है कि चोरी की गयी मशीनें उन्हीं फैक्ट्रियों में या उनसे सम्बन्धित अन्य इकाइयों में स्थित पायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या वे चोरियां मात्र इन्शोरेंस (बीमा) धन प्राप्त करने की नियत से दर्ज करायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने मात्र एक माह में अन्तिम रिपोर्ट देकर फैक्ट्री मालिकों को उक्त फायदा पहुंचाया है ?

श्री कल्याण सिंह–

नोएडा, जनपद गाजियाबाद में औद्योगिक इकाइयों से पिछले पांच वर्षों में 14 मशीनों की चोरी हुई है और 4 मशीनें बरामद की गयी है ।

मुकदमों की विवेचना से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि चोरी गयी मशीनें उन्हीं फैक्ट्रियों में या उनसे सम्बन्धित इकाइयों में स्थित पायी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को कथित प्राप्त उपहार की जानकारी

187–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गृह (पुलिस) विभाग औद्योगिक क्षेत्र से उपहार प्राप्त कर सकता है ? यदि नहीं, तो सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र से 2 जीप, 1 जिप्सी वैन उपहार के रूप में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ने किस आधार पर प्राप्त की है ? इन वाहनों के रखरखाव व उनके चालन में प्रयुक्त ईंधन पर होने वाला व्यय शासन द्वारा किस मद से वहन किया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह–

शासन द्वारा किसी भी संस्था आदि के उपहार लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । पुलिस विभाग औद्योगिक क्षेत्र से उपहार प्राप्त नहीं कर सकता । प्राप्त सूचना के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र सें कोई उपहार प्राप्त नहीं किया गया है । अध्यक्ष, नोयडा द्वारा वृहत्तर नोयडा क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग हेतु पुलिस विभाग से नोयडा कन्ट्रौल रूप को अपनी इच्छा से

अस्थायी तौर पर केवल एक जिप्सी प्रदान की गयी है। उक्त जिप्सी का रख रखाव एवं उसके चालन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन व्यय वृहत्तर नोयडा द्वारा वहन किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा उक्त जिप्सी पर होने वाला कोई व्यय वहन नहीं किया जा रहा है। उक्त जिप्सी के अतिरिक्त गाजियाबाद पुलिस द्वारा किसी औद्योगिक क्षेत्र से कोई वाहन प्राप्त नहीं किया गया है।

एन० टी० पी० सी० विद्युत नगर, गाजियाबाद में पुलिस थाने की स्थापना

188–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन० टी० पी० सी० विद्युत नगर, गाजियाबाद में शासन द्वारा थाने की स्थापना का अनुमोदन किया जा चुका है ? यदि हां, तो जारचा थाना जो कि वर्तमान में एन० टी० पी० सी० विद्युत नगर में कार्यरत है, को जारचा ग्राम में स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

ग्राम जारचा में कोई उपयुक्त भवन/भूमि किराये पर अथवा निजी स्वामित्व हेतु उपलब्ध न हो पाने एवं विद्युतनगर में एन० टी० पी० सी० द्वारा थाने की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवन उपलब्ध करा देने के कारण थाना जारचा को ग्राम जारचा के बजाय एन० टी० पी० सी० में ही वर्तमान में स्थापित किया गया है।

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों में वर्कचार्ज/दैनिक वेतन भोगी कतिपय कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग

189–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों में वर्क चार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर/अवर अभियन्ताओं को जो 1 नवम्बर, 1991 तक तीन वर्ष की सेवा कर चुके हैं, अंशकालीन चिकित्सकों की भांति तदर्थ रूप से समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्क चार्ज (कार्य प्रभारित) शब्द को परिभाषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विकास प्राधिकरणों में वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत डिप्लोमा धारक विनियमितीकरण की नियमावली से आवृत्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्क चार्ज (कार्य प्रभारित) के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी कार्य विशेष के सम्पादन के प्रयोजनार्थ प्रतिदिन की मजदूरी पर रखा जाता है और इनकी मजदूरी का भुगतान मूल योजना के आर्थिक स्रोतों से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्कचार्ज/दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी वेतन देने की मांग

190–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर/अवर अभियन्ताओं को 1-3-91 से जितना वेतन दिया जा रहा है क्या उतनी ही वेतन लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को भी देय होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त कर्मचारियों को वर्तमान में कितना वेतन भुगतान किया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह–

अभियन्त्रण सेवा की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जाती है और उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के अनुसार सभी अभियन्ताओं के वेतन समान रूप से निर्धारित किये गये हैं इसके अतिरिक्त अभियन्ताओं की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। समय-समय पर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर अभियन्ताओं को रखा गया है और उनका भुगतान सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

उ० प्र० विकास प्राधिकरण में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग

191–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 अगस्त, 1987 को विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता/इले०/मैकेनिकल के लिये हुए साक्षात्कार को तकनीकी कारणों से निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे ? इन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के अन्तर्गत समस्त अवर अभियन्ताओं के पद केन्द्रीयित सेवा में रखे गये हैं, जिनका चयन लोक सेवा आयोग से निर्धारित है। विशिष्ट परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है। उक्त सेवा के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के पदों के लिये अलग प्राविधान नहीं है।

सन् 1990-91 में विधायक निवास दारुलशफा ए एवं बी ब्लाक में बल्ब एवं ट्यूबलाइट पर व्यय धनराशि का विवरण

192–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास ए व बी में अलग-अलग कैलेण्डर वर्ष 1990-1991 में बिजली के बल्ब, ट्यूब लाइट आदि के लगाने व रख रखाव पर कुल कितना खर्च आया है ? क्या सरकार अवगत है कि ट्यूब लाइट व बल्ब निम्न कोटि के खरीदे जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस तथ्य की जांच करायेगी कि जल्दी-जल्दी बल्ब और ट्यूब लाइट बदले जाने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

विधायक निवास–1 व 2 पुराना (क्रमशः ए तथा बी ब्लाक) में वर्ष 1990 व 1991 में बल्ब एवं ट्यूब लाइट पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :––

	वर्ष	कुल व्यय (रु० में)
वि० नि०–1 (ए-ब्लाक)	1990	40,440/-
	1991	58,198/-
वि० नि०–2 (पुराना बी-ब्लाक)	1990	37,320/-
	1991	53,110/-

बल्ब और ट्यूब लाइट रेट कान्ट्रैक्ट पर क्रय किये जाते हैं और रेट कान्ट्रेक्ट पर उपलब्ध न होने की दशा में केवल आई० एस० आई० मार्क बल्ब और ट्यूब लाइट सीधे निर्माताओं से क्रय किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पाण्डेपुर, परगना शिवपुर, जिला वाराणसी की अरबन सीलिंग ऐक्ट के तहत ली गयी भूमि की जानकारी

193–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामजी वगैरह गांव पाण्डेपुर, परगना शिवपुर, त० व जिला वाराणसी की जमीन के बारे में अरबन सीलिंग ऐक्ट के तहत वाराणसी में मु० नं० 1151/1178/80-81 सरकार बनाम रामजीत फैसला ता० 11-2-81 को हुआ है ? क्या सीलिंग अधिकारी, वाराणसी ने फर्जी हस्ताक्षर से उक्त मुकदमा अरबन सीलिंग चलाया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मूल वाद फाइल को अरबन सीलिंग विभाग, वाराणसी ने गायब कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पूर्व मुख्य मंत्री व पूर्व नगर विकास मंत्री व पूर्व राजस्व मंत्री को दिनांक 29-12-90 को प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या विभाग में उक्त मूलवाद पत्रावली मिली ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-12-90 प्राप्त हुआ है।

जांच करवाई गई।

प्रश्नगत पत्रावली उपलब्ध है अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

194–श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 177 द्वारा उत्तरित]

195–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने कारण हटाया गया]

जनपद गढ़वाल के कतिपय पेयजल योजनाओं द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना

196–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल जनपद में रजबो पेयजल योजना के अन्तिम ग्रामों, किलबों खाल ग्राम पेयजल योजना के अन्तिम ग्रामों तथा जहरी खाल विकास खण्ड के बेबड़ी पेयजल योजना एवं बाई ग्राम पेयजल योजना से ग्राम वासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? उक्त पेयजल योजनाओं के अन्तिम समस्त ग्रामों में पेयजल की सुविधा कब तक सुनिश्चित करा ली जायेगी ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)–

जी हां ।

इसका कारण यह है कि इनके शुरू के ग्राम के निवासियों द्वारा पानी का अधिक प्रयोग कर लिया जाता है तथा अन्तिम छोर में जाने वाले पाइप लाइन में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ कर दिये जाने की वजह से अन्तिम छोर के ग्रामों में पानी नहीं पहुंच पाता है ।

प्रश्नगत पेयजल योजनाओं में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पुनर्गठन पेयजल योजना बनाकर लागू करना होगा । योजना स्वीकृत होने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अन्तिम समस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा ।

जनपद फैजाबाद में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की मांग

197–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु "जिला चयन समिति" द्वारा वर्ष 1985-1986 में सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, विकलांग अभ्यर्थियों में से 60 अभ्यर्थी चयनित किये गये और उनमें से 25 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा 35 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनायी गयी थी ? यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल जनपद भर के इन 35 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब तक नहीं की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के क्रमशः 60 व 20 रिक्तियों हेतु आयोजित संदर्भगत चयन में प्रतीक्षा सूची को सम्मिलित करते हुए क्रमशः 74 व 26 अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में सम्मिलित थे जिनमें से सम्प्रति क्रमशः 52 तथा 16 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा चुका है ।

चयन सूची से नियुक्तियों की स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट कर दी गयी है ।

30-6-86 तक हुयी रिक्तियों के विरुद्ध तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की चयन सूची के क्रमशः अवशेष 8 व 4 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

आई० टी० आई० सहकारी आवास समिति लि०, रायबरेली की संस्था का संशोधित उपविधियों के द्वारा समिति के रूप में परिवर्तित किया जाना

198–श्री तेज भान सिंह–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० टी० आई० सहकारी आवास समिति लि०, रायबरेली पंजीकरण सं० 735 का पंजीकरण सामान्य समिति के रूप में किया गया ? यदि हां, तो संस्था की समिति के रूप में उक्त समिति को कब और कैसे परिवर्तित किया गया ? क्या उक्त समिति को उसकी उपविधियां प्राप्त करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

13-3-87 से संशोधित उपविधियों के द्वारा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

13 मार्च, 1987 ।

गोरखपुर महानगर की रामगढ़ परियोजना एवं धर्मशाला बाजार में ओवर ब्रिज बनाने की मांग

199–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तत्कालीन विधायक श्री केदार नाथ सिंह ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को गोरखपुर महानगर की रामगढ़ परियोजना तथा धर्मशाला बाजार में ओवर ब्रिज के कार्य हेतु धन उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई पत्र दिनांक 24-7-90 को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार द्वारा इन दोनों योजनाओं को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, रामगढ़ ताल परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है । इस योजना से शासन के 13 विभाग सम्बन्धित हैं । परियोजना पर अब तक लगभग रु० 14.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है । जहां तक धर्मशाला बाजार में ओवर ब्रिज बनाने का प्रश्न है, यह भारत सरकार के रेलवे विभाग की सहमति के बाद ही सम्भव होगा ।

200–श्री राम आसरे वर्मा–

[उपाध्यक्ष चुने जाने के कारण हटाया गया]

राजकीय इण्टर कालेज, चौरपाल, पिथौरागढ़ को भवन निर्माण के लिये आर्थिक सहायता

201–श्री लीला राम शर्मा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1988 में स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेज, चौरपाल (पिथौरागढ़) के भवन के लिये अभी तक धन स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक आवश्यक धनराशि आवंटित की जायेगी ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जी हां ।

राजकीय इण्टर कालेज, चौरपाल, पिथौरागढ़ के पूरे भवन निर्माण के लिये धन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। वर्ष 1988 में उच्चीकरण के समय कक्ष-कक्ष निर्माण हेतु मात्र रु० 20,000 की स्वीकृति दी गयी थी।

सीमित संसाधनों के कारण भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आगे और भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

[प्रथम सत्र 1992 के प्रथम मंगलवार दिनांक 10-3-92 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्नकर्त्ता सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित प्रश्न]

श्रीमती गुड्डी देवी उर्फ शान्ति देवी, ग्राम जमौरा, थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर देहात की हत्या की विवेचना

14–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30-4-91 को ग्राम-जमौरा, थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर देहात में गुड्डी देवी उर्फ शान्ती देवी की हत्या ससुराल वालों ने दहेज के कारण कर दी थी ? यदि हां, तो उसमें मुल्जिमानों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

विवेचना से जुर्म दहेज का न होकर हत्या का पाया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

श्री राम औतार पुत्र स्व० राम भरोसे ग्राम घटौली (कबीरपुर) थाना खण्डासार (अमानीगंज) जनपद फैजाबाद द्वारा की गयी रिपोर्ट के बारे में कतिपय जानकारी

17–श्री राम स्वरूप वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के पहले मंगलवार दिनांक 6-8-91 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि संबंधित प्रार्थना-पत्र की जांच हेतु माह जुलाई, 1991 में सम्बन्धित थाने के एस० आई० श्री राम आसरे सहित लगभग 5/6 पुलिस कर्मी ही मौके पर गये थे जबकि एस० आई० के विरुद्ध भी प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया गया था और उक्त एस० आई० ने सही जांच न करके वादी को मार पीट कर फर्जी केस में फंसा कर जेल भेजने एवं पूरे परिवार को बरबाद करने की धमकी दी थी ? उक्त संदर्भ में क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि मौका जांच हेतु संबंधित क्षेत्राधिकारी घटना स्थल पर गये ही नहीं ? क्या सरकार ऐसी स्थिति में पूरे प्रकरण की जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

शिकायत पत्रों की जांच श्री राम आसरे द्वारा नहीं करायी गयी और न ही एस० आई० श्री राम आसरे अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर गये थे। अतः उनके द्वारा मारपीट कर वादी को फर्जी केस में जेल भेजने तथा उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह कहना निराधार है कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी घटना स्थल पर नहीं गये वस्तुतः प्रार्थना-पत्रों की जांच श्री आर० पी० टण्डन, क्षेत्राधिकारी द्वारा ही की गयी और गवाहों के बयान लिये गये थे ।

मामले में पुलिस द्वारा जांच/कार्यवाही सही एवं निष्पक्षतापूर्ण ढंग से की गयी । अतः सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अवधेश नारायण, मूल्यांकन अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ० प्र० के विरुद्ध आरोपों की जांच

38–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-8-91 का पत्र जो श्री अवधेश नारायण दुबे, मूल्यांकन अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ० प्र० के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में है, दिनांक 23-8-1991 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित आरोपों के आधार पर जांच कर श्री दुबे के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

यह विषय शासन के विचाराधीन है ।

थाना राजपुर, जिला कानपुर देहात के मृतक श्री दशरथ चौधरी की निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ० प्र० द्वारा विसरा का परीक्षण

39–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दशरथ चौधरी ग्राम व थाना राजपुर, जिला कानपुर देहात की सन्देहात्मक स्थिति में दिनांक 8-5-1991 को मौत हो जाने पर पोस्ट मार्टम हुआ था और उसका विसरा जांच हेतु सुरक्षित रख लिया गया था ? यदि हां, तो उसे जांच हेतु कब और कहां भेजा गया और उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । विसरा परीक्षा हेतु दिनांक 23-9-91 को निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री शिव बालक, माली, चिड़ियाघर, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र पर जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

59–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिव बालक, माली, बनारसी बाग (चिड़ियाघर), लखनऊ का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-4-1991 का रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित मामले की जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा श्री सोहन लाल के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, फतेहपुर द्वारा करायी गयी । जांच से मामला दीवानी वाद से सम्बन्धित पाया गया । पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 जा० फौ० की कार्यवाही की जा चुकी है ।

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत हम लोगों ने अयोध्या में मंदिरों के तोड़े जाने के सम्बन्ध में सूचना दी थी.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत होकर अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायें । अभी सबको अवसर दिया जायेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आज मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बड़ी ही खराब स्थिति है .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें आप सबको कहने के लिये अवसर दिया जायेगा । मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं । आज दिनांक 24 मार्च, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इससे पहले नियम 311 की सूचनाएं आनी चाहिए थीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उसे बाद में लूंगा । पहली सूचना श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी की जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द, बिसण्डा तथा महुआ के कई गांवों में ट्यूबवेल लगवाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्राम अमारा से अमारा पम्प कैनाल तथा जनपद हमीरपुर के भोंरा ग्राम से पम्प कैनाल निकालकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री भारत सिंह रावत की गढ़वाल जनपद की नगरपालिका दुगड्डा के कर्मचारियों को गत 7 माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री कप्तान सिंह की कानपुर स्थित यू० एच० एम० चिकित्सालय के जनरल स्टोर के भूतपूर्व स्टोर कीपर द्वारा किये गये घोटाले की जांच कर दण्डित कराने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री मुन्ना चौहान की जनपद देहरादून के ग्रामीण अंचलों में भूकम्प राहत कार्यों के लिये उत्तरकाशी, टिहरी व चमोली से अलग स्केल लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री राम औतार शाक्य की विभिन्न धर्मावलम्बियों को सुरक्षा देने के सम्बन्ध में है व सातवीं सूचना श्री अरविन्द प्रताप सिंह की संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त कथित अनियमितनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । ये सातों सूचनायें स्वीकृत की गयीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

चूंकि श्री अरविन्द प्रताप सिंह उपस्थित नहीं हैं अतः प्रतीक्षा सूची से श्री विक्रमाजीत मौर्य की सूचना उनके स्थान पर ली जाती है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गयीं ।

(सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया जो इस प्रकार हैं)

जनपद बांदा के कतिपय ब्लाकों के अन्तर्गत स्थित गांवों में ट्यूबवेल लगवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उपरोक्त विषयक ब्लाकों के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में ट्यूबवेल लगवाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि उन ब्लाकों में न तो पम्प कैनाल हैं और न ही चेकडैम इत्यादि सिंचाई के साधन हैं । शेष पूरे जनपद में चेकडैम हैं और निर्माण भी करवाये जा रहे हैं और पम्प कैनाल भी हैं । यहां सिंचाई के साधन न होने के कारण जो बीज बोया जाता है वह भी किसानों को वापस नहीं मिल पाता है ।

1– गोविन्दपुर ब्लाक महुआ, 2–मनीपुर ब्लाक महुआ, 3–बरसन्डा बुजुर्ग ब्लाक महुआ, 4-हथौरा ब्लाक बड़ोखर खुर्द, 5–रेउना ब्लाक बड़ोखर खुर्द, 6–करबई ब्लाक बड़ोखर खुर्द, 7–चन्द्रायल ब्लाक बिसण्डा, 8–बल्लान ब्लाक बिसण्डा, 9–पडुई ब्लाक बड़ोखर खुर्द ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप बांदा जनपद की उक्त ग्रामों में ट्यूबवेल लगवाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के कतिपय गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के लिये पानी की अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है क्योंकि प्रतिवर्ष बाहर से गेहूं खाने के लिये व पशुओं के लिये चारा खरीदना पड़ता है तथा उपजाऊ जमीन पानी न मिलने के कारण अच्छी फसल देना दूर रहा बीज तक वापस नहीं हो पाता है । यदि हमीरपुर के भौंरा ग्राम से पम्प कैनाल निकाल दी जाय तो ब्लाक जसपुरा की सिंचित एरिया हो सकता है तथा ग्राम अमारा से बमन घटिया से पम्प कैनाल निकाल कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

अस्तु आपसे प्रार्थना है कि सर्वे कराकर 15 क्यूसेक की अमारा पम्प कैनाल जनपद बांदा से तथा 40 क्यूसेक की भौंरा पम्प कैनाल निकाल कर खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गढ़वाल में नगरपालिका दुगड्डा के कर्मचारियों को कई माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, गढ़वाल जनपद के नगर पालिका दुगड्डा के कर्मचारियों को सात माह से वेतन नहीं मिला है जिससे उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है । विवश होकर वे सात दिनों से हड़ताल पर हैं । नगर में गन्दगी फैल गयी है जिसके कारण महामारी फैलने की आशंका बढ़ गयी है नगरवासी पेयजल, सफाई जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जनता में भयंकर रोष व्याप्त है । अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपसे अनुरोध करता हूं कि शासन को नगरपालिका दुगड्डा के कर्मचारियों की शीघ्र वेतन भुगतान हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ।]

कानपुर स्थित यू० एच० एम० चिकित्सालय के जनरल स्टोर के भूतपूर्व स्टोर कीपर द्वारा किये गये घोटाले की जांच कर दण्डित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कप्तान सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कानपुर स्थित यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर के जनरल स्टोर के भूतपूर्व स्टोर कीपर श्री एच० एल० बाजपेई द्वारा किये गये घोटाले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उल्लेखनीय है कि दिनांक 17-9-84 को श्री भगवान दीन कुशवाहा, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत सदन में उठाया गया था इसके उपरान्त वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 128-129 के उत्तरित होने पर आश्वासन संख्या 113/85 माना गया था ।

उक्त प्रकरण की जांच संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन, कानपुर एवं अपर निदेशक, इलाहाबाद द्वारा की गयी थी जांच के उपरान्त उक्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और कार्यवाही न किये जाने की दशा में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?]

जनपद देहरादून के ग्रामीण अंचलों में भूकम्प राहत कार्यों के लिए उत्तरकाशी, टिहरी व चमोली से अलग स्केल लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुन्ना चौहान–

[मान्यवर, गढ़वाल क्षेत्र में आये भूकम्प से उत्तरकाशी, टिहरी व चमौली जनपदों के अतिरिक्त देहरादून जनपद भी प्रभावित हुआ । उल्लेखनीय है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी व चकराता जनपद उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्र है तथा विकास खण्ड विकास नगर व सहसपुर जनपद टिहरी के सीमावर्ती है परन्तु इन सीमावर्ती जनपद-देहरादून के विकास खण्डों में राहत दिये जाने का स्केल उत्तरकाशी व टिहरी से अलग रखा गया । सत्यापन के कार्य पर भी कोई बल नहीं दिया गया । पूरे जनपद में मात्र 5 भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त बताए गये जबकि निश्चित जानकारी के आधार पर संख्या इससे बहुत अधिक है । इस भेदभाव पूर्ण नीति के कारण प्रभावित लोग आंदोलित हो रहे हैं ।

नोट –* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चूंकि विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है, अतः आवश्यक है कि उक्त नितान्त आवश्यक, मानवीय संवेदनशील विषय पर चर्चा करवायी जाय ताकि राहत कार्यों का लाभ जनपद देहरादून के प्रभावित लोगों को भी मिल सके ।]

विभिन्न धर्मावलम्बियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, हम आपका ध्यान इस ओर आकृर्षित करना चाहते हैं कि संविधान द्वारा यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है अपने धर्म को स्वतंत्र एवं निर्भिकता से मान प्रचार प्रसार करें परन्तु जब प्रदेश में भा०ज०पा० सरकार आई तब से आर०एस०एस०, बजरंग दल एवं भा०ज०पा० के कार्यकर्ता दूसरे धर्मावलम्बियों को डरा धमका रहे है और जबरन साम्प्रदायिक सद्भाव को नष्ट कर राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर रहे हैं । उदाहरण के तौर पर संविसा (फर्रुखाबाद) में जापान, श्रीलंका, थाइलैण्ड व भारत वर्ष के आये विभिन्न प्रान्तों से बौद्ध धर्मावलम्बियों पर विगत दो तीन महीनों से हमले किये जा रहे हैं और भगवान गौतम बुद्ध की लाखों रुपये की प्रतिमाओं को गायब कर दिया गया तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप पर जबरन पंचरंगी ध्वज उतारकर एवं बौद्ध संस्कृति की प्रतिमाओं को हटाकर अन्य धर्मों के देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लगा दिया गया है जिससे विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है तथा मैनपुरी जनपद में करहल बाई पास पर डा० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिये बने 9 फीट ऊंचे स्तम्भ को विस्तार किया जा रहा है जिससे सम्पूर्ण देश के अम्बेडकरवादियों की भावनाओं पर ठेस पहुंची है यही नहीं प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर जैसे बस स्टेशनों, चौराहों, बाजारों चारागाहों एवं अन्य सरकारी इमारतों के सामने सरकार की सह पर आर० एस० एस० के लोग एक धर्म विशेष की मूर्ति स्थापित कर साम्प्रदायिक सद्भाव को तो नष्ट कर ही रहे हैं जिससे बौद्ध जैन, पारसी, सिख इस्लाम धर्मावलम्बियों में आशंका एवं असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है ।

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है अतः अनुरोध है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शासन को तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जनपद इलाहाबाद के कृषकों को छूट पर दी जाने वाली चारा मशीन के क्रम में अधिकारियों द्वारा कथित रूप से धांधली करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

[मान्यवर, जिला इलाहाबाद के कृषकों को दी जाने वाली छूट की चारा मशीन व अन्य उपकरणों में उच्च अधिकारियों द्वारा भीषण धांधली की गयी है । यह चारा मशीन तथा अन्य उपकरण उच्च अधिकारियों द्वारा खरीदी नहीं गयी बल्कि खरीदा दिखाकर सीधे रकम का भुगतान फर्म को कर दिया गया । कृषकों को छूट में मिलने वाली धनराशि तथा कमीशन जिले के उच्चाधिकारी मिलकर हजम कर गये हैं । पता चला है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी परियोजना अपने किसी रिश्तेदार की फर्म से ही मिलकर यह धांधली किये हैं । इस भीषण धांधली से पूरे जिले के कृषकों में आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 24-3-1992 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री हृदय नारायण, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री अरविन्द प्रताप सिंह की दिनांक 23 मार्च, 1992 की कार्यसूची की मद 3 से 8 पर उल्लिखित अध्यादेशों के सम्बन्ध में, दूसरी श्री सोमांश प्रकाश की जनपद मुजफ्फरनगर में गन्ना क्रय केन्द्र परठेड़ी में किसानों का 58 हजार कुन्टल गनना खरीदे जाने के सम्बन्ध में, तीसरी श्री पवन कुमार पाण्डेय की दिनांक 12 मार्च, 1992 के उपवेशन में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में, चौथी श्री स्वामी नाथ यादव की दिनांक 23 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के सम्बन्ध में, पांचवीं श्री किशन गोपाल की आगरा में अनुसूचित जाति के जूता कुटीर उद्योग में बने जूतों को बाहर ले जाते समय बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के सम्बन्ध में, छठी श्री राम ललित चौधरी की लखनऊ में धुयें से फैल रहे प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में, सातवीं श्री अमरेश चन्द्र की प्रथम सत्र 1992 के चौथे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के सम्बन्ध में, और आठवीं श्री राम गोविन्द चौधरी व श्री अकबर की अखिलेश द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में है ।

यह सारी सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, इसलिये इन्हें अस्वीकृत किया गया ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का मसला बहुत अहम मसला है, इस सम्बन्ध में मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

हृदय नारायण दीक्षित जी, आप बैठ जायें, माननीय नेता विर धी दल जो कह रहे हैं, पहले उसे सुन लीजिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब किसी सदस्य का नाम ले लिया गया है, तो उसके तुरन्त बाद व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

नियम 311, 56 व 300 में दी गयी सूचनाओं को एक में मिलाकर लिये जाने का सुझाव

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आज अयोध्या में हो रही घटनाओं के कारण इस सरकार ने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है, उस पर कई माननीय सदस्यों ने और माननीय नेताओं ने अलग-अलग नियमों में सूचनायें दी हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि इन तीनों नियमों 311, 56 व 300 में दी गयी सूचनाओं को एक में

मानकर सबको 311 के साथ ही ले लिया जाय । आज इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा सवाल नहीं है । आज इससे अहम मसला प्रदेश के सामने, बल्कि पूरे देश के सामने और कोई दूसरा हो नहीं सकता ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, अभी उस नियम के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, उसी के अनुरूप व्यवस्था की गयी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अग्राह्य करने के बाद आप कैसे सुनेंगे ? इसलिये मेरा निवेदन है कि और बाकी सूचनाओं को चाहें, तो निरस्त करें, लेकिन 311 में इनको एक साथ ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको अभी ले लेंगे ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री लालजी वर्मा तथा विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर – व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अभी उस मद पर आ रहा हूं । आप लोग शान्त रहें ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 के शाब्दिक संशोधन का विवरण†

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 110 अन्तर्गत, भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 में किये गये शब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि दि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 मार्च, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

---

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन एवं अंतरण) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन एवं अन्तरण) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 मार्च, 1992 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उथर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है।

जनपद आगरा में टर्मिनल रजबहा नहर की दायीं पटरी को चौड़ा करके कोलतार लेपन स्तर तक 29 कि० मी० की लम्बाई में पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन सिंह आदि की याचिका †

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद आगरा में टर्मिनल रजबहा नहर की दाई पटरी को चौड़ा करके कोलतार लेपन स्तर तक 29 कि० मी० की लम्बाई में पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन सिंह, ब्लाक प्रमुख, बरौली अहीर, आगरा तथा श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रधान, इटौरा, आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–7, 8 व 9 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या–10 को लेता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 ††

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आये हैं, उनमें अयोध्या से सम्बन्धित प्रकरण को हम ले रहे हैं और जो शेष नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव आये हैं, उनको कार्यस्थगन के बाद लिया जायेगा ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी गई थी । उनमें से कई सूचनायें बहुत महत्वपूर्ण थी । परन्तु आपने उन सूचनाओं के बारे में ग्राह्यता को नहीं सुना और निरस्त कर दिया । हम लोग यह समझ रहे थे कि आप सबको सुनेंगे । श्री राम गोविन्द चौधरी जी की सूचना महत्वपूर्ण थी, मेरी सूचना महत्वपूर्ण थी और श्री मोहम्मद आजमखां साहब की सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी । हम यह अपेक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में मंदिर तोड़े जाने वाला जो मसला है, उस पर आप सुनेंगे । परन्तु उस पर नोटिस देने वालों की आपने कोई संगत सूची जारी नहीं की कि किन- किन लोगों ने सूचनायें दी हैं, जिनको आप सुनेंगे । हमारी समझ मे नहीं आ रहा है कि आपने बिना ग्राह्यता पर सुने ही सूचनाओं को केसे निरस्त कर दिया । यदि नेताओं के साथ कक्ष में आपकी कोई बात हुई हो तो उसके बारे मे आप बता दें । इस पर पहले आप व्यवस्था दें । आप हर बात पर नेता विरोधी दल को बुला लेते हैं । हम इस बात को समझते हैं कि नेता विरोधी दल किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकते हैं । आज के औचित्य के प्रश्नों पर अगर कोई अन्यथा निर्णय लिया गया है तो उन सूचनाओं को कल की कार्यसूची में अग्रेतर महत्व देकर आप उन्हें सुनेंगे ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज उन सूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है । कल अलग से आप उन सूचनाओं को दे सकते हैं । नियम 311 के अन्तर्गत अयोध्या प्रकरण के सम्बन्ध मे जिन-जिन माननीय सदस्यों ने सूचनायें दी हैं, उनके नाम मैं पढ़ रहा हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र –

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेने नियम 300 के अंतर्गत जो सूचना दी है, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने आपसे कहा था । . . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था और कक्ष मे क्या बात हुई, उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता हूं । वहां की बात सदन में लाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए आप कृपा करके बैठ जायं ।

अयोध्या, जनपद फैजाबाद में पर्यटन के विकास के नाम पर अधिगृहीत भूमि को एक धर्म विशेष को निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने तथा कतिपय मन्दिरों को क्षति पहुंचाए जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत अयोध्या, जनपद फैजाबाद में पर्यटन के विकास के नाम पर अधिगृहीत भूमि को एक धर्म विशेष को निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने

सूचना दी है, उनके नाम हैं : सर्वश्री कुंवर रेवती रमण सिंह, प्रमोद तिवारी, बेनी प्रसाद वर्मा, राम लखन ऊदल, लालजी वर्मा, राम गोविन्द चौधरी, अकबर सुरेन्द्र सिंह, गिरधारी लाल, नरेश अग्रवाल, सुरेन्द्रनाथ अवस्थी, हृदय नारायण दीक्षित , शिव कुमार बेरिया, अरविन्द प्रताप सिंह, बलराम यादव, स्वामी नाथ यादव, श्याम नारायण तिवारी, विजय सिंह राणा, राम ललित चौधरी और श्री मोहम्मद आजम खां ।

माननीय नेता विरोधी दल केवल ग्राह्यता पर ही बोलें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आज तो सब मामला ग्राह्यता पर ही है । ग्राह्यता के अलावा और कुछ नहीं है । मांन्यवर, अयोध्या में एक संवैधानिक संकट इस सरकार ने पैदा कर दिया है । इसलिए सभी माननीय नेताओं ने सभी माननीय सदस्यों ने नियम 311 के अन्तर्गत उस सम्बन्ध में सूचना आपके माध्यम से यहां पर दी है । सरकार धार्मिक उन्माद के नाम पर देश में और प्रदेश में साम्प्रदायिकता को फैलाकर और भगवान राम को [xxx] सत्ता में आई है ।

सत्ता में आने के बाद इन्होंने जो वायदे किये थे उन वायदों को निभाने में पूर्णयता असफल रहे हैं उनको पूरा नहीं कर पाये हैं । आज जब पूरे देश और प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया है और यही नहीं एक सम्प्रदाय विशेष को पूरे प्रदेश में भयाक्रान्त कर रखा है और एक ऐसा वातावरण बना रखा है जिससे प्रदेश का जनजीवन सामान्य नहीं रह गया है । चुनाव के पहले इनका वायदा था कि मन्दिर का निर्माण सत्ता में आने के तत्काल बाद करेंगे और सत्ता में आने के तत्काल बाद, जब मंत्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की थी पूरा मंत्रिमण्डल साननीय कल्याण सिंह जी के साथ अयोध्या गये और कहा था राम लला हम आये हैं मन्दिर यहीं बनायेंगे । लेकिन एक तरफ यह मन्दिर बनाने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ आज तक हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है, इतिहास में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है कोई भी सरकार हो जो जनतांत्रिक प्रणाली से चुन कर आई हो वह बजाय मन्दिर बनाने के प्राचीन मन्दिरों को एक-एक करके ध्वस्त करने का काम कर रही हो, उन मन्दिरों को ध्वस्त करने का काम इन्होंने कर दिया है । वे मन्दिर आज के बने हुए नहीं हैं, वे सदियों पुराने बने हुये हैं और उन मन्दिरों में जो मूर्तियां हैं वह प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा रखी गयी हैं । हिन्दू धर्म में इस बात की भी व्यवस्था है कि जिस मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वहां से मूर्तियां हटाई नहीं जा सकती हैं । लेकिन इन्हें धर्म से क्या मतलब है, इन्हें भगवान से क्या मतलब है यह तो भगवान राम के नाम से सत्ता चाहते थे, कुर्सी चाहते थे और आज भगवान राम के नाम से हस रहे हैं, उनका मजाक कर रहे हैं । उन पुराने मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया है । साक्षी गोपाल के मन्दिर के लिये अक्तूबर 91 में कोर्ट ने स्टे भी दिया है कि वहां से किसी कीमत पर मूर्तियों को हटाया नहीं जा सकता है । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के यह आदेश हैं उसके बावजूद इन्होंने यह कार्य किया है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जो जमीन इन्होंने ली थी, जो अधिग्रहण किया था वह इस नाम पर ली थी कि इसे पर्यटन विभाग को, पर्यटन निगम को हस्तांतरित करेंगे और वह वहां पर्यटन का विकास करेगा। पर्यटन के विकास के लिए वह जमीन ली थी तो उसके स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है। इस सरकार ने जमीन को पर्यटन के नाम पर पर्यटन विभाग को, पर्यटन निगम को देने के लिए लिया लेकिन लेते ही उसे न्यास को एक रुपया सालाना की लीज पर 99 साल के लिये हस्तांतरित कर दिया।

मान्यवर, जो इन्होंने मकसद दिखाया था उसे अधिग्रहण करने के लिये उस मकसद से विपरीत इन्होंने निजी संस्था, जो इनके जेब की संस्था है, जो इनके नाम पर पूरे देश में साम्प्रदायिकता का जहर घोल रही है और मान्यवर, उसी संस्था को इन्होंने सब नियम कानून का उल्लंघन करके ताक पर रखकर उसे उसको सौंप दिया। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, अब उस जमीन को हस्तांतरित करने का औचित्य क्या था ? वहां पर पहले ही से राम कथा पार्क मौजूद है। राम कथा पार्क में अगर मन्दिर का निर्माण हो उसके बगल में जगह है। लेकिन मान्यवर, इनको मन्दिर का निर्माण तो करना नहीं है। मन्दिर के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिये इन्होंने यह कोई चाल रची है। इतनी पर्याप्त भूमि पड़ी है। उस भूमि को जो पहले से ही अधिगृहीत है, उस भूमि पर इन्होंने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया और न इनका करने का इरादा है। मान्यवर, इन्होंने वहां एक ऐसी समस्या पैदा कर दी है कि न तो ये कभी मन्दिर बनायेंगे और न ही वहां मन्दिर बन पायेगा।

इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में, इस देश को साम्प्रदायिकता की आग में फिर झोंकना चाहते हैं। इनका मकसद यह नहीं है कि प्रदेश में और देश में शांति व्यवस्था कायम रह सके। मान्यवर, वहां पर स्टे आर्डर के बावजूद भी इन्होंने जो पुजारी थे, लाल दास, इनको जबरन वहां से निकलवा दिया और असामाजिक तत्वों तथा पुलिस के बल पर वहां दूसरे पुजारी को स्थापित कर दिया। यह कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना इन्होंने की और मान्यवर, उसी तरह से जब माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे एन०आई०सी० की मीटिंग में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपने वहां लिखित रूप से, आपके हस्ताक्षर मौजूद हैं, जो आपने वहां पर इस बात से सहमत होते हुए एन०आई०सी० की मीटिंग में 4-5 बिन्दु थे। उन चार-पांच बिन्दुओं पर आपने अपनी सहमति और अपने दस्तख्त किये हैं। मान्यवर पहली बात–आल एफोर्टस विल बी मेड टू फाइन्ड ए एमीकेबुल सोलुशन आफ दिस ईश्यू

उस समस्या के हल के लिये पूरी तरह से....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आपने अंग्रेजी में जो कहा है, उसे हिन्दी में कह दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, वही कर रहा हूं। क्योंकि जिस प्रकार से यह चुन कर आये हैं। न अंग्रेजी समझते हैं न हिन्दी समझते हैं। मान्यवर एक बिन्दु यह था–पेंडिग ए फाइनल सोलूशन द गगवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश विल होल्ड इट सेल्फ फुली रिस्पानसेबिल फार द प्रोटेक्शन आफ द राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर.

उत्तर प्रदेश सरकार जब तक कि इसका अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है। राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की पूरी तरह से हिफाजत करेगी। मान्यवर, तीसरा बिन्दु था–आर्डर आफ द कोर्ट इन रिगार्ड टू द लैण्ड इक्वाइजेशन प्रोसीडिंग्स विल बी फुली इम्प्लीमेन्टेड.

मान्यवर, जो कोर्ट के आदेश होंगे उसका पूरी तरह से पालन करेगी । मान्यवर, चौथा बिन्दु था–जजमेन्ट आफ द इलाहाबाद कोर्ट इन द केसेज पेंडिग बिफोर इट विल नाट बी पीओलाटेड.

(समय 1 बजे) इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुकदमे चल रहे हैं जो जजमेंट होगा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे । इस पर मुख्य मंत्री जी के दस्तखत हैं । इन तमाम आश्वासनों के बाद एक तरफ मस्जिद गिराने की बात कहते थे चुनाव के पहले, अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया है । प्राचीन मन्दिरों को ध्वस्त करके वहां ऐसा माहौल बना दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में जनाक्रोश व्याप्त है । ऐसी समस्या इन्होंने पैदा कर दी है । कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस आग का ज्वालामुखी फट सकता है और पूरा देश फिर उसकी आग में झुलस जाएगा । इस गम्भीर विषय पर मैं चाहूंगा कि कोई भी कार्यवाही न कराके पहले इसी मामले पर बहस हो और बहस के बाद ही कोई दूसरी कार्यवाही की जाए । इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी कार्यवाही न की जाए । जितने माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है चाहे वह जिन नियमों में आता हो सबको सुनने का आप कष्ट करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आजादी के इतिहास के बाद पहला ऐसा दुखद दिन है कि जो सरकार धर्म का नाम लेकर आई है वह ऐसा कार्य करा रही है । मान्यवर, देश और इतिहास साक्षी है कि लुटेरे शासकों ने जो देश की सीमा के बाहर से आये थे, जिन्होंने देश की अस्मिता, मर्यादा, देश के मन्दिर और धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ा था ।

(व्यवधान)

आज कल्याण सिह की सरकार द्वारा भी यही कार्य कराया जा रहा है । कल्याण सिंह की सरकार को भी याद किया जाएगा कि लुटेरे शासकों की तरह जो धरती पर आए और यहां के मन्दिरों को तोड़कर चले गये । जिसकी जितनी निन्दा की जाए कम है ।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल ने मान्यवर, सब तथ्य रखा दिए हैं । मैं कुछ नियमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । भारतवर्ष की संसद में एक विधेयक पारित हुआ है और वह विधेयक धरती का कानून बन गया है । वह विधेयक पूजा स्थल विधेयक के नाम से कानून बन गया । मान्यवर, 1947 में जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वही स्थिति आज हो रही है ।

(शेम-शेम की आवाजें व्यवधान)

कुछ शर्म करो, राम के नाम पर आए हैं, राम मन्दिर के नाम पर आए हैं, और यह कार्य कराए जा रहे हैं । राम के दुश्मनों को तो नर्क में जगह मिल जाएगी लेकिन आप जो राम का नाम लेकर आए हैं, इस भाजपा सरकार को रौरो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप पीठ को संबोधित करके बात कहें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पीठ का दायित्व है कि कोई वक्ता बोल रहा हो, और आपकी इजाजत से बोल रहा हो तो सदन को संयमित करायें । यह करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रश्न है इसमें हम अपनी जान दे देंगे ।

(व्यवधान)

आप इन लोगों को शान्त करा दें । मैं स्पष्ट कर रहा था कि संसद में 1991 में विधेयक पारित हुआ । उस विधेयक से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 1947 में जो पूजा स्थलों की स्थिति थी वह कायम रहेगी अयोध्या के विवादित स्थल के अलावा । बाकी मन्दिरों की स्थिति कायम रखने के लिए विधेयक पारित कर दिया है और वह धरती का कानून बन गया है इतना ही नहीं, यह बाध्यता है साधारण इंसान के लिए और इस उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए । यह सरकार रोना रोती रहती है कि खजाना खाली है । करोड़ों रुपया कांग्रेस की सरकार ने जनता की सरकार ने इकट्ठा किया था ।

(व्यवधान)

और यह सरकार मन्दिर के नाम पर खर्च कर रही है । एक साम्प्रदायिक दल को, एक संस्था विशेष को इन्होंने एक रुपये की वार्षिक दर से भूमि को नीलाम कर दिया ।

मान्यवर, एक तरफ तो आप कहते हैं कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ आपको यह नैतिक अधिकार कहां से मिल जाता है कि करोड़ों रुपयों की संपत्ति विश्व हिन्दू परिषद को आप दे देते हैं । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब पूजा स्थल विधेयक पारित हो चुका है तो किसी मन्दिर या मस्जिद को तोड़ने वाली सरकार की वही स्थिति है जो किसी लुटेरे शासक की हो सकती है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है उससे भारत का इतिहास शर्मिन्दा हो रहा है । आप कहते हैं कि वहां मस्जिद नहीं थी मैं बताना चाहता हूं कि मन्दिर या मस्जिद किसे कहते हैं । अगर एक शिला का पूजन होने लगता है तो वहां मन्दिर हो जाता है और अगर कहीं एक मजार पर इबादत शुरू हो जाती है तो वह इबादतगाह बन जाती है । यह करोड़ों लोगों के आस्था और विश्वास से सम्बन्धित प्रश्न है । वहां पर भगवान बजरंग बली, संकटमोचन का मन्दिर है, साक्षीगोपाल का मन्दिर है । यहां पर बैठे हुये तमाम लोग इसके साक्षी हैं, तमाम लोगों ने वहां जाकर पूजा अर्चना की होगी । जिस मन्दिर की स्थापना विधि सम्मत पूरे तरीके से वेदों और पुराणों के अनुसार की जायगी उसको हटाने की प्रक्रिया भी वेदों और पुराणों के अनुसार की जायगी । उन मन्दिरों को फावड़े और कुदालों से नहीं हटाया जा सकता । उनको हटाना था तो धर्म सम्मत, विधि सम्मत ढंग से हटाना चाहिये था और हटाने की जगह उनको विसर्जित करना चाहिये था । आज सरकार के इस कार्य से करोड़ों हिन्दुओं के दिलों को पीड़ा पहुंची है । जो मन्दिर कल तक आराधना के केन्द्र थे, जो मूर्तियां आराधना की केन्द्र थीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मजदूरों की कुदालों और मजदूरों के पैरों तले वह मूर्तियां रौंदी जा रही हैं । यह काम इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है । (शेम-शेम की आवाजें)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब वहां गये थे तो आपने कहा था "राम लला हम आयेंगे, मन्दिर वहीं बनायेंगे" । लेकिन अब आपका कहना है कि "राम लला हम आयेंगे, मन्दिर नहीं बनायेंगे, मन्दिर तोड़कर जायेंगे" । आज यह सरकार मन्दिरों को तोड़ने वाली और मस्जिदों को गिराने वाली सरकार है । धर्म के नाम पर लाशों का व्यापार करके स्थापित हुयी सरकार है जिसने लोगों की धार्मिक भावनाओं को तोड़कर इस देश के इतिहास को कलंकित कर दिया है । शर्म आनी चाहिये सरकार को, उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता का सर शर्म से झुक गया जब इस देश के गृह मंत्री ने राज्य सभा में

कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार यदि मन्दिरों को तोड़ने की तरफ कदम उठायेगी तो सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जायगा । माननीय कल्याण सिंह आप जनता की भावनाओं को उभार कर सत्ता में बैठे हुये हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भावनाओं के नाम पर, बहुत सी लाशों का आपने सौदा कर लिया है, हिन्दू और मुसलमानों की लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, करोड़ों हिन्दुओं की आस्था को सरकार के पैरों तले न रौंदें, अगर रौंदेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश में सांप्रदायिकता की आग लगेगी और पूरा प्रदेश जलकर राख हो जायगा ।

मैं जानता हूं कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो रही है । आप मौका ढूंढ़ रहे हैं अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये, सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए आप मन्दिरों को तोड़ रहे हैं । इससे सांप्रदायिकता की आग फैलेगी और उस सांप्रदायिकता की आग में मस्जिद तोड़ी जायगी । काश आप निर्माण की एक ईट कहीं लगाते । आपको क्या अधिकार है मन्दिर तोड़ने का । उपासना स्थल विधेयक कानून बनने के बाद 1947 में जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसको वैसे ही कायम रखा जायगा । आप एक तरफ न्याय की दुहाई देते हैं, न्यायपालिका का कहना है कि जो स्थिति है उसको वैसे ही रखा जायगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा लेकिन आप मन्दिर तोड़ रहे हैं । आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना की है । इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दबाजी न करें, मेरी भावना को सुन लें । माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी भावनायें आपके सामने रखीं । सभी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे । विपक्ष की ओर से जो भी आगे की कार्यवाही आज लगी है हम उसको तिलांजलि देने के लिये तैयार हैं । मेरा कहना है कि एक सदस्य जिसने नोटिस दी है उनकी भावनाओं को सुनने की कृपा करें क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है । यह उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ हिन्दुओं और मुसलमानों की अस्मिता का प्रश्न है उनकी धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है । यह प्रश्न राम जन्मभूमि और राम से जुड़ा हुआ है । प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन मन्दिरों का विनाश करके राम जन्मभूमि के नाम पर खड़ी रह सकेगी । प्रश्न यह है कि जो असंख्य मन्दिर करोड़ों लोगों के विश्वास के केन्द्र थे, उनको तोड़ कर इस सरकार ने वह काम किया है जो इस देश में आने वाले लुटेरों और डकैतों ने किया था । इसलिये मैं चाहता हूं कि सभी कार्यक्रम रोक कर, इससे बड़ी ग्राह्यता और क्या होगी कि इस सरकार ने करोड़ों लोगो की आस्था को आघात पहुंचाया है, इनकी तुलना तो उन लुटेरों से ही की जा सकती है । इस सरकार ने देश के लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया है, इसने जो यह गलत काम किया है, इससे घृणित काम और कोई नहीं हो सकता है । इसने पहले कहा कि हजारों लोग मारे गये, प्रश्न पूछा जाता है कि कितने लेग मारे गये तो जवाब नहीं देते हैं । मैं आग्रह करूंगा कि सभी नियमों को शिथिल करके इस लुटेरी सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाय । हम अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराना चाहते हैं । इस पर चर्चा करावें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और प्रमोद तिवारी जी ने इस मन्दिर प्रकरण पर बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाल दिया है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि आप भारत के भीतर अगर यह मानकर चलें कि केवल एक ही सम्प्रदाय का व्यक्ति रहेगा तो यह हमारे लिये सबसे बड़ी भूल होगी । इस बात का इशारा किया गया कि राम मन्दिर बनाने की योजना जून में बनी, हम लोग मांग करते रहे कि जनादेश मिला है राम मन्दिर बनाने का तो उसको पूरा करना चाहिये । यह मांग हमने भी की थी और यह भी कहा था कि कोई भी सरकार बनने के बाद सरकार कहती है कि गरीबी दूर

भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारी को मिटाएंगे, लेकिन यह पहली सरकार है जो गरीबी, भ्रष्टाचार या बेरोजगारी का नाम न लेकर कहती है कि मन्दिर बनाने का जनादेश मिला है, मन्दिर बनाएंगे । ये 9 महीने में मन्दिर बना देते तो हम समझते कि जनादेश का पालन करके मन्दिर का निर्माण किया है । यहां जो घटनाएं घट रही हैं उसका ब्यौरा दिल्ली में दिया गया । हमारा कहना था, इसी मन्दिर को लेकर, कि या तो अदालत का फैसला हो तो उसको माना जाय या फिर आपसी पंचायत के द्वारा तय करके करोड़ों लोगों के विश्वास और आस्था का प्रतीक राम मन्दिर बनाया जाय । भव्य और आलीशान मन्दिर बनाया जाय । इसमें फिर किसी को विरोध नहीं होगा । लेकिन इस तरह से लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़े लोगों के पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है । इससे कौन उत्तेजित नहीं होगा । एक मन्दिर बनाने के पीछे अनावश्यक रूप से अनेक मन्दिरों को तोड़ना उचित नहीं है । मैं मूर्तिपूजक नहीं हूं, लेकिन मन्दिरों का रक्षक हूं, भंजक नहीं हूं । मैं मानता हूं कि हिन्दू शास्त्र के अनुसार वेद मन्दिर बने, हृदय मन्दिर बने तो पूजा की जायगी । पत्थर की आराधना करना ही केवल मन्दिर की सीमा रेखा रहेगी तो हिन्दू धर्म मृतप्राय हो जायगा । हिन्दू धर्म में तमाम भ्रांतियां आ गयी हैं । इसी का नतीजा है कि दूसरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी । चाहे लुटेरे रहे हों, आक्रामक रहे हों या जयचन्द्र और मीरजाफर सरीखे लोगों द्वारा बाहर से बुलाए गये लोग हों, इतिहास साक्षी रहा है कि उनका कभी समर्थन नहीं किया गया । वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर शिव मन्दिर तोड़ा गया, तो जहां श्रद्धा, विश्वास और आस्था नहीं होगी, वहां पर इन्होंने शिव मन्दिर तोड़ कर कौन सा अच्छा काम किया है ?

मान्यवर, तुलसीदास जी ने कहा है कि "जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नर्क अधिकारी ।" मान्यवर, राजा और प्रजा का सम्बन्ध बताते हुए उन्होंने कहा है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुःखी हो, वह राजा नर्क का अधिकारी होता है । मान्यवर, आपके राज्य में प्रजा दुःखी है, इसलिए आप नर्क के अधिकारी हैं । आपने यह कहा था–"समवद्धद्वम् संगच्छद्वम् संओ मनांसि जानताम्, देवाभागम् यथापूर्वे, संजानाना उपासतें ।" इसमें आपने अधूरी बात कही है । इसमें हिन्दू धर्म और दर्शन की व्याख्या नहीं हो पाती, इसमें आपको जोड़ना चाहिए–"समानो मन्त्रः समिति समानी, समानों मनः सहः चितमेषाम् ।" माननीय राजस्व मंत्री जी रात को डेढ़ बजे वहां पर गये और वहां पर जबरदस्ती पुजारियों से दस्तखत कराये । यदि उनमें आत्मबल और नैतिक बल था, तो दिन के उजाले में सही कार्य को करते हुए मन्दिर निर्माण की प्रक्रिया को आरम्भ करना चाहिए था । अदालत के फैसले की चर्चा पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता परिषद् नई दिल्ली की बैठक में अदालत के फैसले को मानने की स्वीकृति दी थी, किन्तु उस फैसले से हट कर इन्होंने राम कथा पार्क के लिए । रु० सालाना पर 99 साल का पट्टा ही दे डाला । इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि मन्दिर बनाना हमारा काम नहीं है, यह काम विश्व हिन्दू परिषद् का है । इनके प्रान्तीय अध्यक्ष श्री कलराज मिश्रा कहते हैं कि कानून बना कर हम मन्दिर बना देंगे । विश्व हिन्दू परिषद् के महामंत्री कहते हैं कि सारी बाधायें दूर करके हम मन्दिर को गर्भगृह से बनाएंगे । मान्यवर, ये एक बात पर कायम नहीं हैं । ये कभी गर्भ गृह, कभी शिलान्यास स्थल और कभी राम दीवार के पास मन्दिर बनाने की बात करते हैं । इनका उद्देश्य मन्दिर बनाना नहीं है, बल्कि राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है । जो धर्म तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, वह धर्म समाप्त हो जाता है ।

हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी एक सम्प्रदाय का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव मात्र के कल्याण की बात कही गयी है । वेदों में कहा गया है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो । इसी शिक्षा को आधार मानकर हिन्दू, मुसलमान और सिख, इसाई में कोई भेद नहीं करना चाहिए । एक पाप को छिपाने के लिए जैसे अनेकों

पाप किये जाते हैं, उसी तरह एक मन्दिर के निर्माण की आड़ में दर्जनों मन्दिर ढहा दिये गये, जो बहुत ही चिन्ता का विषय है। मान्यवर, यह मसला अन्तर्राष्ट्रीय मसला हो गया है, इसलिए जिन भावनाओं को नेता विरोधी दल और नेता राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्त किया है, उसके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए बड़ी गहराई से इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पर्यटन के नाम पर बाड़ हटाने के नाम पर राम दीवार बनाने के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। या तो अदालत का फैसला मानिये, अदालत जो भी निर्णय दे दे, अथवा आपसी समझौता से इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर आप मस्जिद न तोड़ने के लिए यहां पर सदन में घोषणा करें, तो हमारे जैसा आदमी भी मन्दिर के निर्माण में कारसेवा करने के लिए तैयार है। यहां की धरती में रहने वाले हिन्दू या अल्प संख्यक वर्गों में अलगाव नहीं किया जा सकता। मुख्य धारा से हट कर इस देश की मिट्टी में ही पलने और बढ़ने और मिट्टी में मिल जाने को अलग नहीं रखा जा सकता। उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा, तभी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता बरकरार रहेगी।

एक धर्म के आधार पर कोई शासन नहीं चलाया जा सकता। अपने पड़ोसी देश में एक धर्म का शासन है, उसका बुरा हस्र हो रहा है, वैसे ही एक धर्म के शासन वाले का भी यही हस्र हो जायगा। जो एक धर्म का कट्टर अनुयायी है, वह दूसरे धर्म का आदर करता है। हिन्दू धर्म के प्रणेता आदि शंकराचार्य का गांव विधर्मी बन चुका है, ईसाई बन चुका है, वैदिक धर्म की रक्षा के लिये हिन्दू धर्म के प्रणेता आद्य शंकराचार्य ने राष्ट्रीय एकता के लिये यात्रा की। आर्य समाज के प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि दयानन्द सरस्वती, संत विनोबा भावे, चन्द्रशेखर जी और अजित सिंह ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये यात्राएं कीं, किन्तु कहीं भी इस देश में उनका विरोध नहीं हुआ, किन्तु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोशी द्वारा की गई एकता यात्रा का ही विरोध क्यों हुआ ? इसके मूल में आपको जाना होगा। विरोध इसलिये हुआ कि क्योंकि इस एकता यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा और अल्प संख्यक में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया और धर्मान्धता को बढ़ावा मिला। तो जाइये भारत के संविधान के अन्दर, जिसमें लिखा है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। आप इसके मूल में जांय। आप को अदालत के फैसले का इन्तजार करना चाहिए लेकिन अदालत के फैसले के पहले ही आपने यह फैसला ले लिया। आपको कोई अन्य फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिये यह बड़ा ही गम्भीर मसला है और महत्वपूर्ण मसला है। मैं कहना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं, उनका भी अपराध इस देश में लिखा जायेगा। आप हिन्दू धर्म के सिद्धान्त पर आ जायें–

ईशावास्य मिहम् सर्वम्, यत् किंच जगत्याम् जगत।
तेन त्यक्तेन भुजिताः या कस्य स्वितधनम्॥

आपने इसकी दो लाइनें छोड़ दीं। जो अपके मतलब की थीं, उनको पढ़ दिया और बाकी को छोड़ दिया। वह दूसरी लाइनें हैं––

समानोमंत्रः समितः समानी।
समानो मनः सहचित्त मेषामं॥

मान्यवर, हिन्दू धर्म बड़ा अच्छा है विशाल है, उसका दर्शन जो वह बड़ा अच्छा है। अगर आप हिन्दू धर्म के दर्शन को लेकर चलेंगे, तो जो अल्प संख्यक हैं वह विरोध नहीं करेंगे। विवेकानन्द जी आये, स्वामी दयानन्द सरस्वती जी आये और रवीन्द्र नाथ ठाकुर जी आये, उन्होंने हिन्दू धर्म के दर्शन को स्वीकार किया और फैलाया है। हिन्दू धर्म का जो दर्शन है वह बताता है कि मर्नुभव। इन्सान बनाने की बात कहता है हमारे हिन्दू दर्शन में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बराबर हैं। इसलिये आप मंदिर तोड़ने की कोशिश न करो, मस्जिद तोड़ने की कोशिश न करो। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मसला है। अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आप इस पर और कार्य रोक कर चर्चा करा दें।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस और कैलाश नाथ सिंह जी ने जो कुछ कहा है, उनके कहने के बाद बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिये नहीं रह जाता है । मान्यवर, कुछ मसले ऐसे होते हैं, जिनका सम्बन्ध देश से होता है और जिन मसलों का सम्बन्ध देश से होता है, उसकी सरकार का कर्तव्य होता है उनको वोट की राजनीति के दायरे से ऊपर उठकर लें । हमारा देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ है और हमारा देश आजाद नहीं हो सकता था अगर उस समय हम जाति और धर्म के झगड़े में पड़े रहते । गांधी जी ने सभी को एक कतार में खड़ा किया और सभी को मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश को आजादी मिली है । आज धर्म के नाम पर लोगों को अलग किया जा रहा है, एक अलग कतार में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और उसी के आधार पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है और उन को सबसे बड़ा देश भक्त कहने में संकोच नहीं करते हैं । देश भक्ति वोट और राजनीति से नहीं होती है, उससे ऊपर होती है । आज राम के नाम पर लोगों में अलगाव पैदा किया जा रहा है । भगवान राम के नाम पर ऐसा किया जाना उचित नहीं है । भगवान राम जब पैदा हुए थे, तो उस समय इस्लाम धर्म पैदा ही नहीं हुआ था । इस्लाम धर्म में ऐसे पैगम्बर हुए हैं, जिनको सभी लोग जानते नहीं हैं । वह भी मानवता का संदेश लेकर हमारे देश में आये हैं । हम लोगों को खासतौर से चाहिए जो हिन्दू हैं बहुसंख्यक हैं उनका तो फर्ज होता है कि वह ऐसा राम का आदर्श प्रस्तुत करते कि हर धर्म के लोग उनको महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम मानते लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने का कोई दूसरा मामला इनके सामने नहीं था । इस भावना से हम लोगों के बीच हिन्दू मुसलमान का मसला बनाकर खुदा और राम को अलग-अलग कमरों में बन्द कर दिया आज वही रूप दिया जा रहा है अयोध्या में ।

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं वह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं वह मन से मानते तो होंगे कि जो बात मैं कह रहा हूं वह सही है । अगर इस मसले को ज्यादा बढ़ायेंगे तो देश को टूटने से कोई रोक नहीं सकता है । ऐसी ही स्थितियां पैदा हुई थी तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था । क्या आपका यह देश नहीं है, आपके लिये यहां का कोई कानून नहीं है कानून सिर्फ किताबों पर है लेकिन सरकार जो चाहे करेगी तो क्या आगे चलकर इस देश की अखण्डता को खतरा नहीं पैदा हो जायेगा । राम का मंदिर बने, खुदा की इबादत में मस्जिद बने, इसको समान रूप से लेना चाहिए । सरकार में बैठे हुए आदमी का धर्म कोई विशेष नहीं रह जाता है, सरकार में जो आ जाता है उनका धर्म वही होता है जो न्याय और तर्क की कसौटी पर खरा हो । अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि उपासना विधेयक वापस हो गया । देश का कानून मानना देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य होता है और उसको जब सरकार ही न माने तो देश की जनता किसके सामने जाकर चिल्लायेगी, किससे पुकार करेगी । स्थगन आदेश दे दिया गया, उसकी बात सरकार नहीं मान रही है तो लोगों के सामने क्या रास्ता रह जायेगा । मान्यवर, सरकार के पास कार्यपालिका होती है यह हम लोगों का कर्तव्य है, सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका खासतौर से कर्तव्य है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करें, जो देश का कानून है उसके अनुरूप ही कोई कार्यवाही करें । लेकिन, सरकार में बैठने के बाद ही ये लोग

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूजा स्थल की अवहेलना कर रहे हैं और सन् 1947 से जो मंदिर बने हैं उनको तोड़कर लोगों की भावना से खेलने का प्रयास कर रहे हैं । मुख्य मंत्री जी क्या वार्ता के जरिये कोई रास्ता निकाल रहे हैं इन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में जाकर कहा कि क्या कर्तव्य है, हम जानते हैं और उसके बाद अयोध्या में अगर इस तरह का हो जिससे साम्प्रदायिक भावना फैले प्रदेश में, देश में तो इनकी कथनी और करनी में अन्तर है बहुत ही फर्क है । जो इसमें अन्तर करता है वह देश और जनता के लिये बहुत लाभदायक नहीं होता । यह कुर्सी जिस पर आप बैठे हुए हैं, हमारी सरकार के लोग, यह मानकर न चलें कि कुर्सी अमर होती है यह आती जाती रहती है, बड़ी निर्मोही होती है इसलिये ऐसे काम करके जायें ।

एक सदस्य–

अब समझ में आया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी समझ में आया, फिर उधर बैठेंगे लेकिन देश की एकता को ताक पर रखकर कभी उधर आने की कोशिश नहीं करेंगे, सौ बार हार मंजूर करेंगे लेकिन हिन्दू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करके जीत को स्वीकार नहीं करेंगे । देश बड़ा है कुर्सी बड़ी नहीं है चुनाव बड़ा नहीं है । चुनाव और कुर्सी बड़ी होती तो शायद उसी कुर्सी पर बैठे होते इधर नहीं आते, चुनाव न हुआ होता तो यह हमारी ही जिम्मेदारी है, हमको धन्यवाद दीजिये कि आपको उधर बैठाल दिया, यह तो मुख्य मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के भावनात्मक मसले एक ही बार जनता यहां सुनती है । आज चुनाव करा लें, प्रमोद तिवारी जी भाषण दे गये, पूजा उपासना विधेयक की आपने अवहेलना कर दिया अभी चह्वाण साहब ने लोक सभा में धमकी भी दे दी । हमको शक है कि यह आप लोगों की मिली जुली कुश्ती है, हम लोगों को गुमराह करने के लिये । हम श्री प्रमोद तिवारी जी से कहेंगे कि जो चह्वाण साहब ने धमकी दी है सरकार को भंग करें । श्री प्रमोद तिवारी का हम लोग साथ भी दे सकते हैं । चुनौती है आपको कि चुनाव मैदान में जायेंगे तो जनता आपका जैसा स्वागत करेगी, वैसा कभी किसी का नहीं हुआ होगा । आप 221 की संख्या में यहां बैठे हैं, 21 का भी आना मुश्किल हो जायगा ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप पीठ को सम्बोधित करके कहें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह तो अन्धे के हाथ बटेर लग गयी । इनको स्वयं नहीं पता था कि सरकार में आ जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शान्त रहें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जिनके पास तर्क नहीं होता है, सुनने की क्षमता भी नहीं होती है । ये तर्क विहीन हैं । ये वही काम करेंगे जिससे इनके वोट को लाभ पहुंचता हो । अयोध्या में जो हो रहा है उसका प्रदेश के साथ ही सम्बन्ध नहीं है बल्कि इससे पूरे देश का नक्शा जुड़ा हुआ है । यही रामभक्त न समझें अपने को । राम

केवल एक ही पार्टी के नहीं हैं। राम पूरे देश के हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को आदर्श दिया है। जब से "जय श्री राम" आया, कानून व्यवस्था गायब हो गयी। धर्म के साथ राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर राजनीति करिये। आपने 9 महीनों में क्या कर दिया ? 9 महीने में तो फल आ जाता है। अगर फल नहीं आया है, तो प्रमोद तिवारी जी भी कहेंगे कि तलाक दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

तलाक तब होता है, जब शादी हुई हो। मुझे तो यही मालूम है कि एक गठबन्धन सुधारों के मामले में हुआ था। ये तो एक-दो दिन के लिये आ सकते हैं। मुख्य मंत्री कल्याण सिंह की सरकार की स्थिति [× × ×] से ज्यादा नहीं हो सकती है।

(हंसी)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

विधवा विवाह भी सुधार का काम है। ये कहते हैं कि शादी ही नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री बेनी प्रसाद वर्म को सम्बोधित करते हुए)

आपकी 9 महीने की बात पर प्रमोद तिवारी जी ही क्यों खड़े हो गये।

(हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी–

अपनी सफाई के लिये खड़ा हुआ था कि इनके पाप में कांग्रेस की कोई हिस्सेदारी नहीं है, कहीं और पता लगाया जाय।

(हंसी)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह एक गम्भीर मसला है, मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि राजनीति की भावना से ऊपर उठकर देखें। हिम्मत कीजिये, यह जो चन्द देश को गुमराह कर राजनीति करने वाले लोग हैं, आपको उन लोगों से ऊपर उठना चाहिए। आप उन लोगों के बीच से राजनीति में आये हैं, जो पीड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं आप किसान परिवार से सम्बन्धित हैं, इसलिये थोड़ा आपसे लगाव भी है। आप उन लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं जो हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आप सर्वहारा समाज को मानते हैं, आप गुलाम मत बनो, हिम्मत करो। यह कुर्सी हमेशा नही रहेगी। इस कुर्सी पर जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं अगर आप कोई ऐतिहासिक काम नहीं करोगे। आप जो काम कर रहे हो, उससे देश टूटेगा। चाहे अयोध्या का मसला हो या कश्मीर का मसला हो यह देश को तोड़ने वाले मसले हैं यह देश को जोड़ने वाले मसले नहीं हैं। जो एकता अखण्डता के नजरिये वाले लोग होते हैं वह इसे अपने नजरिये से देखते हैं, वह दो नजरों से मसले को नहीं रखते हैं।

नोटः–[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुख्य मंत्री जी आप थोड़ा चिन्तनशील लगते हो आप थोड़ा इस पर चिन्तन करो । जो आपको इन शाखाओं में पढ़ाया गया है वह असल बात नहीं है । खुदा और राम में भेद न करो । खुदा, राम, गाड, गुरूनानक–यह एक ही ताकत हैं, अलग-अलग नाम रख लिये, यह अच्छे काम के लिये हमारे लिये एक प्रतीक के रूप में है । यह जो हिन्दू के सिर्फ राम हैं और मुसलमान के खुदा हैं यह जो राम और खुदा की लड़ाई पैदा कर दी है यह दुनिया में अनोखा काम किया है । राम और खुदा की लड़ाई मत कराओ हिन्दू मुस्लिम का आपस में टकराव मत कराओ । हिन्दू मुस्लिम के टकराव से एक पाकिस्तान बना और दूसरे पाकिस्तान को बनने से कोई रोक नहीं सकता उसमें हमारे जैसे हिन्दू कहेंगे कि इनकी मांग सही है । क्योंकि जिस देश के कानून में जिस देश की सरकार में उनको इज्जत नहीं मिलेगी उस घर में विद्रोह उठता है बटवारा होता है । बहुसंख्यक होने के नाते बड़ा मानते हो तो राष्ट्रीय भावना से सोचकर अल्पसंख्यक जो आपके छोटे भाई हैं उनको प्रेम दो उन्हें उनका हक दो । अगर उनको प्रेम नहीं मिलेगा हक नहीं मिलेगा तो विद्रोह पैदा होगा और देश की एकता खत्म होगी । जब देश की एकता खत्म हो जायेगी, संविधान खत्म हो जायेगा, देश का नक्शा खत्म हो जायेगा तो न आप रहोगे न हम, कुर्सी तो बहुत दूर हो जायेगी । आप उन लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं जो राष्ट्रीयता से अधिक राजनीति की बात सोचते हैं । मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी से भी कहना चाहता हूं उनके बड़े नेता भी सोचें । नहीं तो अगले चुनाव में न कांग्रेस रहेगी न भारतीय जनता पार्टी ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

एक बार इनके साथ रहकर के हालत देख चुके हैं, अब हम किसी के साथ नहीं हैं, अकेले बल पर हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं चाहूंगा कि इस मसले पर माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण देश हित में आये राजनीति से प्रेरित न आये । यही हमें आपसे कहना है ।

* श्री सुखदेव–

मान्यवर, आज पूरे देश और प्रदेश की जनता का सरकार में आये लोगों ने पूरा मस्तिष्क केन्द्रित किया था अयोध्या की तरफ, पूरे देश और प्रदेश की जनता केन्द्रित हो चुकी थी इस मसले पर । लेकिन, आज जिस तरह से सिलसिला वहां चला है मन्दिर मस्जिद को तोड़ने का, उससे बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है कहीं उससे यह भारत माता टूट न जाय । मान्यवर, अयोध्या में आज जो कुछ हो रहा है वहां छोटे बड़े मन्दिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां एक लड़ाई पैदा कर दी गयी है, यही नहीं वहां छोटे बड़े साधुओं में भी संघर्ष शुरू करा दिया गया है पी०ए०सी० के बल पर । वहां दो साधुओं को लड़ाया जा रहा है, एक तरफ से पी०ए०सी० घुस कर के दूसरी तरफ से निकलती है । यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते है यह अपने को ही केवल भक्त बताते हैं । मान्यवर, यह कुर्सी के लिये कितने लालायित हैं इसको समझा जा सकता है । मान्यवर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपना हक छोड़कर वन चले गये थे ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, वह मर्यादा पुरूषोत्तम राम थे जिन्होंने मान लिया था । उन्होंने अपना राज पाट छोड़ दिया था और वन चले गये थे । तो अगर आप भी उनके सच्चे भक्त हो तो आप भी अपनी कुर्सी छोड़ दो इस कुर्सी के लिए लालायित न हो । आज पूरा प्रदेश जल रहा है । मान्यवर, आज यह आशंका पैदा हो गयी है एक बहाना पैदा किया जा रहा है कि छोटे-छोटे मन्दिरों को तोड़कर बड़े-बड़े मन्दिर बनाये जा रहे हैं कल कहीं ऐसा न हो कि मस्जिदों को भी तोड़ दिया जाये । यह बड़ी खराब स्थिति हो गयी है । छोटे-छोटे मन्दिरों को तोड़ा जा रहा है । अगर इसी तरह से मन्दिरों को तोड़ा जायेगा तो इस प्रदेश की जनता चुप नहीं बैठेगी । आज पूरे प्रदेश की निगाह अयोध्या में लगी हुई है मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसे रोका नहीं गया तो खून खराबा हो जायेगा आज यह मन्दिरों को तोड़कर इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं अगर यह इसी तरह से करते रहे इसी तरह से मन्दिरों को तोड़ते रहे तो एक दिन भारत मां का मन्दिर भी टूट जायेगा । आज इस कार्य से सबके दिल टूटे हैं, अल्पसंख्यकों के दिल टूटे हैं अगर उन्हें नहीं बनाया गया तो बहुत खून खराबा हो सकता है । आज एक तरफ तो यह राम लला हम आयेंगे मन्दिर वहीं बनायेंगे कहते हैं वही दूसरी तरफ जिन लोगों ने राम लिखा है उनका कत्ले आम हो रहा है उनको परेशान किया जा रहा है । चाहे वह सुखदेव राम हों चाहे घुरूहूं राम हों, जो भी राम लिखता है उसका उत्पीड़न हो रहा है । आज जो अयोध्या में हो रहा है उससे पूरा प्रदेश जल रहा है, छोटे और बड़े मन्दिरों के साधुओं में लड़ाई हो रही है, साधुओं में विश्वास नहीं रह गया है उनकी बातों को पी०ए०सी० द्वारा दबाया जा रहा है । आज उन्हें पुलिस के बल पर इतना दबा दिया गया है कि वे बेचारे अपनी जबान तक नहीं खोल पा रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को वास्तव में राम भक्त कहते हो तो आप इसे पूरे देश और प्रदेश के हित के लिए आप वनवास चले जाओ ।

आज पूरे प्रदेश की जनता गुमराह है और इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है भा०जा०पा० कार्यकर्ताओं द्वारा और यह कहा जा रहा है कि अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है तो इससे मान्यवर, पूरे प्रदेश में खून खराबा हो जायेगा, यह देश बरबाद हो जायेगा । आज आप मन्दिर बनाते हो किसलिए क्या उसे तोड़ने के लिए बनाते हो ? आज इस विषय पर गम्भीरता से सोचना होगा । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री सुखदेव–

तो मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, आज पूरा प्रदेश जल रहा है इस आग में । सबके दिल टूट गये हैं, जनता में असंतोष व्याप्त है तो इससे भारत मां का मन्दिर भी टूटेगा । आज यह राम का मन्दिर बनाने के नाम से इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मन्दिरों को तोड़ रहे हैं तो इससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यह मस्जिदों को भी तोड़ेंगे । तो मैं आपके माध्यम से सिफारिश करता हूं कि वे इस देश और प्रदेश की जनता के लिए एक रास्ता निकालें, जो पूरा उपासना विधेयक है उसे माने और जो राम और रोटी इसाफ का नारा इन्होंने दिया है उसका पालन करें, अदालत की बात को मानो लेकिन इन्साफ भी नहीं मिलेगा । अदालत इन्साफ देती है, लेकिन आज यह इन्साफ के नारे को ठुकरा रहे हैं, रोटी के नारे को ठुकरा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुखदेव–

मान्यवर, यह देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें कुर्सी की लालच केवल रह गयी है। मैं इसी के साथ सभी वक्ताओं की बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुये इस विषय पर चर्चा की मांग करता हूं।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने जो इस मामले पर विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन् आप बार-बार माननीय नेताओं से कह रहे हैं कि इसकी ग्राह्यता पर बोलें। श्रीमन् इसकी ग्राह्यता इसलिए है कि यह जो अयोध्या में राम मन्दिर और बाबरी मस्जिद का विवाद है, वह आज से नहीं, सन् 49 से बल्कि उससे भी पहले से है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है और उसको यह आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके नेता लोग मानते नहीं। यह कहते हैं कि क्या राम का फैसला न्यायालय करेगा ? बड़ा दुख होता है कि जो बात सन् 47 और उसके पहले से पिछले 40-50 वर्षों से लम्बित है, न्यायालय के अन्दर, उस न्यायपालिका को यह मानने वाले नहीं हैं, न मानते हैं। यह है इसकी ग्राह्यता। दूसरा प्रश्न यह है कि इतिहास की बात तो आप छोड़िये, कल या परसों में इनके लोगों ने एक हनुमान जी के मन्दिर को तोड़ डाला और डेढ़ बजे रात में उसको ढहाकर हनुमान जी की मूर्ति को उठा ले गये। हनुमान जी लापता हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि पूजा विधेयक जो भारत सरकार ने पास किया है, वह पूरे हिन्दुस्तान पर लागू होता है, उसका मकसद यह है कि 15 अगस्त, सन् 47 को जो स्थिति पूजास्थलों की रही है, वह आज भी कायम रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको तोड़ रही है, उस स्थिति को बदल रही है। इसलिए नियम–56 में जो नोटिसें लोगों ने दी हैं, उसमें इसकी ग्राह्यता बनती है। यह सरकार पूजा विधेयक को नहीं मान रही हैं और इस सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश की जनता ने हमको राम मन्दिर बनाने के लिये जनादेश दिया है, मैंने अखबारों में पढ़ा है। मान लिया, इनको जनादेश मिल गया है, लेकिन इनसे बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने बनारस में बयान दिया, इलाहाबाद में भी दिया और कानपुर में दिया, वह कहते हैं कि हमने तो राम मन्दिर बनाने का वायदा कभी किया ही नहीं, यह तो विश्व हिन्दू परिषद् और दूसरे लोगों का काम है। हमारे पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी के प्रान्तीय अध्यक्ष माननीय कलराज मिश्र जी कहते हैं कि नहीं हमकी जनादेश मिला है और हम उसकी बाधाओं को दूर करेंगे। मर्यादा पुरूषोत्तम राम जी की मर्यादा को जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है, माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने पहुंचाया है, आज तक इतिहास में उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से व भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि डा० हेडगवार बहुत बड़े विद्वान थे और आर० एस० एस० के निर्माणकर्ता थे, उनकी लिखी हुई चीजों को वह पढ़ें। डा० हेडगवार जी ने कहा है कि हिन्दुस्तान का बटवारा, हमारी जो भावनायें हैं, छुआछूत की जो भावना है ऊंच-नीच की जो भावना है, उसकी वजह से हुआ है, कोई मुसलमान की वजह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हुआ है । उधर से एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा नहीं है । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वेदान्तों के विद्वान वहीं हैं ।

आज भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी के कारण पूरा देश व प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में झुलस रहा है । इसी साम्प्रदायिकता के कारण हमारा देश कई जातियों में बटा हुआ है । आज इस सरकार को प्रदेश के विकास का व जनता के हित का ख्याल नहीं है । इनको किस तरह से गद्दी मिल गई, जैसा कि श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा कि अन्धे के हाथ बटेर लग गई । मैं कहना चाहता हूं कि वह बटेर लग गई माननीय श्री मुलायम सिंह जी की वजह से । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब मैंने चुनाव के आंकड़ों को निकाला, अगर उसमें जनता दल और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के दल के वोटों को भी जोड़ दिया जाय तो आप में से बहुत से लोगों की जमानत जब्त हो जाती और आप इसी कोने पर बैठे होते । फिर वही दिन आने वाला है । आज मैं यह आपसे चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं । आप कहते हैं कि हमारी वजह से बने हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपका नाश भी इन्हीं की वजह से होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय कृषि मंत्री जी व जो पुराने लोग हैं.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री ऊदल जी हरदोई के सारे लोग तो आपके दोस्त हैं ।

श्री ऊदल–

जी हां, सभी दोस्त हैं । मैं 30-35 साल पहले से हरदोई जाता रहा हूं ।

आप भी उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, अब आप विछुड़ गये हैं वह अलग बात है । तो मैं कह रहा था इसमें से आधे से अधिक पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी को देखे भी नहीं होंगे । आज पंडित दीन दयाल उपाध्याय का नाम लेकर उनकी दुहाई देकर उनके नाम को कलंकित कर रहे हैं । मेरी मुलाकात उनसे भी हुई है । माननीय उमानाथ सिंह जी जानते हैं जब जौनपुर से चुनाव लड़े थे । (व्यवाधान) आप मत भूलिये जनमत करा लीजिये । जो आप कर रहे है उसका पाप आपको भुगतना ही है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश को साम्प्रदायिकता की आग में मत झोंकिये, न्यायपालिका की इज्जत कीजिये, उसके फैसले का सम्मान कीजिये, पूजा विधेयक को मानिये । नहीं मानेंगे तो सरकार संविधान के अन्तर्गत नहीं रह जाती है ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार कहां कानून सम्मत है । इस सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने संविधान का उसी दिन उलंघन कर दिया जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण किया एक तरफ आप संविधान की कसम खा रहे हैं और दूसरी तरफ आपका पूरा मंत्रिमंडल मेला देखने अयोध्या गया और वहां कह रहे हैं राम लला हम आये हैं मन्दिर यहीं बनायेंगे । (व्यवधान) अरे सेठों चलो बनारस मेरे साथ मैं वहां दिखाता हूं सैकड़ों की संख्या में मन्दिरों को दिखा सकता हूं जिन पर सेठों ने कब्जा करके उनमें दुकान बना दी हैं । मैं चुनौती देता हूं डंडी मारने वालों ने उनमें दुकानें बना दी हैं, मन्दिरों को ठग दिया है । (व्यवधान) लखनऊ में भी ऐसे हैं । तो जब सरकार संविधान का उलंघन करती हो, पूजा विधेयक को न मानती हो, यहां संविधान की शपथ लेकर फिर बारात लेकर जाती हों और कहती हो कि राम लला हम आये हैं, मन्दिर यहीं बनायेंगे तो वह सरकार कानून सम्मत सरकार नहीं है । यहां यह खुश हो रहे हैं । लेकिन इनके नेता माननीय अडवानी जी ने लोक सभा में कहा हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को राम मन्दिर बनाने का जनादेश मिला है, जोशी जी कुछ कह रहे हैं,

अडवानी जी कुछ कह रहे हैं और यहां कल्याण सिंह जी कुछ कह रहे हैं। अरे आपस में सलाह करके आप लोग बोलिये। यह समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन अगर हो गया तो हम तो शहीद हो जायेंगे और जनता हमें फिर दिल्ली पहुंचा देगी। एक बात मैं बता देना चाहता हूं याद रखिये इस देश की जनता धर्म निरपेक्षता में विश्वास करती है, इस देश की जनता सामंतशाही के विरुद्ध है, इस देश की जनता पूंजीवाद के विरुद्ध है, इस देश की जनता सेठों के मिलावट के विरुद्ध है। इस देश की जनता डंडी मारने वालों के विरुद्ध है। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं इसे गम्भीरता से लें।

(समय 2 बजे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री ऊदल–

नियम–56 के अन्तर्गत मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, श्रीमन् वह ग्राह्यता में आते हैं। न्याय की अवहेलना, न्याय पालिका की अवहेलना करना पूजा विधेयक का न मानना ग्राह्यता से ही सम्बन्धित हैं। आज सरकार जब मन्दिर को तोड़ रही है तो कल बाबरी मस्जिद को भी गिरा सकती है। जब मन्दिर को तोड़ रही है तो मस्जिद क्या है। श्रीमन्, जब आडवाणी साहब से रथ यात्रा के दौरान पूछा गया कि क्या आप मस्जिद को गिरा कर मन्दिर बनायेगें तो उन्होंने कहा कि ऐसी टैक्नीक डैवलैप हो गयी है दुनिया में कि हम मस्जिद को लाद कर पांच किलोमीटर दूर ले जायेंगे। जब मान्यवर, लाद के ही ले जाना था तो मन्दिर को क्यों तोड़ रहे हैं। आपकी नीयत में खोट है। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि नियम–56 में इसको आप स्वीकार करें और माननीय सदस्यों के विचारों को आप सुनें। मान्यवर, यह सरकार धर्म निरपेक्षता पर चोट कर रही है देश की अखण्डता पर चोट कर रही है। इस सरकार का सत्यानाश तो होना ही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मान्यवर, यह जो आज विचार आये हैं सदन में, नोटिस आई, सूचना आई 311 के अन्तर्गत मान्यवर, उसमें मैंने नियम–300 में औचित्य के प्रश्न पर यह नोटिस दिया था। मान्यवर, आज जो यह सरकार चल रही है उसके कारण प्रदेश में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, जैसा कि हमारे तमाम नेताओं ने उजागर किया कि पूजा विधेयक आने के बाद उसमें बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि को अलग किया गया है लेकिन जो अन्य मन्दिर हैं उन्हें उससे अलग नहीं रखा गया है। साक्षी गोपाल का मन्दिर सन् 1891 में बनाया गया था उसे तोड़कर मटियामेट बनाया जा रहा है। इनके माननीय सांसद की देख-रेख में हो रहा है। जब यह सत्ता में नहीं थे तो अलग बात थी। राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मान्यवर, हमारे संविधान में भी इसकी व्यवस्था है। राजनीति को अगर धर्म से जोड़ा जाय तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। ऐसा संशोधन लोक सभा में हो चुका है। यह सरकार पूरी तरह से राजनीति को धर्म से जोड़ रही है। जब तक यह सत्ता से बाहर थे, तो बात दूसरी थी लेकिन आज यह सत्ता में आ गये हैं तो संविधान की धारा को नहीं मानते है। सत्ता में आकर यह पूरी तरह से संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। धर्म विशेष के पक्ष में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी खजाने का दुरुपयोग धर्म के नाम पर हो रहा है। जब किसी क्षेत्र के विकास की बात आई है तो इनके खजाने में पैसा नहीं है। लेकिन यह सरकार अपने जेबी लोगों का उद्धार करने के लिये सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। यह धन का दुरुपयोग

अपने राजनैतिक लाभ के लिये किया जा रहा है । 88-89 में 48 एकड़ भूमि राम कथा पार्क के नाम पर एक्वायर की गयी थी । उसमें राम कथा पार्क बनाने के लिये टूरिज्म डेवलैपमेंट है, अयोध्या विकास प्राधिकरण है । इसके बावजूद भी उसका विकास नहीं किया गया । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी निर्माण के लिये जरूरत है कि अगर वह नगर पालिका की सीमा में है तो नक्शा पास होना जरूरी होता है । मान्यवर, वहां पर कोई नक्शा नहीं बनाया गया और अनर्गल तरीके से दीवार का निर्माण कराया जा रहा है । अभी हमारे नेता विरोधी दल ने ठीक कहा है कि भूमि को एक रुपये सालाना की लीज पर 99 वर्षों के लिये हस्तांतरित कर दिया गया है । एक रुपया वार्षिक दर पर रामकथा पार्क को 48 एकड़ भूमि देकर राम जन्म भूमि न्यास, इनके नेता न्यासी हैं, उनको सौंप दी गयी । वह पर्यटन स्थल नहीं बनेगा । वह विश्व हिन्दू परिषद् का कार्यालय बना दिया जायगा । इस तरह से सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है ।

दूसरी जमीन एक्वायर की गयी 1991 में, उसके विवाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उस जमीन पर कोई ढांचा खड़ा नहीं किया जायेगा । उस जमीन का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा । कोई ऐसा काम नहीं किया जायेगा जिससे उसका नक्शा बिगड़ जाये उसके बाद भी यह उसके चारों तरफ दीवार खड़ी कर रहे हैं । इस तरह से पूरी तरह से संवैधानिक विरोधी कार्य किया जा रहा है, जो धर्म निरपेक्षता की मूल भावना है उसका उल्लंघन किया जा रहा है । धर्म विशेष के चन्द लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है । अल्पसंख्यक और दूसरे धर्म के मानने वालों को उत्तेजित करने का काम किया जा रहा है । मंदिर गिराने का काम तो बाबर ने भी नहीं किया था, बाबर ने भी मंदिर को नहीं गिराया था, मस्जिद को बनाया था । सब कपोलकल्पित बातें हैं । यह पाखंडी लोग हैं । यह दलितों के उद्धार के काम नहीं करते हैं । पाखंडी धर्म के आधार पर यह चल रहे हैं ताकि इनका राज्य कायम रहे । संविधान की मूल भावना की हत्या कराने का काम इन्होंने कराया है । आज पूरे प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाली इस सरकार को इस सदन में बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है । मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं और आपसे तथा राज्यपाल महोदय से सिफारिश करना चाहता हूं कि संविधान के विरुद्ध जो यह सरकार है इसको बर्खास्त करना चाहिए । देश की जनता के हित में प्रदेश की जनता के हित में भाईचारा कायम रखने के लिये इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए ।

(श्री मुलायम सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय मुलायम सिंह जी का नाम ले लिया है माननीय मुलायम सिंह जी बोलेंगे इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

आप शान्ति बनाये रखें । पीठ का अधिकार है कि वह जिस माननीय सदस्य को चाहें उसको बुलवायें । जब पीठ की ओर से एक सदस्य का नाम ले लिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सब नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बातें हमारे साथी माननीय ऊदल जी ने सदन के अन्दर उठायी हैं। जो सभी बातें यहां पर उठायी गयीं उस संबंध में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सरकार कहती है कि उसने उच्च न्यायालय का कोई उल्लंघन नहीं किया, कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया और संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया। इन तीनों बातों के संबंध में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो जमीन का अधिग्रहण किया गया विश्व हिन्दू परिषद् न्यास के लिये तो उसमें प्लाट नं० 586-587-588 यह तीनों प्लाट हैं जिसमें कब्रिस्तान भी दर्ज है और वह विवादित जमीन है। उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है 14 अगस्त, 1989 का कि यथास्थिति बनायी रखी जाय। यह जो काम किया गया यह उच्च न्यायालय की अवमानना का काम किया गया। दूसरी बात, जो यहां पर 1947 की बात की गयी कि केन्द्र सरकार ने इसको पास किया है इसी के लिये माननीय वर्मा जी ने सचेत किया है। मा० प्रमोद तिवारी जी और सभी कांग्रेस के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। हमारी तादाद 5 एम० पी० की है। हम आपकी सरकार की रक्षा इस मुद्दे पर करेंगे। इसी लिये वर्मा जी ने सचेत किया है। दूसरी बात जो पर्यटन विभाग के लिये जमीन ली गयी उसका उद्देश्य, उसका सार्वजनिक उद्देश्य क्या है। पर्यटकों को विशेष सुविधा देने की बात कही गयी है। विश्व के 29 देश ऐसे होंगे जहां के लोग रामकथा पार्क में आयेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों, विचारों का प्रसार और प्रचार विश्व में होगा। आपने इसके विरोध में काम करके भगवान राम के आदर्शों को तोड़ने का काम किया है। प्लाट नं० 580, 581, 582, 583 अधिग्रहण भूमि की गयी है। इनके पूरब की ओर राम दीवार बनायी जा रही है उससे पूर्व और दक्षिण में मस्जिद की तरफ आने वाला रास्ता रुक जाता है इसीलिये विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। उत्तर की तरफ जो दीवार बनायी जायगी उससे भी रास्ता बन्द हो जायगा। यह विवादित स्थल की जमीन है, इसमें कब्रिस्तान दर्ज है तो इस तरह से उच्च न्यायालय की अवमानना की गयी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो दीवाल बनायी गयी है उसका नक्शा अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश नहीं किया गया है। जो जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसका विवरण प्रदेश की जनता के सामने नहीं किया गया है। इससे मालूम होता है कि मस्जिद को गिराने का साजिश है या मस्जिद को घेरने की साजिश है। आप लोग बीच-बीच में बहुत बोल रहे हैं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं लेकिन इतना कहना चाहता कि मान्यवर, राष्ट्रीय एकता परिषद् में आपके मुख्य मंत्री जी मिमियां आये, बकरी की तरह मिंमयां आये कि जो न्यायालय फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन यह लोग शेर की तरह दहाड़ते हैं कि हम मन्दिर बनाकर रहेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मंदिर आप कहां बनाना चाहते हैं। रामकथा पार्क में बनाना चाहते हैं या गर्भगृह में बनाना चाहते हैं या जहां पर शिलान्यास हुआ है, वहां पर बनाना चाहते हैं। इन तीन स्थानों में से कहां पर बनाना चाहते हैं। यह स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, जो यह ऊदल जी ने कहा, मेला लेकर गये थे और इतने बेहोश हो गये कि मुख्य मंत्री हाथ उठाकर नाचने लगे कि राम लला हम आये हैं, मंदिर यहीं पर बनायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर गर्भगृह में बनायेंगे तो राम कथा पार्क के लिये अधिग्रहण की क्या आवश्यकता थी, शिलान्यास स्थल पर बनायेंगे तो भी इस अधिग्रहण की जरूरत नहीं थी। मेरा आरोप है कि मंदिर के लिये या रामकथा पार्क नहीं लिया गया है, इन्होंने विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यालय के लिये यह अधिग्रहण किया है। इससे पूरे देश के मुसलमानों में ही दहशत नहीं है, जैन, पारसी, सिख, इसाई और हिन्दू, चाहे कोई भी हो, वह

भी दहशत में हैं । इससे हमारे जैसे हनुमान भक्त की भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है । मान्यवर, वर्मा जी ने पहले ही कहा, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धान्त नहीं है, तो ये क्या सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया टीका-टिप्पणी न करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपको याद होगा, जिसका नीति, सिद्धान्त और कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं होता, मनमाने ढंग से काम करती है, वह फासिस्ट सरकार होती है । इसको फासिस्ट सरकार कहते हैं देश की जनता ने सोचना शुरू कर दिया है कि यह फासिस्ट सरकार है । इसका कोई सिद्धान्त नहीं है । पहले नारा दिया था कि गऊ हमारी माता है, देव धर्म का नाता है, उसमें असफल हुए । भगवान राम का नाम लिया, असफल हुए । जितना अपमान भा० ज० पा० ने भगवान राम का किया है, इन नकली रामभक्तों ने किया है उतना अपमान उनका दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा । मान्यवर, इसी सदन के अन्दर इन नकली राम भक्तों के हमारे आदर्श पूज्य और महापुरुष राम हैं लेकिन मैं जिस समय शपथ लेने गया तो भाजपा ने कहा जय श्री राम, उत्तर मिला, जय श्री मुलायम । मुझे अफसोस हुआ । हमने अपने साथियों से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बराबर हम नहीं हैं । उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं हैं । लेकिन देखिये कि हम भगवान राम के आदर्श और मर्यादा पर बोल रहे हैं तो बहस करते हैं और महापुरुष राम कहें तो सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । उपहास करते हैं । एकता यात्रा का नारा देते हैं । वह नारा भी असफल हुआ, ये पूरी तरह से असफल हुए और उसके बाद अब स्वदेशी आन्दोलन करते हैं । ये स्वदेशी आन्दोलन चलायेंगे । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी आन्दोलन चलाया और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले स्वदेशी आन्दोलन चलायेंगे । इससे ज्यादा पाखण्ड और झूठ और क्या हो सकता है ? देश में इससे ज्यादा धोखाधड़ी और क्या हो सकती है ? इसीलिये ये सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । जहां तक कहते हैं कि जनादेश मिला है, अगर मिला है तो हमारे चुनाव में पहली बार कोई सत्तारूढ़ पार्टी दोनों जगह चुनाव में हमारे सामने उसकी जमानत जब्त हो गयी । यह देश धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाला है और अब ये क्या मुंह दिखाने लायक हैं ? आपकी पूरी की पूरी सरकार का कोई कुकर्म अब छिपा नहीं रह गया है । जो भी हो अब उसके बाद आपकी तिलहर और जसवन्तनगर क्षेत्र में भी जमानत जब्त हो गयी और आप बढ़-बढ़ के बातें करते हैं । मैंने पहले दिन कहा, हमें कोई पश्चाताप नहीं हुआ, हमारी सरकार चली गयी, हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि देश की अखण्डता के लिये, साम्प्रदायिकता के खिलाफ, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिये हमारी सरकार चली गयी और और अब फिर कहना चाहता हूं कि हम उस वक्त जिस नीति पर थे, हम उसी नीति पर आज भी अटल हैं, न्यायालय का फैसला या बातचीत के द्वारा मानेंगे । अगर ताकत के बल पर कोई अल्प संख्यक को दबाने की कोशिश करेंगे, तो एक बार नहीं 10 बार सरकार चली जाय, हमें कोई चिन्ता नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

अभी आप पहली बार जीत कर आये हैं, आप मत बढ़–बढ़ के बोलिये

(घोर व्यवधान)

मुझे हत्यारा वही कह सकते हैं, जिनके संस्कार इस तरह के हैं । वही लोग सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ।

(घोर व्यवधान)

इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नीति ज्यों की त्यों है । अगर कोई रास्ता अख्तियार करेंगे, तो हम लोग सत्ता में आयें या न आयें लेकिन मन्दिर मस्जिद की रक्षा करेंगे । अगर आप वायदा करें कि मस्जिद नहीं गिरायी जायेगी, तो मंदिर का विरोध नहीं करूंगा । यह हमारी नीति पहले भी थी और आज भी है । आज यह सबसे बड़ा मामला है । भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चलिये । मर्यादित करने के लिये हम इलाज जानते हैं कि कैसे किया जाता है ?

(घोर व्यवधान)

हम जानते हैं कि देश की अखण्डता के लिये और देश में सद्भावना बनाये रखने के लिये देश के लिये क्या किया है ? जो हमारे मुसलमान भाइयों ने, सिक्ख भाइयों ने जो आजादी के लिये कुर्बानियां की हैं, वह बड़ी मिसाल है । पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई, तो एक नवजवान गाजीपुर का अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के टैंक तोड़कर देश के लिये शहीद हो गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांत रहिये ।

माननीय यादव जी, जो विषय है, उसकी ग्राह्यता पर आप बोलें ।

(शोर होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अगर यह मुझे नहीं सुनेंगे तो इनके नेता की भी बात कोई नहीं सुनेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप शान्त रहिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सभी अल्प संख्यकों के साथ, विश्वास की दृष्टि से देखिये। जो उनको अविश्वास की दृष्टि से देखा जा रहा है, यह खतरनाक है । हम सभी जानते हैं कि सिखों ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये दीवारों में चुन जाना पसन्द किया, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान नहीं छोड़ा ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इससे गम्भीर और कोई मसला नहीं हो सकता है । जो अपने धर्म को उच्च मानते हैं और दूसरे धर्म को नीच मानते हैं, वे अपने धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं । आप कहीं पर देखें, हिन्दू धर्म में मंदिर तोड़े नहीं गये हैं, उनका जीर्णोद्धार किया गया है । यह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिये

हम चाहते हैं कि इस पर आप चर्चा करायें और कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं कि इसको भंग करावें, हम आपके साथ हैं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें । मैंने श्री राम गोविन्द चौधरी जी का नाम पुकार लिया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, नियम 311 में जो प्रस्ताव मैंने दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो बातें आ चुकी हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो और कोई नयी बात कहें और संक्षेप में कहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जितने वरिष्ठ नेता हैं, वह सभी अपने-अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन मैंने शुरू में प्रस्ताव दिया था और जब आप इस पीठ पर आये तो नियम 311 के अन्तर्गत सुनने के लिये आपसे आग्रह किया था । 311 का मतलब होता है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाये, जिसका निराकरण करना अनिवार्य हो जाये, तो यह नियम 311 उसी हालात के लिये बनाया गया है । प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सदन को चलाना आपका दायित्व है । आप 1977 से इस विधान सभा में आ रहे हैं और विपक्ष में रहकर प्रक्रिया और नियमावली की दुहाई देते रहे हैं और आज नियम 311 को समाप्त करके दूसरी प्रक्रिया बना ली है और नियम 311 के महत्व को कम कर दिया है, जो प्रक्रिया आपने बनायी है, उससे इसका महत्व कम हो गया है । मेरा निवेदन है कि आइन्दा आप ऐसा न करें । नियम 311 इसलिये है कि सदन के सारे कार्यों को स्थगित करके उस पर चर्चा करायी जाय ।

श्रीमन्, जब यह प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं रहेगी यह विधान सभा सुरक्षित नहीं रहेगी, विधायक विधान सभा के सदस्य नहीं रह जायेंगे, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जायेगा, यह सरकार बरखास्त हो जायेगी तो एक दिन का प्रश्नकाल चलाने का क्या मतलब निकलता है यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ? इसीलिये मैंने प्रस्ताव कर दिया, आज प्रदेश की स्थिति विषम हो गयी है, प्रदेश ही नहीं पूरे देश की और देश ही नहीं दुनिया के अधिकांश देशों में जहां हिन्दू धर्म के मानने वाले लोग हैं वह इस सरकार के कुकर्मों से कुंठित हो गये हैं और उनमें विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है । मैं जानता हूं कि राम का मंदिर बनाने के नाम पर इनको जनादेश मिला है । राम का मंदिर यह बनावें, राम का मंदिर बनाने का कोई विरोध भी नहीं है जो भी हिन्दू धर्म में पैदा हूआ है वह कोई न तो राम का विरोधी है और न राम मंदिर का विरोधी है । मैं कहना चाहता हूं और बधाई भी देता हूं मुख्य मंत्री जी को कि हमेशा दोहराते हैं कि हमको जनादेश मिला है राम मंदिर बनाने का बनायेंगे लेकिन उसे दोहराने के साथ अगर आपमें थोड़ी भी नैतिकता है तो मंदिर क्यों नहीं बनवाते ? आपकी कही एक बात को सही मानता हूं कि राम मंदिर बनाने का जनादेश मिला तो राम मंदिर तो आप बना नहीं सके उल्टे दूसरे मंदिरों को तोड़ दिया इसलिये आप इस्तीफा दे दो क्योंकि आप मंदिर बनाने के लिये शासन में आये हैं न कि मंदिर तोड़ने के लिये सरकार में आये गये हैं ।

आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसी तांत्रिक ने सलाह दिया किसी आदमी को कि फलां व्यक्ति की बलि चढ़ाओ तो तुम्हारे लड़के का कल्याण हो जायेगा । बलि चढ़ा दी जाती है तो क्या एक लड़के की जान बचाने के लिये बलि सही मानी गयी है, नहीं, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और जेल में भेजती है और ये राम मंदिर बनाने के लिये कई मंदिरों को तोड़ रहे हैं यह हिन्दू धर्म में कहां है ? आपने बौद्ध धर्म के पतन का कारण पढ़ा होगा बौद्ध धर्म हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में अपने धर्म का प्रचार करके उसको फैला दिया था और यह हिन्दू धर्म को कहने वाले लोग आज हिन्दुओं को एक खतरे में डाल दिये हैं राम को विवाद में डालकर 8 मंदिर तोड़े गये हैं । चुनाव के पहले जब समाजवादी जनता पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों ने हिन्दू समुदाय के साधु-सन्त, धर्माचार्य सबकी मीटिंग करकर जनमत इकट्ठा कराया और अब यह सरकार राम मंदिर नहीं बनने दे रही है और आज वही साधु-सन्त अयोध्या में रो रहे हैं । जब इस देश में राम थे और जब साधुसन्तों पर दुराचार, अनाचार, अत्याचार इस देश में राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते थे तो राम ने उनका संहार किया और सबको न्याय दिलवाया । मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधुओं के साथ अन्याय क्यों कर रही है, जो पूजा अर्चना करवाते हैं, मंदिर बनाये, जो एक-एक पैसा चन्दा मांगकर कुटिया और आश्रम बनाये हुए हैं और निवास कर रहे हैं ऐसे आश्रम और कुटियों को तोड़कर सरकार राम मंदिर बनाना चाहती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय चौधरी साहब, इस सदन के साथ न्याय करें और संक्षेप में बोलें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय चौधरी जी वही कर रहे हैं जो आप यहां बैठकर किया करते थे कोई नई बात नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, सत्तापक्ष के कई लोगों ने आज हमसे यह कहा कि आज दिन भर चर्चा हो इस पर, कई दिन चर्चा हो, हम लोग तैयार हैं तो आपसे प्रार्थना है कि इस पर पूरा चर्चा करायें नहीं तो यदि सरकार को बर्खास्त कर दिया जायेगा तो आप वहीं से सीधे चलकर चूनाव लड़ने चले जायेंगे, इसलिये इस पर बहस करवाइये, घबराइये मत, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, इसलिये सरकार को बचाइये मत आप अपनी सदस्यता को बचाइये । आज इस पर पूरी चर्चा कराइये । पहली बार माननीय उपाध्यक्ष जी आप किसी पार्टी से चुनकर आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

ग्राह्यता के लिये तो यह तर्क है नहीं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । इससे बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया में नहीं है । यह सही है कि मन्दिर को इसलिये गिरा रहे हैं कि कल मस्जिद को गिरा देंगे और कहेंगे कि हमने मस्जिद गिरायी तो मंदिर भी तो गिराया है । तो राम दीवाल को इन्होंने बनाया है, उससे पूरी मस्जिद को ढक रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, पता नहीं । इस देश में हिन्दू-हिन्दू को लड़ायेंगे, हिन्दू-मुसलमान को लड़ाने की साजिश है । हम लोग धर्म के पागलपन में बहने वाले लोग नहीं हैं । ये जानते हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट मिला है । अगर जनता ने राम मन्दिर के नाम पर जनादेश दिया है तो इसके लिये ये कुछ भी करें, यह नेतृत्व

का काम नहीं है । नेतृत्व का काम यह है कि जनता के कल्याण के लिये उसकी भावनाओं को मोड़ दें । जनता जो भी कहे अगर वही करना है तो क्यों मुख्य मंत्री बने, क्यों विधायक बनें और क्यों अध्यक्ष बनें, फिर तो गांव का वही आदमी इन पदों पर बने जिसने राम मन्दिर के नाम पर वोट दिया है । यह लोग इसलिये बने हैं कि इनमें नेतृत्व की क्षमता है । जनता के कहे हुए के अनुसार नेता नहीं चलता है । यह मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंदिर बनाने के बजाय मन्दिर गिराया जा रहा है । मुसलमान तो अपनी जगह है, अगर हिन्दू ही नाराज हो जाये कि मंदिर क्यों गिराया तो क्या होगा, हिन्दू-हिन्दू कट मर जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने अखबार में पढ़ा होगा कि राजस्व मंत्री ने एक बजे रात को एक साधू को, जो सोये थे, उसे जगाकर उनका मंदिर और जमीन ले लिया, सादे कागज पर दस्तखत करा लिया कि नहीं दोगे तो सरकार इसे ले लेगी । सुबह हमारे एक सत्तापक्ष के मित्र कह रहे थे कि साधू इनको गाली दे रहे हैं कि पहले जीप में लेकर घुमाते थे, अब भोजन के लिये भी नहीं पूछ रहे हैं । लोक सभा में गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, महत्वपूर्ण है । किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव की प्रक्रिया होने से तानाशाही प्रवृत्ति फैल जायगी, विधान सभा को भंग भी कर सकते हैं । कल चुनाव में जायेंगे अपनी अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण । इसीलिये नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप नियम 311 के प्रस्ताव को स्वीकार करिये और सदन में पूरी चर्चा कराइये नहीं तो हिन्दू धर्म को मानने वालों में पूरे देश में अजीब सी स्थिति पैदा हो जायगी ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, हिन्दू धर्म को पंगु बना कर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा धोखा हिन्दू धर्म के साथ किया है शायद वह इतिहास में किस रंग में लिखा जायेगा यह हम नहीं सोच सकते । श्रीमन्, हमारे हिन्दू धर्म में मन्दिर में पूजा करने को लिखा है मन्दिर को वेद मंत्रों से हटाना तो लिखा है लेकिन मन्दिर तोड़ना कहीं नहीं लिखा है शायद इनका हिन्दू धर्म कोई दूसरा हो । आज पूरे देश के हिन्दुओं के सामने एक प्रश्न इस मारे भी खड़ा हो गया है कि भगवान राम का नाम लेकर जो सरकार सत्ता में आयी है, इनकी बुद्धि, इनकी कलम इनके हाथ में नहीं है । सत्ता में यह जरूर बैठे हैं लेकिन श्रीमन्, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल और इसी तरीके की जो अन्य संस्थायें वे आज इनको बाध्य कर रही हैं कि संविधान विरुद्ध यह कार्य करें । इसका नतीजा आप देख सकते हैं । अयोध्या में जो मंदिर तोड़े गये हैं उनकी जो तस्वीरें अखबारों में आयी हैं उनको देखने से लगता है कि वहां के सांसद श्री विनय कटियार और विधायक श्री लल्लू सिंह चौहान को इस सरकार ने ठेकेदार बना दिया है मन्दिर तोड़ने का इनके ठेके में आज वहां मन्दिर गिराये जा रहे हैं । मान्यवर, इस सरकार की कथनी और करनी में साफ अन्तर रहा है ।

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जैसा कि अभी माननीय नेता विरोधी दल ने बताया, राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक में कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे आपने उपासना स्थल विशेष विधेयक, 1991 को भी माना फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आपको तीन स्पष्ट निर्देश दिये कि आज अधिग्रहीत भूमि को अन्य को स्थानान्तरित नहीं करेंगे दूसरे उस भूमि पर निर्माण नहीं किया जायेगा तीसरे मंदिर तोड़े नहीं जायेंगे फिर आपने माननीय-उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना क्यों की ? आज कुछ बुनियादी प्रश्न ऐसे खड़े हो गये हैं जिनके बारे में विचार होना चाहिए । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस अधिग्रहीत भूमि का रास्ता साफ करने में सरकारी खजाने का कितना रुपया खर्च किया गया और क्या कारण था कि आपने उस राम जन्म भूमि ट्रस्ट को एक रु० सालाना पर वह जमीन दे दी ? यह एक ज्वलन्त प्रश्न हिन्दू समुदाय के सामने खड़ा हो गया है । दूसरे श्रीमन्, 171 एकड़ भूमि अर्जित करने की बात है उन्होंने कोई भी ब्लू प्रिंट अभी तक प्रस्तुत नहीं किया कि जो 171 एकड़ भूमि अर्जित कर लेंगे तो उसमें कितने हिन्दुओं के मकान टूटेंगे और कितने हमारे मन्दिर टूटेंगे और कितने रास्ते टूटेंगे इन्होंने आज तक ऐसा कोई ब्लू प्रिंट नहीं दिया । इससे वहां के हिन्दुओं के मन में एक अविश्वास पैदा हो गया है कि पता नहीं कब उनके मकान यह सरकार गिरा देगी । मान्यवर, विश्व में 36 देशों में राम की पूजा की जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने राम पार्क के निर्माण का प्रस्ताव इस मारे कराया था कि कम से कम हिन्दुस्तान के हिन्दू यह जाने कि राम कथा की क्या सत्यता है, कितनी रामायणें हैं शायद यह भी इन्हें नहीं मालूम । विश्व में सबसे बड़ा राम का मंदिर कम्पूचिया में है हिन्दुस्तान में राम जरूर पैदा हुए थे लेकिन राम का सबसे बड़ा मंदिर कम्पूचिया में है शायद यह भी इन्हें न मालूम हो ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

एक प्रश्न पैदा हो गया कि क्या अयोध्या में केवल राम नाम का मंदिर रहेगा और बाकी क्या अन्य स्थानो के मंदिर टूट जायेंगे ? इन्होंने मान्यवर 1989 में नूरा कुश्ती खेली । मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के प्रधान मंत्री थे और उन्होंने 71 एकड़ भूमि अर्जित कर ली थी 2 दिन के लिए तो क्या इन्होंने विरोध नहीं किया था ? मान्यवर उस 71 एकड़ में संकट मोचन मंदिर आता था तब आपने क्यों विरोध किया और आज क्यों तोड़ रहे हैं हिन्दू समुदाय के आगे यह प्रश्न पैदा हो गया है । इन्होंने केन्द्र सरकार को कल रिपोर्ट भेजी है अयोध्या में कोई मन्दिर नहीं तोड़ा गया है । मान्यवर, मैं चुनौती देता हूं आप सदन की एक समिति बना दें अगर अयोध्या में मंदिर नहीं टूटे होंगे तो हम सब लोग सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं और अगर मंदिर वहां तोड़े गये हैं तो इन्हें एक मिनट भी उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है । अयोध्या के जन समुदाय के सामने एक विषम प्रश्न पैदा हो गया है । मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके मोक्ष पाने का समय आ गया है अब आप राम नाम सत्य है सत्य बोलो मुक्त है का नाम लेकर कम से कम मोक्ष प्राप्त कर लें । मैं मोक्ष के लिये कह रहा हूं नरक के लिये नहीं कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज हिन्दू आन्दोलित हो गया है । मान्यवर, कहीं मजबूर होकर केन्द्र सरकार को संविधान के अन्तर्गत वह कदम न उठाना पड़े जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा न होगा यदि आप मजबूर करते रहे तो हम बाध्य होंगे उस कदम के लिये । इन शब्दों के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस पर अन्य कार्य को रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आज प्रदेश के सामने नहीं बल्कि देश के सामने एक संकट पैदा हो गया है, कहा जा रहा है कि यह पहली सरकार है जो दो बात कहती है उसमें कहा जाता है कि यह दोगली सरकार है इस तरह से सरकार के ऊपर कुछ प्रश्न पैदा हो रहे हैं । मान्यवर, यह दिल्ली में कुछ कहते हैं, लखनऊ में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते है, यहां कुछ कहते हैं । आज कल्याण सिंह जी यहां बैठे हैं पता नहीं दिल्ली की राजनीति से कब फरमान आ जाय और यह चले जायं और सदन चला जाय ।

मान्यवर, आज एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है इतना बड़ा संवैधानिक संकट कभी पैदा नहीं हुआ जहां पर सरकार को केन्द्र सरकार ने ललकारते हुए कहा कि उ० प्र० सरकार भंग कर दी जायेगी । इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी होगी और क्षमा याचना की होगी कि एक मंदिर अयोध्या में नहीं तोड़ा गया । आज अगर इनमें नैतिकता है तो सदन में एलान करें कि अयोध्या में दर्जनों मंदिरों को गिराया गया है लेकिन इनमें चरित्र नहीं है सदन के अन्दर यह कुछ कहते हैं बाहर कुछ कहते हैं । 18 दिसम्बर, 1989 को जब 60 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गयी थी तो उस भूमि को पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया था और पर्यटन विभाग से कहा गया था कि वह पूरी-पूरी जमीन पर राम कथा पार्क का निर्माण कराये । जो जमीन अधिग्रहीत की गयी उस भूमि पर राम के जीवन पर राम के आदर्शों के संबंध में उस आधार पर विकसित किया जाय मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो दुनिया के देश जो हिन्दू धर्म में विश्वास करते हैं वह आकर राम के जीवन से संबंधित कलाओं को देखें । इतना ही नहीं पर्यटन विभाग ने इस संबंध में वास्तुविदों से सुझाव भी मांग लिये थे और इसमें सरकार ने एक करोड़ रु० भी मुआवजा में दिया था । 31 जनवरी, 1989 को मेसर्स श्रीवास्तव एवं जायसवाल को परिकल्पना का कार्य भी सौंप दिया गया था । सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि भा० ज० पा० ने देश और प्रदेश की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर जो ट्रस्ट को सौंपा है तो वह कौन ट्रस्टी है, सारी लिस्ट आउट हो चुकी हैं तो अपने नेताओं के नाम पर ट्रस्ट बनाकर और राम भूमि को ट्रस्ट को सौंप कर जो इन्होंने काम किया है इस प्रदेश की जनता के लिये विश्वासघात है । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने कई मंदिरों को गिरा दिया है जिससे हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है । मैं खुले मन से माननीय कल्याण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आज आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं अगर यह सरकार उनके आदेशों को नहीं मानेगी तो एक दिन भी यह सरकार इस सदन में नहीं चल सकेगी यह मैं चुनौती देता हूं । मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, क्या यह समझौता इनके माध्यम से नहीं हुआ था कि बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी और विश्व हिन्दू परिषद् के बीच जो समझौता होगा वह हम मानेंगे और इन्होंने यह भी कहा था कि अगर नहीं हुआ तो हम माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उसको मानने के लिए बाध्य होंगे । तो इस तरह से जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अगर बाबरी मस्जिद का एक भी हिस्सा, एक भी ईंट अगर गिरायी गयी तो पहले हम लोगों की लाशें गिरेंगी फिर मस्जिद

गिरेगी । हम उस मस्जिद को गिरने नहीं देंगे चाहे कल्याण सिंह जी अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगा दें।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक मिनट और लेना चाहूंगा । मान्यवर, जो अखबारों में नक्शे प्रदर्शित किये गये हैं, यह कहते हैं हम राम दीवार बना रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल मुसलमान की भावनाओं को ही नहीं बल्कि हिन्दुओं की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं और जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि आजादी के पहले हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ था वह दो हिस्सों में बंट गया था हिन्दुस्तान और पाकिस्तान और यदि आज भी यही स्थिति रही तो हिन्दुस्तान आज फिर दो हिस्सों में बंट जायेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज यह हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय कल्याण सिंह जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में होगा यह मैं चुनौती देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

अन्त में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि नियम-311 के अन्तर्गत सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह देश मंदिरों का देश है । यहां पर एक नहीं हजारों मंदिर हैं । चाहे वह मीनाक्षी का मंदिर हो, चाहे तिरुपति जी का मंदिर हो या चाहे बालाजी का मंदिर हो । यहां पर एक नहीं न जाने कितने मंदिर बनते रहे हैं । जब समय आया है मंदिर बने हैं, पताकायें फहरायी हैं, घंटे घड़घड़ाये हैं और आज एक मंदिर के नाम पर, इस देश के इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आयेगा जब एक मंदिर के नाम पर इस देश के हिन्दू, मुस्लिम और सिख को जब मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही हो इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा हो । यह एक चिन्ता का विषय है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह हिन्दू धर्म दुनिया की संस्कृति में एक ऐसा धर्म है जिसने तलवार के बल पर नहीं बल्कि प्रचार के बल पर राज्य किया है । यहां के ऋषि मुनि अत्यन्त प्रतिभाशाली और ज्ञानी रहे हैं । उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर धर्म के नाम पर पूरी दुनिया से यह कहा था कि आओ हमको परास्त करो, हमसे शास्त्रार्थ करो, हमको परास्त करो जहां तर्क के माध्यम से ललकारा और कहा आओ, तर्क करो और तर्क में हमको परास्त करो, तब तो तुम्हारी बात मानेंगे अन्यथा नहीं मानेंगे । तलवार की धार पर हिन्दू ने कभी धर्म का प्रचार नहीं किया ; हमारे यहां बड़े-बड़े आक्रान्ता आये, लेकिन उन्होंने भी इससे प्रभावित होकर हमारे ऋषि मुनियों के चरणों में अपने माथे झुका दिये और उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया । आज इस देश की धरती पर मंदिर के नाम पर मंदिर ही तोड़े जा रहे हैं, मंदिर के नाम पर हिन्दू, मुसलमान, जैन, पारसी, सिख, ईसाई के मन में शंका पैदा कर दी गयी है, तो इस देश को अक्षुण्ण कौन रखेगा ? मान्यवर, जिस देश में यह नारा दिया गया हो, 'सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा' तो आज इस गुलिस्तां को यह तोड़ने जा रहे हैं, यह बाग वीरान होने जा रहा है, इसलिये यह सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है । मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का पूरे का पूरा इतिहास उठाकर देख लिया जाय, केवल यही एक देश आपको ऐसा

मिलेगा, जहां हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी एक दूसरे के गले में गले डालकर रहते हैं, एक साथ जिन्दा हैं और एक साथ मरेंगे, यह एक साथ देश की माटी के लिये लड़े हैं। मान्यवर, आज भी बहुतों को याद होगा कि 1857 में जब क्रान्ति असफल हो गयी, तो अंग्रेजों ने कहा, बूढ़े बहादुर शाह जफर से कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, माफी मांग लो, तो बूढ़े 72 साल के बहादुर शाह जफर ने कहा कि हम माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। तब अंग्रेजों ने उसको एक शेर लिखकर भेजा और उसका जवाब देने को कहा, "दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगे जान की," उसके जवाब में बूढ़े बहादुर शाह जफर ने कांपते हुए हाथों से शेर का जवाब देते हुए लिखा, "तख्ते लंदन तक चलेगी, तेग हिन्दुस्तान की" तो मान्यवर, यह वह देश है, जहां पर हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी एक साथ हैं, रहे हैं और रहेंगे। इस देश की धरती के अन्दर सभी एक साथ जियेंगे और मरेंगे। यह देश सबका है और सबने साथ-साथ जीने की कसमें खाई हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर मंदिर के नाम से जुड़े हुए दिलों को तोड़ने की बात की जा रही है, मंदिर के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, यह देश के साथ न्याय नहीं है, देश के लोगों के साथ न्याय नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म की यह विशेषता है, जो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, वह यह है कि महाभारत के युद्ध में भी गांडीव उठाये अर्जुन से युद्ध के मैदान में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा था "सर्वे भवन्तु सुखनाः, सर्वे सन्त निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किश्चित दुख भागभवेत"। यह वह धरती है, जहां सुख दुख की कल्पना साथ की गयी है। आज यह लोग सर्वे भवन्तु सुखनाः, सर्वे सन्त निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किश्चित दुख भागभवेत को तोड़ने जा रहे है।

मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि चाहे वह कोई भी हो, इस तरह की बात करने वाला कतई हिन्दू नहीं है, वह इस देश के नाम पर कलंक है। क्या सरकार में बैठने वाले लोग इस तरह का न्याय करेंगे, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर लोगों के बीच खाई पैदा करके, विभेद करके राजनीति चलायेंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं, तो यह न्याय कैसे होगा। यह अन्याय होगा, देश की जनता के साथ, देश की धरती के साथ अन्याय होगा। न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया, उसका पालन नहीं होगा, संविधान की धाराओं का पालन नहीं होगा, जो भारत सरकार ने नियम बनाया, उसका पालन नहीं होगा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप फिर क्या मानेंगे। देश की धरती को तोड़कर जिन्दा रहेंगे। जिस देश की आजादी के लिये महात्मा गांधी ने खून बहाया, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गये, जिन महात्मा गांधी के खून के धब्बे को आज देश अभी तक धो नहीं पाया है, क्या उस देश की आजादी को आप बेच देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी, देश

(समय 3 बजे)

की एकता का सवाल है न इस देश को बचाने का आपका मन है। वह आदमी जो इस देश में एक अन्तहीन दुख व विषाद पैदा करना चाहता हो तो वह हिन्दू नहीं है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर विश्वास नहीं करता, वह हिन्दू नहीं है। अभी भी समय है। भावनाओं के वेग में बहकर खून की बारिश नहीं होनी चाहिए। इस देश के अन्दर मानव और मानव के बीच में विभेद नहीं होना चाहिए। इस देश की एकता व अखण्डता को बचाइये। जिन लोगों ने अपने खून से इस देश को आजादी दिलवायी है और जिन्होंने आज देश को इस स्थिति में पहुंचाया है, उनके साथ अन्याय न करें। यदि आपने ऐसा किया तो यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, जब आप इस प्रकरण पर सभी की बातें सुनें तो आप भी अपना इस पर विवेकपूर्ण निर्णय देने की कृपा करें।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, जब आप इस पर चर्चा करवा ही रहे हैं, तो हमें भी बोलने की अनुमति देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि उनके हस्ताक्षर हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं पूरे हिन्दुस्तान का इतिहास न बताऊं। मैं आपकी अनुमति से जिस विचारधारा के आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में मैं श्री एम० एस० गोलवालकर की "विचार नवनीति" पुस्तक का एक उद्धरण दे रहा हूं। उसमें राष्ट्र की परिभाषा को बताते हुए यह कहा गया है कि जो देश होता है, वह केवल जनता ही नहीं हुआ करता। उस देश की संस्कृति उस देश का इतिहास, उस देश की सभ्यता, उस देश का रहन-सहन और उस देश की परम्परायें तथा उस देश के मंदिर-मस्जिद इन सबको मिलाकर वह भी इस ढंग से मिलायें कि उससे एक संगीत पैदा हो। तब देश बनता है। इसीलिये जब मन्दिर की बात आयी और जो अभी पहले चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की धर्मप्राण जनता के चित्त में मन्दिर निर्माण की यह बात पैदा की। श्रीमन्, मंदिर तभी बनता है जब किसी व्यक्ति या समूह में उत्साह पैदा होता है और या फिर उस व्यक्ति या समूह की उन्नति चरम बिन्दु पर पहुंचे। इसीलिये हमारे यहां मन को मन्दिर कहा गया, हृदय को मंदिर कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने राम मन्दिर निर्माण की बात कही। लोग एकदम से सब कुछ भूलकर इनके पीछे दीवाने हो गये और ये लोग सत्ता में आ गये क्योंकि लोगों के चित्त में यह आशा जगी कि मन्दिर की बात कह कर ये लोग सत्ता में आये हैं, इसलिये मन्दिर बनायेंगे। जब यह सरकार बनी तो पूरी की पूरी सरकार अयोध्या गयी। अयोध्या में जाकर इनकी सरकार ने व मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मन्दिर यहीं बनायेंगे। श्रद्धालु लोग जिन्होंने अपना वोट दिया, उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि क्या ये मन्दिर बनायेंगे। जब भी मन्दिर बनने की बात आती है या होती है और या फिर मन्दिर बनने की बात जोड़ी जाती है तो प्रत्येक के मन में एक उल्लास उठता है। ठीक उसी तरह से मानसिक वेदना भी पैदा होती है जब कोई मन्दिर गिरता है। आज जो लोग सामने बैठे हैं, इन्होंने मन्दिर ढहाने का काम किया। मन्दिर ढहाने से आज केवल हिन्दू ही नहीं अपितु मुसलमान भी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में क्षुब्ध है। पूरे देश का जनमानस क्षुब्ध है क्योंकि मंदिर ढहाने की बात कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। सोमनाथ मन्दिर जरूर आहत हुआ था जो लोग आहत करने आये थे उनका नाम मैं नहीं लूंगा (व्यवधान) नाम उधर से आ जायेगा लेकिन उसमें जो भावना थी मंदिर के आहत होने के मन्दिर तोड़े जाने के पीछे वह लूट थी। श्रीमन्, मैं बड़े अदब से, बड़ी विनम्रता से कहूंगा वही भावनायें यहां भी है राम जन्म भूमि न्यास को लाभ पहुंचाने के लिये मन्दिर ढहाये गये हैं। इससे न केवल आदरणीय सदन बल्कि पूरा देश चिन्तित है। मान्यवर, बात कही गयी कि इतिहास न दोहरायें पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुस्तक "इन्टिग्रल हयूमैनिज्म", एकात्म मानववाद (व्यवधान) हिन्दी यह समझ नहीं पाते हैं (व्यवधान) मैं सकारात्मक बोल रहा हूं, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मैं उस पक्ष की तरह कोई गुंडई नहीं करता जिस तरह से उधर से हाथ उठाकर धमकी देते हैं मैं उस भावना से नहीं बोलता हूं यह बात करते हैं एकात्म मानव वाद की, यह बात करते हैं संस्कृति की, यह बात करते हैं धर्म की तो यह बता दें कि कौन से उपनिषद में, कहां राम चरितमानस में, रामायण में किस धार्मिक

पुस्तक में लिखा है कि मंदिर को ढहाने की बात । इस देश में मन्दिर बनाने की बात से समाज में प्रसन्नता होती है, मंदिर ढहाने से किसी को खुशी नहीं होती ।

एक बात और कहना चाहता हूं मुकदमें की, तो यह सवाल माननीय न्यायालय के विचाराधीन है । उसमें राम जन्म-भूमि न्यास एक पार्टी है । जब कोई मुकदमा होता है तो दोनों पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वह दोनों अलग-अलग रहें । लेकिन यहां सरकारी तंत्र से न्यास को एक बहुत बड़ी सम्पत्ति सौंपी जा रही है उसके पीछे वही बात सोमनाथ मंदिर को लूटने वाली आती है । सरकार न्यास के लोगों को संतुष्ट करने के लिये यह कर रही है क्योंकि इन्होंने वायदा किया था मंदिर वहीं बनायेंगे । आपने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम मंदिर बनायेंगे । जब आप इधर बैठते थे तब कहा करते थे मंदिर बनाने के सवाल में न्यायालय कौन होता है । माननीय मुलायम सिंह यादव यह कहा करते थे या तो दोनों पक्ष वार्ता से सहमत हों या फिर न्यायालय का फैसला मानो । जब यह उधर पहुंच गये तो मंदिर बनाने की बात भूल गये । न्यास के लोगों ने किस तरह से चुनाव में मदद की थी, उनको खुश करने के लिये, जनता को भ्रमित करने के लिये कहते हैं प्रथम चरण पूरा हो रहा है, द्वितीय चरण पूरा हो रहा है इस तरह से जनता को भ्रम में डाल रहे हैं । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि लोगों को भ्रम में न डालें और यह स्पष्ट करें कि राम मंदिर बनाने के नाम पर कितने और मंदिरों को तोड़ा जायेगा ? भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 में (व्यवधान) धर्मसंकट में तो यह पड़े हैं क्या करें, पूरा मंत्रिमण्डल धर्मसंकट में पड़ा है । यह मंदिर न बनाकर मंदिरों को ढहा रहे हैं । यह बतायें कि कितने मंदिर तोड़े गये हैं ? इनके सांसद की फोटो आयी है खड़े होकर हाथ उठाकर कह रहे हैं यहां तोड़ो (व्यवधान) हाथ दिखाकर कह रहे हैं यहां तोड़ा जाय । मान्यवर, अगर कोई ऐसा चित्र बनाया जाय कि यहां पर मंदिर बनाया जायेगा तो कुछ तर्क-वितर्क भी होता । मान्यवर, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद–27 की बात कर रहा हूं । इसमें साफ लिखा है कि सरकारी खर्च से, राजकोष से किसी धर्म विशेष को कोई लाभ नहीं पहुंचाया जायेगा । मान्यवर, इसका उल्लंघन हुआ है और न्यास को फायदा पहुंचाया गया है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में, देश में मंदिर तोड़े जाने का मामला फैल रहा है । यह तो हम जानते हैं कि मंदिर नहीं बनाया जायेगा । इसका ठीक-ठीक पता है । लेकिन जो मंदिर हैं उनको क्यों तोड़ा जा रहा है, उनको क्या ढहाया जा रहा है । हम एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण उपस्थित कर रहे हैं । अगर आप मंदिर बनायें तो पूरा देश प्रसन्न होता और विश्व में मंदिर के नाम पर प्रसन्न होने वाले लोग और प्रसन्न होंगे ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, धर्म संहिता का उल्लंघन तो हुआ ही है । एक कानून संसद द्वारा पारित हो गया उसका भी उल्लंघन हुआ है । पूरे प्रदेश व देश की जनता की भावनायें आहत हुई हैं । इसलिये यह विषय महत्वपूर्ण है । इससे ज्यादा महत्व का और कोई विषय नहीं हो सकता । देश के लोग मंदिर के नाम पर प्रसन्न होते रहे हैं । आज उनकी भावनायें आहत हुई हैं । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को नियम–311 के अन्तर्गत जो सम्बन्धित नियम हैं, उनका निलम्बन करते हुए इसे सुनने की कृपा करें ।

(श्री शिव कुमार बेरिया का नाम पुकारे जाने पर)
(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बेरिया साहब का नाम लिया है ।

(व्यवधान)

(श्री श्याम नारायण के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

बेरिया जी आप बैठ जायं । श्री श्याम नारायण जी को बोलने दें । इसके बाद में आप बोल लें ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मैंने स्वयं लिखित सूचना दी है । अगर मेरा नाम न हो तो मैं चला जाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री श्याम नारायण का नाम ले लिया है । आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप जो अनुमति देंगे, आपके आदेश का पालन होगा । एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसको तो सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने प्राथमिकता के आधार पर कल भी सूचना दी थी और आज भी है । अब आप मौका न देना चाहें, न दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आप ही के दल के हैं । अब पहले वह बोल लें या आप बोल लें । आपका भी नाम है । श्री श्याम नारायण जी बैठ जायं । अवस्थी जी आप भी बैठ जायें । व्यवस्था का प्रश्न उठा है, उसे सुन लें । जिन माननीय सदस्यों के नाम इसमें हैं उनको एक-एक करके अवश्य मौका मिलेगा।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम–311 की सूचना में जिनके नाम हैं उनके अतिरिक्त जिनका सूची में नाम नहीं था, उनको भी बोलने की अनुमति मिली और बिना किसी ग्राह्यता के प्रश्न को लेकर सामान्य चर्चा के रूप में चर्चा कराई गई । इसके बाद जब उस समय प्वाइंट आफ आर्डर हुआ व्यवस्था का प्रश्न उठा तो उसको किनारे करते हुए, व्यवस्था को न सुनते हुए ऐसे लोगों को सुना गया जिनका नाम सूची में नहीं था । मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि सूची से अलग लोगों को अगर सुना जाय तो कम से कम हम लोगों को भी सुनने की कृपा करें । हम लोगों को भी चर्चा में भाग लेने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर लेता हूं ?

* श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, आज सम्पूर्ण सदन इस प्रश्न की ग्राह्यता पर विचार कर रहा है जिनका सीधा सम्बन्ध, हम देखें तो हमारे राष्ट्र की आत्मा से, हमारी अस्मिता से, हमारी मर्यादाओं से है । एक शब्द बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि "गर्व से कहो कि हम हिन्दू हैं" मुझे भी गर्व है कि मैं हिन्दू हूं और इससे बड़ा गर्व यह है कि इस हिन्दुस्तान की शस्य श्यामला धरती पर जन्म लिया, लेकिन हिन्दुत्व की मर्यादा राजनीतिक समीकरण के तहत मानी जाती है, तो कहीं न कहीं से हिन्दुत्व की परिभाषा कलुषित होती है । मैं राजनीतिक उठापटक से अलग हटकर ही कहना चाहूंगा । जब दीवारें तफरका उठती हैं तो दिल टूटते हैं आज दीवार तफरका करने की बात हो रही है । मान्यवर, राम का मंदिर बनायेंगे यह वायदा यह सरकार करके आयी थी । यही वायदा इन्होंने किया था । हम अन्य मंदिरों को तोड़ेंगे यह वायदा नहीं किया था । भावनाओं पर किसी का वश नहीं होता है मैं मानता हूं । इन्हें जनादेश मिला है । हम आपके जनादेश का सम्मान भी करते हैं । आप जनादेश को सम्मानित करते हैं इसीलिये सत्तापक्ष में आप और प्रतिपक्ष में हम हैं । मान्यवर, मैं 1985 में सदन में चुनकर आया था, तो सत्तापक्ष में सबसे पीछे की बेंच पर बैठा करता था । माननीय कल्याण सिंह जी प्रतिपक्ष में बैठते थे, तब मैं सदन की मर्यादाओं के बारे में श्री कल्याण सिंह जी से सीखता था, लेकिन मर्यादाओं की वास्तविक परिभाषा में कल्याण सिंह जी ने भूमिका अदा की है मैंने उनसे सीखा है आज नेता सदन के रूप में गुरुतर भार माननीय कल्याण सिंह जी के ऊपर है, मैं इसे सबसे बड़ा गुरुतर भार मानता हूं । प्रदेश में हिन्दू भी हैं मुसलमान भी हैं ईसाई भी हैं । राम का मंदिर बनेगा इन्होंने कहा था कि हमको परखो एक बार सबको परखा बार-बार । माननीय कल्याण सिंह जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही कसौटी थी आपकी, कि इस तरह से मंदिर गिरायेंगे, क्या इसी तरह से परखने की आपकी कसौटी थी । मान्यवर, हरिजन विधवा, जिसके अन्दर भगवान का स्वरूप होगा उसका मकान गिरा दिया गया । साक्षी गोपाल के भोग लगाने की परम्परा को खंडित करने का प्रयास, ईश्वर की परम्परा को विखंडित करने का प्रयास, क्या यही थी आपकी कसौटी । 2 नवम्बर, 1991 को राष्ट्रीय एकता परिषद् में हमारे मुख्य मंत्री, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री और नेता सदन ने जो बात कही थी वह सीधी उत्तर प्रदेश की मर्यादा से सम्बन्धित थी । माननीय नेता सदन ने राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की बैठक में कहा कि हम न्यायालय के निर्देश को मानेंगे । लेकिन जो कार्य किया गया क्या उससे न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन नहीं हुआ ? मात्र एक रुपये के किराये पर विश्व हिन्दू परिषद् को यह जमीन दी जाती है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि प्रदेश में वित्तीय संकट है । मान्यवर, हिन्दुस्तान ही नहीं सम्पूर्ण विश्व से परिषद् ने मंदिर के नाम पर चंदा उगाही की थी । सैकड़ों-सैकड़ों करोड़ रुपया इनके न्यास के पास है । अगर न्यास से धन लिया गया होता और न्यास से उचित कीमत लेकर वह जमीन न्यास को दी गयी होती तो हम मानते कि माननीय नेता सदन के मन में राजस्व सम्पूर्ति का इरादा है और जनमानस की भावना का आदर करने का इरादा है । लेकिन यह सम्भव नहीं हो सका । माननीय राजस्व मंत्री जिनको मैं अग्रणीय मानता हूं, बड़े भाई का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्मान भी देता हूं, क्या माननीय मंत्री जी आपने अपनी मर्यादाओं का खंडन नहीं किया है। रात को 1 बजे तो चोर डकैत होते हैं जो पंचायत करते हैं। किसी प्रदेश सरकार का मंत्री नहीं जाता है। मान्यवर, लाल बत्ती लगाकर आप लोग गये। अगर दिन के उजाले में मंदिर बनाते, विवाद तय कराते तो उचित होता लेकिन रात में बाबा हरिदास से दस्तखत कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इससे लगता है कि आपकी मंशा और आपका मंतव्य कहीं से कलुषित था। सदन के सदस्य, मेरे साथी भाई लल्लू सिंह जी मेरी ही तरह जनमत से चुनकर आये हैं। मेरे ही मंडल के सांसद श्री विनय कटियार जी हैं। उनका समाचार पत्रों में फोटो छपता है, फोटो देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के मैनेजिंग डाइरेक्टर बना दिये गये हैं। अगर बना दिये गये हैं तो किस राजाज्ञा के अन्तर्गत बनाये गये हैं। भाई लल्लू सिंह जी क्या राज्य पर्यटन निगम के जनरल मैनेजर बना दिये गये हैं, अगर बना दिये गये हैं तो कौन सी राजाज्ञा इसके लिये जारी की गयी है ? अगर जारी की गयी है तो जनप्रतिनिधि का दायित्व क्यों निभा रहे हैं। आप दीवाल बना रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर कहां बनायेंगे, गर्भगृह में बनायेंगे या रामकथा पार्क में बनायेंगे। जब माननीय तिवारी जी नेता सदन थे तो 1988-89 में रामकथा पार्क के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहीत भूमि का 1 करोड़ 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। 65 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी थी और सब कुछ हो चुका है तो आपने एकाएक उसमें परिवर्तन कर दिया। अगर आप की मंशा साफ है तो आपके विचार एक क्यों नहीं हैं ? आप अगर आपकी मंशा जनहित की रही होती तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रान्तीय अध्यक्ष को एक बात कहनी चाहिए। मान्यवर, जब चुनाव हो रहे थे सुल्तानपुर में जगदीशपुर चौराहे पर फैजाबाद जनपद के एक सम्मानित मंत्री जी कह रहे थे कि दायित्व हमारा है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम मंदिर बनायेंगे। लेकिन बाद में मंत्री जी ने अपने आपको अलग कर लिया और कहा कि यह हमारे विचार नहीं हैं यह हमारे घोषणा-पत्र में है। दूसरी तरफ इनके राष्ट्रीय नेता माननीय अटल जी ने होली मिलन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मंदिर बनाने का हमारा लक्ष्य नहीं है यह तो विश्व हिन्दू परिषद् का कार्य है, हम तो बाधायें दूर करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, अगर इसी तरह की बातें रहीं तो हो सकता है कि सदन को एक रुपया वार्षिक किराये पर विश्व हिन्दू परिषद् को सौंप दें और कहें भाई यह तो हमारा कर्तव्य था, हमने न्यास को सौंपा। माननीय मुख्य मंत्री जी विषय बहुत गम्भीर है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यह सदन मर्यादाओं में रहे, माननीय मुख्य मंत्री जी हमें कुछ और सीख दें और जो ग्राह्यता का प्रश्न, जिस पर चर्चा चल रही है, इस पर स्पष्ट चिंतन हो, इस पक्ष से हो गया, उस पक्ष से भी हो जाय, होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में बोलें। पर्याप्त विचार हो गया है। लगभग दो घंटे हो गये हैं।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष–

जिन लोगों के सूचना में नाम हैं, उन्हीं को आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, कुछ अन्य लोग पहले ही बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

जो पहले बोल चुके हैं, उन्हें छोड़ दें । जिन लोगों के सूचना में हस्ताक्षर नहीं हैं उनको आमंत्रित नहीं करूंगा । जो हो चुका है उसको कार्यवाही से निकालने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, जो पहले से चल रहा है, उसी हिसाब से तो चलेगा । उपाध्यक्ष महोदय चले गये । उस समय भी यह व्यवस्था का प्रश्न उठा था और जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं, ऐसे कई लोग बोले थे ।

श्री अध्यक्ष–

जिन लोगों ने सूचना दी है, उनके वक्तव्य समाप्त हो जायं, उसके बाद आपकी व्यवस्था पर व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, इतने लोग बोले हैं, 4-5 लोग बोले हैं । आप कम से कम न्याय तो कीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना देने वाले अपना वक्तव्य समाप्त कर लें उसके बाद व्यवस्था दे दूंगा । आप उतावले अधिक लग रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, और लोग भी उतावले हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया धैर्य रखें ।

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

मान्यवर, तीन घंटे से यह विषय चल रहा है । इसकी कोई सीमा तो होगी और कार्यक्रम आगे चलाने के लिये ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

बिना सूचना के सारे लोग बोलने जा रहे हैं । हमें भी कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए ऐसे कह रहे हैं, आखिर सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद ।

श्री अध्यक्ष–

यह मुहावरे प्रयोग करने का अवसर नहीं है । आप निश्चिंत रहें मैं व्यवस्था दे दूंगा । आप सब कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

* श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों ने जो विचार आपके सामने व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज इस विधान सभा के सामने एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार के गृह मंत्री ने यह चेतावनी दे डाली है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्यायपालिका के आदेशों का पालन नहीं किया तो इस सरकार को भंग कर देंगे। मान्यवर, हम तो पहले से जानते हैं कि इस सरकार ने, जिस दिन से कुर्सी पर बैठी है, इसने एक क्षण के लिये भी कभी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का पालन सही माने में नहीं किया। सरकार बनते ही पूरी की पूरी सरकार, मय मुख्य मंत्री और सारे मंत्रियों सहित सीधे गर्भ गृह में घुस गये और वहां जाने के बाद यह सरकार बोली राम लला हम आये हैं, मंदिर यहीं बनायेंगे। इस सरकार के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अन्दर घूम-घूम कर यह घृणित प्रचार किया। प्रचार किया गया कि इस देश को बांटने में, इस देश को तोड़ने में मुसलमानों का हाथ है, अल्पसंख्यकों का हाथ है। मान्यवर, इन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, जब देश का बंटवारा हुआ था, तो उस समय मुसलमानों के दो बड़े नेताओं ने देश के विभाजन का जम कर विरोध किया था। उनमें से एक का नाम था सीमान्त गांधी अब्दुल गफ्फार खां और दूसरे का नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जंगी की आजादी की जो पहली लड़ाई चली, उसकी पताका किसी हिन्दू के हाथ में नहीं, बल्कि एक मुसलमान बहादुर शाह जफर के हाथ में थी। उस वक्त देश के लिये कुर्बानी करने वालों में अटल बिहारी बजपेयी व अडवानी के खानदान के नहीं, बल्कि बहादुर शाह जफर और शेरशाह शूरी जैसे आदमी के हाथ में था। ये लोग राणा प्रताप का नाम बहुत लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अकबर के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिये राणा प्रताप के साथ हकीम खां सूर ने जान दे दी थी, जोकि जाति के मुसलमान थे। आज ये रोज नारा लगाते हैं कि मंदिर बनाकर रहेंगे। लेकिन जब भी ये मंदिर बनाने का नाम लेते हैं, तब-तब मंदिर बनने के बजाय एक मंदिर टूट जाता है। इससे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्दर रहने वाले व हिन्दू धर्म को मानने वाले भयाक्रांत हैं, क्योंकि आज हिन्दुत्व को खतरा किसी और से नहीं, बल्कि भा० ज० पा० से है। पूरे अयोध्या में आज पुजारियों को हटा कर उनके स्थान पर आर० एस० एस० के लोगों को बैठाया जा रहा है। विश्व हिन्दू परिषद् के लोग पुराने पंडितों को हटा कर आर० एस० एस० के पंडित बैठाल रहे हैं, ताकि उसका चढ़ावा भगवान के नाम पर नहीं, बल्कि विश्व हिन्दू परिषद् के खजाने में जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब इसके आगे नहीं लिखा जायेगा।

*श्री बलराम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस गम्भीर प्रकरण की ग्राह्यता पर बोलने की आज्ञा आपने दी है, उसकी ग्राह्यता पर लगभग दो घंटे से माननीय सदस्यों के विचार आ रहे हैं। आपकी पीठ से नियम 311 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने के लिये आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। उसमें बल देने के लिये मैं मान्यवर, खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पिछले नवम्बर के महीने में जब प्रदेश में उप चुनाव होने जा रहा था,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके पहले भी मंदिर निर्माण के नाम पर कुछ मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया चालू की गयी थी। उस भावना का लाभ उप चुनावों में उठाने के लिये मंदिर तोड़े गये थे। मान्यवर, इनका केवल एक निशाना है मस्जिद को तोड़ने का। उस समय जो डी० एम० और एस० पी० शासनतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में थे, इनके इस कृत्य के अनुपालन में अपनी असमर्थता जाहिर की थी, इसलिये उन्हें हटा दिया गया था और उनके स्थान पर अपने झंडाबरदार अधिकारी डी० एम० और एस० पी० फैजाबाद में नियुक्त कर दिये गये हैं। वे इस मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया में सहयोगी बन गये हैं। देश की अखण्डता पर आघात पहुंचाने का इससे गहरी चोट कोई अन्य नहीं हो सकती। इन्होंने अपने 9 महीने के कार्यकाल में हिन्दू मुसलमान भाई चारा को मजबूत करने का एक भी मिसाल या कार्य नहीं किया है, क्योंकि पिछले दिनों जब ये सरकार में नहीं थे, तात्कालीन सरकार पर ये भाईचारा तोड़ने तथा हिन्दू विरोध का आरोप लगाते थे। लेकिन आज हिन्दुओं के प्राचीन मंदिरों को तोड़ कर इन्होंने हिन्दू भावनाओं पर जो आघात पहुंचाया है, इससे देश के करोड़ों हिन्दुओं के मन में राग और द्वेष उत्पन्न हो गया है। इस तात्कालिक विषय पर भारत की लोकसभा में ही नहीं चिन्ता व्यक्त की गयी, बल्कि गृहमंत्री ने इस सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने के लिये बल देता हूं।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मेरे पूर्व जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हू कि यह अति गम्भीर प्रश्न है, जिस पर आप चर्चा करा रहे हैं। अगर हम इस मसले को तर्क से और आम सहमति से हल नहीं करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलने वाले हैं। अगर कोई सम्मानजनक हल नहीं खोज पाये तो इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान होने वाला नहीं है और भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आमसहमति और तर्क के आधार पर मन्दिर-मस्जिद प्रश्न हल किया जाना चाहिए। हमारे समाज ने बड़े-बड़े आदर्श प्रस्तुत किये हैं। थोड़े दिन हुए हैं, एक बीस साल का नवजवान खड़ा हुआ था, उसने कहा कि हमारे परिवार के लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन हमें समाज को बनाना और आगे बढ़ाना है। उसको खुशहाल करना है, मानव को सम्मान देना और इसकी गरिमा को उजागर करना है। यह बालक सरदार भगत सिंह था जो इन कार्यों व देश की आजादी के लिये फांसी के फंदे पर चढ़ गया। यह आदर्श है। जिसकी ऊंचाई छूना कठिन है। हमें इस पर सोचना होगा और इन आदर्शों को ध्यान में रखना होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दो कौमों का प्रश्न नहीं है, दो पंथ हो सकते हैं हिन्दू मुसलमान दो कौम नहीं हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। एक मां के दो लड़के हुए, एक ने दूसरा पंथ स्वीकार किया और दूसरे ने दूसरा स्वीकार किया। जिसने दूसरा पंथ स्वीकार किया, वह विदेशी नहीं हो गया, बाहरी नहीं हो गया, वह भी उसी मां का बेटा है। हमारे देश में बहुत से लोग बाहर से आये हैं। कौन बाहर का है कौन अन्दर का यह बहुत बारीक प्रश्न है परन्तु इतिहास की गम्भीर समझ है कि हम सब भारतीय हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें। बहुत ही संक्षेप में समाप्त करें।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, आपकी लाल बत्ती हो गयी । तो मान्यवर, हम सभी इस देश के रहने वाले हैं सभी का इस देश के निर्माण में योगदान है । यह धर्म के ठेकेदार, धर्म के चौधरी इस देश को बना नहीं सकते हैं। साम्प्रदायिक तनाव और उन्माद पैदा कर रहे हैं । इस कारण अगर पुनः चुनाव हुआ तो देश आर्थिक संकट से टूट जायेगा । पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अगली बार कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा । मैं इस सदन में चुनकर आया हूं। मुझे वोट की चिन्ता नहीं है, लेकिन इस बात की चिन्ता है कि इस अहम मसले पर आम सहमति कैसे बने और अगर आम सहमति नहीं बनती है, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे । केन्द्र सरकार इस कार्यवाही को रोके और मस्जिद की रक्षा करे । अगर नहीं रोकेगी तो मैं इस सदन में कदम नहीं रखूंगा और अगर आवश्यकता हुई तो प्राणों की आहुति भी दे दूंगा । हम जैसे बहुत देशभक्त इस पर मरने को तैयार हैं, प्राणों की आहुति देंगे देश को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे । मैं एक मिनट और अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री श्याम नारायण–

|x x x|

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें, कुछ लिखा नहीं जा रहा है । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन कई घंटों से इस अहम मुद्दे पर बात–चीत कर रहा है और इसमें दो राय भी नहीं है कि एक ऐसे विषय पर आज पूरा देश चिन्तित है जो राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है । मैं चाहूंगा मान्यवर, कि लाल बत्ती जल्दी न जलायें |x x x| (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया टीका-टिप्पणी न करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

यह किस हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने इनको सदन के सदस्य की हैसियत से बोलने की अनुमति दी है और ये सदस्य के नाते बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, इन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक सदस्य के नाते बोल रहे हैं । उसे देख लें ।

|x x x| यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

हम देख लेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

रात को रात कह दिया मैंने बस इस पर बिगड़ गयी दुनियां असल में काम की कुछ बात मेरे मुंह से सुनने को मिलती वह भी न सुनने के लिए अगर आपका शोर है तो यह अफसोसनाक है पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमान खौफ की जिन्दगी गुजार रहें हैं, वो समझने हैं कि एक ऐसी सरकार सत्ता में है एक ऐसी सरकार है जो |x x x| सत्ता में आई है, एक ऐसी सरकार है जिसने सड़कों पर यह नारा लगाया है कि |x x x|

(व्यवधान)

अनेक सदस्य–

झूठ है, झूठ है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । मोहम्मद आजम खां जी शब्दों पर संयम रखते हुए बोलें । आप लोग कृपया शांत रहिये, बहुत सी बातें कही जाती हैं जो सुनने के लिए होती हैं । जहां आपत्तिजनक होगा, मैं निकाल दूंगा । (व्यवधान) मैंने निकाल दिया उसे ।

(घोर व्यवधान होने पर)

आप लोग शान्त रहिए । उन्होंने कहा कि सारे देश के अल्पसंख्यक भय और आतंक के वातावरण में जी रहे हैं, तो सारे देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, आप उन्हें कहने दीजिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं अनुमति चाहूंगा आपसे और संरक्षण भी चाहूंगा कि इस अहम् मुद्दे पर वे बातें भी आनी चाहिये, जो अभी तक नहीं आ सकी हैं । यह समझा जाता है कि 1947 के बाद भी दो कौमी नजरिया बाकी है । यह 1947 के पहले यह मसला तब पैदा हुआ जब हिन्दुस्तानी बहुसंख्यकों ने मुसलमानों को अलहदगी के गार में ढकेल दिया एक नाम अब्दूल कलाम आजाद, दूसरा मो० अली जिन्ना था । जो पाकिस्तान के बनवाने के जिम्मेदार कहे जाते थे, हिन्दुस्तान तकसीम नहीं होगा, यह तो कहने के लिए मौलाना आजाद ने एक प्लान रखा जिसका नाम था कैबीनेट मिशन प्लान, गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और लाहौर में प्रस्ताव हुआ कि जहां जिस धर्म के लोग हैं वहीं सरकार बनाएं और हिन्दुस्तान नहीं बंटेगा । मुसलमान हिन्दुस्तान को तकसीम नहीं होने देगा यह तय हो गया । यह प्रस्ताव कांग्रेस के सेशन में पास हुआ ।

(घोर व्यवधान)

नोट– |xxx| यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आज मैं इस बात का भी जवाब दे दूं कि बहुत से माननीय सदस्य हैं । मेरे नाम के साथ जो बात कही कि भारत मां को [xxx] किसने कहा ? मैंने जो कहा वह किसी ने नहीं सुना लेकिन आपको जिससे फायदा होता है उसे आपने सुन लिया । मैं आपकी तरह [xxx] कि जो कहा उसका इकरार न करूं ।

(घोर व्यवधान)

हम को मिटा सके, ये जमाने में दम नहीं,

हम से जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं ।

यह सरकार नफरत की बुनियादों पर तकसीम की बुनियादों पर बन गयी है, लेकिन ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकती है । जो सरकार मुसलमानों का नाम लेकर बाबरी मस्जिद के लिये पूरे हिन्दुस्तान में मुसलमानों को मुजरिम की तरह पेश करके सत्ता में तो आ सकती है वह बहुत दिनों तक रह नहीं सकती ।

मैंने कहा था कि वह मां जो अपने बच्चे के खून की प्यासी हो, वह मां नहीं है, "डायन" है । यह कुदरती हकीकत है कि जो बच्चा अपनी मां की छाती से दूध पीता है, वह दूध नहीं है, मां का लहू है । कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत मां की छाती पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं जो लहू बह रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है ? उसके जिम्मेदार लोगों कृपया इस कलंक को हटाइए । भारत मां को अपमानित न करो ।

(घोर व्यवधान)

मेरी बात न आगे की सुनी गई न पीछे की सुनी गई । जिस शहर से मैं चुनकर आता हूं सौभाग्य है कि 1980 से लेकर आज तक मेरी हर तकरीर के आडीओ और बीडियो कैसेट बने हैं । रामपुर की दुकानों पर मेरी तकरीरों के कैसेट सेट बनकर बिकते हैं, उसमें भी यह जुमला है । मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं मैं आपसे तर्क नहीं कर रहा हूं, इस तरह किसी सख्स को मजबूर करना, इसी का अंजाम है कि जो सबसे बड़े देश भक्त थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग में वतन परस्ती के लिये सैकडों लाशें बिछवा दी थीं, उन्हें मजबूर कर दिया अलहदगी का नारा देने को । उन्हीं लोगों की तंगदीली का नतीजा है जिन्होंने पंजाब को हिन्दुस्तान से अलग होने को बाध्य कर दिया है ।

मान्यवर, मैं कह रहा था.....

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें । अगर बीच में व्यवधान नहीं होगा तो जल्दी बात समाप्त हो जायेगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मान्यवर, मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे यहां हिन्दू, मुसलमान और सिख, ईसाई जिस तरह से एक होकर रहते थे उसकी मिसाल बहुत कम है । मैं उनकी मिसाल नहीं दे सकता । यह इस देश की

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गुजरी तारीख इसकी मिसाल है । लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत से साथियों को कष्ट होगा, उस वक्त लोगों ने ऐसी बातें कहीं, देश बट गया । एक बड़े कांग्रेसी नेता ने प्रेस कान्फ्रेंश की और उसमें यह कहा गया कि 1947 के बाद हिन्दुस्तान की शक्ल क्या होगी यह हिन्दुस्तान का हिन्दू तय करेगा और फिर नतीजा यह हुआ कि नारा लगा आधी रोटी खायेंगे पाकिस्तान बनायेंगे इसका नारा दिया गया । मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी जी से फिर कहा कि जो बात कांग्रेस सेशन में तय हुई थी उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, मैं उन कांग्रेस के नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता हूं, गांधी जी ने कहा था.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहे और माननीय सदस्य को अपनी बात कह लेने दें । माननीय मोहम्मद आजम खां जी आप अपनी बात कृपया दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि कांग्रेस सेशन फिर बुलाया गया.....

(व्यवधान)

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, यह ग्राह्यता पर कहां बोल रहे हैं ?

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, इन्हें ग्राह्यता पर बुलवाइये ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहे और माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मान्यवर, कांग्रेस सेशन फिर बुलवाया गया मगर देर बहुत हो चुकी थी .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें और माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने दें । अगर उसमें कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसे निकलवा दिया जायेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसके बाद देश आजाद हुआ और आजादी के दो साल बाद 22/23 दिसम्बर, 1949 की रात को जहां बाबरी मस्जिद स्थित है और जहां राम जन्म भूमि भी कही जाती है, वहां के थाने में एक रिपोर्ट लिखाई गई । उस रिपोर्ट की नकल मेरे पास है । यह रिपोर्ट एक [xxx] दरोगा व एक [xxx] हेड मुहर्रिर ने लिखाई है ।

श्री अध्यक्ष–

आप [xxx] शब्द क्यों जोड़ रहे हैं । आप केवल दरोगा कहें । इस [xxx] शब्द को आप निकालें । किसी भी जाति व धर्म का आदमी किसी भी पद पर हो सकता है । आप केवल पद कहें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[xxx] तो किसी को भी कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी कि माननीय सदस्य मुस्लिम नेता की हैसियत से बोल रहे हैं या सदस्य, विधान सभा के नाते से बोल रहे हैं । तो उस समय मैंने कहा था कि वह सदस्य, विधान सभा के नाते से बोल रहे हैं । इस प्रकरण पर आप [xxx] शब्द पर जोर मत दें । इसलिए मैंने इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया है ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इस सदन के अन्दर किसी के नाम के साथ जाति लगाना उचित है या अनुचित ?

श्री अध्यक्ष–

यह अनुचित नहीं है । जब माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए तो जहां पर आवश्यकता प्रतीत होती है, वहां पर वह कह सकते हैं । परन्तु इस प्रकरण पर इस शब्द पर जोर देना ठीक नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी हूं, इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं । उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि 22/23 दिसम्बर की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में सीढ़ी लगाकर दखल दिया वहां पर मूर्तियों को स्थापित कर दिया और मस्जिद को नापाक कर दिया । जबकि हमारे देश को आजाद हुए मात्र दो वर्ष हुआ था उस वक्त । हमारे देश ने कोई तरक्की नहीं की थी, कोई ज्यादा लोग पढ़े-लिखे नहीं थे और न ज्यादा यूनिवर्सिटीज थीं आज हम आजादी के लगभग 44 कदम आगे बढ़ गये हैं । हमें जहां चांद सितारों की बात सोचनी चाहिये थी जैसा कि दुनिया सोच रही है । वहां आज हम हजारों कदम पीछे हट गये हैं । पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के लौहपुरुष जैसे लोगों ने उस समय जो खत लिखे हैं, वे सब यहां हाईकोर्ट बैंच की फाइलों में रखे हैं । उसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद से तत्काल मूर्तियों को हटाया जाय नहीं तो हम हिन्दुस्तान के बाहर अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेंगे । जो लैटेस्ट रिपोर्ट है, हिन्दुस्तान के जो बहुत बड़े आर्कियोलोजिस्ट द्वारा साया हुई है, हिस्टोरियन की साया हुई है ऐसी तारीख को जिन्हें भारत सरकार जब कहीं किसी जगह से कोई पत्थर निकालता है तो उनसे कहा जाता है कि आप बतायें कि यह पत्थर कितने साल पुराना है । .....

नोट– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अयोध्या स्थित विवादित स्थल के बारे में हिस्ट्री प्रस्तुत करने से न्यायालय की अवमानना होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय श्री मोहम्मद आजम खां जी उस विवादित स्थल के बारे में एक हिस्ट्री प्रस्तुत कर रहे हैं और उन तर्कों की बात कर रहे हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाओं तथा कई सूट्स के माध्यम से वहां सबजुडिश हैं । जो विवादित स्थल है, जैसा कि कुछ लोग उसे मस्जिद कहते हैं और कुछ लोग उसे मन्दिर कहते हैं । (समय 4 बजे) और विवाद इसी बात का है । जो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है अगर उस बात पर यहां पर निर्णय होना है और कुछ माननीय सदस्य उधर से यह प्रस्तुत करें कि वह मस्जिद है और इधर से माननीय सदस्य यह सिद्ध करें कि यह मंदिर है तो यह उचित नहीं होगा । मैं समझता हूं कि जो विवाद न्यायालय में लम्बित है क्या उस पर बहस करने की आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात सही है, मैं सहमत हूं माननीय सदस्य माफ करें, अब अनुमति नहीं है । (श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होनें पर) अब आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने जो बात कही और जो न्यायालय में मुकदमा है उससे बिल्कुल परे है । मैं थाने में लिखी गयी एफ० आई० आर० की बात कर रहा हूं । आज कोई भी व्यक्ति थाने से उसकी कापी निकलवा सकता है । मैं मुकदमें के बारे में कोई राय पेश नहीं करना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि 42-43 साल पहले हिन्दू और मुसलमानों के दिल एक दूसरे के प्रति कितने उदार थे, उनका कैसा रिश्ता था ? आज की तारीख में सूट नम्बर 5 का मुकदमा हाईकोर्ट बेंच में सुना जा रहा है जिसमें जमीन एक्वायर करने का मामला भी शामिल है । आज बड़ी ही तारीखी दिन है आज और कल भी इस मुकदमे को सुना जाना है। इस सूट नम्बर 5 में राम मंदिर न्यास एक पार्टी है और मान्यवर, जब न्यायालय में कोई न्यास पार्टी है और यह पट्टा 1989-90 में पूर्व सरकार कर चुकी है .....

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

फैक्ट्स को वेरीफाई कर लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं भेज देता हूं ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, यह क्या बहस हो रही है ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं कापी भेज देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे नहीं ले रहा हूं अब आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बात उधर से हुई, मेरे पास सरकारी नक्शा है इसमें प्लाट नं० 580, 581, 582 और 583 है और 582 नम्बर का प्लाट यही है जो बाबरी मस्जिद/राम जन्म भूमि का विवादित स्थान है । इसी प्लाट पर विवाद है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप लाल बत्ती बुझा दें । कुछ सूचना अगर मेरे पास है, कुछ मालुमात ऐतिहासिक मालुमात मेरे पास हैं तो वह सदन को मिल जानी चाहिए । (व्यवधान) [x x x] तो मैं बहुत से मामलों में जानकारी देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरद्वार दुबे–

डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, यह असंसदीय है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैं सारी कार्यवाही का एक-एक शब्द पढ़ लूंगा, आप चिन्ता न करें । माननीय आजम खां आप समाप्त कर दें, मैं अब आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं आपको बोलते 23 मिनट हो गये । आप इस बात को समाप्त कर दें । मैंने और माननीय सदस्यों को 3 मिनट दिये आपको 23 मिनट दे दिये ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बी० जी० पी० सरकार के राजस्व मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस पूरे सदन में इस बात को कुबूल किया है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मामला विवादास्पद मामला है और वह हाई कोर्ट में लम्बित है । आज इन्होंने इस बात को कुबूल किया है । इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरे पास एक नक्शा है.....

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब आप समाप्त कर दें । यह समाप्त हो गया है ।

नोट–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैंने व्यवस्था का प्रश्न इसलिये उठाया था कि पूरे भारत और भारत के तमाम लोग यह बात जानते हैं और मानते हैं कि वह राम जन्म-भूमि है ।

(कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे –– घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया व्यवस्थित हो जायं ।

(अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे)

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

(वेल में आये सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया, मो० रिजवानुल हक ने मेज से पेपर छीन कर फाड़ दिया) [x x x]

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक का आज की कार्यवाही चलने तक सदन से निलम्बन

श्री अध्यक्ष–

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक ने मेरे अधिकारियों की मेज से पेपर छीनकर फाड़े हैं और इसलिये मैं माननीय रिजवानुल हक के विरुद्ध नियम–299 (क) में कार्यवाही कर रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

नियम 299 (क) के अन्तर्गत मैं श्री रिजवानुल हक को जिन्होंने मेज पर आकर पर्चा फाड़ा है आज जब तक सदन की कार्यवाही चलेगी, तब तक के लिये निलम्बित करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

कृपया अपना आसन ग्रहण करें । मैं हाउस को साढ़े चार बजे तक के लिये स्थगित करता हूं तब तक मार्शल वेल को खाली करा दें ।

(घोर व्यवधान)

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 4 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी, 4 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है । 5 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । 5 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन के पुनः आरम्भ होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मोहम्मद रिजवानुल हक, कृपया सदन त्याग कर दीजिये । मैंने आपको आज के उपवेशन के शेष समय के लिये नियम 299 के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया है ।

नोट– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, कारण बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

आपने वेल में आकर कागज फाड़ कर फेंक दिया है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, अगर मैंने कोई कागज फाड़कर फेंका है, तो वह कागज कहां पर है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्वयं देखा है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की ओर इशारा करते हुए) मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप सदन त्याग कर चले जाइये ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मैं नहीं जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं मार्शल को निर्देश दे रहा हूं कि वह बल प्रयोग करके श्री मोहम्मद रिजवानुल हक को सदन से बाहर कर दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, वह स्वयं खेद प्रकट करने के लिये तैयार हैं । उनका कहना है कि मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है । मैं चाहता हूं कि वह खेद प्रकट कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले वह सदन से बाहर जायं ।

(मार्शल ने विधान सभा रक्षकों की सहायता से श्री मोहम्मद रिजवानुल हक को सदन से बाहर निकाल दिया)

(व्यवधान)

(समाजवादी जनता दल के सदस्य सदन के मध्य आ गये और नारे लगाने लगे तथा वहीं बैठ गये जिससे व्यवधान बना रहा)

नोट– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कृपया इस बात के लिये तैयार रहें कि यदि किसी एक सदस्य का नाम लेकर या सामूहिक रूप से इंगित करूं तो वह प्रस्ताव पेश करें ।

मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य सदन के वेल में हैं, वह अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायें ।

जो माननीय सदस्य सदन के वेल में बैठे हैं, वह अपने-अपने स्थान पर चले जायें । मैं अन्तिम बार निवेदन कर रहा हूं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, जो कुछ हुआ है.....

श्री अध्यक्ष–

अभी कुछ नहीं हुआ है । सदन का स्थगन हुआ है और अव्यवस्था हुई है और जो हो रहा है, उसे आप देख रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

एक बार आप उनको मौका दे दीजिये, वह खेद प्रकट कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

खेद हृदय से प्रकट किया जाता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

एक बार मौका दे दें । यह उत्तेजना में हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, माननीय नेता विरोधी दल से स्वयं खेद प्रकट कर लें और वह मुझे सूचित कर दें, तो मैं निलम्बन वापस ले लूंगा और इस बात के लिये अगर वह तैयार नहीं हैं तो नियमानुसार कार्यवाही होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपको यह देखना चाहिए कि किस प्रसंगवश ऐसा हुआ है ? आपने ऐसा निर्णय ले लिया। आपको समान नजर रखनी चाहिए । राजस्व मंत्री जी ने फैसला दे दिया । आपको उनकी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

राजस्व मंत्री वेल में तो नहीं आये । कागज तो नहीं फाड़ा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

राजस्व मंत्री जी के इस कृत्य से संविधान को ठेस पहुंची है इसलिये आपको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए । श्री मोहम्मद रिजवानुल हक का दोष क्या था ? उन्होंने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष–

अगर कुछ और करना चाहते हैं, तो वह भी कर लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उनका बयान गैर जिम्मेदाराना था। जो आपने निर्णय दिया है, वह [x x x] नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उनके कार्य को उचित ठहराना, यह भी उचित नहीं। उन्होंने यहां आकर अधिकारियों के सामने कागज फाड़ा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अगर कोई ऐसी बात कही जाती है, जिससे प्रदेश की जनता को आघात पहुंचता है, तो उसे आपको संज्ञान में लेना चाहिए। [x x x]

श्री अध्यक्ष–

प्रसंग केवल हक साहब का है। राजस्व मंत्री जी ने अपना एक दृष्टिकोण प्रकट किया। आप उनके दृष्टिकोण को सुनते।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक के आज की कार्यवाही चलने तक सदन से निलम्बन सम्बन्धी निर्देश की वापसी

(श्री स्वामी नाथ यादव, श्री लाल जी वर्मा एवं श्री सुरेन्द्र सिंह के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं देता, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा और कुछ नहीं लिखा जायेगा।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मैं सेन्ट्रल हाल गया था श्री मोहम्मद रिजवानुल हक साहब ने खेद प्रकट कर दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि उनका निलम्बन वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

आपसे उन्होंने क्षमा प्रार्थना कर ली।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं अभी सेन्ट्रल हाल गया था हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी और कैलाश नाथ सिंह यादव जी भी गये थे। श्री मोहम्मद रिजवानुल हक साहब ने हमसे खेद प्रकट किया कि आइन्दा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार मौका दे दें और निलम्बन समाप्त करने की कृपा करें।

नोट– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि मैंने अभी यह कहा था कि यदि माननीय मोहम्मद रिजवानुल हक साहब नेता विरोधी दल के सामने भी क्षमा मांग लेंगे तो उनके निलम्बन को वापस कर दूंगा, निरस्त कर दूंगा । माननीय नेता विरोधी दल ने सूचना दी है कि श्री मोहम्मद रिजवानुल हक ने उनके तथा प्रमोद तिवारी जी तथा कैलाश नाथ सिंह यादव जी के समक्ष खेद प्रकाश कर दिया है इसलिये मैं 299-क के तहत जो आज के अधिवेशन के शेष समय के लिये उनका निलम्बन था, उसको वापस कर रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे माफ कर दीजिये अब बहुत हो गया । आपका नाम माननीय उपाध्यक्ष ने पुकारा था ।

राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री द्वारा अलग-अलग समय पर अलग-अलग बयान दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन है कि लगभग साढ़े तीन घंटे तक इस विषय पर विभिन्न सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर पूरे काल तक उपस्थित थे, मेरे ख्याल से पर्याप्त मात्रा में विचार आ गये हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी अब अपना विचार रखें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सूचना पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

हस्ताक्षर का मतलब यह नहीं होता है कि समय का ध्यान न रखा जाय । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मैं ग्राह्यता पर कुछ कहना चाहता हूं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अभी इस सदन में आपके समक्ष माननीय राजस्व मंत्री ने जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस सदन में यह घोषणा की कि राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद विवादित भूमि पर है और वह कोर्ट में मामला लम्बित है । फिर थोड़ी देर के बाद यह उन्होंने कह दिया खड़े होकर कि वह राम जन्म-भूमि मंदिर है और वह मंदिर है, रहेगा,

रहेगा, रहेगा । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस संविधान की इन्होंने शपथ ली है और आज अभी इन्होंने कह दिया कि कोर्ट की अवहेलना नहीं करेंगे उसकी खुली अवहेलना किया है, अवमानना किया है । यह कैसे हो सकता है कि जो सरकार संविधान की शपथ लेकर आयी हो और जो सरकार एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में, आज भी इन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला मानेंगे । एक मिनट के बाद यह घोषणा कर दिया कि वह राम जन्म-भूमि है । मान्यवर, ऐसी सरकार जो संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन न करती हो, जो कोर्ट की अवमानना करती हो, ऐसी सरकार कैसे चलेगी ? मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस तरह से बनी यह सरकार कैसे चलेगी, जनजीवन को कैसे न्याय देगी, जब सरकार कोर्ट की बात नहीं मानेगी तो कैसे काम चलेगा ? जिस संविधान के तहत सरकार शपथ लेकर आयी है उसका पालन नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस पर अपना भाषण करें तो प्रकाश डाल देंगे ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज की तारीख से यह सरकार है ही नहीं न यह मुख्य मंत्री हैं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय उठ गया है । संविधान के अन्तर्गत शपथ लेकर मंत्रिपरिषद् के सदस्य कार्य करते हैं । उसमें कोई कह दे कि अमुक बात सही है और उसके तुरन्त बाद अपना बयान बदल दे कि मैं तो यह कहता हूं तो दोनों में एक बात [x x x] है । सदन को माननीय मंत्री जी ने गुमराह किया है । ऐसे सदस्य का मंत्रिमण्डल में रहना क्या न्यायोचित है ? माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करें । एक ही समय में सदन में दो बातें नहीं कही जा सकती ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजस्व मंत्री कह रहे थे कि इस देश की जनता क्या मानती है उस ढांचे को ?

श्री लालजी वर्मा–

यह आज की तारीख से सरकार है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

अभी कोई ऐसी बात नहीं है, कार्यवाही से सारी बात स्पष्ट हो जायेगी । सभी लोगों ने यह सुना है, माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा है वह विवादित स्थल है और वह बात सही थी । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह विवादित स्थल है । जब कोई मंत्री सदन में बयान देता है तो वह ज्वाइंट

नोट– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रिस्पांसिबिलिटी होती है क्योंकि वह सरकार का बयान माना जाता है तो माननीय मंत्री जी का जो बयान आया वह कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वह सरकार का बयान हो गया। [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह बातें न कहें, इतना अंश नहीं लिखा जायेगा।

नेता कांग्रेस से गम्भीर बातों की अपेक्षा है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने देखा कागज फाड़ते हुए, हम लोगों ने मान लिया जो हम लोगों ने देखा उसको आप मान लें। कार्यवाही देख लें कि उन्होंने क्या कहा है ?

श्री अध्यक्ष–

जो लिखा हुआ है अभी मंगवा लेता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हमने स्पष्ट रूप से देखा कि संसदीय कार्य मंत्री ने जोर से उन्हें [xxx] और खड़े होकर कुछ और बाते कहने लगे।

एक सदस्य–

यह परम्परा आपकी है हमारी परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह इस विषय में भी विचार प्रकट करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जब सरकार का एक बयान आ गया कि वह विवादित स्थल है, उस पर यह कहना कि वह राम जन्म-भूमि है तो फिर उस चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता। पहले कहा गया कि वह विवादित स्थल है। यहां पर 311 में चर्चा हो रही है दूसरी तरफ वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर गिराये जा रहे हैं। मान्यवर, आप स्पष्ट रूप से निर्देश दें कि ऐसे मंत्री को जिसने बयान बदला, उन्हें तत्काल मंत्रिमण्डल से निलम्बित किया जाय। जब तक उन्हें निलम्बित नहीं किया जायेगा तब तक इस सदन के चलने का क्या औचित्य रह जाता है ? यह कह दें कि माननीय राजस्व मंत्री उ० प्र० मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं रहेंगे और रहेंगे तो दो में से एक बयान वापस लें और खेद प्रकाश करें। आपको अधिकार है। जो बात कही जाती है वह न्यायालय की परिधि के अन्तर्गत कही जायेगी, न्यायालय के विपरीत बात कह नहीं सकते। राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक में आपने न्यायालय के निर्णय की बात मानी। यहां कुछ कह रहे हैं, राम जन्म-भूमि कहते हैं। हम लोग यहां बैठे हैं, न्यायालय की अवमानना करने वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

नोट– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप व्यवस्था दें कि क्या मंदिर तोड़े जाते रहेंगे ? न्यायालय की अवहेलना करने वाले सरकार में बैठे रहेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है । हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम सब लोग न्यायालय की अवमानना का दुःसाहस न करें, आपका भी कर्तव्य है कि यदि कोई अनौचित्यपूर्ण बात करते हैं तो आप भी हस्तक्षेप करें । श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी ने फैसला कर दिया कि वह राम जन्म-भूमि है, पहले कहा कि विवादित स्थल है । श्री प्रमोद तिवारी जी ने ठीक कहा कि मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुनने की क्या आवश्यकता है ? श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी से स्पष्ट कराइये कि वह उसको राम जन्म-भूमि मानते हैं या विवादित स्थल मानते हैं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

एक अजीब सी प्रक्रिया विकसित हो रही है कि सभी नेता अपने विचार प्रकट करने लगते हैं । मैंने माननीय नेता, विरोधी दल को सुन लिया है ।

श्री ऊदल–

अभी तक प्रणाली यह रही है । सरकार की तरफ से उसका लिखित उत्तर भी आये, गलत आता है तो बाद में उसका संशोधन करके पुनः उत्तर दिया जाता रहा है । अगर माननीय राजस्व मंत्री ने कोई बात कही कि वह मामला राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद का अदालत के विचाराधीन है उसके तुरन्त बाद ही उनको इस बयान को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । इस तरह से कोई मंत्री, जिसकी सामूहिक जिम्मेदारी है, कोई बयान दे और तुरन्त उसका खण्डन करे, इस पर व्यवस्था दे दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई । अन्त में जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, ऊदल जी ने एक बात कही ज्वाइंट रिसपान्सिबिलिटी की, जब माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लिया, सब सदस्यों द्वारा जो मुद्दे उठाये गये हैं उसका उत्तर देने को यहां मुख्य मंत्री जी खड़े हुए, माननीय राजस्व मंत्री ने कोई बात कही, मा० सदस्यों को सन्देह हुआ, जब मा० मुख्य मंत्री जी खड़े हैं, पूरी बातें विस्तार से सामने आयेंगी ।

(घोर व्यवधान)

अनेक बार इस सदन में बातें उठी हैं, नेता विरोधी दल खड़े हो जायं, हमको सम्मान करना चाहिए । जब मा० मुख्य मंत्री का नाम बुला लिया अगर उसके बाद मा० सदस्यों द्वारा बार-बार व्यवधान डालने का प्रयास किया जायगा, उत्तेजना के क्षण पैदा होंगे, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मूल्यवान चर्चा है, हम चाहते हैं कि विस्तार से उन जिज्ञासाओं के बारे में पूरा दृष्टिकोण सरकार का

भी आना चाहिए । जब आपकी बातें हमने ध्यान से और विस्तार से सुनी हैं तो आपको भी शासन का पक्ष पूरा-पूरा सुनने का संयम बरतना चाहिए ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी आप कृपया अपनी बात शुरू करें । आप लोग कृपया शांत रहें । मेरी व्यवस्था यह है कि माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव आदि ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था वह स्वीकार करने योग्य नहीं है । अब मैं किसी को इसमें बोलने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि स्पष्टीकरण दिलवाया जाये)

आप लोग शांत रहिये ।

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि पहले स्पष्टीकरण दिलाया जाये)

श्री अध्यक्ष द्वारा इंगित कतिपय सदस्यों का 3 उपवेशनों के लिए सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नेता विराधी दल से अनुरोध करूंगा कि वे विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर जाने के लिये कहें । यह सदन बार-बार स्थगित नहीं किया जायेगा । मैं अन्तिम बार यह कह रहा हूं।

(विरोध पक्ष के सदस्यगण नारे लगाने लगे कि पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी)

मैं अब इस समय जितने भी सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े हैं उनको इंगित कर रहा हूं । यह मेरे बार-बार अनुरोध करने पर भी अपने स्थान पर नहीं जा रहे हैं । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे निलम्बन का प्रस्ताव करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष द्वारा इंगित किया गया है उनको तीन उपवेशनों के लिये सदन से निलम्बित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो सम्मानित सदस्य इस समय सदन के फ्लोर पर आ गये हैं उनको नियम-299 के उप नियम (2) तथा (3) के अन्तर्गत सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि जितना भी बल आवश्यक हो उतने बल का प्रयोग करके और यदि आवश्यकता हो तो पुलिस बल प्रयोग करके भी सम्मानित सदस्यों को सदन से बाहर निकालने की कार्यवाही की जाये । अब मैं सदन की कार्यवाही 6.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद 5 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 6 बजे मार्शल से सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 6 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का

स्थगन 7 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 7 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(19.00 बजे सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जिन माननीय सदस्यों को निलम्बित करने के बारे में सदन ने प्रस्ताव पास किया है उनके नाम निम्नवत् है --एक-एक कर मैं नाम ले रहा हूं--माननीय सुरेन्द्र सिंह, माननीय पूरन प्रकाश, माननीय डा० जी०एस० विनोद, माननीय मुन्ना चौहान, माननीय देवेन्द्र पाल सिंह, माननीय अकबर, माननीय जागेश्वर, माननीय श्रीमती शारदा देवी, माननीय श्याम नारायण तिवारी, माननीय डा० बृजभान यादव, माननीय भगवती सिंह विशारद, माननीय मोहम्मद आजम खां, माननीय विजय सिंह राणा, माननीय ओम प्रकाश (गाजीपुर), माननीय राम प्रसाद सिंह, माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव, माननीय राम रतन सिंह, माननीय इकबाल महमूद, माननीय शिवकुमार बेरिया, माननीय नरेश अग्रवाल, माननीय हृदय नारायण दीक्षित, माननीय धर्मपाल यादव, माननीय सोमांश प्रकाश, माननीय राम गोविन्द चौधरी, माननीय अखिलेश, माननीय राम ललित चौधरी, माननीय सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय स्वामीनाथ यादव, माननीय बाबूराम यादव, मानीय धनीराम वर्मा, माननीय बी० आर० वर्मा, माननीय दीनानाथ सिंह यादव, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, माननीय शिवेन्द्र सिंह, माननीय विश्राम दास, माननीय हरदेव सिंह, माननीय दुलारे लाल, माननीय महेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा, माननीय दलसिंगार, माननीय खालिद गौरी, माननीय महेन्द्र जैन, माननीय घुरहू, माननीय बनवारी सिंह, माननीय बृजेन्द्र पाल सिंह, माननीय कप्तान सिंह, माननीय इजहार आलम खां, माननीय मो० मुकीम, माननीय रामेश्वर दयाल बाल्मीक, माननीय भोला शंकर मौर्य, माननीय दिनेश चन्द्र सोनकर, माननीय हरिवंश सहाय, माननीय चरन सिंह, माननीय छत्रपाल वर्मा, माननीय भोला सिंह, माननीय इम्तियाज अहमद, माननीय अरविन्द प्रताप सिंह, माननीय कृष्ण कुमार, माननीय शिवचरन प्रजापति, माननीय श्रीराम, (जालौन), माननीय लाल चन्द्र निषाद, माननीय राजा विजय कुमार त्रिपाठी । मैं यह अपेक्षा करता हूं चूंकि माननीय अध्यक्ष ने भी इन माननीय सदस्यों को निलम्बित किये जाने और बलपूर्वक सदन से निकाले जाने का आदेश दिया है, माननीय सदस्य सदन छोड़ देंगे ।

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा है तो कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । जिन माननीय सदस्यों के नाम लिये गये हैं वह माननीय सदस्य सदन से बाहर चले जायं और जिन माननीय सदस्यों के नाम नहीं लिये गये हैं, वही कार्यवाही मे भाग लें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, पहले आप सुन लीजिये । हम सदन छोड़ देंगे लेकिन पहले आप उन नियमों के अनुरूप कार्यवाही करिये जैसी कि आप हमसे अपेक्षा करते हैं । पहले प्रस्ताव रखा जाय और फिर निकाला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव पारित हो चुका है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

[x x x]

नोट- [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रस्ताव पारित हो चुका है । जो कुछ भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । प्रस्ताव सदन में पारित हो चुका है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रस्ताव सदन में पारित हो चुका है ।

श्री पूरन प्रकाश–

नियमों के विरुद्ध कार्य हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिनके नाम लिये गये हैं वह माननीय सदस्य सदन छोड़ दें । प्रस्ताव पहले आ चुका है और पास हो चुका है । प्रस्ताव पहले पारित हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियमावली के नियम 299 को देखें । इसमें लिखा है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने सही ढंग से प्रस्ताव नहीं किया है इसलिये मैं सदन का अपने दल के साथ बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रस्ताव सही तरीके से पेश नहीं हुआ है इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको निलम्बित कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य–

मैं और मेरा दल भी सदन से बहिष्कार करता है ।

(मा० सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

डा० जी० एस० विनोद–

जिस ढंग से सदन में अपमानित किया गया है उसके विरुद्ध मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(डा० जी० एस० विनोद भी सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

सदस्यों के निलम्बन की कार्यवाही अवैधानिक होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के नाम लिये गये हैं वह सदन छोड़ दें। जिन माननीय सदस्यों के नाम नहीं लिये गये हैं वह शान्तिपूर्वक भाग ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

जो निलम्बित सदस्य बोलेंगे उनका लिखा नहीं जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

जागेश्वर जी आप सदन छोड़ दें।

श्री जागेश्वर–

मैं आपका आभारी हूं। अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले निलम्बित सदस्य सदन छोड़ दें।

(व्यवधान)

जब तक निलम्बित सदस्य सदन छोड़ नहीं देते हैं तब तक कोई बात नहीं सुनी जायेगी। जागेश्वर जी सदन छोड़ दें।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लाल जी वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है 299 के (3) में है कि जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायेगा, सदन नेता या संसदीय कार्य मंत्री अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायेगा । माननीय अध्यक्ष जी ने किसी माननीय सदस्य का नाम लेकर इंगित नहीं किया । जब किसी सदस्य का नाम लेकर इंगित नहीं किया तो प्रसताव कैसे आ गया ? मान्यवर, मैंने नियमों को पढ़ा है कहीं भी सामूहिक रूप से निलम्बित करने की व्यवस्था नहीं है । जब नाम लेकर इंगित किया जायगा तब प्रस्ताव आयेगा और निलम्बित किया जायगा । अतः आज जो निलम्बन की कार्यवाही हुई है वह अनियमित है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय श्री वर्मा जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया जिसमें उन्होंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 का हवाला दिया । मान्यवर, पूर्व दृष्टान्त हैं, जब कभी ऐसे अवसर आये हैं, जब सदन में अव्यवस्था पैदा हुई हैं तो जो माननीय पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने सामूहिक निलम्बन का प्रस्ताव किया है और उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है और उनको सदन से निलम्बन करने की कार्यवाही हुई है । मैं अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन जो है, उससे पूर्व दृष्टान्त देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्क्ष–

आप जरा रुक जायं ।

माननीय इकबाल अहमद आपका नाम पुकारा गया है, आप सदन से बाहर जायं ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, इकबाल अहमद नाम का कोई सदस्य यहां नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसीलिये तो आप है ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मेरा नाम इकबाल महमूद है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इकबाल अहमद के नाम का प्रस्ताव भेजा है । इकबाल महमूद के नाम से प्रस्ताव दोबारा पास करके भेजें, तब मैं जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सदन से बाहर जायं, वह गलती से कहीं हो गया होगा ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मेरे लिये जो गलत प्रस्ताव किया गया है उसके विरोध में मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(मा० इकबाल महमूद सदन से चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अवसर आये हैं जब सामूहिक रूप से प्रस्ताव किया गया और माननीय सदस्यों का निलम्बन हुआ है। मुझे इस सदन की सेवा करते-करते काफी दिन हो गये हैं। जब मैं नया-नया आया था तो मुझे सदन की परिपाटी का ज्ञान नहीं था, मैं सीखने की चेष्टा करता था। मैंने स्वयं एक बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जैसे कि आज श्री लाल जी वर्मा जी ने उठाने की चेष्टा की है। मान्यवर, यह जो निर्णयों के संकलन की पुस्तक है इसके पृष्ठ 126 पर देखने की कृपा करें। एक बार जब ऐसी स्थिति आयी थी तो मैंने स्वयं प्रश्न उठाया था और कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री का उपरोक्त प्रस्ताव अनियमित और अवैध है। प्रस्ताव में श्री अध्यक्ष को ऐसे सदस्यों का नाम लेकर इंगित करना चाहिए था लेकिन उस समय जो माननीय अध्यक्ष विराजमान थे उन्होंने व्यवस्था दी थी जिससे मेरा ज्ञानवर्धन हुआ था। मान्यवर, आज जो कार्यवाही निलम्बन की हुई है उससे मैं पूरी तरह मुतमईन और सहमत हूं। सामूहिक रूप से निलम्बन की कार्यवाही विधि मान्य है। मान्यवर, उस समय माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी "इंगित करने की व्यवस्था प्रक्रिया नियमावली में केवल इसलिये है कि यह मालूम हो जाय कि कार्यवाही किस सदस्य के विरुद्ध हो रही है। ऐसा केवल सदस्य की आइडेंटिटी ज्ञात करने के लिये होता है। जो अव्यवस्था पैदा कर रहे थे उन्हीं के बारे में प्रस्ताव आया था। इसके पहले भी ऐसी फैसले हो चुके हैं।" तो मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था उस समय दी गयी थी। इसलिये जो आज सामूहिक रूप से निलम्बन का प्रस्ताव किया गया वह बिल्कुल नियम संगत था। मैंने प्रस्ताव किया कि जिन माननीय सदस्यों को इंगित माननीय अध्यक्ष द्वारा किया गया है उन्हें सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय। मान्यवर, नियम 299 में यह व्यवस्था है कि अगर पहली बार प्रस्ताव होता तब वह माननीय सदस्य 3 उपवेशनों के लिये निलम्बित होंगे। दोबारा यदि प्रस्ताव होगा तो 7 उपवेशनों के लिये निलम्बित होंगे। इसलिये मान्यवर, आज जिन-जिन माननीय सदस्यों को निलम्बित किया गया है वह 3 उपवेशनों के लिये निलम्बित किये गये हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

जो निलम्बित सदस्य हैं वह सदन से बाहर जा चुके हैं। आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसकी अनुमति मैं नहीं देता हूं।

अयोध्या, जनपद फैजाबाद में पर्यटन विकास के नाम पर अधिग्रहीत भूमि को एक धर्म विशेष को निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने तथा कतिपय मन्दिरों को क्षति पहुंचाये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

(घोर व्यवधान)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अभी अनेक माननीय सदस्यों ने ग्राह्यता के बारे में विचार प्रकट किये थे, इधर के भी कुछ माननीय सदस्य विचार प्रकट करना चाहते हैं। अयोध्या, फैजाबाद के लोग चाहते हैं। मेरी विनती है कि इधर के लोगों को भी मौका दे दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, संविधान के न्याय के अनुसार भी आज इस सदन में संविधान की अवहेलना की जा रही है। संविधान का गला घोटा जा रहा है। न संसदीय कार्य मंत्री अब हैं और मुख्य मंत्री हैं। मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री संसदीय परम्पराओं और संविधान का उल्लंघन करके सरकार में नहीं रह सकते। जब अब ये मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं तो इनको बात करने का अवसर क्यों दे रहे हैं। इनको बिल्कुल अवसर नहीं मिलना चाहिए। चूंकि यह संविधान विरोधी सरकार है और संविधान का गला घोटा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। इसके विरोध में मैं अपने साथियों के सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री लालजी वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं लिखा नहीं जायेगा (घोर व्यवधान) मेरी अनुमति के बिना जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायगा।

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ये जो भी कह रहे हैं, लिखा नहीं जायगा। जिन माननीय सदस्यों के नाम बोले गये हैं, वे बाहर चले जायं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा नाम नहीं बोला गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आपका नाम नहीं लिया गया है तो बैठ सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका नाम नहीं पुकारा गया है, बैठ जायं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। बैठ जायं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके निर्णय के विरोध में वाक आउट कर रहा हूं।

(श्री राम औतार शाक्य सदन त्याग कर चले गये)

नोट– [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, आज सदन के इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ जुड़ा है कि प्रदेश की जनता और आगे आने वाला इतिहास विपक्ष की भूमिका के लिये कभी माफ नहीं करेगा। आज सुबह से विपक्ष को अपनी पूरी बात करने का अवसर दिया गया। इसके बाद जब सत्ता पक्ष की बात कहने का मौका आया तो जानबूझकर ऐसी अव्यवस्था पैदा की गयी, पहले से तय कर लिया गया कि किसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री का भाषण न हो पाये। भाषण होता तो उनके चेहरे बेनकाब हो जाते और असलियत सामने आ जाती। जिस तरह से सुबह से सदन के सामने चर्चा की है, प्रदेश की जनता इस तरह से सरकार जो विकास के लिये कार्य कर रही है, ये लोग जो इस तरह से यहां पर बैठ जाते हैं, प्रदेश की जनता इसके लिये एक-एक क्षण के लिये बदला चुकायेगी। मान्यवर, ऐसे अनर्गल आरोप यहां पर लगाये गये, जिनका कि कोई भी सिर-पैर नहीं है। मान्यवर, यहां पर एक पूर्व मंत्री [x x x] जोकि साम्प्रदायिकता के रंग में ऊपर से लेकर नीचे तक रंगे हुए हैं, इनको पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उन्होंने कहा कि आज पूरा प्रदेश भय में डूबा हुआ है। पिछली बार जब वह सत्ता में तो, तब सितम्बर, 90 से लेकर मार्च, 91 तक 33 साम्प्रदायिक दंगे प्रदेश के अन्दर हुए, जिनमें 450 निरीह जानें गयीं, कम से कम तीन करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हुई। मैं आज उनसे पूछना चाहता था, अगर वह सामने होते कि इस 9 महीने के अन्दर जब से हमारी सरकार आयी है कितने दंगे हुए, कितनी मौतें हुईं, कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई। अनुपात लगाते अपने 16 महीने का आंकलन करते आप 9 महीने की बात करते हैं। अगर आज वह इस समय यहां पर होते, तो वह शायद निरुत्तर होते। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल के समय सोमनाथ का मन्दिर बनाया गया था, उस समय मस्जिद को तोड़ कर मंदिर बनाया गया था, जो पूर्व में मन्दिर थे, आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ कर मस्जिद में परिवर्तित किया था, उसको तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने विधिवत् मस्जिद को तोड़ कर मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, सरदार पटेल ने यह प्रस्ताव कैबिनेट के अन्दर रखा था और कैबिनेट ने इसको पास किया था। स्वयं सरदार पटेल वहां पर गये, वहां पर अपनी अंजुली में समुद्र का जल भर चढ़ा कर शिलान्यास किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने विधिवत् पूजा-अर्चना करके सोमनाथ मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा करायी थी। वह अगर इतिहास पढ़ें तो उन्हें यह पता चल जायेगा कि वह बाबरी मस्जिद न हो करके राम मंदिर था, जिसे मस्जिद का रूप दिया गया। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक के पेज नं० 694 को पढ़ लें, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बाबर के सेनापति नीरबाकी ने विक्रमादित्य द्वारा बनाये गये भव्य राम जन्म-भूमि मंदिर को तोड़ कर मस्जिद का रूप दिया है। एक बात और कही गयी, यह तथ्य इसलिये दे रहा हूं कि उधर से तथ्य दिये गये थे। इतिहास वह पढ़ लें। जब कोई भी देश स्वतंत्र होता है, पराधीनता के जितने चिह्न होते हैं, तो उसको मिटाया जाता है। जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, तो उस समय हर चौराहे पर महारानी विक्टोरिया और जार्ज पंचम की मूर्तियां लगी थीं, उनको सबको हटा दिया गया। बाबरी मस्जिद के नाम से जो कलंक का टीका

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पराधीनता में हमारे माथे पर लगाया गया है, प्रदेश की जनता उसे मिटाना चाहती है । यदि सोमनाथ का मंदिर बना गलत नहीं था, तो आज राम का मंदिर बना गलत कैसे हो गया ? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किसी समुदाय विशेष के नहीं थे, वह राष्ट्र पुरुष थे, यह विपक्षी सदस्यों ने भी माना है । वह राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान हैं इसलिये वहां पर मंदिर बनना चाहिए । उन्हें धन्यवाद देना चाहिए हमारे मंत्री को कि वह इतने वर्षों से लटके हुए इस मसले में इतने चिंतित हैं कि रात्रि के समय में भी जाकर बाधाओं को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब आप मदहोश होकर रंगीनियों में होते हैं, तब हमारे मंत्री जाकर प्रदेश की समस्याओं को निपटाते हैं और प्रदेश की जनता की इच्छाओं का आदर करने के लिए अहर्निश कार्य कर रहे हैं । मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि जनता की अदालत में आमने-सामने बैठ कर इस संबंध में संवाद कर लें । जनता ने हमें मंदिर बनाने के लिये जनादेश दिया है । हम उसका सम्मान करते हुए मंदिर निर्माण के लिये कृत संकल्प हैं, उसमें आने वाली हर बाधाओं को हमारी सरकार हटायेगी ।

* समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री अनिल कुमार तिवारी)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया कि वह राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करे । हम आज अगर उस जनादेश का पालन करते हैं, तो बाधायें उपस्थित की जाती हैं । राम मंदिर के नाम पर कभी कोई कांग्रेस का इतिहास साया करता है, तो कोई भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की कहानी कहता है, तो कोई टेप सुनाता है और कोई अपने को हनुमान भक्त के रूप में प्रदर्शित करता है । तमाम राम भक्त इस सदन में देखे जा रहे हैं । यह परिस्थितियां विधान सभा के बाहर आ चुकी हैं और इस पर जनादेश मिल चुका है, इसलिये हमारी सरकार कटिबद्ध है कि अयोध्या में जहां पर राम लला पैदा हुए थे, वहां पर मंदिर बनाया जाये और हम वहीं पर राम मंदिर बनायेंगे जो भी बाधायें आयेंगी, चाहे वह किसी दल के रूप में खड़ी हों और चाहे किसी व्यक्ति के रूप में खड़ी हो, चाहे किसी दिवाल के रूप में खड़ी हो और चाहे किसी समस्या के रूप में आकर सामने खड़ी हो, हम सारी बाधाओं को दूर करेंगे और मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यह हमें जनादेश मिला है और हम मंदिर निर्माण के लिये संकल्पबद्ध हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संकल्पों को साकार करने के लिये कटिबद्ध है । एक इशारा करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं । एक मानसिकता की ओर इंगित करूंगा । मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं । आज दरोगा को दरोगा नहीं कहा जाता है, वह पंडित के नाम से बुलाया जाता है, विधायक को विधायक के नाम से नहीं बुलाया जाता है, उसे अल्पसंख्यक के नाम से बुलाया जाता है । मान्यवर, यह किस मानसिकता का द्योतक है और जो इस तरह की मानसिकता प्रकट की जा रही है वह देश और प्रदेश में विद्वेष की भावना पैदा कर रही है और इस प्रकार की भावना का प्रकटीकरण रोका जाना चाहिए, यदि समाज को सही संचालन की दिशा इस माननीय सदन से प्रदर्शित कराना है तो आज जो व्यक्ति और दल के नेता हनुमान भक्त के नाते बोलते हैं, उनसे प्रार्थना है कि अगर हनुमान की भक्ति करनी है तो पहले राम की पूजा करो और अगर राम की पूजा करनी है तो राम मंदिर का निर्माण होने दें इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खाद्य एवं रसद तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एज़ाज रिजवी)–

मान्यवर, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस सदन का काफी समय लिया है । मान्यवर, आज जो सम्मानित सदन के सामने विरोध पक्ष की ओर से नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव आया, उस पर माननीय पीठ की ओर से यह अपेक्षा की गयी कि सम्मानित सदस्य ग्राह्यता पर बोलें । मान्यवर, मुझे दुख है किसी भी माननीय सदस्य ने ग्राह्यता पर अपने विचार नहीं प्रकट किये बल्कि लम्बे चौड़े भाषण दिये गये । उनको सुनकर ऐसा लगा कि किसी सड़क के चौराहे पर चर्चा हो रही हो । वह चर्चा ऐसी नहीं लगी कि सदन की चर्चा है । जिस मुद्दे पर आज इस सदन में चर्चा की गयी मान्यवर, वह कोई लुकी-छिपी बात नहीं है । हमारा देश आज का देश नहीं है, हजारों साल पुराना हमारा देश है । मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे ही देश के महापुरुष रहे हैं । हर देश का इतिहास साक्षी है कि आज उसने देश के मर्यादा पुरूषोत्तम लोगों की अपने यहां बड़े-बड़े मानुमेन्ट बनाये हैं, बड़े-बड़े चित्र लगाये हैं । हमारे देश में जो हमारी संस्कृति के एतबार से, धर्म के एतबार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म स्थली के ऊपर अगर हम उनके राम मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण नहीं कर सके तो इससे बढ़कर हमारे लिये खेद की बात और कोई नहीं है, यह शर्म की बात है । अगर हम अपने देश के पूर्वजों की पुनर्स्थापना नहीं कर सके तो इससे बढ़कर और क्या धर्म की बात होगी ?

मान्यवर, जो लोग इस कार्य में बाधा डाल रहे हैं हमारे साथी चूंकि ग्राह्यता पर आज चर्चा करनी थी, इधर-उधर की बात करते रहे, उनमें साहस नहीं था कि वे हमारी भी बात सुनते । एक माननीय साथी ने कह दिया कि अल्पसंख्यक पूरे देश के अन्दर खतरा महसूस कर रहे हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे ही लोग हमारे देश को खण्डित करने का प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, हमारे देश में आज की हमारी सभ्यता और संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, हमारा यह देश धर्म प्रधान देश रहा है और हम अपनी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर अपने भविष्य का निर्माण करते रहे हैं हम अपने अन्दर, अपने बच्चों के अन्दर उस अन्दाज को, संस्कारों को देते रहे हैं । दुख की बात है कि आजादी मिल जाने के बाद हमारे देश के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने जिनके पूर्वजों ने हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने का संकल्प लिया था और अंग्रेजो को भगा देने के बाद देश को स्वतंत्र बना देने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी कृतियां की हैं जिससे हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर आघात पहुंचे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम अपनी मान्यताओं को जिन्हें हम भूल चुके हैं जिन्हें पिछले 40–44 साल के अन्दर तबाह और बरबाद किया है, उन्हें पुनर्स्थापित करें । मान्यवर, 40–44 साल के अन्तराल में हमने यह देखा है कि आज हमारे देश को जो दिशा दी गयी है, वह ऐसी दिशा है जिनके ऊपर इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पुरानी भारतीय जनसंघ हमेशा से यह कहती रही है कि यहां की संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम यहां की सभ्यता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसकी पुनर्स्थापना करना चाहते हैं । 40-44 साल के अन्दर जो हमारा देश भारत देश के नाम से जाना पहचाना जाता था, आजादी मिलने के बाद इन लोगों ने उसे इंडिया कहकर पुकारने की ज्यादा तरजीह दी है । मान्यवर, हमारे इस मुद्दे पर जिसको आज चर्चा का विषय बनाया गया है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह मुद्दा जो बाबरी मस्जिद के नाम से यहां पर उठाया जाता रहा है और जो हमारे प्रदेश के कुछ लोग जो इस तरह की बात करते रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो मजहबी उन्माद बढ़ाने की बात करते हैं वह अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं, धार्मिक बात करते हैं, लेकिन ध्यान दिलाना

चाहता हूं कि किसी भी एक मजहबी आदमी ने बाबरी मस्जिद के नाम का मुद्दा जनता के बीच में उठाया नहीं है !

ये वही लोग हैं, जो सियासत के मैदान में हारे हुए हैं । उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर अपनी दुकानों को सजाना चाहा है । अगर यह कोई मजहबी मसला होता तो यहां एक से एक बड़े मौलाना मौजूद हैं । इस्लाम के किसी आदमी ने कोई भी ऐसी बात आज तक नहीं कही है । ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है, जो दिल्ली में रहते हैं, मौलाना के नाम से जाने जाते हैं, वे अपने आपको बाबरी मस्जिद के नाम से जोड़ते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वे जाहिल हैं, उनके अन्दर इल्म नहीं है । जितने भी लोग बाबरी मस्जिद से अपने आपको जोड़े हुए हैं, किसी की जुर्रत नहीं है कि इसको मजहबी मामला कहें । इस्लाम ने कहा है कि जिस मस्जिद से फसाद उठता हो उसे शहीद कर दीजिये । उस परवरदिगार ने खुदा ने परमात्मा ने इन्सानों को पैदा किया और कहा जाता है कि इन्सान-इन्सान भाई-भाई हैं, हर मजहब में कहा गया है । तरीकिए इबादत जुदा-जुदा हैं । मजहबी उन्माद उठाकर यहां की जनता के बरगलाने की कोशिश की जा रही है । देश के स्वतंत्र होने के बाद से जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता रही है, उन लोगों ने इस देश के लोगों को आपस में लड़वाया है । एक-दो नहीं हजारों फसाद करवाये हैं, जिसमें लाखों लोगों का खून बहा है । पिछले 9 महीने के कार्यकाल में और दो साल के मध्य प्रदेश के कार्यकाल में इन प्रान्तों में जितने अल्पसंख्यक रह रहे हैं, आज वे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में मुसलमान सुख और आराम से अपना कारोबार कर रहे हैं, उतना कभी मौका नहीं मिला ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप संक्षिप्त करें ।

श्री एज़ाज रिज़वी--

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के कौल और फेस में कभी कोई अन्तर नहीं रहा है । हमारे विद्वान साथी बोल रहे थे कि कभी नारा दिया था कि "गरीबी हटाओ" लेकिन नहीं हटाई, कभी कहा था कि भ्रष्टाचार हटायेंगे, लेकिन नहीं हटाया । उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि राम मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर करने के लिये कहा था, तो कर रहे हैं । इस प्रकार से हम जो कहते हैं, वही करते हैं । हमने पहले से एलान किया था, सारी जनता के सामने यह बात कही थी कि हम राम मन्दिर का पुनर्निर्माण उसी गर्भगृह के स्थान पर करना चाहते हैं, जहां राम मन्दिर पहले था । हमने यह भी एलान किया था कि राम मन्दिर के पुनर्निर्माण में अगर कोई अवरोध होगा तो हमारी सरकार उस अवरोध को हटायेगी । मैं बड़ गर्व के साथ कहना चाहता हूं प्रदेश और देश वासियों से कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प लिया था, हमारी प्रदेश की सरकार ने जो संकल्प लिया था, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया, ठीक उसी रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है और वहां अवरोध जो विपक्ष के लोग इस तरह से खड़े कर रहे हैं, हम उसी संकल्प को पूरा करने में, उन अवरोधों को हटा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री एज़ाज़ रिजवी–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब अयोध्या में उसी स्थान पर राम मंदिर का, एक भव्य राम मन्दिर का निर्माण होगा, वह दिन हमारे देश के इतिहास के लिये एक स्वर्ण शब्दों में लिखा जायेगा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर दिखाया (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन आप के निर्देश हो गये इसलिये बैठ रहा हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को बुलाये जाने पर)

सदन की सेवा से श्री राम औतार शाक्य के निलम्बन का प्रस्ताव

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें सदन में कही।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(श्री राम औतार शाक्य सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि उन्हें दो मिनट सुन लिया जाये।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप पहले अपने आसन पर वापस जायें। जो कुछ भी बोलेंगे लिखा नहीं जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुए हैं।

श्री राम औतार शाक्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर कहने लगे कि .....

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

[x x x]

नोट– [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानतुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अवर पर्देश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने आसन पर वापस जायें । आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं । आप अपने आसन पर वापस जायें नहीं तो कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा ।

(श्री राम औतार शाक्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर कहने लगे कि उन्हें दो मिनट सुन लिया जाये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने आसन पर वापस जायें, मैं आप को अन्तिम चेतावनी दे रहा हूं ।

(सदन के फ्लोर से श्री राम औतार शाक्य कहते रहे कि आपने तो कहा था कि गर्भगृह पर ही मन्दिर बनायेंगे परन्तु आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आयी है, यह प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया अपनी सीट पर जायें ।

(श्री राम औतार शाक्य कहने लगे आप जब तक हमें बोलने का मौका नहीं देंगे हम नहीं जायेंगे । यह गलत बयानी कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आप को आखिरी मौका दे रहा हूं ।

(श्री राम औतार शाक्य कहने लगे हमें बोलने का मौका दिया जाये)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आप को इंगित करता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपया निलम्बन का प्रस्ताव रखें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जिन माननीय सदस्य को आपने इंगित किया है और जो सदन के फ्लोर पर खड़े हैं उन्हें सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य इस समय सदन के फ्लोर पर खड़े हैं, उन्हें सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि वे माननीय सदस्य को सदन से बाहर कर ।

(मार्शल ने श्री राम औतार शाक्य जी को सदन से बाहर किया)

अयोध्या, जनपद फैजाबाद में पर्यटन के विकास के नाम पर अधिग्रहीत भूमि को एक धर्म विशेष को निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने तथा कतिपय मंदिरों को क्षति पहुंचाये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मैंने लगभग साढ़े चार घण्टे तक लगातार माननीय विपक्ष के नेताओं और माननीय सदस्यों को बहुत ही धैर्य और धीरज के साथ सुना । कुल मिलाकर नेताओं सहित 17 माननीय सदस्य विपक्ष से बोले और 3 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के बोले और इस विषय पर जो अयोध्या प्रकरण के बारे में है नियम-311 के अन्तर्गत सूचना दी गयी उसके औचित्य पर चर्चा हुई । मैं

नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं समझ पाया कि प्रतिपक्ष के नेताओं या जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं उनमें से किसी एक ने भी ग्राह्यता पर गम्भीरता से एक भी वाक्य कहा हो ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि, मुझे खेद है कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर विपक्ष के पास कहने को कोई मुद्दा नहीं रह गया है जो बात वह कहना चाहते हैं उस बात के लिये तर्क नहीं हैं । सत्य का आधार नहीं है, अपनी बात तो कहना चाहते हैं लेकिन उत्तर में सत्ता पक्ष की ओर से उन तर्कों और तथ्यों से अपने को बचाना चाहते हैं । मैं उनकी मजबूरी जानता हूं । मैं जानता हूं कि जब उनकी बात का तर्कों के साथ उत्तर दिया जायेगा तो उनके चेहरे उतर जायेंगे और ऐसे उतरेंगे कि वह कहीं दिखाने लायक नहीं रहेंगे । इस सदन में चर्चा होनी चाहिए परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष केवल सदन के अन्दर हल्ला गुल्ला मचाने में ही अपने ज्ञान की इतिश्री समझ बैठा है । मुझे इस बात का भी खेद है कि विपक्ष का रवैया नितान्त अलोकतांत्रिक है, विपक्ष का रवैया असंवैधानिक है, विपक्ष का रवैया माननीय संसदीय परम्पराओं के एकदम प्रतिकूल है । विपक्ष यह नहीं समझ पा रहा है कि 40 से लेकर 45 हजार रुपया एक-एक मिनट में खर्चा हो रहा है, इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का और वह केवल यहां पर हल्ला-गुल्ला मचाने में ही इस सम्मानित सदन का समय नष्ट करे, जब जनता उनके बारे में जानेगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी । हम तो विपक्ष की आलोचनाओं का स्वागत करना चाहते हैं, उनके सुझावों का स्वागत करना चाहते हैं और यहां बैठे इस बात की तलाश किया करते हैं कि उधर से कोई काम की बात कही जा रही है या नहीं, परन्तु मुझे खेद के साथ फिर कहना पड़ रहा है कि जब से चुनाव हुए हैं और विधान सभा का सत्र चला, विपक्ष ने अभी तक जनता को निराश ही किया है और हमको भी निराश किया है, वह इस मायने में कि जो अच्छे सुझाव यहां आने चाहिए, वह नहीं आये । जिस राम जन्म भूमि और अयोध्या के प्रकरण को लेकर यहां सवाल उठाया गया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक-एक बिन्दु का तर्क के साथ उत्तर देना चाहता हूं और प्रदेश की जनता के सामने सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहता हूं ।

विपक्ष ने अपना दृष्टिकोण रखा, मुझे ऐसा लगा कि विपक्ष का कोई दृष्टिकोण है ही नहीं । विपक्ष दो घोड़ों पर सवारी करना चाह रहा है । कभी हम पर आरोप लगाया जाता है कि राम मन्दिर बनाने का वायदा किया था और मन्दिर नहीं बना रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा राम मन्दिर बनाने की चिन्ता इनको ही हो गयी और जब कहीं उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है तो यह कहते हैं कि सरकार गलत काम कर रही है । विपक्ष को जनता के सामने अपना मुखौटा साफ रखना चाहिए और जनता के सामने साफ तस्वीर आनी चाहिए । यह साफ हो जाना चाहिए कि यह राम मन्दिर समर्थक हैं या राम मन्दिर के विरोधी हैं । यह दो घोड़ों की सवारी विपक्ष को ले डूबेगी । जो दो घोड़ों पर सवारी करता है, उसकी कैसी दुर्गति होती है, यह इतिहास जानता है और यह दुर्गति विपक्ष की होगी, जनता इनको माफ नहीं करेगी । जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारा दृष्टिकोण साफ है, हमारी प्रतिबद्धता है, राम जन्म भूमि के स्थान पर राम मन्दिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे और हम इन बाधाओं को दूर करते जा रहे हैं ।

श्रीमन्, यहां पर मुख्य रूप से जो सवाल उठाये गये थे, मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया कि मैं केवल बिन्दुओं के हिसाब से बात रखना चाहता हूं, तर्कों के साथ । वैसे तो कई सवाल उठाये गये, लेकिन निचोड़ के तौर पर 6-7 सवाल उठाये गये । एक सवाल यह उठाया गया कि 42.094 एकड़ भूमि हमने न्यास के दे दी, आरोप लगाया गया, बड़ा असंवैधानिक काम कर दिया । भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने आरोप लगाया कि विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यालय के लिये दे दिया । दूसरा बिन्दु उठाया गया कि

2.7744 एकड़ भूमि पर जो ढांचे बने हैं, जो गुमटियां बनी हैं, जो मकान बने हैं, मन्दिर बने हैं, उनको तोड़ डाला गया और आरोप लगाया गया कि मन्दिर बनाने के लिये चले थे और मन्दिर तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तीसरी बात कही गयी कि सरकार न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रही है, एक चौथी बात कही कि राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की बैठक में हम जो कुछ कह कर आये थे, उसकी अवहेलना हो रही है। एक पांचवीं बात कही कि सरकार राम के मन्दिर को बनाने के मामले को लटकाना चाहती है (समय 8 बजे) देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। छठी बात यह कही गयी कि सरकार के इन निर्णयों के कारण आज देश और प्रदेश में अशान्ति, भय, टकराव व साम्प्रदायिकता की भावना पैदा हो रही है और वातावरण विषाक्त होता जा रहा है। एक बात यह भी कही गयी कि सरकार हिन्दुओं और मुसलमानों को कटवाना चाहती है। इसी बीच में एक बात और आ गयी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के आधार पर केन्द्र की सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए इस सरकार को भंग कर देगी इत्यादि-इत्यादि। श्रीमन्, मैं इन्हीं बिन्दुओं पर अपनी वार्ता को सीमित रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, जहां तक 42.094 एकड़ भूमि न्यास को देने की बात है इस सम्बन्ध में मैं पहले यह बता दूं कि हमारे विपक्ष के नेताओं का सामान्य ज्ञान बहुत छोटा है और उनकी जानकारी अधूरी है। उन्होंने कहा कि 99 साल के पट्टे पर दिया है परन्तु हम बताना चाहते हैं कि हमने उसे शाश्वत पट्टे पर दिया है। इसलिये दिया है कि राम कथा पार्क के विकास की दृष्टि से, राम कथा से सम्बन्धित राम कथा के प्रसंगों को चित्रित करने के लिये जो भी स्ट्रक्चर्स बनाये जायेंगे, वे शास्वत प्रकृति के-होंगे और स्थाई प्रकृति के होंगे। हम चाहते हैं तो 30 साल उसे कर सकते थे, 60 साल के बाद उसका नवीनीकरण कर सकते थे, 90 साल में उसका नवीनीकरण कर सकते थे। लेकिन नहीं, दुनिया के सामने कोई चीज छुपकर नहीं करना चाहते हैं दिन की दुपहरिया में साफ तरीके से करना चाहते हैं। इसलिये हमने इस जमीन को राम जन्म भूमि न्यास को शास्वत पट्टे पर दिया है।

श्रीमन्, आपको कदाचित स्मरण होगा कि 1989 तक तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 52.90 एकड़ भूमि राम कथा पार्क के नाम पर अधिग्रहीत की थी और उद्देश्य यह बताया था कि राम कथा पार्क का विकास किया जायेगा और राम कथा के प्रसंगों को चित्रित किया जायेगा और उन्हें आकर्षक बनाया जायेगा तथा यात्रियों को सुविधायें दी जायेंगी लेकिन वह सरकार उसके विकास के लिये कुछ भी नहीं कर पायी। उसके बाद जो सरकार आयी, उस सरकार ने राम कथा पार्क के विकास के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की और न ही कोई परियोजना तैयार की। परन्तु आज इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है कि राम कथा पार्क की भूमि पर राम कथा से सम्बन्धित प्रसंगों को चित्रित करने के लिये एक परियोजना तैयार की है और हमारी परियोजना के प्रस्ताव को राम जन्म भूमि न्यास ने स्वीकार किया है और इसीलिये 8 मार्च, 92 को मंत्रिमण्डल की बैठक में हमने निर्णय ले लिया कि राम कथा पार्क की इस 42.094 एकड़ भूमि को विकसित करने के लिये राम जन्म भूमि न्यास को शाश्वत पट्टे पर देंगे। यह भूमि पर्यटन विभाग द्वारा न्यास को दी गयी और 20 मार्च, 92 को उन्होंने न्यास में हस्तान्तरण स्वीकार किया है और उस पर 29 करोड़ 16 लाख रुपया व्यय आयेगा। यह जानकार प्रसन्नता होनी चाहिए कि राम कथा पार्क के विकास के लिये राम जन्म भूमि न्यास ने परियोजना स्वीकार की है, परन्तु उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया है यह 29 करोड़ 16 लाख रुपया राम जन्म भूमि न्यास स्वयं पैसा खर्च करेगा। इसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिए।

अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस हस्तान्तरण पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। जो राम जन्म भूमि न्यास को पट्टे पर दी है उसके सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई केस लम्बित नहीं है। उस पर किसी न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है उसके मालिक हम हैं। कानून ने हम को अधिकार दिया है कि हम पट्टे पर भूमि दे दें। एक बात यहां कही गयी कि एक रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से पट्टे पर दे दिया गया है क्योंकि एक रुपये प्रति वर्ष में जहां राम जन्म भूमि न्यास इसमें 29 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च करेगा जो सरकार के खजाने से नहीं जाने वाला है, जनता के टैक्स से नहीं जाने वाला है उसे राम जन्म भूमि न्यास खर्च करेगा उसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। इसे हमने राम जन्म भूमि न्यास को दिया है, हमने उन अधिकारों का प्रयोग किया है जो अधिकार कानून ने हमें दिया है। इसमें किसी प्रकार का अवैधानिक कार्य नहीं किया है, किसी न्यायालय के निर्णय की अवहेलना नहीं की है। पहले बिन्दु पर यहां पर जो आपत्तियां की थी उनको मैंने संक्षेप में तर्कों के साथ देने की कोशिश की है।

श्रीमन्, अब दूसरे बिन्दु पर आता हूं, 2.774 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हमने 18 अक्टूबर, 91 को किया। 2 नवम्बर, 91 को उस पर हमने कब्जा पाया। न्यायालय में केस गया और न्यायालय ने हमारी अधिग्रहण की कार्यवाही को वैध माना है, वैध माना है। हां उन्होंने प्रतिबन्ध लगाया है कि इस पर स्थायी निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसका हस्तान्तरण नहीं कर सकते हैं। परन्तु उन्होंने अधिग्रहण की हमारी कार्यवाही को कानून सम्मत माना है। जब एक बार अधिग्रहण हो गया, हमारा कब्जा हो गया, हम उसके मालिक हो गये। जिनकी भूमि वहां पर रही होगी बाकायदा पर्यटन विभाग के द्वारा उनको मुआवजा दे दिया गया है, मुआवजा, जिलाधिकारी के माध्यम से रुपया न्यायालय में जमा है। अब उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है किन्हें, किनके पेट में मरोड़ है जो लोगों की लाशों पर वोट की राजनीति करते हैं। वहां पर किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई अशांति नहीं। वहां सुमित्रा भवन है, साक्षी गोपाल का मन्दिर है और उसके परिसर के और भवन हैं वह हटे हैं परन्तु जिस स्थल पर साक्षी गोपाल के मन्दिर में मूर्ति स्थापित है, वह मूर्ति नहीं हटी है। वह स्थान भी नहीं तोड़ा गया है। इसी प्रकार से और भी कुछ स्थल थे, दुकानें थीं, वह हटाई गयी हैं। यह गैर कानूनी नहीं है। अधिग्रहण को वैध मान लिया गया है तो यह हमारा अधिकार है। मुआवजा दिया जाना चाहिए था, हमने दे दिया। इसके बाद फिर से भूमि का समतलीकरण करना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके बारे में हमने काम किया।

श्रीमन्, एक बात और उल्लेखनीय है। बात यहां पर आई थी कि वहां संतों में बड़ा रोष है। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी काम हो रहा है, वहां के स्थानीय महन्तों की सहमति से हो रहा है। मौखिक नहीं लिखित रुप में महन्त राम कृपाल दास ने पत्र दिया है। उन्होंने यह लिखकर दिया है मान्यवर, मैं राम कृपाल दास चेला महन्त क्षीर भरत दास निवासी, साक्षी गोपाल मन्दिर, मोहल्ला-रामकुटी, थाना-राम जन्म-भूमि, जिला फैजाबाद का रहने वाला हूं मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री राम मन्दिर का निर्माण सरकार शीघ्र करने वाली है मैं अपने निवास स्थान का मलवा, खिड़की दरवाजे आदि इधर से दूसरी जगह ले जा रहा हूं। तहरीर के वक्त काम आये और उन्होंने हस्ताक्षर कर रखे हैं। मान्यवर, यह तहरीर उन्होंने विपक्ष के उन नेताओं के लिये, सही जानकारी के लिये लिख कर दी होगी कि कोई ऐतराज न करने पावे। लेकिन मान्यवर, यहां कोई सुनने वाला नहीं है। विपक्ष का कोई यहां बैठा नहीं है जो तीन माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं उनका बेड़ा आभारी हूं।

श्रीमन्, इसी प्रकार से सुमित्रा भवन के जो महन्त हैं उन्होंने भी तहरीर-लिखकर दे रखी है । मैं राजा मंगल दास, चेला श्री लाला राम दास, निवासी सुमित्रा भवन, मोहला–राम कुटी, थाना–राम जन्म भूमि जिला–फैजाबाद का निवासी हूं । निकट भविष्य में राम मन्दिर का निर्माण होने वाला है, मुझे इस बात की बड़ी ही प्रसन्नता है । मैं अपने निवास स्थान का मलवा स्वेच्छा से प्रसन्नचित्त होकर, बिना किसी जोर-दबाव के ले जा रहा हूं । तहरीर लिख दी है वक्त आने पर काम आवे और श्रीमन्, उन्होंने हस्ताक्षर कर रखे हैं । यह सब सुनने के लिये विपक्ष साहस नहीं जुटा पाये । श्रीमन्, इसी प्रकार से कहते हैं कि वहां पर जो संकट मोचन मंदिर है, उसे तोड़ा जा रहा है । इसी तरह से यहां के जो महन्त हैं, राम आसरे दास, उन्होंने भी तहरीर लिख कर दी है । सेवा में श्रीमान, जिलाधिकारी, फैजाबाद, मैं राम आसरे दास, चेला महन्त सीता दास चौबे जी, मोहल्ला रामकुटी, थाना–राम जन्म भूमि, जिला फैजाबाद का रहने वाला हूं । संकट मोचन मंदिर, जिसमें हमारे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जो श्री राम परिसर में स्थापित है, मुझे भावनात्मक लगाव है, जिसके कारण मैं प्रतिमा को अपने स्थान से ले जाना चाहता हूं ताकि वहां पर पुनः प्राण स्थापित कर विशेष रूप से लगा सकूं । चूंकि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी है, तो हटाते समय अंग-भंग हो सकते हैं उस दृष्टि में मैं विधि विधान के साथ सरजू में विसर्जित कर दूंगा । हस्ताक्षर राम आसरे दास । कुल मिलाकर सन्तो महन्तों में सन्तोष है । सन्त प्रसन्न हो रहे हैं । सन्तों को लग रहा है कि वह ऐतिहासिक घड़ी जल्दी आने वाली है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनेगा और वह कृतार्थ होंगे । इस मामले में हमने किसी भी प्रकार से कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया है । हमने किसी न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है । किसी संविधान की धारा का उल्लंघन नहीं किया है ।

यह बात आ रही है कि मंदिर हटाये जा रहे हैं, तोड़ा कोई मंदिर नहीं जा रहा है, जो आरोप लगाये गये हैं वह सरासर गलत हैं ; मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि दुनिया के अन्दर ऐसे उदाहरण हैं जहां जहां मंदिर और मस्जिद हटाये गये और कोई झगड़ा नहीं हुआ । कहीं सड़कों के लिये, कहीं कैन्टूनमेंट बिजली बोर्ड के लिये । राम मंदिर किसी बांध किसी भी सड़क से ज्यादा महत्वपूर्ण है । अरब में मस्जिद हटाई गयी कोई झगड़ा नहीं हुआ । ईरान में मस्जिद हटाई गई कोई झगड़ा नहीं हुआ । इजिप्ट में आस्वान डैम बनाने के लिये इनको हटाया गया लेकिन कोई झगड़ा नहीं हुआ । इस्लामिक स्टेट आफ पाकिस्तान में कैन्टूनमेंट मैदान को ठीक करने के लिये भवनों को ठीक करने के लिये मस्जिदों को हटा दिया गया कोई झगड़ा नहीं हुआ । आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध के लिये मंदिरों को हटाया गया कोई झगड़ा नहीं हुआ । तो सब जगह मंदिर और मस्जिद हटाये गये हैं इस बात की तवारीख गवाह है कि लोगों का कोई झगड़ा नहीं हुआ है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राम जन्म स्थान भूमि पर राम मंदिर बनाने का यह विरोध कर रहे हैं इनकी नजर में न हिन्दू होता है न मुसलमां होता है यह इतने धार्मिक हैं कि वोटर लिस्ट इनका वेद है । वोटर के सौदागर इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं जो न्यायालय के आदेश दिये 2.7744 एकड़ भूमि पर हम स्थायी निर्माण नहीं करायेंगे कोर्ट के आदेश का कहीं उल्लंघन नहीं होगा । जो कार्य हमने किया है वहां कोई उल्लंघन नही हुआ है । यह आरोप लगाना कि अवैधानिक कार्य किया है यह सरासर गलत है । इसी प्रकार से एक बात और कही गयी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की । हमने तथ्यों को देकर सिद्ध कर दिया है कि सरकार ने किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की है ।

नेशनल इन्टीग्रेशन कमेटी की चर्चा हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् ने जो कहा है उसे पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर, यह अंग्रेजी में है मैं इसका रूपान्तर हिन्दी में कर दूंगा ।

मान्यवर, पहली बात जो है वह यह है –आल एफोर्टस विल बी मेड टू फाइन्ड ए एमीकेबुल सोलूशन आफ द इशू ।

इसका अर्थ यह है कि हर प्रकार का प्रयास किया जायगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समस्या का समाधान निकल आये ।

मान्यवर, दूसरी बात कही गयी है कि :— पेंडिंग ए फाइनल सोलूशन दि गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश विल होल्ड इटसेल्फ फुली रिस्पांसिबिल फार द प्रोटेक्शन आफ द राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर ।

जब तक अदालत में केस लम्बित है तब तक विवादग्रस्त ढांचे की सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार पर होगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध कर दिया है । कहीं कोई इसका वायलेशन नहीं हुआ है ।

मान्यवर, तीसरी बात थी कि :—आर्डरस आफ द कोर्ट इन रिगार्ड टू द लैण्ड इक्यूजिशन प्रोसीडिंग्स विल बी फुली ईमपलीमेन्टेड ।

जो एक्वीजिशन किया गया है, अधिग्रहण किया गया है कोर्ट के आदेश का उसमें पालन किया जायगा । तो इसमें भी हमने कोई वायलेशन नहीं किया है ।

मान्यवर, चौथी बात यह थी कि :—जजमेंट आफ द इलाहाबाद कोर्ट इन द केसेज पेन्डिंग बीफोर इट विल नाट बी वायोलेटेड ।

यह कहा गया कि जो हाईकोर्ट इलाहाबाद के अन्दर केस पेंडिंग हैं उनमें जजमेंटट को वायलेट नहीं किया जायगा । मान्यवर, इस पर बहस वहां हुई थी । लोग चाहते थे कि हम इस बात पर सहमति दे दें और कोर्ट के निर्णय से अपने को बांधे रहें । आर्डर शैल बी बाइंडिंग आन अस, कोर्ट का आदेश हमारे ऊपर बाध्यकारी होगा, इस बात पर हमने कहा कि यह हम नहीं करेंगे । हमने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का वायलेशन नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे । अगर हमने स्वीकार कर लिया होता कि कोर्ट के आदेश हम पर बाध्यकारी होंगे तो हाई कोर्ट में केस जाता, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता और वर्षानुवर्ष केस चलता रहता और जब तक हमारे ऊपर वह बाध्यता रहती । हमने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का वायलेशन नहीं करेंगे और इस वक्त तक कोर्ट के आदेश का वायलेशन नहीं किया है । हमने वहां पर बताया था, भरी मीटिंग में बताया था कि यह अन्तर इसलिये किया जा रहा है यदि कल को हमें आवश्यकता पड़ेगी तो कानून बनाकर राम जन्म भूमि के मसले को हल करेंगे । (मेजों की थपथपाहट) अगर हम बाध्यकारिता को स्वीकार कर लेते तो कानून बनाने की अपनी जो परिधि है वह हम छिना बैठते ।

मुझे याद है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री माननीय चन्द्रशेखर जी ने एतराज किया था कि यह भा० ज० पा० वाले लोग अपने को निकाल कर बाध्य कर रहे हैं । यह बाध्यकारी वाली बात मना कर रहे हैं, कह रहे हैं उल्लंघन नहीं करेंगे । हमने कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर हम कानून बना देंगे और इसका समाधान निकालेंगे । मुझे याद है कि माननीय चन्द्रशेखर जी ने तत्काल उस पर टिप्पणी की थी कि हां कांस्टीट्यूशन में राज्य सरकार को अधिकार है, राज्य सरकार अधिकार उपयोग करना चाहती है तो हम उसमें क्या करें । यह चन्द्रशेखर जी ने कहा था । तो जो कुछ नेशनल इन्टीग्रेशन कमेटी में कहा था आज तक उसका पालन कर रहे हैं उसका वायलेशन नहीं किया है । श्रीमन्, एक बात और सामने आयी कि केन्द्र सरकार ने उपासना स्थल विधेयक पास किया है । हम पर आरोप लगाया कि अयोध्या के मामले में

या राम जन्म भूमि के मामले में हमने उसका उल्लंघन कर दिया । मान्यवर, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त, 1949 तक या उसके पूर्व जो स्थिति उपासना स्थलों की होगी वह यथावत् मानी जायगी । मान्यवर, वैसे तो यह क़ानून ही अधूरा है । कानून अधूरा इस रूप में है कि सोमनाथ मंदिर 1947 के बाद बना है । क्या इस कानून को मानकर सोमनाथ के मंदिर को फिर से तोड़ा जायेगा । अनेक ऐसे स्थल जो 1947 के बाद बने हैं, क्या वह तोड़े जायेंगे 1947 की स्थिति में लाने के लिये । इससे भी अगली बात मैं कहूं, मुझे खेद है कि विपक्ष के नेताओं का सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है । उन्हें जानना चाहिए कि केन्द्र की सरकार ने भी उसमें दो अपवाद किये हैं । उन्होंने कहा है कि यह विधेयक या अधिनियम राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद के मामले पर लागू नहीं होता । आपको जानकारी होगी । शायद आपके साथियों को भी होगी कि यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर में भी लागू नहीं होता । इसलिये कि अनन्तनाग में बहुत से मंदिर तोड़े गये हैं, उसकी बात आ जायगी । यह जो तुष्टिकरण की नीति है, इसका कारण क्या है ? उपासना स्थल अधिनियम जिसके बारे में चर्चा सदन में की गयी कि पालन नहीं किया गया, यह बात कहने वालों को पता ही नहीं कि वह अधिनियम राम जन्म भूमि पर लागू ही नहीं होता । यह बाकायदा अधिनियम में दिया हुआ है ।

अब श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि बड़ी अशांति फैल रही है, तनाव हो रहा है, टकराव हो रहा है, साम्प्रदायिक उन्माद हो रहा है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राम जन्म भूमि के मामले को लेकर प्रदेश के अन्दर किसी प्रकार का कोई तनाव या टकराव नहीं है । कहीं किसी प्रकार की कोई साम्प्रदायिकता की भावना नहीं है । वातावरण विषाक्त नहीं हैं जहां तक है, विपक्ष के नेता लोग, वोट के सौदागर, वोटर लिस्ट पर नजर रख कर इस माननीय सदन में जिस प्रकार का जहरीला भाषण दे रहे हैं, तनाव उनके भाषण से पैदा हो रहा है । टकराव और साम्प्रदायिकता उनके भाषण से पैदा हो रही है। यह जहर उनके भाषण से पैदा हो रहा है । इस महान प्रदेश की महान जनता की खातिर तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के धरातल से ऊपर उठो और देश और समाज का व्यापक हित देखो । यहां पर जिस प्रकार से बातें की गयी हैं हू बहू ज्यों की त्यों आम समाज में पहुंच जायं तो समाज के अन्दर जहर पैदा करने के लिये इनकी बातें कारण बनायेंगी । राम जन्म भूमि प्रकरण को लेकर अयोध्या में शांति है और उल्लास मनाया जा रहा है । पूरे प्रदेश में कहीं अशांति या साम्प्रदायिकता नहीं है । मेरी अनेक मुसलमान भाइयों से बात होती है, वह कहते हैं कि चन्द लोगों ने नेतागिरी चमकाने के लिये इस मामले, मसले, मुद्दे को उठा रखा है । आम मुसलमान, मैं कह सकता हूं कि राम जन्म भूमि के मामले में मंदिर बनाने का पक्षधर है । यह चन्द वोट के सौदागर इन्सान की लाश पर राजनीति की रोटियां सेंका करते हैं । उन्होंने इस मामले को लटकाने की कोशिश की है । श्रीमन्, हम पर आरोप लगाया जा रहा है राम जन्म भूमि पर राम का मंदिर यह सरकार नहीं बनायेगी । मैं एक बार पुनः स्पष्ट सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाने के लिये पूरी तरह हम प्रतिबद्ध हैं । राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाने के लिये जनादेश हमको मिला है । जनादेश हमको ही क्या मिला है, विपक्ष को भी मिला है कि राम मंदिर बनने दें, हमें राम मंदिर बनाने का जनादेश दिया था, हमको जिताकर जनादेश दे दिया और सामने बैठने वाले दोस्तों को हराकर जनादेश दे दिया । हम तो जनादेश का पालन कर रहे हैं । अच्छा है कि इतनी नैतिकता विपक्षी को भी आ जाय कि प्रकारान्तर से ही सही, सरकार को ढा दिया, केन्द्र की सरकार इसी में गयी कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार इसी में गयी ।

अब श्रीमन्, आज भी किसी का विवेक न जागे, किसी की आंख न खुले, तो मैं क्या कर सकता हूं। हम तो प्रतिबद्ध हैं राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनायेंगे । यह किसी से छिपा नहीं है । हम कोशिश

कर रहे हैं बातचीत के जरिये कि समस्या का किसी तरह से हल निकल आये । मुझे खुशी है, बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी के नेताओं ने और बाकी कुछ और मुस्लिम नेताओं से बातचीत करने के लिये अपनी सहमति हमारे पास भेजी है । हम चाहते हैं कि बातचीत से निकल आवे । हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हल बातचीत से निकल आवे । मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि दुर्भाग्य से हमारी लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी वार्ता सफल नहीं होती, यदि कोई हल नहीं निकलता, तो संविधान के तहत वर्तमान सरकार कानून बनाकर राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि श्रीमन्, हम यह मानते हैं कि राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाने के काम को अब बहुत अधिक लम्बे काल तक लटकाना न देश के हिन्दुओं के हित में है, न देश के मुसलमानों के हित में है और न किसी देश की एकता के हित में है, न समाज की समरसता के हित में है, जितना शीघ्र इस समस्या का समाधान हो, उतना ही सबके हित में है । इसके मामले में मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी मान्यता के अनुसार राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाने का यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है, यह मजहबी मुद्दा नहीं है, यह साम्प्रदायिक मुद्दा भी नहीं है, यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय मुद्दा है और इस राष्ट्रीय मुद्दे को इसी रूप में देखेंगे, तो लोगों के दृष्टिकोण सकारात्मक हो जायेंगे। श्रीमन्, राम का मंदिर बनाना एक और अतिरिक्त पूजा गृह बनाने का प्रश्न नहीं है । मंदिर बहुत हैं । एक मंदिर नहीं बनेगा तो क्या होगा, क्यों जद्दो जहद की जाये । राम का मंदिर बनाना एक और अतिरिक्त पूजा गृह बनाने का प्रश्न नहीं है । राम का मंदिर बनाने का मतलब है, राष्ट्र का मंदिर बने, राम का मंदिर बनाने का मतलब है भारत के गौरव का मंदिर बनाना, राम का मंदिर बनाने का मतलब है स्वाभिमान का मंदिर बनाना, राम का मंदिर बनाने का मतलब है सम्मान का मंदिर बनाना, राम का मंदिर बनाने का अर्थ है भारत की आत्मा और अस्मिता का मंदिर बनाना, राम का मंदिर बनाने का अर्थ यह है कि राष्ट्र की पहचान का मंदिर बनाना ।

आज समय आ गया है, जब देश और राष्ट्र को यह तय करना होगा कि इस महान राष्ट्र की पहचान बाबर के साथ जोड़कर देखी जायेगी ? या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जोड़कर देखी जायेगी । जो भी स्वाभिमान व्यक्ति होगा, वह इस राष्ट्र की पहचान विदेशी हमलावर बाबर के साथ जोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता है । हर स्वाभिमान नागरिक यही उत्तर देगा कि देश की पहचान राम के साथ हो। राम को मजहब के आधार पर मत बांटो । राम राष्ट्र पुरुष हुए हैं, वह सभी के पूर्वज हैं। हिन्दुस्तान में जितने लोग रहते हैं, जो यहां का अन्न जल खा रहे हैं, यहां की धरती पर रह रहे हैं, पल रहे हैं और भारत माता की गोद में खेल रहे हैं, वह चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले क्यों न हों, या किसी जाति के क्यों न हों, राम सभी के पूर्वज हैं । राम हिन्दू के पूर्वज हैं, राम मुसलमानों के पूर्वज हैं । कोई समय रहा होगा जब धर्म का परिवर्तन किया गया होगा । मजहब के बदलने के साथ-साथ वल्दियत नहीं बदलती है, वल्दियत तो राम ही है । देश के सभी नागरिक राम और राम मंदिर के बारे में इसी दृष्टिकोण से विचार करें । मैं चाहता हूं कि वह होते तो बताता । इतिहास एक बड़ा मौका दे रहा है, जो सदियों से नहीं बल्कि हजारों वर्षों के बाद मिला करता है । उस अवसर से लाभ उठायें और मेरी अपील है कि हिन्दुस्तान के हर मुसलमान से अपील है, हर हिन्दू से अपील है कि वोट के सौदागरों के चंगुल में न फसें । अगर राम मंदिर के निर्माण की कार सेवा में कन्धे से कन्धा मिलाकर सामने आयें और बदले में जब मस्जिद बनायी जायेगी, तो उसके निर्माण के समय हर हिन्दू मुसलमानों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार सेवा करेगा । कितना बड़ा मौका है । राम मंदिर की कार सेवा में मुसलमान और मस्जिद की कार सेवा में हिन्दू जायें । इससे जो एकता निकलेगी, वह स्वाभाविक एकता होगी, सहज एकता होगी और वह एकता इतनी मजबूत होगी कि इसको यह वोट के सौदागर सदियों तक तोड़ नहीं पायेंगे ।

इतिहास एक मौका दे रहा है देश को मजबूत बनाने के लिये समाज में समरसता लाने के लिये, एकजुटता लाने के लिये यह काम होना चाहिए। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि वे राजनीतिक लोग कर रहे हैं जो केवल वोट की सियासत करते हैं हमारे यहां। अब यहां हैं नहीं मैं क्या करूं, भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी का मैंने भाषण नोट किया हमको उपदेश दे गये, उन्हीं के बगल में भूतपूर्व मुख्य मंत्री बैठे थे वह भी उपदेश देकर चले गये और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि भले ही राम को न माने परन्तु अपने को हनुमान का भक्त तो कहकर गये और मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि एक जमाने में राम के नाम से चिढ़ थी, नफरत थी आज राम के चरणों की रज में अपना माथा टेकने की बात यहां कर रहे हैं। देर आये दुरुस्त आये। मेरी एक और कामना है कि यह जो समझ लौटी है यह ज्यादा न रहे तो कम से कम 6 माह स्थाई बनी रहे, ऐसा न हो कि अगले 9 माह में खत्म हो जाय। मैं नहीं जानता जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री कह रहे थे कि हमने कटवा दिया तो क्या 44 जिलों में कर्फ्यू हमने लगाया था, 33 जिलों में दंगा हमने करवाया था, जहरीले भाषण हमने दिये थे, भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने जहरीले भाषण नहीं दिये थे। रामपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि क्या उन्होंने जहरीली तकरीर नहीं दी, क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने नहीं कहा था कि अल्पसंख्यकों को हथियार रखने का अधिकार है। मुख्य मंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति ऐसी गैर जिम्मेदारी की भाषा बोलेगा तो समाज में शांति नहीं आ सकती है, समरसता नहीं आ सकती है।

मैं कहना चाहता हूं कि मैं न तो हिन्दू को कटने देना चाहता हूं और न मुसलमान को कटने देना चाहता हूं और न और किसी पूजा पद्धति के मानने वालों को कटने देना चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं कानून व्यवस्था चाहता हूं। यही कारण है कि हमने जब राज्य की सत्ता सम्भाली तो हमें जंगल राज मिला उसके बाद ही हमने संकल्प लिया कि हम दंगा रहित प्रदेश बनायेंगे। हम खून में भी भेद नहीं करते, हम मानते हैं कि सबके खून का रंग एक है। हापुड़ में दंगा हो गया, मैं गया, वहां हिन्दू भी मरे और मुसलमान भी मरे, मैं सबके घर गया, जो कुछ अनुग्रह राशि देनी थी, वह मैंने जाकर स्वयं दी। यद्यपि जान की कोई कीमत नहीं होती लेकिन एक आर्थिक सहयोग के रूप में, मैं वहां गया। मैं जिस समय मुसलमान भाइयों के मुहल्लो में उनकी गलियों मे गया, मकानों पर गया अनुग्रह राशि देने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिये और वहां हजारों लोग इकट्ठा हो गये, भावुक हो कर कहने लगे कि मैंने यह सोचा भी न था, हमको तो गुमराह किया गया, हम तो भाजपा के शासनकाल में अपने को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। मुझसे कहा गया कि कभी कोई दुखदर्द हो, मुख्य मंत्री इन झोपड़ियों में गलियों में कभी नहीं आये और इतना वे लोग भावुक हो गये वह भूल गये कि मैं गली में गया हूं नारे लगाने लगे कल्याण सिंह जिन्दाबाद मैंने कहा कि मैं गमी के मौके पर आया हूं ऐसे में जिन्दाबाद मत बोलें, उचित नहीं लगता। समाचार पत्रों में देखें। काटना हम नहीं चाहते हैं काटना वह चाहते हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। हम तो समाज के अन्दर एकता चाहते हैं। उपासना पद्रति के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। हम याद रखें कि कोई भी राष्ट्र जब अपने महापुरुषों को भूल जाता है जब उनका सम्मान करना भूल जाता है, वह राष्ट्र मिट जाया करता है।

रूस का उदाहरण हमारे सामने है। राष्ट्र सिद्धान्तों के आधार पर नहीं अतीत के गौरव पर चलते हैं। जब विदेशियों ने हमला कर दिया था तो साम्यवाद के सिद्धान्त पर भाषण दिया गया। ऊदल जी होते तो बताता। सी० पी० आई० ने रूस से के जी० बी० से अपनी पार्टी चलाने के लिये जो पैसा लिया उसकी पोल क्या खोली कि वे कुछ ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। कोई भी पार्टी विदेशियों के पैसे पर चलेगी वह पार्टी राष्ट्र भक्त और देश भक्त नहीं कही जा सकती। राजनीति देश और प्रदेश की

जनता के पैसे से चलती है । आप उनकी नाराजगी समझ सकते हैं । यह मामला हमने पार्लियामेंट में अभी दो तीन दिन पहले ही पेश किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, लगता है काफी दिनों से आपकी और उनकी बात नहीं हो पायी ।

श्री कल्याण सिंह–

आप ठीक कह रहे हैं, मान्यवर, ।

दो बातें कहना चाहता हूं । भारत सरकार के मा० गृह मंत्री राज्य सभा में बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो हम पत्र लिख रहे हैं, जो जानकारी मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे पत्रों का उत्तर और जानकारी नहीं दे रही है । गम्भीर आरोप है । लेकिन वास्तविकता क्या है, आप उस आसन पर बैठे हैं, आप स्वयं उन पर विचार कर सकते हैं । किन पत्रों की बात की जा रही है । एक "फैक्स" का समाचार आता है मेरे पास, 22/23 मार्च की रात को और दूसरा टेलेक्स आता है, 23 मार्च को दोपहर को, 22/23 की रात्रि का फैक्स और 23 तारीख का टेलेक्स दोनों का जवाब कल ही भेज दिया है । मैं समझता हूं कि इससे और अधिक जल्द उत्तर देने की तत्परता कोई सरकार नहीं दिखा सकती है । मैं सो रहा था । गृह मंत्री जी की चिट्ठी 1 बजे रात में मिली है । या तो मैं एक बजे अपने सेक्रेटरी को जगाता, स्टाफ को जगाता, फिर डिक्टेशन देता और फिर रात में दो बजे गृह मंत्री जी को जगाता कि आप की चिट्ठी 1 बजे मिली है, 2 बजे उत्तर भेज रहा हूं लेकिन मैंने उन्हें रात को 2 बजे जगाना ठीक नहीं समझा, रात को एक बजे आई हुई चिट्ठी का जवाब दूसरे दिन दिया । मैं नहीं समझता हूं कि गृह मंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा राज्य सभा में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा दिया जाय कि हम उनके पत्रों का उत्तर नहीं दे रहे हैं । पता नहीं वह किस मनःस्थिति में रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने राम जन्म भूमि के मामले में केन्द्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना की । तो संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जायेगा, अर्थात विधान सभा भंग और राष्ट्रपति शासन, पोलिंग स्टेशन अपने-अपने सम्भालो । क्या जरूरत है कहने की ?

श्रीमान, एक ओर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी है, संघीय ढांचा कैसे मजबूत हो, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाये, इस बात की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ भारत सरकार के गृह मंत्री राज्य सभा में इस तरह का बयान दे रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मजाक है । संसदीय ज्ञान के ज्ञाता जानते हैं, संविधान के ज्ञाता जानते हैं कि अन्ततोगत्वा प्रभुसत्ता देश की करोड़ों जनता के अन्दर निहित होती है और वह जनता लोक तांत्रिक तरीके से किसी भी सरकार को बनाकर, किसी पार्टी को बहुमत देकर, सरकार बनाकर लोकतांत्रिक तरीके से उस प्रभुसत्ता को स्थानान्तरित करती है । आज प्रश्न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं, सारे उत्तर प्रदेश की जनता की प्रभुसत्ता का है ।

उत्तर प्रदेश की जनता अपनी प्रभुसत्ता के खिलवाड़ को न स्वीकार करेगी और न सहन करेगी । मैं ऐसा समझता हूं और कभी-कभी ऐसा लगता है, चूंकि श्री एस० बी चवहाण को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कई बार उनसे मुलाकात हुई मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति, इतने परिपक्व व्यक्ति क्या राज्य सभा में इस तरह का बयान दे सकते हैं । अब मैं क्या करूं, समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, जब टेलीविजन पर देखता हूं और उनके उन शब्दों को सुनता हूं तो यक़ीन

करना पड़ता है । अगर मुझसे आकर कोई कहता कि राज्य सभा में माननीय गृह मंत्री ने यह बयान दिया है तो कह देता छोड़ो यार वे बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं । ऐसे परिपक्व आदमी का हो गया बयान । यह संघीय ढांचे पर चोट है बयान, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है बयान, यह संवैधानिक मान्यताओं के विरुद्ध है बयान, यह उत्तर प्रदेश की जनता की प्रभुसत्ता के प्रतिकूल है बयान । अगर केन्द्र सरकार किसी को डराना चाहती है तो यह धमकी काहे के लिये कि राम मंदिर के संकल्प पर हम इधर उधर हो जायं । मैं सरकार के दृष्टिकोण को, संकल्प को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मान्यवर, इस सदन के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता के सामने दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहता हूं कि राम जन्म भूमि पर राम का मंदिर बनाने के लिये हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिये कोई बड़ी से बड़ी कीमत हमारे लिये छोटी चीज होगी । सरकारें आती हैं और जाती हैं । कल अगर हमारे सामने यह फैसला रख दें कि बोलो राम मंदिर चाहते हो या सरकार चाहते हो तो हम इस सरकार को ठोकर मार देंगे और राम का मंदिर बनवाना चाहेंगे । यह धारा–356 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी देते हैं। यह इन्हें नहीं भूलना चाहिए कश्मीर में भी इसी प्रकार से लोकतांत्रिक विरोधी कदम उठाया गया था । डा० फारूक अब्दुल्ला से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जिस तरीके से सरकार को गिराया गया और उसके स्थान पर दूसरी सरकार बनायी गयी यह संविधान के बिल्कुल विपरीत है और आज उसके परिणाम सामने हैं । कश्मीर में जिस तरह की स्थिति चल रही है उसे आप जानते हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में एन० टी० रामाराव की सरकार को भी इसी प्रकार गैर लोकतांत्रिक तरीके से भंग करके असंवैधानिक तरीके से गिराया गया । हमने उसकी निन्दा की थी । श्री एन० टी० रामाराव से हमारे राजनीतिक मदभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जब लोकतंत्र का प्रश्न आ जाये, संविधान का प्रश्न आ जाये तो हम लोकतंत्र के पक्ष में ही खड़े होंगे । क्या यह केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश और कश्मीर का मसला दोहराना चाहती है । मैं समझता हूं कि जिन दो राज्यों की चर्चा मैं कर रहा हूं, जो अवैधानिक तरीके से सरकार भंग करने के बाद परिणाम आये हैं उनसे केन्द्र में बैठे हुए जो समझदार लोग हैं वह इससे सबक लेंगे । श्रीमन्, आज मुद्दा मुझे लगता है ऐसा बन गया है कि जनादेश बनाम धारा–356 और मैं कहना चाहता हूं कि धारा–356 इसमें पराजित होगी और अन्ततोगत्वा जनादेश सफल होगा । श्रीमन्, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इससे तो देश का बंटवारा हो जायेगा । क्या करें ? मान्यवर, 1947 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी अन्यथा देश का विभाजन हम 1947 में लाखों जान देकर भी नहीं होने देते । हम देश को विखण्डित नहीं होने देते । हम नहीं चाहते हैं कि देश का बटवारा हो । देश की एकता और अखण्डता के लिये भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखायी देगा, देश को मजबूत बनाया जायेगा, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा अपनी मान्यताओं की सुरक्षा की जायेगी और इस हेतु राम जन्म भूमि में राम के मन्दिर का निर्माण कराया जायेगा । उसके लिये सारे व्यवधानों को दूर किया जायेगा । कुछ दूर भी हो चुके हैं, धीरे-धीरे सब दूर हो जायेंगे । लोग हमसे पूछते हैं कि मन्दिर का निर्माण कब हो जायेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि यह निर्माण बहुत जल्दी हो जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ जो नियम-311 के अन्तर्गत यह सवाल उठाया गया है मैं समझता हूं कि उसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अयोध्या जनपद फैजाबाद में पर्यटन के विकास के नाम पर अधिग्रहीत भूमि को एक धर्म विशेष को निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने के प्रकरण पर नियम–311 के अन्तर्गत प्रस्ताव तथा अन्य नियमों के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी हैं मैं उन्हें निरस्त करता हूं ।

जनपद मऊ में हरिजन विद्यालयों के अध्यापकों का कई माह से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, नियम 56 में भी मेरी एक सूचना है और नियम–311 में भी है, किसमें सुनाऊं, नियम–311 में या नियम-56 में । दोनों में एक-एक मिनट लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियम–311 के अन्तर्गत उठायें और केवल ग्राह्यता पर ही बोलें ।

(समय रात्रि 9 बजे)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने नियम–311 में जो सूचना दी है जब कोई मुद्दा विधान सभा में पेश होता है, हरिजनों का, दलित वर्गों का, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पूरे प्रदेश के हरिजनों, पिछड़ों और दलित वर्गों के साथ सरकार उनकी हिमायती है । श्रीमन्, पूरे मऊ जनपद का सवाल मैं पेश करना चाहूंगा । वहां जितने भी हरिजन विद्यालय कार्यरत हैं, वहां के अध्यापकों को सितम्बर, 1991 से लगभग 7-8 माह हो गये, आज तक वेतन नहीं मिल पाया है और जब मैंने इस विषय पर समाज कल्याण अधिकारी, मऊ से व्यक्तिगत रूप से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है कि हम उनको वेतन दे पायें । इसके सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत रूप से समाज कल्याण निदेशक से भी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि मेरे पास भी पैसा नहीं है । अभी हिन्दुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार होली का पड़ा था, वह लोग अपनी होली तक नहीं मना पाये, आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिस परिवार को 8 महीने से वेतन नहीं मिला हो, वह किस कगार पर पहुंच गया होगा, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप शासन को निर्देश दें कि यह तत्काल धन देकर उनको वेतन का भुगतान करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय की नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना है, उसे अग्राह्य करते हुए शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । नियम–311 के अन्तर्गत अन्य जो प्रस्ताव आये हैं, उनको अग्राह्य करता हूं ।

(मद संख्या–12 पुकारे जाने पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, नियम–56 में भी मेरी एक सूचना है, वह भी अहम सवाल है । मेरे जनपद मऊ का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष–

शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया है, अब आप बैठें ।

आज नियम–56 में कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री पवन कुमार पाण्डेय ने नियम–56 में जो सूचना दी है, उस पर संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में शीतगृह मालिकों और आलू के व्यवसाइयों के बीच सांठ-गांठ से किसानों का शोषण हो रहा है । मैं उदाहरण के तौर पर अपने जिले के कुछ कोल्ड स्टोरेजों के बारे में जानता हूं, जहां पर गरीब किसान अपना आलू लेकर जाते हैं और वहां मालिकों द्वारा यह कह दिया जाता है कि कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है । कई दिनों तक आलू पड़ा रहने के बाद बेचारे किसान अपना आलू सस्ते दामों पर उन्हीं व्यवसाइयों को दे देते हैं या उनका आलू खराब होने लगता है, तो वापस ले आते हैं । इस प्रकार व्यापारियों और शीतगृहों के मालिकों में सांठ-गांठ की वजह से प्रदेश के किसानों का शोषण हो रहा है । मैं चाहूंगा कि सरकार किसानों के प्रति इस विषय में कुछ सोचे और किसान को शोषण से बचाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन से सम्बन्धित जो सूचनायें आयी हैं, उन सारी सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं ।

(श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय के खड़े होने पर)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने किसानों की पीड़ा के बारे में ध्यान आकृष्ट किया । मैं संक्षेप में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों का हित वर्तमान सरकार की नजर में सर्वोपरि है । आज कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के यहां आलू रखा जा रहा है । उसकी कीमत को हमने इस बात को ध्यान में रखकर तय किया है कि किसानों का अहित न होने पाये । सरकार का यह पूरा कमिटमेंट है कि आलू का जो दाम तय किया गया है, उससे उन्हें कम न मिलने पाये । किसानों का हर दृष्टि से संरक्षण किया जायेगा । माननीय सदस्य ने नियमों के अन्तर्गत जो अपनी बात उठाई है, उसके अन्दर वह नहीं आती है ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

कोल्ड स्टोरेज के मालिकान व व्यापारी आलू को नहीं रखने दे रहे हैं । मैं दर की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम सब तरह से इसका ध्यान रखेंगे । अगर किसी विशेष स्थान पर कोई बात हो रही हो और माननीय सदस्य हमें उसकी जानकारी देंगे तो हम आज ही इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री उपाध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ होगी । माननीय नेता विरोधी दल सदन की सेवा से निलम्बित हैं । अतएव उनकी अनुपस्थिति में विरोध पक्ष का अगर कोई माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हों तो भाग लें ।

नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा जानकारी

(श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी थीं, उन्हें निरस्त किया जा चुका था । लेकिन उसमें माननीय श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय व श्री सोमांश प्रकाश जी की सूचना की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने की व्यवस्था दे रहा हूं ।

1992-1993 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)

श्री उपाध्यक्ष–

सामान्य चर्चा पर श्री पवन कुमार पाण्डेय जी अगर अपनी बात कहना चाहते हों तो वह अपनी बात कहें ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

श्रीमन्, आज जो यहां पर बजट लाया जा रहा है, वह पूरी तरह से पक्षपाती है और उसमें हम लोगों के किसी भी प्रस्ताव का ध्यान नहीं दिया गया है । मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित दो-दीन प्रस्तावों को इसमें अवश्य जोड़ लिया जाय । पहला, यह है कि नेमपुर नदी पर पुल बनाया जाय ताकि सुल्तानपुर से अकबरपुर आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके । दूसरा, अकबरपुर में बालिका डिग्री कालेज खोला जाय । तीसरा, अकबरपुर में गन्ना उत्पादकों का बाहुल्य है, इसलिये वहां पर गन्ने के उत्पादन को देखते हुए, जैसा कि मैं समय-समय पर प्रश्नों के माध्यम से मांग भी करता रहा हूं, वहां पर गन्ना मिलों की स्थापना की जाय । धन्यवाद ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता के लिये जो इस सरकार द्वारा 4 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, यह बजट भारतीय जनता पार्टी की उन भावनाओं के अनुरूप है, जो हमने कहा है गांव का गरीब किसान, पिछड़ा इन्सान अनुसूचित मजदूरों, महिलाओं व निर्बल वर्ग व अनुसूचित जातियों का उत्थान । बल्कि उसके अनुरूप है । हमने भी कहा था कि गांव के विकास पर 60 प्रतिशत खर्च करेंगे उसके अनुसार हमने बजट बनाया है कर रहित बजट बनाया है, हमने किसी चीज पर कर वृद्धि नहीं की है यद्यपि केन्द्र सरकार ने इस सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं किया । जो रियायतें, जो सुविधायें केन्द्र सरकार से मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली इसके विपरीत केन्द्र सरकार ने डीजल में, माल भाड़े में वृद्धि कर दी । उसके बावजूद हमने प्रदेश की जनता को कर रहित बजट सुलभ कराया जो अपने आचरण के अनुरूप किया । इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है । आज हमने समाज के सभी वर्गों की सुविधा का ख्याल किया है । इतने बड़े प्रदेश में हमने पूर्वांचल के लिये 40 करोड़ का पूर्वांचल विकास निधि में प्राविधान किया है, बुन्देलखण्ड के लिये और उत्तरांचल के लिये भी जहां हाल ही में भूकम्प आया था उस क्षेत्र के विकास के लिये भी हमने बजट में प्राविधान किया है । इस बजट के माध्यम से हम गांव के गरीब काश्तकार को राहत प्रदान करना चाहते हैं । हमने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये प्राविधान किया है ।

उत्तर प्रदेश की जनता का विकास बगैर विद्युत के नहीं होगा । पिछली सरकारों द्वार खस्ता हालत वाले विद्युत परिषद् को ठीक करने का काम किया है । पिछली सरकारों ने विद्युत परिषद् का मनमाने ढंग

से प्रयोग किया। गांवों को बिजली देने के जो आंकड़े दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देवरिया जिले में प्रतिवर्ष 40 से 60 गांवों का लक्ष्य रखा गया था मौके पर सर्वे करके देखा जाय तो पिछली सरकारों ने जो घोषणा की थी उनका एक बटा चार गांवों का भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धे गांवों में लगे, गांवों में ट्यूबवेल लगें, शहरों में भीड़ कम हो, गांवों के विकास की योजना बनायी जायं इसके लिये हमने 34 से 35 प्रतिशत बजट का धन खर्च करने का संकल्प लिया है।

इसके अतिरिक्त विकास के लिये सड़कों और पुलों का होना भी आवश्यक है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम किया था हमने महसूस किया है कि बगैर सड़कों और पुलों के निर्माण के हमारे गांवों का विकास नहीं हो सकता है। जब तक गांवों को मुख्य सड़कों से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक गांवों की पैदावार और वहां के छोटे-छोटे उद्योग धन्धों का विकास नहीं हो सकता है, वहां के काश्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल सकता है। उनकी उपज बाजारों तक नहीं पहुंच सकती है। इस आवश्यकता को महसूस करके सड़कों और पुलों पर अधिक धन व्यय करने का प्राविधान किया है।

सिंचाई की सुविधा का होना उन्नतिशील किसान के लिये आवश्यक है इसके लिये भी हमने प्राविधान किया है। नहरों और ट्यूबवेलों के निर्माण पर हमारी सरकार ने बल दिया है। गांवों में गूल के निर्माण की सुविधा प्रदान की गयी है और निर्धन विधवाओं को जिनका कोई सहारा नहीं है उनको 5 एकड़ तक निशुल्क सेबा सिंचाई विभाग से देने की व्यवस्था की है। हमने वायदा किया था "सरकार जनता के द्वार" तो इस को भी हमने पूरा किया है गांवों के विकास के लिये मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन देने के लिये बजट में ध्यान रखा गया है। यह पहली सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिसने 3 घंटे में 69 पृष्ठों में बजट भाषण में विस्तार से चर्चा की है। पिछली सरकारें आनन फानन में करोड़ों रुपयों का बजट पास कर देती थी आज यहां बजट विधिवत ढंग से रखा गया है जिसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हमारा एक निश्चित धर्म है, हम धर्म को मानने वाले हैं, इसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। हमने मंदिर के विकास के लिये भी और जो धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उनके विकास के लिये भी प्राविधान किया है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिले। बेरोजगारों को रोजगार मिले इस नारे को कार्यरूप देने का सफल प्रयास किया है। बेरोजगारी मिटाने के प्रयास किये हैं। ढाई लाख नवयुवकों को रोजगार देने के लिये पंडित दीन दयाल योजना में 50 करोड़ रुपये का प्राविधान दिया है। बेरोजगारी को दूर करने के पूरे प्रयास किये गये हैं। पिछली सरकार ने गन्ना बकाये का भुगतान नहीं किया। हमने 66 करोड़ रुपये की अदायगी की है। गन्ने का प्रदेश में बाहुल्य है। देवरिया में 14 चीनी मिलें हैं। गन्ना कास्तकारों के पास है लेकिन पेराई की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने इसको भी ध्यान में रखा है। केन्द्र की सरकार यह नहीं चाहती है हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हो इसीलिये उन्होंने चीनी मिलों का लाइसेंस अभी तक प्रदान नहीं किया है। हमारी सरकार चाहती है कि और नई चीनी मिलें खोली जायं परन्तु लाइसेंस न मिलने की वजह से यह नहीं हो पा रहा है। जहां चीनी मिलें नहीं हैं, पुरानी हो गयी हैं वहां नई मिलें स्थापित की जायं। उनके लाइसेंस न देने की वजह से यह स्थापित नहीं हो पा रही हैं। सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है। अगर विस्तार से चर्चा की जाय तो काफी समय लगेगा। मैं संक्षेप में कहूंगा कि हमारी सरकार की प्रगति को देखकर विरोधी दलों के लोग आपा खो बैठे हैं। अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहे हैं। इसलिये ऐसी स्थिति हो गयी है। एक सज्जन थे वह बिहार गये जो दूसरे मुख्य मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शाही जी से पूछ लें । आप गैर संसदीय तो नहीं कह रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, वह सज्जन जब बिहार गये तो उन्होंने वहां बड़ी खाई । उन्होंने सोचा पूछ लें कि क्या खाया, ख्याल तो रहेगा । सो उन्होंने नाम याद कर लिया बरी । शिक्षा की कमी के कारण ऐसा सोचा । पढ़े लिखे तो थे नहीं । यह पिछली सरकार की देन है । वर्तमान सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दे रहे हैं लालटेन, पेट्रोमैक्स और बिजली जला कर भी शिक्षा मिल सके । इसकी वह कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वह महाशय जी ने अपनी सास से पूछा कि इसका नाम क्या है ? उन्होंने बताया बरी । अब वह रास्ते भर उसे रटते-रटते चले आ रहे थे, बरी-बरी, वहां रास्ते में एक शिकारी चिड़िया पकड़ रहा था। उसने सुना कि यह तो बरी-बरी (मतलब--पकड़ में न आये, दूर रहे, दूर रहे कह रहा है) कह रहा है तभी चिड़िया पकड़ में नहीं आ रही हैं । उसने उसे मारा और कहा कि कहो--लागो- लागो । वह यही रटता हुआ आगे चलने लगा । वहां आगे जाकर एक कुम्हार और लोहार की औरत मूसल लेकर खड़ी थीं । उन्होंने उसे लागो-लागो कहते सुना तो कहने लगी कि यह तो लगने की बात कह रहा है । लड़ाई की बात कह रहा है । उन्होंने उससे कहा कि ऐसा मत कहो । तुम कहो ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो । अब वह यही रट लगाते हुए जा रहा था तो एक गांव में एक राजा का एक लड़का पैदा हुआ था वर्षों के बाद । जब उनके परिवार जनो ने सुना कि यह ऐसा कह रहा है कि ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो । तो उन्होंने उसकी पिटाई की और कहा कि यह देखना नहीं चाहता कि हमारे घर में लड़का पैदा ही और कह रहा है ऐसा कभी न हो । उन्होंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं कहते । तुम्हें कहना चाहिए था कि रोज ऐसा ही हो । अब वह यही रटता हुआ आगे चलता गया । आगे रास्ते में एक गांव में जब वह पहुंचा तो वहां जमींदार की मृत्यु हो गयी थी और यह रटता हुआ जा रहा था कि रोज ऐसा ही हो । उस जमींदार के परिवार जनों ने सोचा कि यह तो ऐसा कह रहा है कि हमारा परिवार समाप्त होता जाय। उन्होंने उसे खूब मारा । जब वह घर लौटा तो उसका मुंह मार खाते खाते हप्पू बन गया था । वह अपने कमरे में बैठ गया । उसकी पत्नी ने कहा तोहार गलवा त बरी जइसन फूल गइलबा । मान्यवर, यह तो हंसी की बात है । हमारे विपक्ष की ऐसी ही स्थिति हो गयी है । मान्यवर, यह तो पुराने हैं । हम लोग तो बिल्कुल नये हैं अप्रैटिस में हैं । हमारे बहुत सारे सदस्य कहते हैं कि हम पुराने सदस्य हैं वह तर्क-कुतर्क करते हैं आज उन्होंने बेकार में टाइम जाया कर दिया । मुझे बुढ़वा पर तरस आता है । अभी होली है जल चुकी है लगता है होली का असर है होली में तो बुढ़वा भी जवान बन जाता है । होली अभी तीन दिन पहले मनाई गई है और बुढ़वा मंगल मनाने की बात कहते हैं और आज संयोग से मंगलवार भी है ।

(हंसी)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है जो बजट लाया गया है वह प्रशंसनीय है । विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

सामान्य चर्चा में बोलना चाहते हैं । चर्चा जारी रहेगी ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

कल बोल लेंगे ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं इनमें से माननीय पवन कुमार पाण्डेय की सूचना को वक्तवय के लिये स्वीकार किया जाता है । शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गतिरोध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना देने वाले माननीय सदस्य की सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त

श्री उपाध्यक्ष–

सूचना देने वाले माननीय सदस्य सदन की सेवा से निलम्बित हैं अतः वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है ।

टिहरी बांध परियोजना, टिहरी गढ़वाल का निर्माण कार्य धरने के कारण रुकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, टिहरी बांध परियोजना .....

(पढ़ा हुआ मान लिया जाये की आवाजे)

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

[मान्यवर, टिहरी बांध परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है । योजना बनाने का कार्य वर्ष 1972 में आरम्भ हुआ था । इस योजना के अन्तर्गत 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 2-0 लाख हे० सिंचाई का प्राविधान है । सितम्बर, 1987 के मूल्यों के आधार पर परियोजना की लागत 2854.80 करोड़ रुपये है । मार्च, 1992 तक 824.10 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था (जिसमें ऊर्जा सेक्टर का अंश 675.85 करोड़ एवं सिंचाई सेक्टर का अंश 148.25 करोड़ रु० है)।

2– इस बांध परियोजना का जल मध्य गंगा नहर चरण-1, निचली गंगा नहर समानान्तर निचली गंगा तथा आगरा नहर आदि के माध्यम से उपयोग किया जाना प्रस्तावित है जिससे प्रदेश के विभिन्न जनपद यथा–मेरठ, बिजनौर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, इटावा, फतेहपुर, मैनपुरी, एटा, इलाहाबाद तथा फर्रुखाबाद आदि सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे । साथ ही केन्द्र शासित दिल्ली को भी 300 क्यूसेक पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा । इस परियोजना से प्रदेश को अधिक विद्युत उपलब्ध होगी तथा पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार के अनेकों अवसर उपलब्ध होंगे ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3– भारत सरकार स्तर पर गठित सचिव समिति के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति टिहरी बांध के भूकम्प से संबंधित सुरक्षा आयाम पर अपनी राय देने के लिये बनायी गयी थी । जांच उपरान्त उक्त समिति इस निर्णय पर पहुंची कि बांध के परिकल्पन में इस इलाके में आ सकने वाले भूकम्प का पूरा ध्यान रखा गया है और बांध का प्रस्तावित डिजाइन भूकम्प से सुरक्षित है ।

इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम "टिहरी जल विकास निगम" गठित किया गया है तथा परियोजना के समस्त कार्य वर्ष 1989 से उक्त निगम द्वारा ही सम्पादित किये जा रहे हैं ।

श्री सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा टिहरी बांध कार्य स्थल पर दिनांक 14-12-91 से धरना शुरू किया गया था जिसके फलस्वरूप काफर बांध तथा मुख्य बांध के समस्त कार्य बन्द हो गये ।

दिनांक 27-2-92 को स्थानीय प्रशासन द्वारा श्री बहुगुणा जी को कार्य स्थल से हटाया गया । इसके बाद फिर से कार्य शुरू कर दिया गया है । धरना के कारण लगभग 2 1/2 माह तक कार्य बन्द रहा जिससे परियोजना को पूर्ण करने में लगभग एक वर्ष का विलम्ब होने की सम्भावना है । फलस्वरूप परियोजना की लागत लगभग 500 करोड़ रुपया बढ़ जाने की सम्भावना है ।]

अजुध्या डिस्टलरी, बिलारी, जनपद मुरादाबाद में गैस रिसाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य, सूचना देने वाले माननीय सदस्य की सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य सदन की सेवा से निलम्बित हैं अतः वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है ।

गाजियाबाद स्थित करनाल फार्मेसी में निर्मित कर्पूरासव के सेवन विषयक दिनांक 21 फरवरी, 1992 के ता० प्र० सं० 1 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा, सूचना देने वाले माननीय सदस्य की सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त

श्री उपाध्यक्ष–

सूचना देने वाले माननीय सदस्य सदन से निलम्बित हैं इसलिये उनको अनुपस्थित मानकर चर्चा निरस्त की जाती है । अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि में 9 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

24 मार्च, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीठे पृष्ठ 3 पर)

संलग्नक

जनपदों को परिव्यय हेतु उपयोग किये जा रहे मानक

(अ) मैदानी क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1– कुल जनसंख्या	50
2– अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3– सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4– कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5– औद्योगिक पिछड़ापन	5
6– सड़कों में पिछड़ापन	5
7– विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
8– अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
9– पेयजल अभावग्रस्त गांव	5
योग ..	95

(परिव्यय के शेष भाग को जनपदों की विशेष समस्याओं, उनके द्वारा जुटाये गये संसाधन अथवा शुरूआत में उत्पन्न होने वाली "असंगतियों" को दूर करने के निमित्त आरक्षित किये जाने का प्राविधान है)

(ब) पर्वतीय क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1– कुल जनसंख्या	50
2– अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3– सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4–	कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5–	औद्योगिक पिछड़ापन	5
6–	विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
7–	अस्पतालों की शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
8–	पेयजल अभावग्रस्त ग्राम	5
9–	भौगोलिक क्षेत्रफल	5
10–	इफैक्टिव फारेस्ट कवर	5
	योग	100

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

को० अकबरपुर, फैजाबाद

श्रीमान् परगना मजिस्ट्रेट महोदय,

अकबरपुर ।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि दिनांक 10-9-89 को श्री बलाऊ वर्मा, प्रधान, ग्राम सभा अफजलपुर कोतवाली अकबरपुर ने अ० सं० 467/90 धारा–409 आई० पी० सी० विरुद्ध अली कौसर पुत्र सफदर हुसैन निवासी अफजलपुर को० अकबरपुर पंजीकृत कर दिया था ।

इस मुकदमें में अनन्तिम रिपोर्ट संख्या–90, दिनांक 21-3-90 को प्रेषित किया जा चुका है अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है ।

ह०- अपठनीय

हे० मु०

2-6-90

सील

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

नकल च्चिक दस्तनदाजी सं० 89 मु० अ० सं० 133/91 धारा 447 भा० दं० वि० थाना नवाबाद–झांसी

दिनांक घटना व समय	..–	माह सितम्बर, 1990 को तीसरे सप्ताह में समय तहरीर
दिनांक सूचना व समय	..–	दि० 12-3-91, समय 20.45
घटना स्थल	..–	बंगला नं० 62/1, सिविल लाइन, झांसी।
वादी	..–	श्री लखपत राम शर्मा पुत्र स्व० श्री लेखराम शर्मा सिविल लाइन, थाना नवाबाद, झांसी।
बनाम	..–	प्रेम चन्द्र बब्बर पुत्र स्व० रामचन्द्र बब्बर, राजीव बब्बर पुत्र प्रेमचन्द्र बब्बर, सिविल लाइन, झांसी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी प्रभारी अधिकारी थाना नवाबाद, झांसी श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी श्रीमती गोविन्द्र कुमारी जी पुत्री स्व० श्री कमल सिंह जी देव निवासी 61 सिविल लाइन झांसी मुख्तार आम है, और इसी हैसियत से उनकी जमीन जायदाद का देख-भाल व इन्तजाम आदि करता है, उनकी एक किता आराजी मालिक नम्बरी 188 हाल नम्बरी किता 264 रकबा 3.14 समय बाके मौजी सिविल लाइन झांसी परगना व जिला झांसी स्थित है जिसकी वह पट्टेदार दबानी है और जिसका लगान वह जमींदार को अदा करती आ रही है उक्त आराजी पर बंगलों के अलावा बंगला नं० 62/1 सिविल लाइन झांसी तामीर है व कुछ आराजी खाली पड़ी हुई है जिन्होंने कि बंगला नं० 62 व कुछ जमीन श्री गिरीश चन्द्र शर्मा पुत्र चिरंजी लाल को कुछ वर्ष पूर्व करोला की थी जिनसे श्री प्रेमचन्द्र पुत्र स्व० रामचन्द्र बब्बर अपने नाबालिक लड़के श्री राजीव बब्बर के नाम जमीन खरीदा और प्रेमचन्द्र बब्बर ने उस पर तामीरात करके जिसका कि नं० 62/1 सिविल लाइन पड़ा उक्त बंगला नं० 62/1 के उत्तर की तरफ एक बाहर दीवारी बनी थी। उसके उत्तर दिशा में कुछ खुली आराजी श्रीमती गोविन्द्र कुमारी के उक्त प्लाट नं० 264 के उक्त बाउन्ड्री वाल से सड़क इलाहाबाद बैंक से रेलवे स्टेशन तक स्थित थी, खाली पड़ी थी जिस पर कि कब्जा व दखल श्रीमती गोविन्द्र कुमारी का व और जिस पर आबाद रक्त कराने का किसी तरह का अधिकार उक्त प्रेमचन्द्र बब्बर व उनके पुत्र राजीव बब्बर को नहीं था दोनों शख्श झगड़ालू व शरारती किस्म के हैं और श्रीमती गोविन्द्र कुमारी व प्रार्थी को तंग व परेशान व नुकसान करने के आदी हैं। जिसकी वजह से मुकदमें बाजी चल रही है। प्रार्थी हृदय रोग से पीड़ित है और इलाज हेतु कुछ अर्से पूर्व दिल्ली में रह रहा था श्रीमती गोविन्द्र कुमारी भी दिल्ली में आंख के आपरेशन के सिलसिले में दिल्ली में मुकीम जो कि प्रेमचन्द्र बब्बर ने उक्त आराजी के मालिक व प्रार्थी की गैर मौजूदगी का अनुचित लाभ उठाते हुए दिसम्बर, सन् 1990 के तीसरे सप्ताह में वदनियति से अनाधिकृत कब्जा करने हेतु मढा खलत भेजा करते हुए उक्त आराजी नम्बरी 964 जुज हिस्सा 11 फिट 1इंच×33 फिट लगभग 366 एकतावर फिट पर कब्जा आसवाना करते हुए एक तरफा व एक कमरा तामीर कर लिया और उत्तरी दिशा की ओर आबाद उक्त जरिया गोविन्द्र कुमारी उक्त आराजी में कर ली जैसे ही उक्त अनाधिकृत कब्जा गासवाना के बाबत विदित हुआ वैसे ही देहली से तार के जरिये अभियुक्तों को मिला लेकिन अभियुक्तगण नहीं माने और उक्त टपरा व कमरे

की तामीर करके अनाधिकृत कब्जा कर लिया । यह कि कुछ स्वस्थ होने पर झांसी आने पर प्रार्थी ने अभियुक्तों से उक्त अनाधिकृत कब्जा छोड़ने व आमद रफ्त बन्द करने हेतु कहा लेकिन जब न माने तो एक कानूनी नोटिस के जरिये रजिस्ट्री सं० डी० 24 जनवरी, 1991 को वादी वकील श्री जी० एस० निगम एडवोकेट द्वारा अभियुक्तगणों को भिजवाया जो कि उन लोगों ने यह पता नहीं कब वापस लौटेंगे, बिना तामीली वापस करवा दिया हालांकि अभियुक्तगण झांसी में मुकीम थे इसलिये प्रार्थी ने दोबारा कानूनी नोटिस हस्वधास 441 ता० हि० श्री देवी सिंह एडवोकेट द्वारा फिर से रजिस्ट्री ए० डी० दिनांक 20 फरवरी, 1991 को भिजवाना पड़ा जिन्हें कि अभियुक्तगणों ने जानबूझ कर लेने से इन्कार किया जिसका इन्जर्समेन्ट सम्बन्धित किया । बड़ा डाक खाना झांसी ने दिनांक 21-2-91 को अपने सामने हस्ताक्षर किया इस तरह से कानून व उक्त नोटिसों की तामीली अभियुक्तगणों पर दिनांक 21-2-91 को हुई और नोटिस में निर्धारित अवधि तक अभियुक्तगणों में उक्त अनाधिकृत कब्जा गासवाना नहीं छोड़ा न ही आमद रफ्त बन्द की । इस तरह से अभियुक्तगणों ने अपराध हस्त ब दफा 447 ता० हि० का किया नाम पता गवाहान जिन्होंने प्रति कम बाह करते हुए अभियुक्तों को दपवा व प्रार्थी को सूचित किया । घनश्याम दास साहू 100 सागर गेट, झांसी थाना शहर कोतवाली झांसी, 2—श्रीमती भगवती निवासी 61 सिविल लाइन झांसी, 3—गजेन्द्र पाल 64/1 सिविल लाइन झांसी, 4—श्री अशोक शर्मा 105 सरकुलर रोड शहदरा दिल्ली आदि ने दो बार, 5—श्री महेन्द्र सिंह पोस्ट मैन हैड पोस्टमैन झांसी, 6—जूनियर इन्जीनियर झांसी विकास प्राधिकरण झांसी, 7—श्री रमजान रक्समैन गड़िया का फाटक प्रेमनगर झांसी, 8—श्री पुरुषोत्तम सिंह उन्नाव गेट बाहर थाना कोतवाली झांसी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्तगणों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके न्यायालय के द्वारा उनको दण्डित कराये जाने की कृपा करे प्रार्थी लखपत राम शर्मा पुत्र स्व० श्री लेखराम जी शर्मा 61 सिविल लाइन थाना नवाबाद, झांसी दिनांक 5-3-91 श्री देवी सिंह एडवोकेट, सी-कम्पाउन्ड 10, श्री गोविन्द शरण निगम एडवोकेट सी० जे० एम० कम्पाउन्ड झांसी, 10 क्लर्क गोविन्द शरण निगम एडवोकेट सी० जे० एम० झांसी 11-श्री राम नारायण लोहिया बड़ा बाजार थाना कोतवाली झांसी आदि 13 अशोक शर्मा 105 सरकुलर रोड शहदरा दिल्ली ह० लखपत राम शर्मा ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

जनपद के बाहर से बने आग्नेयास्त्र लाइसेंसों की सूची

थाना–जसपुरा जनपद–बांदा

1–श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री प्राग सिंह, ग्राम जसपुरा
2–श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री दिरपाल सिंह, ग्राम गौरी कला
3–श्री राम कृपाल सिंह पुत्र श्री बुच्चू सिंह, ग्राम गौरीकला
4–श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्र श्री राम स्वरूप, ग्राम गौरीकला
5–श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री सिद्ध गोपाल, ग्राम नयादेव
6–श्री शिव भजन सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, ग्राम नयादेव
7–श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह, ग्राम नयादेव
8–श्री राम औतार पुत्र रघुनन्दन सिंह, ग्राम अमारा
9–श्री राम किशोर पुत्र श्री राम सनेही सिंह, ग्राम अमारा
10–श्री राम दास सिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह, ग्राम अमारा
11–श्री महमूद खां पुत्र अजीज खां, ग्राम सिकहुला
12–श्री सुखराम पुत्र श्री विष्णु दत्त, ग्राम गड़रिया
13–श्री जयराम पुत्र श्री कमला प्रसाद, ग्राम रैपुरा मजरे गड़रिया
14–श्री राम स्वरूप पुत्र शिव बालक, ग्राम पहुन्ड्री
15–श्री जगदीश पुत्र श्री राम भरोसे, ग्राम रामपुर
16–श्री जगदीश पुत्र श्री बृज लाल, ग्राम रामपुर
17–श्री लक्ष्मी नरायन पुत्र पूरन प्रसाद, ग्राम रामपुर
18–श्री गुरू प्रसाद पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम तनगामऊ
19–श्री विजय बहादुर पुत्र श्री भैया लाल, ग्राम गाजीपुर
20–श्री भूरा सिंह पुत्र गुब्बार सिंह, ग्राम बुधेड़ा
21–श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री भागवत सिंह, ग्राम गलौली
22–श्री लाखन सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, ग्राम गलौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता०प्र० सं० 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

अपराधिक इतिहास का विवरण

कलुआ पुत्र राम सजीवन निवासी भिण्डौरा थाना तिन्दवारी, जनपद बांदा का अपराधिक इतिहास

1–अपराध संख्या 117/73 धारा 395/397 भा० दं० वि० थाना तिंदवारी, जनपद बांदा ।

2–अपराध संख्या 11/74धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना तिंदवारी, जनपद बांदा ।

3–अपराध संख्या 15/77 धारा 302 भा० दं० वि० थाना तिंदवारी, जनपद बांदा ।

4–अपराध संख्या 43/80 धारा 399/402/307भा० दं० वि० थाना तिंदवारी, जनपद बांदा ।

5–अपराध संख्या 252/84 धारा 395/397 भा० दं० वि० थाना तिंदवारी, जनपद बांदा ।

6–अपराध संख्या 2/85 धारा 394 भा० दं० वि० थाना तिन्दवारी, जनपद बांदा ।

7–अपराध संख्या 46/85 धारा 395 भा० दं० वि० थाना तिंदवारी, जनपद बांदा ।

8–अपराध संख्या 144/87 धारा 324 भा० दं० वि० थाना तिंदवारी, जनपद बांदा ।

9–अपराध संख्या 1/88 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना तिदवारी, जनपद बांदा ।

शिवलखन जोशी पुत्र श्री बद्री प्रसाद जोशी निवासी ग्राम पाटनपुर, थाना बिंबार, जनपद हमीरपुर का अपराधिक इतिहास

1–अपराध संख्या 347/91 धारा 392 भा० दं० वि० थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर ।

2–अपराध संख्या 84/91 धारा 394भा० दं० वि० थाना ललपुरा, जनपद हमीरपुर ।

3–अपराध संख्या 164/91 धारा 394/302 भा० दं० वि० थाना कबरई, जनपद हमीरपुर ।

4–अपराध संख्या 287/91 धारा 392 भा० दं० वि० थाना कबरई, जनपद हमीरपुर ।

5–एन० सी० आर० संख्या 151/89 धारा 323/504 भा० दं० वि० थाना बिंबार, जनपद हमीरपुर ।

6–एन० सी० आर० संख्या 133/90 धारा 352/504 भा० दं० वि० थाना बिंबार, जनपद हमीरपुर ।

नत्थी 'ब'

(देखिये अता० प्र० सं० 123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62-63 पर)

माह	उत्पादन (एम० टी० में)	एक्साइज ड्यूटी
नवम्बर, 87	25–700	–
दिसम्बर, 87	326–955	103180.00
जनवरी, 88	430–290	140984.00
फरवरी, 88	412–640	140980.00
मार्च, 88	394–900	137528.00
अप्रैल, 88	399–600	128890.00
मई, 88	458–240	145390.00
जून, 88	300–000	100500.00
जुलाई, 88	455–620	304700.00
अगस्त, 88	450–920	200381.00
सितम्बर, 88	440–570	194950.00
अक्टूबर, 88	410–240	250718.00
नवम्बर, 88	474–950	206710.00
दिसम्बर, 88	477–150	147447.00
जनवरी, 89	428–310	138008.00
फरवरी, 89	420–940	166053.12
मार्च, 89	317–680	119695.00
अप्रैल, 89	395–550	234543.00
मई, 89	361–500	136237.00
जून, 89	409–500	300313.00
जुलाई, 89	383–050	237252.00
अगस्त, 89	319–450	170625.00
सितम्बर, 89	387–200	183915.00
अक्टूबर, 89	411–675	161717.00
नवम्बर, 89	425–300	147900.00
दिसम्बर, 89	430–100	241537.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माह	उत्पादन (एम० टी० में)	एक्साइज ड्यूटी
जनवरी, 90	402–350	75550.00
फरवरी, 90	395–550	244812.00
मार्च, 90	418–300	306304.00
अप्रैल, 90	378–850	120330.00
मई, 90	370–100	292272.00
जून, 90	385–000	405738.00
जुलाई, 90	414–000	285783.00
अगस्त, 90	355–500	202419.00
सितम्बर, 90	388–290	188625.00
अक्टूबर, 90	396–500	248232.00
नवम्बर, 90	413–050	251559.00
दिसम्बर, 90	408–750	172482.00
जनवरी, 91	407–400	66635.00
फरवरी, 91	394–700	146634.00
मार्च, 91	393–400	462270.00
अप्रैल, 91	405–500	336955.00
मई, 91	430–000	154721.00
जून, 91	382–800	269192.00
जुलाई, 91	394–550	476894.00
अगस्त, 91	412–700	104534.00
सितम्बर, 91	348–000	207553.00
अक्टूबर, 91	409–810	244476.00
नवम्बर, 91	392–450	114530.00
दिसम्बर, 91	395–500	212371.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

नकलचिक

अ० सं० 528/85 धारा 120 बी /408/201/167 आई० पी० सी० थानों अकबरपुर

चिक संख्या 340

घटना दिनांक–11-2-84, समय अदम तहरीर

सूचना– 29-12-85, समय 2 बजे ए० एम०

घटना स्थल–मरैला मिल अकबरपुर 8 किलोमीटर पूरब उत्तर

वादी–श्री एस० के० मलिक, निरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ।

बनाम–1–बाबूराम त्रिपाठी–सुरक्षा सैनिक, मरैला मिल

2–अतहर हुसैन–सहायक प्रबन्धक, मरैला मिल

3–राम जनम श्रीवास्तव, कर्मचारी, मरैला मिल

4–एस० एन० कटियार,

5–एस० के० सिंह, मुख्य अधिशासी,मरैला मिल, पी० एस० अकबरपुर, फैजाबाद ।

विवेचक–विवेचना द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ० प्र० गोरखपुर द्वारा होगी ।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

इन्सपेक्टर इन्चार्ज थाना अकबरपुर, फैजाबाद श्री बाबूराम यादव उप सचिव उ० प्र० शासन ने अपने प० सं० 16/84-गोप0 7. दिनांकित 23-3-84 के साथ श्री प्रियदर्शी जेतली, सदस्य, विधान सभा का शिकायती प्रार्थना-पत्र को मुख्य मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित संलग्न करते हुए अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश से जांच कराये जाने की अपेक्षा की थी । इस जांच के मध्य यह प्रकाश में आया कि ट्रक नं० यू० एच० एच० 1215 दिनांक 1-2-84 को माल लादने हेतु अकबरपुर कताई मिल में प्रवेश किया, यह माल चूडीवाल ब्रदर्स मऊनाथ भंजन को जाना था उक्त ट्रक पर 125 बोरे के बजाय 126 बोरा माल लादा गया । अन्य बोरों में 2 से ढाई के० जी० निर्धारित मात्रा से अधिक पैक किया हुआ था दिनांक 19-2-84 को बाबूराम त्रिपाठी सुरक्षा सैनिक व श्री अतहर हुसैन सहायक प्रबन्धक की ट्रक पर माल लदवाने की ड्यूटी थी उन्होंने जानबूझकर अपने लाभ के लिये व चूडीवाल ब्रदर्स को लाभ पहुंचाने हेतु उक्त ट्रक पर ज्यादा माल लदवाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया तथा राम जनम श्रीवास्तव ने जानबूझकर उक्त बोरों में निर्धारित मात्रा से अधिक माल पैक करवाया । इस तथ्य की सूचना मिल के कर्मचारियों श्री अनिरुद्ध सिंह आदि ने मौखिक रूप से श्री एस०

एन० कटियार को की तो उन्होंने ट्रक को रोकवाकर उसकी चेकिंग दिनांक 11-2-84 को करवाई और शिकायत सही होने पर दूसरे दिन पुनः रिकार्ड में अंकित मात्रा से अधिक माल उक्त ट्रक से उठवाकर दिनांक 10-2-84 के इक्साइज गेट पास पर ही दिनांक 11-2-84 को ट्रक व माल को निकासी करा दिया जो नियम विरुद्ध है श्री एस० एन० कटियार ने इस मामले की कोई लिखापढ़ी तत्काल नहीं की और उक्त घटना का कोई मुकदमा अंकित नहीं कराया । दिनांक 11-2-84 को माल पास हो जाने के बाद मिल के मुख्य अधिशासी श्री एस० के० सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया । श्री एस० एन० कटियार ने मौखिक उक्त सूचना मुख्य अधिशासी को दिया जिसके आधार पर मुख्य अधिशासी ने भी इस अपराधिक षड़यन्त्र की कोई सूचना देकर कहीं भी कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया जबकि अपने स्तर पर उन्होंने दोषी उक्त कर्मचारियों का स्पष्टीकरण लेकर उन्होंने चेतावनी देकर छोड़ दिया । मिल के अधिकारियों का यह कार्य अन्तर्गत धारा 120 बी/408/201/218/167भा० दं० वि० का अपराध है । अतः उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके पत्रवाहक द्वारा प्र० सू० रि० की प्रति व सा० दै० की कायमी मुकदमा की एक प्रति भेजने की कृपा करें हस्ताक्षर एस० के मलिक निरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर दिनांक 26-12-85 लेखक एफ० आई० आर० मन्शा राम रावत है । मु० 29-12-85

नोट–नकल मुताबिक असल के है ।

ह० अपठनीय

1-10-90

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०–एल० 181 विधान सभा (286)–572–1993 (डी० टी० पी०) ।